लोक सभा वाद-विवाद

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997

4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

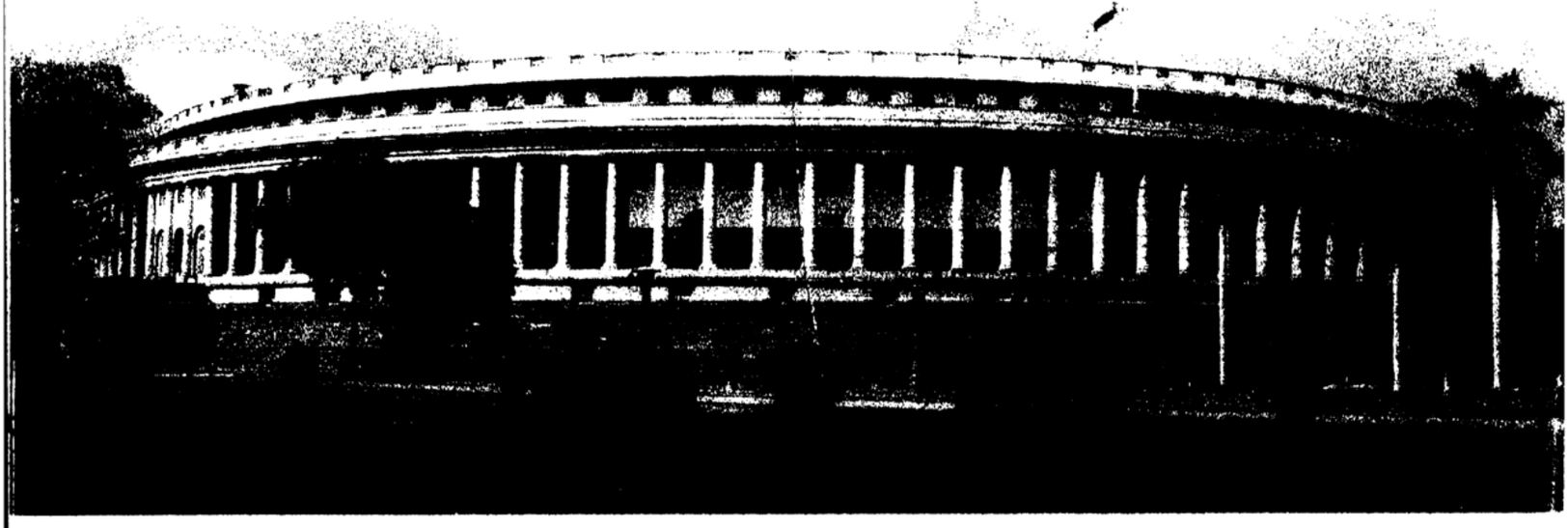

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई ''हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।'' उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें ''भारत के लिए कार्यसूची'' की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194–197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम
श्री संतोष कुमार गंगवार	213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन	219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन	225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते	229–232
श्री नवल किशोर शर्मा	232–240
श्री राम कृपाल यादव	240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी	250–253
श्री मनोरंजन भक्त	253–260

अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	261
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–286
श्री मुलायम सिंह यादव	287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह	306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल	312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	331–348
श्री सत्यदेव सिंह	349–361
श्री कमरूल इस्लाम	361–367
श्री ई. अहमद	367–373
श्री शिबु सोरेन	374–377
डा. अरविन्द शर्मा	377–380
कुमारी उमा भारती	380–389
श्रीमती संध्या बौरी	390–393
श्रीमती मीरा कुमार	394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे	400–403
श्री पीताम्बर पासवान	404–407
श्री एल. बालारमन	407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	412–415
श्रीमती रजनी पाटिल	415–419
श्री इलियास आजमी	419–425
श्री नवीन पटनायक	426–429
श्री सतपाल महाराज	429–431
श्री चमन लाल गुप्त	432–435
श्री सुरेश प्रभु	435–442
श्री सनत मेहता	442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन	448–450
श्री मानवेन्द्र शाह	450–454
डा. देवी प्रसाद पाल	454–459
श्री बादल चौधरी	460–464
श्री के.एस. रायुडू	464–470

विषय	कालम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	475–479
श्री बृज भूषण तिवारी	479–482
डा. राम विलास वेदान्ती	482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी	485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन	488–493
डा. जयन्त रंगपी	493–497
श्री आई.डी. स्वामी	498–502
श्री नारायण आठवले	503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	506–508
श्री एस.के. कारवेंधन	508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया	514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर''	517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी	523–524
श्री हंसराज अहीर	525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक	527–531
श्री रमेश चेन्नित्तला	531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली	536–537
श्री लालमुनी चौबे	537–542
श्री सुकदेव पासवान	543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	546–551
श्री डी.पी. यादव	552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	559–561
श्री मंगत राम शर्मा	561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	565
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
श्री राम विलास पासवान	567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी	578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी	597–600
श्री एस. बंगारप्पा	601–607
श्री तरित वरण तोपदार	607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	613–619
प्रो. रीता वर्मा	619–630
श्री पी. उपेन्द्र	631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार	640–645
श्री वी.वी. राघवन	646–650
श्री भक्त चरण दास	651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	664–669
डा. के.पी. रामलिंगम	670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय	कालम
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया	1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह	1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी	1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	1061–1065
श्री राजू राणा	1065–1067
श्री सौम्य रंजन	1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह	1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	1076–1077
श्री अंचल दास	1078–1080
डा. राम लखन सिंह	1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार	1085–1088
श्री रामशकल	1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा	1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव	1100–1103
डा. अमृत लाल भारती	1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	1106–1110
श्री शिवराज सिंह	1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	1117
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*	
*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल	1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी	1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति	1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी	1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव	1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले	1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी	1154
*श्री हरिवंश सहाय	1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा	1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना	1158–1165
*श्री पवन दीवान	1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण	1168–1169
*श्री हरिन पाठक	1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	1171–1172
*श्री पी.एम. सईद	1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत	1177–1179

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय	कालम
*श्री श्याम बिहारी मिश्र	1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा	1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह	1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत	1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु	1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान	1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी	1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव	1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	1317–1319
*श्री अशोक अर्गल	1319–1321
*श्री सौडे रमैया	1322–1324
*श्री अनिल बसु	1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया	1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव	1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी	1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम	1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन	1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल	1337
*श्री राजकेशर सिंह	1338–1339
*श्री गिरधारी यादव	1339–1341
*श्री मुनिलाल	1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन	1344–1345
*श्री विनय कटियार	1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत	1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार	1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी	1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी	1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे	1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	1357–1363
श्री धर्मभिक्षम	1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर	1365–1369
डा. बलिराम	1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल	1379–1404
विदाई उल्लेख	1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत*	1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई	1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित*	1411–1453
अनुक्रमणिका	1455–1474

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री सन्तोष मोहन देव: मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि यह वाद-विवाद बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है और सदस्यों में भी काफी उत्साह है। सभी दलों में वक्ताओं की एक लम्बी सूची है। मेरे विचार में हमारी स्वतंत्रता की इस स्वर्ण जयंती वर्ष में किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न होकर घर नहीं जाना चाहिए। सदन की भावना का सम्मान करते हुए, मैं वाजपेयी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमें अनौपचारिक रूप से यह बताया है कि वह हर प्रकार के समायोजन से सहमत हैं ताकि सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अपील करता हूं कि सदन की अवधि और तिथि बढ़ाई जाए ताकि हम सचेतक, अपने सदस्यों को संतुष्ट कर सकें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं उनके विचारों से पूर्णत: सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वस्तुत: आज सुबह मैंने राजनैतिक दलों के नेताओं, सदन के नेता, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता के साथ विचार-विमर्श किया था। इस बात पर सहमति हुई है कि अब सदन की बैठक आज दिन और रात तथा कल दिन और रात तक चलेगी। प्रधान मंत्री द्वारा अंतिम भाषण और सत्र का सार प्रस्तावक श्री वाजपेयी द्वारा सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव: महोदय, दलों के सचेतक उसी दिन अपने विचार व्यक्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। देखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग): महोदय, हममें से अधिकांश सदस्यों ने कल अपने घर जाने का कार्यक्रम बना लिया है।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य घर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं परन्तु उन्हें शीघ्र वापस आ जाना चाहिए। मैं प्रत्येक सदस्य से अपील करता हूं कि वे सोमवार को वापस आ जाएं क्योंकि उसी दिन हम कतिपय संकल्प स्वीकार करेंगे।

श्री जी.जी. स्वैल: महोदय, जैसाकि आप जानते ही हैं, यह मेरे लिए संभव नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, सोमवार को यह कार्य मध्याह्न पूर्व तक पूरा कर लिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं कह सकता कि उक्त कार्य मध्याह्न पूर्व तक पूरा कर लिया जाएगा परन्तु हम इसे सोमवार को पूरा कर लेंगे और यह कार्य सचेतकों द्वारा की गई नई मांगों पर निर्भर करता है। वे अध्यक्ष को निर्देश देने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं। देखते हैं परन्तु इसे सोमवार को पूरा कर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो पूरी रात और सुबह तक यहां उपस्थित रहे। मुझे बताया गया है कि 22 ऐसे संसद सदस्य, जो गत पूरी रात और आज सुबह 5.40 बजे तक अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहे, पूरी रात सदन में बैठे रहने के बावजूद बोलने का अवसर नहीं पा सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला किया है, वह सर्वमान्य है लेकिन पहली तारीख को जब इसका रिप्लाई होगा, उस समय के कार्यक्रम बन चुके हैं तो इतना संशोधन कर दीजिए कि पहली तारीख को 3 बजे से 5 बजे के बीच में प्रधान मंत्री और नेता विरोधी दल बोलें तो ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा।

[अनुवाद]

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल): महोदय, हम जैसे सदस्य, जो कभी भी वक्ता नहीं रहे हैं, को दस या बीस मिनट की समय-सीमा के कारण बहुत असुविधा होती है। ऐसे सदस्य इस समय-सीमा में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते और *....(व्यवधान)* नेता/प्रसिद्ध

वक्ता एक घंटे का समय लेते हैं ....*(व्यवधान)* महोदय, इतने कम समय में हम कैसे अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं? ....*(व्यवधान)* महोदय, नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका कहना सही है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ सदस्य इसे ध्यान में रखेंगे। हमें समय-सारणी के अनुसार ही बोलना चाहिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): महोदय, नए सदस्यों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर): महोदय, हमें यह बताया गया था कि माननीय सदस्य अपना भाषण एक विशेष विषय तक ही सीमित रखेंगे। परन्तु सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से प्रत्येक सदस्य सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि इस संबंध में आप राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करें ताकि सदस्य विशेष विषय पर ही अपने विचार व्यक्त करें। इससे हमें और अन्य लोगों को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे बात करूंगा।

अब सदन के नेता, श्री राम विलास पासवान वाद-विवाद प्रारम्भ करेंगे।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

श्री राम विलास पासवान

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों को आजादी का समय देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन यहां हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुये हैं जिन्होंने न सिर्फ आजादी का समय देखा बल्कि उसमें सक्रिय भाग लेने का काम किया था। आपने आजादी के 50 वर्ष बाद सदन में ऐतिहासिक डिस्कशन कराया और मैं समझता हूं कि पिछले चार दिनों से जो डिस्कशन हो रहा है, वह बहुत ही ऊंचे स्तर का हो रहा है। यह थोड़ा बहुत स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि हैं, उसमें बातें आती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि एक लक्ष्मण रेखा के अंदर चल रहे हैं। मैं पुन: आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जैसा आपने बताया कि तीन दिन और डिस्कशन होगा और उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ नतीजा निकलेगा।

अध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूं कि काफी मुद्दों पर आम सहमति बनती जा रही है। जैसा श्री मुलायम सिंह यादव और नेता विरोधी दल ने पार्लियामेंट में कार्य के संबंध में कि कैसे सुचारू रूप से चलाया जाये, इस संबंध में जो सुझाव उन्होंने रखे हैं, उसमें दो मत नहीं, सब लोग उसमें एकमत हैं। मैं समझता हूं कि इससे प्रजातांत्रिक ढांचा मजबूत होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं सरकार के एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो सदस्य बोलेंगे, वे अपनी राय को अपने स्तर से रखने का काम करेंगे, मैं समझता हूं कि कुछ बातें मैं उस रूप में रखना चाहता हूं। इसमें जब हम आजादी के पहले तुलना करते हैं और आजादी के बाद की तुलना करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह सोचनी पड़ेगी कि भारत जो विशाल देश है, वह भारत देश इतने दिनों तक गुलाम क्यों रहा और जब तक हम उसे डायोगनिज नहीं करेंगे, मैं समझता हूं तब तक भविष्य में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। जब मैं इस बात को देखता हूं, इस बात का विवेचन करता हूं कि भारत की गुलामी का क्या कारण था तो सबसे बड़ा कारण यह नहीं लगता कि भारत कभी आर्थिक दृष्टि से गुलाम रहा हो। कभी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी दूध की नदियां बहती थीं लेकिन बाहर से आक्रमण करने वाले आते हैं कि भारत चलो, इस पर कब्जा करो, वहां पर धन-धान्य है। यह कभी न था कि भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। भारत सबसे ज्यादा गुलाम रहा और मैं समझता हूं कि उस गुलामी का सबसे बड़ा कारण यह रहा हमारा दिमागी गुलाम होना। यदि शरीर कमजोर होता है तो शरीर की कमजोरी को पूरा करने के लिए खा-पीकर दुरुस्त कर सकते हैं लेकिन जब दिमाग कमजोर हो जाता है, मन कमजोर होता है तो उस दिमागी कमजोरी को हटाने के लिए सदियां लगती हैं। यदि इस बात पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण हमारी दिमागी कमजोरी और दिमागी गुलामीपन रहा। जब हम उस दिमागी गुलामीपन के कारण को खोजते हैं तो मेरी समझ में सबसे बड़ा कारण इस देश में जाति व्यवस्था रहा है। किस कारण से यह जाति व्यवस्था बनी रही? वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था बनी और फिर उप-जाति व्यवस्था बनी। यह क्यों बनी? हो सकता है कि बहुत से तर्क दिये जाते हैं कि अभी पालिटिशियन्स हैं। पालिटिशियन्स की एक जाति है, ब्यूरोक्रेट्स की एक जाति है, बिजनैसमैन की एक जाति है। हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो कि अलग-अलग काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। मैं समझता हूं कि इसका इतना गहरा अभाव है। आज भी जब हम देखते हैं तो इस देश में सारी चीजें बदल

जाती हैं। हमारे यहां जितने सिख, मुसलमान या ईसाई बैठे हुये हैं, वे कोई विदेशी नहीं हैं। सब एक मां-बाप की संतान हैं। गुरु गोबिन्द सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की और केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण से लैस कर दिया। सिख धर्म कोई विदेश से नहीं आया था। उन्होंने किन को पंज प्यारे चुना था? सब छोटी जाति के लोगों को चुन लिया। इस देश में जब मुसलमान आया तो मुसलमान अलग है, इस्लाम अलग है। पानीपत में जो पहली लड़ाई हुई थी, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, कोई हिन्दू राजा नहीं लड़ रहे थे। जब इब्राहिम लोदी आया था तो 1200 लोगों के साथ आया था और आज हिन्दुस्तान में 14 करोड़ मुसलमान हैं, 15 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में हैं। तीनों को मिला दिया जाए तो 29 करोड़ मुसलमान होते हैं। हम गाली देने के लिए कह सकते हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं। लेकिन ये 30 करोड़ मुसलमान बाबर की औलाद नहीं हैं। क्यों बना मुसलमान, कौन बना मुसलमान, कभी हमने सोचने का काम किया है? हमने जो वर्ण व्यवस्था बनाया, उस वर्ण व्यवस्था में हमने जाति व्यवस्था बनाया, उसमें हमने कह दिया कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है। शूद्र में भी हमने कह दिया कि यह टचेबल है, यह अनटचेबल है। किसी को देखना पाप, किसी को छूना पाप है। किसी को छू सकते हैं, यह जो हमने कैटेगरी में बांध दिया और हमने कह दिया कि एक आदमी चांडाल है, जो मुर्दा के घाट पर रहेगा, वहीं खाना खायेगा, वहीं सोयेगा, उसको हमने सारे और हमको कहना नहीं चाहिए कि ऐसे-ऐसे आदमियों की यहां किताबें हैं, जिसको धर्म ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, जिसको हिन्दू धर्म कहा जाता है, वहां से शुरूआत हुई है। मनु स्मृति में लिख दिया जाता है, किसी में लिख दिया जाता है कि कुत्ता, बिल्ली और मैना को मारने में जितना पाप लगता है, उतना ही पाप शूद्र को मारने में लगता है। वह आदमी जिसने कभी धर्म को नहीं जाना, जिसको दूर रखा जाता है, जिसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, उसको इस्लाम धर्म में कह दिया जाता है कि खुदा के सामने सब बराबर हैं और वह कहते हैं कि अगर तुमको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, तो मस्जिद में चले आओ। अगर तुमको खाने और पढ़ने नहीं दिया जाता तो तुम यहां आकर खाओ। नतीजा यह हुआ कि भारी संख्या में नीचे तबके के लोगों ने जाकर धर्म परिवर्तन किया। जो हमारे आदिवासी हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। मैं नहीं समझता हूं कि आदिवासी से ज्यादा कोई व्यक्ति इस देश में ईमानदार होता है।

मैं 1979 में पहली बार जब एम.एल.ए. बना था और 1970 में जब मैं रांची गया था तो रांची में एक आदिवासी नौजवान जेल में बंद था और हमने पूछा कि क्या हुआ था तो उसने कहा कि ऐसी-ऐसी बात हुई थी और हमने उस आदमी को जाकर मार दिया और उसके बाद थाने में चले गए। हम लोगों को दया आती थी और हमने जब उस नौजवान को कहा कि तुम क्यों नहीं बयान बदल देते कि तुमने उसको नहीं मारा है। इस पर उसने कहा कि नहीं हमने मारा है। हम कैसे कह देंगे कि हमने नहीं मारा है। आज भी जो ट्राइबल कल्चर है, मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा ईमानदारी का कोई नमूना कोई और हो सकता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा बेबसी की जिंदगी वही गुजार रहा है। उस ट्राइबल ने धर्म परिवर्तन करने का काम किया है। जो दलित क्रिश्चियंस होंगे, वे कोई विदेश से आए हुए नहीं हैं। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, इस देश में एक भी गोरा नहीं रहा। सब चले गए थे। आज हमारे पूरे के पूरे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल और अंडमान और निकोबार में सबमें क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं। इसी तरह से कश्मीर वैली में हमारे मुसलमान भाई हैं और पंजाब में हमारे सिख भाई हैं। कौन लोग बने हैं? किन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? बाबा अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को 14 अक्तूबर, 1956 को स्वीकार किया।

बुद्धम शरणम् गच्छामि, संघम शरणम् गच्छामि,
संघम् शरणम् गच्छामि।

दस लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे लोग इसी धर्म से पैदा हुए हैं। मैंने कई बार कहा कि हम मच्छर को मार सकते हैं लेकिन जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं करेंगे, मच्छर का पैदा होना बंद नहीं होगा। हमको सोचना पड़ेगा कि आज आजादी की बात हम करते हैं। आज आजादी के पचास साल के बाद भी संसार के किसी कोने में चले जाइए, मैं काफी जगहों पर गया हूं और मैंने देखा है कि जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में व्यक्ति की पहचान, महत्ता होती है और हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति की पहचान, महत्ता नहीं है। हमारे देश में जाति की महत्ता है। मैं सब जातियों के लिए यह कह सकता हूं कि हमारे यहां बहुत से स्कॉलर्स पैदा होते हैं लेकिन वे चुनाव के मैदान में जीत नहीं पाते हैं क्योंकि दुर्भाग्य से जाति की संख्या वहां नहीं हो पाती है, इसलिए इस जाति व्यवस्था ने दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को वंचित करने का काम किया है बल्कि ऊंची जाति के लोगों पर भी जाति व्यवस्था ने हमला करने का काम किया है।

हमारे देश में आज अम्बेडकर जैसे लोग चुनाव जीत नहीं पाते हैं। मैं एक अम्बेडकर की बात नहीं कहता हूं। हर पार्टी में ऐसे लोग मिलेंगे कि यदि जिस निर्वाचन क्षेत्र में वे जाएं और जाति का वोट नहीं होता है तो वे हार जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस जाति व्यवस्था ने इस देश का सर्वनाश किया है तथा व्यक्ति की महत्ता कम करने का काम किया है। जो सामाजिक ढांचा है, उसको कमजोर करने का काम किया है।

इसलिए मैंने कहा, इस देश में सब कुछ बदल सकते हैं, हम धर्म बदल सकते हैं, हम सरकार बदल सकते हैं, अमीर गरीब हो सकता है और गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन कोई आदमी जाति बदलना चाहे, तो इस देश में जाति एक ऐसी चट्टान है कि हम उसको नहीं बदल सकते हैं। जब हम आजादी के आन्दोलन को देखते हैं, तो आज भी बहुत से लोगों के मन में शंका होती है और कहा जाता है कि आजादी के आन्दोलन में डा. अम्बेडकर, जिनको बाद में मसीहा के रूप में माना गया, का नाम नहीं लिया जाता है। पेरियार का नाम नहीं लिया जाता है और महात्मा फूले का नाम नहीं लिया जाता है। कहा

जाता है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई कहां लड़ी थी। उस समय भी आजादी की लड़ाई की दो विचारधारायें थीं। एक विचारधारा यह था कि आजादी आएगी किसके लिए। सिर्फ देश आजाद होगा या लोगों की खुशहाली भी आएगी। अगर देश आजाद होगा, तो आजाद देश में जो सबसे नीचे के लोग हैं, जिनको अन्टू-दि-लास्ट कहा जाता है, जो हजारों सालों से दबे रहे हैं, उनकी उस समय क्या स्थिति होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): इसका मतलब आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: जो आप बोलना चाहेंगे, वही हम बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

आपने डा. अम्बेडकर के इतिहास को नहीं पढ़ा है। आप डा. अम्बेडकर के इतिहास को पढ़िए। जब अंग्रेजों के साथ बात हुई, तो डा. अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा देश पहले है और अंग्रेज बाद में हैं। अंग्रेजों से वे उसी तरह खिलाफ थे, जिस तरीके से दूसरे नेता खिलाफ थे। लेकिन डा. अम्बेडकर, पेरियार, महात्मा फूले की यह मांग थी कि आजाद भारत में जो दलित हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका स्थान क्या होगा, यह भी तय होना चाहिए। कुछ लोग अम्बेडकर और गांधी जी में विवाद पैदा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। गांधी जी मध्यम वर्गीय थे और हमारे नेताओं ने भगवान बौद्ध के बारे में कहा है। लेकिन भगवान बौद्ध ने कहा था कि वीणा के तार इतने मत ऐठो कि टूट जायें और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि आवाज ही न निकले। गांधी जी के सामने दो लक्ष्य थे। गांधी जी देश को आजाद कराना चाहते थे और गांधी जी चाहते थे कि जात-पात की बुराई को भी खत्म किया जाए। हजारों सालों के गुस्से को गांधी जी ने स्वयं देखा था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में वार्तालाप हुए। गांधी जी ने कहा कि उनके मन के गुस्से को परखने का काम करो, लेकिन उसको गाली देने का काम मत करो। बाबा साहिब अम्बेडकर मंत्री बने और कान्स्टीचूयेंट एसेम्बली के संयोजक बने। इसलिए हम उन लोगों में से नहीं हैं, जो गांधी जी और अम्बेडकर जी को अलग करके चलते हैं। हम दोनों को एक दूसरे का पूरक मानकर चलते हैं। लेकिन इसको देखते हुए, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि डा. अम्बेडकर कोई मामूली व्यक्ति थे, डा. अम्बेडकर कोई स्कॉलर नहीं थे, डा. अम्बेडकर के मन में जो शंका थी, वह आने वाले भविष्य के लिए शंका थी। आज जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको देखने से लगता है कि कास्ट रॉयट्स नहीं हो रहे हैं, कॉम्युनल रायट्स नहीं हो रहे हैं और यह नक्सलाइट भी नहीं है। यह जो नक्सलाइट है, यह न कास्ट रॉयट है और न कॉम्युनल रॉयट है, यह एक अलग ही रॉयट है। यह क्यों नक्सलाइट है, इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अपनी तरफ से हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो आजादी का सपना था, कल मैंने बहुत से माननीय सदस्यों को सुना है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसेस करके बातों को रखा है। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने जो बैकग्राउन्ड पेपर दिया है, वह मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक चीज है और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत की गई है।

मैं एक अन्य बात यह भी कहना चाहूंगा, यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भारत का दिमाग हमेशा से एरिस्टोक्रेट रहा है। सामन्तवादी प्रवृत्ति से हम हमेशा ग्रसित रहे हैं। राजतन्त्र देश में रहा है, लेकिन राजतन्त्र में भी राजा को भगवान मान लिया गया है।

राजा चाहे कर्म करे या कुकर्म, भगवान बन गया। राजा जब हम कहते हैं, तो चाहे राम हों, कृष्ण हों या गौतम हों या चाहे महावीर हों। भगवान के अवतार माने गए हैं। ये सारे के सारे राजा ही थे। हो सकता है, राज परिवार में जन्म लिया और उसके बाद सामाजिक क्रान्ति का बीड़ा उठाया तथा उसके बाद नई दिशा देने का काम किया। राजा जो करे, वह सही है और आम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो हमारी प्रवृत्ति है, वह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है।

महोदय, कुछ दिनों पहले शरद जी टी.वी. की बात कह रहे थे। मैं गोवा गया था और वहां मेरे पास कुछ समय था, तो मैंने टी.वी. खोल दिया। मैंने देखा कि देवता और दानव की कहानी चल रही थी। मैंने देखा कि सांप को रस्सी बनाया गया और पहाड़ को किला बनाया गया। सांप का मुंह दानवों ने पकड़ा और सांप की पूंछ देवताओं ने पकड़ी। फिर समुद्र मंथन हुआ और उसमें नौ रत्न निकले तथा एक अमृत का घड़ा निकला। फिर प्रश्न यह पैदा हुआ कि अमृत कौन पीएगा। दानवों ने कहा कि कमाने वाला खाएगा, सांप का मुंह हमने पकड़ा है, इसलिए अमृत हमको मिलना चाहिए। देवता लोग होशियार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंचायत करेंगे। पंचायती करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आईं और दानवों की तरफ मुसकुराती रहीं तथा अमृत का घड़ा देवताओं की तरफ करती रहीं। दानवों में राहू नाम का दानव था, जो होशियार था और पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि सांप का मुंह हमने पकड़ा है और अमृत का घड़ा ये पी रहे हैं, तो राहू ने देवता का स्वरूप धारण कर लिया और वह देवताओं के बीच आकर बैठ गया। इसका भगवान विष्णु को पता लग गया और फिर उन्होंने अपना चक्कर निकाला और उसकी गर्दन को काट दिया। आज भी हम देख रहे हैं कि जो काम करता है, उसकी इज्जत नहीं है। जो इज्जतदार माने जाते हैं, उसके पास काम नहीं है और जो काम करता है, उसको अधिकार नहीं है। जिसके पास अधिकार है, उसके पास काम नहीं है। जो ज्यादा काम करता है, उसको कम पैसा मिलता है। जो कम काम करता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। जब तक यह व्यवस्था, डिगनिटी ऑफ लेबर, को बदलने की बात नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे 35 प्रतिशत लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा): पासवान जी, आजकल एम. पी. दानव हो गया है और मंत्री देवता हो गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: आजादी के इस समय को देखते हैं, तो देश ने तरक्की की है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि पहले सूई इम्पोर्ट की जाती थी, लेकिन आज हम मिसाइल बनाने लगे हैं, अग्नि बनाने लगे हैं। हमने तरक्की की है, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि टैक्नोलाजी का विकास होना चाहिए था और साइंस का विकास होना चाहिए था। देखा जाए, तो हमने उधार लेने का काम किया है। आज हम जो भी हथियार खरीदते हैं, उसका 70 प्रतिशत हम उधार लेकर खरीदते हैं। जिस टैक्नोलाजी को हमने बढ़ाने का काम किया, उस टैक्नोलाजी पर हमने विश्वास नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने हर चीज को भाग्य और भगवान के सुपुर्द कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक डाक्टर गाड़ी में बैठता है और उस वक्त किसी ने छींक दिया, तो वह वहीं पर बैठ जाता है। अगर घर से कोई चलता है और कोई छींक दे, तो वह वहीं पर बैठ जाता है। डाक्टर को मालूम है कि छींक क्यों आती है, वह अंधविश्वास से इतना ग्रसित है और वह बैठ जाता है। इसी प्रकार जब बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो यही स्थिति होती है। कल शरद जी कह रहे थे कि पढ़े-लिखे आदमी ने गणपति जी को दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। अटल जी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमारे बापू जी संत थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको गणेश जी के संबंध में बतलाना चाहता हूं—''जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे और संत करें सेवा।'' गणेश जी को लड्डू का भोग लगता था। यह दूध चम्मच से कहां पीने लगे? हमने कभी गणेश जी को दूध पीते हुए नहीं सुना, हमने गणेश जी को लड्डू खाते हुए जरूर किताब में पढ़ा है लेकिन सात समुद्र पार तक दूध पीना शुरू हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म एक अलग है। धर्म एक दीये के समान होता है। दीये से हम घर में आग भी लगा सकते हैं और उजाला करने का काम भी कर सकते हैं। अब जैसे इंजीनियर बढ़िया सीमेंट नहीं देगा, ईंट नहीं देगा, ऊपर हांडी रख देगा कि किसी की नजर न लग जाए। इसलिए यह अंधविश्वास है, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा।

अध्यक्ष जी, आज मैं देख रहा हूं कि गरीबी रेखा से नीचे दलित वर्ग के लोग 50 फीसदी हैं, जो जनरल आंकड़े हैं वह 35 फीसदी हैं। बेघरबार तीन करोड़ लोग हैं, अंधे लोग पूरे संसार में 3 करोड़ 80 लाख हैं, जिसमें एक करोड़ बीस लाख इस भारत में हैं और एक करोड़ चालीस लाख लोग टी.बी. के रोगी हैं। आज भी प्रतिवर्ष पांच लाख लोग टी.बी. से मरते हैं। प्लेग का नाम पूरे संसार में खत्म हो गया। दो साल पहले जिस तरीके का प्लेग सूरत में आया, उसने एक बार पूरे भारत को संसार की नजर में अनटचेबल बना दिया था। कोई व्यक्ति विदेश में नहीं जा सकता था। प्लेन में कहते थे कि पहले टीका लाओ तब हम तुमको आने देंगे। महोदय, मैं आंकड़े देख रहा था आज भी करीब एक लाख गांव हैं जहां शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लगभग पौने छह लाख गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मृत्यु दर में निश्चित रूप से कमी आई है, जो आदमी का एवरेज ऐज है वह बढ़ने का काम हुआ है लेकिन उसके साथ-साथ भी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आज बेरोजगारी के रजिस्टर में 3 करोड़ 68 लाख, 2050 लोग 1996 तक बेरोजगार रजिस्टर में हैं। पिछले तीन वर्षों में 408 साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और 1995 में 710 तथा 1996 में 692 दंगे हुए हैं। जो विदेशी कर्जा है वह 3 लाख 15435 करोड़ विदेशी कर्जा हो गया है। 68000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हम चुका रहे हैं, उसके सूद में चुकाने का काम कर रहे हैं। देश ने तरक्की नहीं की है, ऐसी बात नहीं है लेकिन तरक्की के साथ-साथ जो हमारे सामने चुनौतियां हैं मैं समझता हूं कि उस चुनौती को आपको फिर से स्वीकार करना होगा। मैं उन लोगों में से हूं, आपने कहा कि दूसरी आजादी की लड़ाई, आपकी यह बात सौ प्रतिशत सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई के दौर में हम चले हैं तो 50 साल तक जो कुछ हमने किया है उसका लेखा-जोखा करके हमको आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

महोदय, मैं मुलायम सिंह जी का भाषण सुन रहा था। वह सही कह रहे थे कि जब तक इस देश का एक-एक समाज का जो आदिवासी, दलित वर्ग है, मुसलमान है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं जब तक सब के मन में विश्वास का वातावरण पैदा नहीं होगा तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप धर्म की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ लोग हिन्दू राष्ट्र-हिन्दू राष्ट्र कहते हैं लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। मैंने रामायण में कहीं हिन्दू शब्द का उच्चारण नहीं पढ़ा है। मैंने गीता में कहीं हिन्दू शब्द का नाम नहीं सुना है, मैंने कुरान में, उपनिषद में कहीं हिन्दू शब्द का नाम नहीं सुना है, हिन्दू शब्द कब आया है, ये हिन्दू की व्याख्या करने वाले लोग बताएंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्र न हिन्दू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। जैसे पानी का कोई धर्म नहीं है, पानी यदि हिन्दू भी छूएगा तो गर्म पानी गर्म होता है और ठंडा पानी ठंडा होता है। उसी तरीके से जो राष्ट्र है वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, राष्ट्र का काम है सब को न्याय देना। राष्ट्र का काम है सब के वेलफेयर की बात सोचना। इसलिए आज अगर हमारा मुसलमान भाई कहता है कि आजादी के समय में हमारा सरकारी नौकरी में इतना प्रतिशत था, आज हमारा प्रतिशत घट कर कम हो गया है। इन्होंने ठीक कहा कि मुसलमान को आप कहते हैं कि मुख्य धारा में जोड़ने का काम करो। आप कितना मुख्य धारा में जोड़ने का काम करोगे? जब हम आजादी के पहले का इतिहास देखते हैं, 1857 का योद्धा बहादुरशाह जफर को जब अंग्रेज ने पकड़ लिया था और रंगून ले गया था तो बहादुरशाह जफर को अंग्रेज ने कहा था कि-

''दम दमें में दम नहीं है खैर मांगों जान की,
ए जफर बस हो चुकी है तेरे हिन्दुस्तान की।''

बहादुरशाह जफर ने अंग्रेज से कहा था कि—

हिन्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,
तब तलक जंग चलेगी तख्त हिन्दुस्तान की।

बहादुरशाह जफर को दफना दिया गया। बहादुरशाह जफर ने कहा कि—

दो गज जमीन न मिली जफर कुए यार में,

हमें अपनी मातृभूमि में दो गज जमीन नहीं मिल पायी। सराजुद्दोला हो, टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों से लड़े। आजादी के समय खुदी राम हिन्दू थे, सरदार भगत सिख थे, अशफा-उल्ला-खां मुसलमान थे।

बिस्मिल का यह गान—

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है

डाक्टर कलाम को साईंस और टैक्नॉलाजी का हैड बनाया गया है। वह क्या है? क्रिकेट के खेल के मैदान में गावस्कर पर हम को नाज है। क्या हमको अजहरुद्दीन पर नाज नहीं है? हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लेते हैं तो क्या मौलाना आजाद का नाम नहीं लेते हैं? हम जब मुकेश का नाम लेते हैं तो क्या मोहम्मद रफी का नाम नहीं लेते हैं? जहां पर लता मंगेश्कर का नाम लेते हैं, वहां क्या नूरजहां का नाम नहीं लेते हैं? यह इस संस्कृति की धरोहर है कि जितना हिन्दू ने कुर्बानी देने का काम किया है, उससे बढ़ कर सिख और मुसलमान भाई ने देने का काम किया है। बार-बार यह कहा जाता है कि इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए।

अभी मैं रेल मंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश गया हुआ था। अब्दुल हमीर ....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा): पासवान जी विद्वान आदमी हैं। वह सदन के नेता हैं। आपने इस सदन में बहस को एक दिशा दी है और कुछ विषय दिए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको तय करना है कि आपने क्या बोलना है? मैं उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं हूं। परन्तु मैं अपेक्षा रखता हूं कि जो विषय आपने रखे हैं, जो ट्रैंड आपने सैट किया है, उस पर कुछ प्रकाश डालें तो हम आपके आभारी रहेंगे।

श्री राम विलास पासवान: मैं इसी पर आ रहा हूं। मेरा विषय है कि देश को मजबूत करना। ...*(व्यवधान)* मैं ईमानदारी की बात कहता हूं। जोशी जी जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो मैं ईमानदारी की बात कहता हूं। यहां न पार्टी है, न पॉलिटिक्स हो रही है, न बी.जे.पी., न जनता दल है। राम विलास पासवान उन लोगों में से रहा है जो यह कहता है कि मंडल कमीशन से दलितों को कोई फायदा होने वाला नहीं था। जब मंडल कमीशन का मामला आया तो जितने पिछड़ी जातियों के नेताओं ने उसके लिए लड़ने का काम किया उतना हमने भी किया। आज भी महिलाओं का मामला आता है। मैं महिलाओं के आरक्षण के संबंध में सबसे आगे रहने का काम कर रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं। यह पुरुष प्रधान देश है। ...*(व्यवधान)* हमारा समय सीमित है, हमें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही 30 मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

हमारे तीन राजनैतिक खम्भे हैं-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम ईमानदारी की बात कह रहे हैं। हम किसी पद पर बैठे हों लेकिन जो भारत की संसद है, लोक सभा है, वहां जनता की हर समस्या व्यक्त होती है। हम कनून भी बनाते हैं। मैंने कल भी कहा था जब अटल जी यहां थे। मैंने कहा कि विधायिका का जो मामला होता है, वह दिल का होता है। लेकिन जब यह ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है तो वहां दिमाग चलने लगता है। संसद कानून पास करती है—चाहे वह दलितों के संबंध में हो, आदिवासियों के संबंध में हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक या महिला के संबंध में हो, हम उनके हित के बारे में जो कुछ बात करते हैं, वह जब कार्यपालिका में जाता है चूंकि उसमें हम जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, वहां दिमाग से काम होता है। नतीजा यह होता है कि वह सारा का सारा खटाई में पड़ जाता है। न्यायपालिका के बारे में सब लोग महसूस करेंगे। जो सामाजिक ढांचे में जो सबसे नीचे हैं, दलित आदिवासी, वह इकोनोमिकली, पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेसी में भी सबसे नीचे हैं। इस ढांचे को कैसे बदला जाए। तमाम एस.सी. और एस.टी. के एम.पी. बैठे थे। सब इस मत के थे कि हजारों सालों के इतिहास से उभरने के लिए हमें कोई न कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि आज हमारी पार्टी की सरकार है, यह हमारी सरकार है या कल आप सरकार में आयेंगे लेकिन जो समस्यायें हैं या देश की जो सामाजिक समस्यायें हैं, उनसे हमको जूझना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हू कि इस आजादी के लिए, देश के लिए जब मैं इस बात को कहता हूं और बार-बार इस बात को कहता हूं कि देश की आजादी के लिए लड़ने का ठेका किसी दलित या आदिवासी ने नहीं उठाया है। गांधी जी वैश्य थे। आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा—बुद्धम् शरणम् गच्छामि। विवेकानंद कायस्थ थे। उन्होंने कहा कि शूद्रों को उसका अधिकार दे दो। यदि उठेगा तो एक दिन तुम्हारी हस्ती को मिटाकर राख कर देगा। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे लेकिन पाखंडवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ने का काम किया और दयानंद सरस्वती को उसके लिए भुगतना भी पड़ा।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हमको सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना है, हमें धर्म के पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना है, वहीं मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं और अंग्रेज को बहुत गाली देते हैं लेकिन जब मैं भारत के नक्शे को देखता हूं तो हमको नजर आता है कि अंग्रेज ने कम से कम कुछ दिया हो या न दिया हो, अंग्रेज ने एक भारत को भारत बनाने का काम किया। अंग्रेज ने भारत को रेल देकर सब को जोड़ने का काम

किया। आज भी 58 हजार किलोमीटर रेलमार्ग अंग्रेज के जमाने में बन गया। मैं अंग्रेजों की कोई तारीफ नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया है। आज हमारा कश्मीर का इलाका अछूता पड़ा हुआ है, जहां एक किलोमीटर रेल लाईन नहीं, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं। हमारा पूरा का पूरा नार्थ ईस्ट का इलाका ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार की बात की जाती है। मैं उन लोगों में से हूं जो जे.पी. के आन्दोलन में से आये हुए लोग हैं, हम लोगों ने जेल में अपनी जिन्दगी बिताने का काम किया है, भ्रष्टाचार से लड़ना कोई मामूली चीज नहीं है। मैं अपने मंत्रालय में देख रहा हूं। आप प्रगति मैदान में चले जाइए। एक सुई से लेकर के रेल इंजन तक 7000 करोड़ का खरीद-बिक्री कहां से हुआ है, एक एग्जीबिशन लगाकर के रख दिया गया है। मैंने कहा कि प्रत्येक तीन महीने में हम एग्जीबिशन लागने का काम करेंगे। आज हम चाहते हैं कि ट्रांस्पीरेंसी हो लेकिन यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पारदर्शिता नहीं है। बंद कमरे में कोई भी कुकर्म हो सकता है लेकिन यदि उसी कमरे में शीशा लगा दिया जाये तो वहां कुकर्म होने का कम भय रहता है। मैं यह भी जानता हूं कि जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे तो भ्रष्टाचारी इतने मजबूत होते हैं कि वह अपना हर हथकंडा अपनाने का काम करेगा लेकिन मैं ईमानदार लोगों से अपील करना चाहूंगा कि पानी क्रिटिसिज्म के समान होता है। आलोचना पानी की बौछार के समान होता है। यदि मिट्टी का बर्तन रहेगा तो वह गल जाता है और यदि मैटल का बर्तन रहता है तो चमकने भी लगता है। इसलिए हमें इस बात की अधिक खुशी है कि यही भारत देश है जहां भ्रष्टाचार के मामले में जहां ईमानदारी की ज्यादा पूछ है और जो लोग ईमानदार होते हैं, उनकी कद्र भी होती है। इसलिये, अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम सब को एकमत होकर निश्चित रूप से कोई न कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, अंत में एक बात कहकर बैठ जाना चाहूंगा। इस देश में मैंने बार-बार कहा है कि देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी कमी नेताओं की नीयत की है। हमारा संविधान किसी भी देश से कम लिखा हुआ संविधान नहीं है। लेकिन संविधान के नीति निर्देशक तत्व, या संविधान के दूसरे तत्व हों, उनको हमने यदि ईमानदारी से फालो किया होता, लागू किया होता, और उनका कार्यान्वयन किया होता तो मैं समझता हूं कि आज आजादी के 50 साल के बाद हम जहां एक तरफ खुशी मना रहे हैं, जैसाकि मैंने शुरू में कहा इसमें कोई दो मत नहीं हैं, हमने उपलब्धियां की हैं, हम और उपलब्धियां कर सकते थे, कैसे और उपलब्धि हम करें यह हमको भविष्य में बैठकर विचार करना है और उस विचार की जो पृष्ठभूमि है, आपने उस पृष्ठभूमि को रखने का काम किया है और मैं समझता हूं कि जो ऐतिहासिक हमारा सैशन चल रहा है निश्चित रूप से इससे कोई न कोई रोशनी निकलेगी और वह टार्च आने वाले 50 सालों को हमें एक दिशा देने का काम करता रहेगा। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आजादी के 50 सालों के बारे में एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसके बारे में श्री राम विलास पासवान जी ने चर्चा की है, को सदन के समक्ष रखा है। उसमें साईंस एंड टेक्नोलॉजी का समावेश भी किया है। वैसे तो साईंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में इस संसद की रुचि बहुत कम रही है। संविधान बनाने के पश्चात् सन् 1952 से 1997 तक के 45 सालों में माननीय संसद ने 45 घंटे भी साईंस एंड टेक्नोलॉजी पर नहीं लगाये। साईंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट पर भी इस सदन में कभी विचार करने की कृपा नहीं की। अब तो हालत यह है कि पहले प्रधान मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में साईंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रभार रखते थे और साथ में किसी एक प्रभारी मंत्री को नियुक्त करते थे। अब तो शायद वह परम्परा भी समाप्त है।

मैं नहीं जानता कि साईंस एंड टेक्नोलॉजी किस मंत्री के द्वारा देखा जा रहा है। उसका कौन पुरसा हाल है, कौन पालक है। अगर 45 घंटे भी इस सदन में विज्ञान की चर्चा करते, प्रौद्योगिकी की चर्चा करते, टेक्नोलॉजी की चर्चा करते तो शायद कम होता क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साईंस और टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में और विशेष कर वैश्वीकरण, ग्लोबलाईजेशन के बाद जिस प्रतिस्पर्धा की बात आप कर रहे हैं, जिस कम्पटीटीवनेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए साईंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 10वीं लोक सभा के 15वें सत्र में 101 घंटे 39 मिनट यह सदन बैठा जिसमें से 57 घंटे और 17 मिनट व्यवधान और स्थगन में गये। 57 परसेंट समय यानी 57 घंटे एक सत्र में व्यवधान में जा सकते हैं लेकिन साईंस और टेक्नोलॉजी के लिए 45 सालों में 1952 से लेकर आज तक 45 घंटे की बहस नहीं कर सके। बहस एक बार हुई थी। 1958 में जब इस सदन में साईंस पालिसी का प्रस्ताव रखा गया था तब पांच या छह घंटे इस पर बहस हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी बहस तब हुई थी जब 1983 में टेक्नोलॉजिकल पालिसी का विचार हुआ। उसके बाद मैं समझता था कि कभी इंडस्ट्रियल पालिसी आयेगी तब शायद साईंस और टेक्नोलॉजी पर विचार होगा। कभी डिफेंस पालिसी आयेगी तब साईंस और टेक्नोलॉजी पर विचार होगा। उसके आने का समय अभी नहीं है। शायद हम 21वीं शताब्दी में उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कभी वह शताब्दी आयेगी तब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे।

मैं, श्री वाजपेयी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है हम अपना समय कुछ गंभीर चर्चाओं में लगाये और अगर उनकी इस बात का कुछ असर होता है, तो 20वीं शताब्दी तो अब समाप्त होने को है शायद 21वीं शताब्दी में कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए हम समय निकाल सकेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद भी सदन की ओर से, सरकार की ओर से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा रुख अपनाये जाने के बाद भी हमारे देश ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है। यह प्रगति और भी हो सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन फिर भी हमने अपने देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। बहुत सी लैबोरेट्रीज होनी जैसे नेशनल फिजिकल लैबोरेट्री, नेशनल केमिकल लेबोरेट्री बनी। हमारी बाटनीकल लैबोरेट्रीज बनी। कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके अंदर हमारे यहां प्रयोगशालायें न बनी हों। उन प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई लेकिन आज उन प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है? इन 50 सालों में अब उनकी टेक्नोलॉजी, उनके अंदर रखे हुए उपकरण आब्सल्यूट हो गये हैं। जब हम लोगों ने बड़ी कठिनाई से साईंस और टेक्नोलॉजी कमेटी की ओर से आग्रह किया तो कम से कम श्री नरसिंह राव जी ने पिछली बार यानी 1995-96 के बजट में अच्छी राशि देने का संकेत दिया। लेकिन वह संकेत भी धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

हम क्यों विज्ञान और टैक्नोलोजी का इतना दुर्लक्ष कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। हमने इन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया। हम कैसे कम्पीट करेंगे, हम कैसे दुनिया की उन प्रयोगशालाओं की टैक्नोलोजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जो हर साल सैंकड़ों करोड़ डालर्स और कुछ मल्टी नेशनल्स तो हजारों करोड़ डालर्स हर साल खर्च कर रहे हैं अपने यहां की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए लेकिन हम 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह परिस्थिति है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सी.एस.आई.आर. ने बहुत काम किया, प्रयोगशालाओं को संगठित किया और कुछ प्रयोगशालाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान भी स्थापित किया। डी.आर.डी.ओ. ने अच्छे काम किये। लेकिन डी.आर.डी.ओ. में बहुत काम हो सकता था। डी.आर.डी.ओ. की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अभी डी.आर.डी.ओ. उस सारी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं हो पाया है। क्या कारण है? वहां के वैज्ञानिकों की क्या स्थितियां हैं, सी.एस.आई.आर. के वैज्ञानिकों की क्या दशाएं हैं, इन पर विचार करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में डी.आर.डी.ओ. ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें उनके उस वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है जिन्होंने प्रक्षेपात्र के क्षेत्र में तथा अन्य शस्त्रास्त्रों के क्षेत्रों में बड़े ऊंचे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अग्नि और पृथ्वी उसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन हमें इससे भी और आगे जाना है, केवल अग्नि तक रुकना नहीं है। हमें और अधिक मारक क्षमता के क्षेशास्त्रों का विकास करना है, उसकी जरूरत देश की सुरक्षा के लिए है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि हम विज्ञान और प्रगति पर यहां चर्चा तभी कर सकते हैं यदि सीमाएं शस्त्र से सुरक्षित हैं।

संस्कृत में एक कहावत है-

शस्त्रे न रखिते राष्ट्रे
शास्त्र चर्चा प्रवर्ते।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आप हमारा ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जिन-जिन वस्तुओं पर राज-सहायता दी जा रही है यहां उसका एक दस्तावेज मौजूद है। यहां आप उन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं उस विषय पर भी आ रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप इस विषय को सभा में ध्यान में लाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, अन्तरिक्ष अनुसंधान, महासागर विज्ञान संबंधी अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे सभी क्षेत्रों पर किये गये व्यय को राज सहायता समझा जाता है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह ठीक है। यह एक पक्ष है जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करने वाला ही था कि श्री चटर्जी ने उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि वैज्ञानिक सेवाओं के लिए जो कुछ खर्च किया जा रहा है उसे हम अनुदान मानते हैं। ...*(व्यवधान)* इसके लिए मैं इनका आभारी हूं और सदन को भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम जो अपने अनुसंधान पर खर्च करते हैं, वह सब्सिडी नहीं है, वह एक इनवैस्टमेंट होता है, वह रिसर्च के बारे में ब्यूरोक्रेसी की इस धारणा को बदलने की जरूरत है। मैं जब इस पर खर्चे का जिक्र करूंगा तो बताऊंगा।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मैं इस बारे में बहुत लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जो डी.आर.डी.ओ. की स्थिति है, उसको सुधारने की जरूरत है, उसे अधिक देने की जरूरत है, उसके वैज्ञानिकों की काम करने की जो परिस्थितियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है, उनके प्रमोशन्स के मामले हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, देश को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। प्रतिरक्षा के लिए जो कुछ भी खर्च किया जाए, वह जनतंत्र की रक्षा के लिए किया गया खर्च है, वह देश की रक्षा के लिए खर्च किया गया है, आगे चलकर देखेंगे तो हम मानवता के लिए खर्च करते हैं। यदि हम भारत को मजबूत रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं तो विश्व में शांति और सब प्रकार की सुव्यवस्था रख सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो प्रतिरक्षा अनुसंधान है, उसकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने बहुत काम किए हैं, उपग्रह

छोड़े हैं और उन उपग्रहों के द्वारा इस देश को बहुत आर्थिक लाभ मिल रहा है और उसकी इतनी अधिक वाणिजीय संभावनाएं हैं जिससे देश करोड़ों डालर्स कमा सकता है। यदि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतवर्ष के उपग्रहों को पूरे तौर पर छोड़े जाने की सहायता मिले और क्षमता पैदा हो तो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में फौरेन एक्सचेंज की स्थिति भी सुधर सकती है, उसके द्वारा पाए हुए पैसे से हम अपने अनुसंधान के कार्य को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्लोबलाईजेशन के नाम पर जो लोग आज कम्पीटिशन की बात करते हैं, उनको उन्हीं के अखाड़े में पछाड़ सकते हैं। यदि भारत के उपग्रह आज अंतरिक्ष में छोड़ दिये जायेंगे तो उनसे जो समय हम दुनिया को बेचेंगे, वह दुनिया में सबसे सस्ता होगा। हमारे उपग्रह क्षेत्र और हमारे रॉकिट लांचर्स को केवल प्रतिरक्षा के कारण पीछे नहीं किया जा रहा है, उनकी जो कमर्शियल पोसीबिलिटीज हैं, उसके कारण से ज्यादा पीछे किया जा रहा है क्योंकि हमारे उपग्रह आसमान में गए तो जो स्पेस क्लब के 4-5 मैम्बर्स हैं, उनका क्या बनेगा। यह आज हमारी इस बात से भयभीत हैं क्योंकि हमारी टैक्नोलोजी कम खर्चीली है, हम कम दाम से दे सकते हैं और तब भारतीय समय की कीमत ज्यादा होगी, हम ज्यादा उपग्रह छोड़ेंगे।

ये सब उपग्रह जो दूसरे देशों के हैं, सब ठंडे हो जायेंगे, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं, इसलिए अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है। उसी तरह से आप देखें कि हमारे अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों ने उन रॉकिटों की दृष्टि से इंजनों का विकास किया जो टैक्नोलॉजी हमें नहीं दी जा रही थी। आज उस क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं और मेरा विश्वास है कि यदि ठीक से सहायता की जाए तो हम क्रायोनिक इंजन का न केवल विकास ही करेंगे बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी करेंगे।

इलैक्ट्रोनिकी और कम्प्यूटर के क्षेत्र में हमारे देश ने नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जब हमें कम्प्यूटर की टैक्नॉलोजी नहीं मिली थी, हमारे यहां के लोगों ने कम्प्यूटर का आविष्कार किया और अब आगे की जनरेशंस के लिए वे और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने चुनौतियां देखी और वे लोग जो आज से सात-आठ साल पहले हमारी हंसी उड़ाते थे, आज हिन्दुस्तान में दुकान खोलने के लिए हाथ जोड़ते हैं कि हम भी यहां आकर भारतीय कम्प्यूटर से कम्पीट करना चाहते हैं।

रसायन के क्षेत्र में भी हमने तरक्की की है। रसायन हमारा पारम्परिक क्षेत्र है और आज हम कैटेलिस्ट की टैक्नॉलोजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रसायन के तमाम उत्पादों को हम एक्सपोर्ट करते ही हैं लेकिन हम कैटेलिस्ट को भी बड़ी मात्रा में आगे बेच रहे हैं। परमाणु शक्ति के मामले में भी हमें बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। हमारे देश ने 1972 में विस्फोट करके दिखाया था। चीन ने उसके बाद किया लेकिन आज चीन परमाणु उर्जा के क्षेत्र में कहां चला गया? मुझे अफसोस है कि हमारा देश इस मामले में संकोच करता है। परमाणु शक्ति का विकास आज ऊर्जा, चिकित्सा, खेती और सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक बन गया है। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे देश ने वैज्ञानिकों का मनोबल तो क्षीण किया है, जब 1972 के बाद अचानक इसने यू-टर्न कर लिया और परमाणु नीति को बदल दिया। यह बात बार-बार कही जा रही है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। यह परमाणु शक्ति देश को कहीं नहीं ले जाएगी। न तो यह हमारी सेना के बल को बढ़ाती है, न वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाती है और अगर हमने जब 1972 में यह विस्फोट किया था, उसी समय परमाणु बम बना लिए होते तो आज हम विश्व की महाशक्तियों में से होते और हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते तथा विदेशी निवेश भी हमारे देश में आगे आया होता और किसी आस-पड़ौस के देश को हमारे साथ या हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए परमाणु शक्ति के मामले में हमने बहुत अपेक्षाएं की हैं। परमाणु विज्ञान का न्यूक्लिअर साइंस का पठन-पाठन समाप्त कर दिया और एटॉमिक एनर्जी एक्ट पढ़कर देखा तो एटम शब्द का उच्चारण भी एक प्रकार से अपराध है। यह ऐसा वाहियात एक्ट है जिसको बदलने की जरूरत है लेकिन आज तक इस बारे में सदन में चर्चा नहीं हुई। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बचत के आंकड़े मेरे पास हैं। आप हर साल पैसा घटाते जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

कुछ नए क्षेत्र भी लिए हैं। इंफॉर्मेशन एंड टैक्नॉलोजी क्षेत्र लिया है। बॉयोटैक्नॉलोजी में हम गए हैं और औषधियों के क्षेत्र में भी हम गए हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं। कृषि अनुसंधान भी हमारे देश में कुछ मात्रा में हो रहा था जो आजकल कुछ दूसरी तरफ उसके जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उसको रोकने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि कृषि अनुसंधान पर मल्टीनेशनल्स का कब्जा इस देश पर हो जाएगा, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन यह बात जो कुछ इस देश में हुई है, यह सरकार की वजह से नहीं हुई। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने आप अपनी क्षमताओं से और चिन्ताओं के कारण से इन सारी परिस्थितियों का निर्माण किया है। आर. एंड डी. एक्सपेंडीचर इज परसेंटेज ऑफ जी.एन.पी., यह एक आंकड़ा है जो इस बात की तुलना करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि चैक रिपब्लिक अपनी जी.एन.पी. का 1.8 प्रतिशत आर. एंड डी. पर खर्च करता है, डैनमार्क 1.8, जपान 3 प्रतिशत, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2.8 प्रतिशत, इंग्लैंड 2.8 प्रतिशत, यू.एस.ए. 2.9 प्रतिशत और भारत 0.8 प्रतिशत करता है। क्यूबा भी हमसे ज्यादा 0.9 करता है। जितने भी विकसित देश हैं, वे सब दो प्रतिशत से ज्यादा करते हैं और तीन प्रतिशत के नजदीक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आर. एंड डी. पर खर्च करते हैं। हम 0.8 प्रतिशत करते हैं। यह विचारणीय बात है जिसको देखकर मुझको हैरत होती है कि हमने ग्लोबेलाइजेशन की बात बड़ी तेजी से 1990-91 में शुरू की और इसका अर्थ यह था कि हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था में जाना चाहते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमें आर. एण्ड डी. का विकास बहुत तेजी से करना चाहिए था। आर. एंड डी. पर ज्यादा खर्च करना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब से ये बातें शुरू हुई हैं, उस

समय हमारा खर्चा आर. एंड डी. पर जी.एन.पी. 0.98% था। यह घटकर 1985-86 में 0.89% रह गया, 1986-87 में 0.94% रह गया, 1988-89 में 0.96% रह गया, 1989-90 में 0.92% रह गया, 1991-92 में 0.83% रह गया, 1993-94 में यह 0.86% रह गया, 1994-95 में 0.81% रह गया, 1996-97 में यह 0.80% रह गया। पहले आर. एंड डी. पर अधिक ध्यान दे रहे थे, जब हम नॉन-कम्पीटिटिव अर्थव्यवस्था में थे। जब प्रतिस्पर्धा की बात कह रहे थे, तो 0.98% खर्च कर रहे थे, लगभग एक परसेंट खर्च कर रहे थे। आज यह घटते-घटते 0.80 परसेंट रह गया है। इस तरह की धारणायें, इस तरह की नीतियां हमारी मदद नहीं कर सकती हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में आम सहमति बनाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आम सहमति यही बन सकती है कि हम आर. एंड डी. पर, विज्ञान पर, हमारे देश की टैक्नोलोजी पर और हमारे बजटीय प्रबंध को ठीक किया जाए और इसमें अधिक से अधिक धनराशि दी जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अनुसंधान के पश्चात् जो हमारे शोध पत्र निकलते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन्स, उनकी हालत क्या है। इस पर भी ध्यान दिया जाए। 1981 में दुनिया में जो शोध पत्र निकलते थे, उस वक्त भारतीय पब्लिकेशन्स का प्रतिशत 2.44 था। यह घट कर 1991 में 1.77% रह गया, 1992 में 1.75% रह गया, 1993 में 1.68% रह गया, 1994 में 1.66% रह गया, 1995-96 में 1.57% रह गया। यह क्यों हो रहा है? हमारे रिसर्च पब्लिकेशन्स की संख्या क्यों घट रही है। इनमें से कितने अन्तर्राष्ट्रीय जनरल्स में क्लीयर होते हैं? कितनों का उदाहरण दिया जाता है, इसकी संख्या और भी दयनीय है। यह संख्या 0.1% है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1995-96 में 11,084 शोध पत्र छपे, इसमें हमारा हिस्सा 0.1% है। यह हमारी स्थिति है और इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत से थिसैस को देखना पड़ता है और अधिकांश को रिजैक्ट करने के लिए मेरी कलम चलती है। अब यह स्थिति हो गई है कि लोग डरने लगे हैं कि मेरे पास थिसैस कम भेजे जाये, क्योंकि मैं रिजैक्ट कर देता हूं। कारण कि उनका स्तर खराब होता है। वे अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र कहलाने के काबिल नहीं है। इस परिस्थिति के बारे में सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। आजादी से पहले यह हालत नहीं थी। थोड़ा आप विचार करें, तो पता लगेगा कि आजादी से पहले हमारी स्थिति कुछ और थी। आजादी के पहले इसी 20वीं शताब्दी में सी.वी. रमन को नोबल पुरस्कार मिला था और अब पचास साल के बाद किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अनुसंधान के लिए नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। गोविन्द खुराना और चन्द्रशेखर का नाम लें, तो इन्होंने सारे काम अमरीका में किए हैं। हम केवल इस बात को लेकर अपनी पीठ ठोंक सकते हैं कि उन्होंने जन्म हिन्दुस्तान में लिया था। लेकिन इन्होंने अपनी सारी खोज अमरीका में की थी। इन बातों को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज हम नोबल पुरस्कार नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए एफ.आर.एस. बनना कितना मुश्किल है। सिवाय दो-चार वैज्ञानिकों के जिन्होंने आजादी के समय तक काम किया, उसके बाद नए वैज्ञानिकों ने पिछले 20-25 सालों में, जो नए उभर कर आए हैं, उनमें से कितने एफ.आर.एस. बने हैं और कितनों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह सवाल किसी भी देश के लिए विचारणीय होगा, विशेष कर जिनके पास इतनी बड़ी मैनपावर है।

सी.वी. रमन जी ने किसी इम्पोरेटेड इक्वपमेंट्स से काम नहीं किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 1949 में बी.एस.सी. का छात्र था तब सी.वी. रमन जी हमारे विद्यालय में दीक्षांत भाषण करने के लिए आए थे। उन्होंने उस समय भी देख लिया था कि इस देश में इम्पोर्ट करने के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनको बाहर से मंगाने की एक लालसा पैदा हो रही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी और बाद में उन्होंने यहां तक कहा—"छात्रों, जब हम किसी उपकरण का आयात करते हैं, तो हम केवल अपनी अज्ञानता की ही कीमत नहीं चुकाते हैं बल्कि हम अपनी अक्षमता की भी कीमत चुकाते हैं।"

श्री सी.वी. रमन ने किसी विदेशी उपकरण पर काम नहीं किया, बहुत ही सामान्य ढाई सौ-तीन सौ रुपये के बने हुए उपकरण पर काम किया था, आज अगर कोई बी.एस.सी. के छात्र को भी दे दे तो वह उस पर काम करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन तब और आज के इस वैज्ञानिक अनुशीलन के अंदर, अनुसंधान की प्रतिभा के अंदर, उस साधना के अंदर क्यों कमी आई है, यह बहुत गंभीरता की बात है। आजादी के पहले श्री सत्येन्द्र नाथ बोस विश्व के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम आइंसटीन के साथ जोड़ा हुआ है, बोस-आइंसटीन स्टेटिसटिक्स, उनके साथ किसी दूसरे वैज्ञानिक का नाम एक सिद्धांत के लिए नहीं जोड़ा है। वे अकेले ही काम करते थे, किसी की ऐसी पहुंच नहीं हो सकती थी कि वह इतनी ऊंचाई तक जाए और उनका स्पर्श करे। श्री सत्येन्द्र नाथ बोस नौजवान थे और जब उनके एक शोध निबंध को विदेशों में भेजा गया तो उन्होंने देखा और आइंसटीन के पास भेज दिया। लोग समझ नहीं पाए थे, उन्होंने एक इतना जटिल प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा शोध पत्र है इसको मैं अपने नाम के साथ जोड़ कर छापने के लिए तैयार हूं। आज ऐसा दूसरा कोई सत्येन्द्र नाथ बोस हमारे देश में क्यों नहीं पैदा होता है?

महोदय, मैंने उसको देखा है। मेरे जो गुरु थे वही उनके गुरु थे और अक्सर इलाहाबाद आते थे और मेरे घर पर ठहरते थे। वे ऋषि तुल्य व्यक्ति थे। अगर आज के किसी वैज्ञानिक से उन्हें मिला दें तो पता लगेगा वह वैज्ञानिक कहेगा कि यह आदमी विज्ञान कर सकता है, क्योंकि वह ऋषि तुल्य व्यक्ति थे और उनमें किसी प्रकार का कोई आडम्बर नहीं था। वे इतने मेधावी थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, आज ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रो. मेघनाथ साह, श्री बीरबल साहनी, आचार्य पी.सी. रे, नीलरत्न धर, जिन्होंने अपने पेटेंट्स की आमदनी से 70 लाख रुपया उन दिनों विद्यालयों को दान दिया। बनारस विद्यालय को दान दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दान दिया और शीलाधर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, 70 लाख रुपया आज से 60-70 साल पहले, उसकी क्या कीमत थी? उनको कितना पेटेंट्स से मिला होगा और आज हमारे पेटेंट्स की क्या हालत है? आज हम क्यों नहीं हमारे देश में मेघनाथ साह और नीलरत्न धर पैदा होते?

आज रामानुजम क्यों नहीं पैदा होते? आज भी उनके एक-एक सवाल को हल करने पर एक पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। इस देश में गुलामी के समय की 1901 से लेकर 1947 के बीच की उपलब्धियां हमारे पास इतनी महान है तो आज 1947 से लेकर 1997 तक हम कहां जा रहे हैं, इस पर सदन को विचार करना होगा कि हमारे देश में यह स्थिति क्यों हुई? आचार्य पी.सी. रे, जगदीश चन्द्र बसु या सत्येन्द्र नाथ बोस तथा सी.बी. रमन ने यह विज्ञान साधना इस देश के प्राचीन गौरवशाली वैज्ञानिक परम्पराओं को समझ कर और जान कर पाई थी।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य पी.सी. रे ने भारतीय रसायन का इतिहास लिखा और उन्होंने हमें यह बताया कि देश में पहले कितनी उज्जवल परम्पराएं विज्ञान की थीं। आज तो हमें यह बताया जाता है कि हर वैज्ञानिक खोज के लिए पश्चिम की ओर देखे। देखो अमेरिका में, जर्मनी में क्या हो रहा है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में क्या हो रहा है? लेकिन आज से 200-250 साल पहले हालात बिलकुल उलट थे और आज से 1000, 1200, 1500 साल पहले तो हालात और भी उलट थे। इससे पहले की मैं भारत के प्राचीन वैज्ञानिक परम्पराओं का उल्लेख करूं, मैं यह बताना चाहूंगा कि जो आज यह बताया जाता है कि पश्चिम में ही एक्सपेरीमेंटल साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। उन्होंने ही दुनिया को प्रयोग करने सिखाए हैं उससे पहले तो प्रयोगात्मक विज्ञान होता ही नहीं था। अगर हिन्दुस्तान में कोई वैज्ञानिक हुआ करता था तो वह ज्यादा से ज्यादा थियोरीटिशियन था, जिन्होंने जीरो का आविष्कार कर लिया या इनफिनिटी का आविष्कार कर लिया। भास्कराचार्य ने कुछ गणित के सूत्र निकाल लिए, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल साइंसेज तो पश्चिम से ही आया है। इसकी जीरो तुलना करके देखा तो आचार्य पी.सी. रे का काम है, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था है जिसका मैंने जिक्र किया है—रॉयल सोसायटी, उस रॉयल सोसायटी की क्या हालत थी, यह लिखते हैं कि—

[अनुवाद]

"जैसाकि आपको ज्ञात है कि रॉयल सोसायटी के संस्थापक सदस्यों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू हुई कि क्या मृत मछली का भार जीवित मछली से अधिक होता है।"

[हिन्दी]

मरी हुई मछली का वजन ज्यादा है या जिन्दा मछली का वजन ज्यादा है? रॉयल सोसायटी के जो संस्थापक सदस्य थे महान प्रयोगात्मक वैज्ञानिक थे, जो एक्सपैरिमैंटल साइंटिस्ट समझे जाते थे, 1662 में एक्सपैरिमैंटल साईंस की यह हालत थी।

[अनुवाद]

"जब बॉयल, हुक, क्रिस्टोफर रेन तथा प्राकृतिक विज्ञान के अन्य छात्रों के द्वारा रॉयल सोसायटी की 1662 ई. में स्थापना की गई तब हॉब्स ने उनको "प्रयोगवादी" कह कर खिल्ली उड़ाई थी।"

[हिन्दी]

हॉब्स और हुक जो दार्शनिक थे, पालिटिकल साईंस के लोग इनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं, वह कहते थे कि यह एक्सपैरिमेंट करने आए हैं।

[अनुवाद]

ये "प्रयोगवादी" कौन हैं?

[हिन्दी]

इस तरह से घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से उनकी चर्चा करते थे। उनकी यह हालत थी?

[अनुवाद]

"यदि यथार्थ ज्ञान के प्रति इंग्लैंड में भी 17वीं शताब्दी में यह सम्मान था तब हमारे द्वारा भारत के प्राचीन युग के ज्ञान की कठोर जांच किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए।"

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान की क्या हालत थी? वह कहते हैं।

[अनुवाद]

"हिन्दू रसायन शास्त्र में रामचन्द्र द्वारा रचित 'रसेन्द्र-चिन्तामणि' तथा यशोधर द्वारा लिखित 'रस प्रकाश सुधाकर' नामक केवल दो पुस्तकें थीं, ये दोनों 13वीं अथवा 14वीं शताब्दी की थीं।"

पहले लेखक अर्थात रामचन्द्र ने लिखा है "कि मैंने विद्वान व्यक्तियों के मुख से सुनी हुई तथा शास्त्रों में वर्णित उन बातों को छोड़ दिया है जिसकी मैंने प्रयोग द्वारा जांच नहीं की है।"

मैं इन पुस्तकों में कही गई ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता हूं जिसकी मैंने स्वयं जांच नहीं की है।

"दूसरी तरफ, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को लिख रहा हूं जिनको मैं अपने ऋषि गुरुओं द्वारा बताए गए तरीकों के द्वारा अपने हाथों से सिद्ध कर पाया हूं।"

[हिन्दी]

यह हमारे देश का प्रयोगात्मक स्तर था कि जिस को मैंने अपने हाथ से सिद्ध नहीं किया, जिस को मैं अपने आप प्रयोग करके नहीं देख सका हूं। मैंने इसको इस पुस्तक में नहीं लिखा है।

[अनुवाद]

उस समय पश्चिमी देशों की क्या स्थिति थी?

[हिन्दी]

उनके यहां कौन सा विज्ञान था, कौन सी टैक्नॉलोजी थी? वे क्या कर रहे थे? चिदम्बरम जी यहां मौजूद हैं। वह केवल वहां की अर्थव्यवस्था और टैक्नॉलोजी के बारे में बातें कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उनकी प्रौद्योगिकी की 1662 ई. में क्या स्थिति थी?

[हिन्दी]

आगे-आगे चलिए। फिर कहते हैं:

[अनुवाद]

"उन्हें ही वास्तविक शिक्षक माना जाना चाहिए जो अपने द्वारा दी गई शिक्षा को प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकें—उन्हें ही प्रशंसनीय शिष्य माना जाना चाहिए, जो प्राप्त की गई शिक्षा का पालन कर सके; उनके अतिरिक्त जो शिक्षक और शिष्य हैं, वे मंच के कलाकार मात्र हैं।"

[हिन्दी]

अध्यापक वह है जो प्रयोग करके दिखाए और छात्र वह है जो उस प्रयोग की पुनरावृत्ति करके दिखाए। शरद जी, क्या आप समझ गए? यह भारत की वैज्ञानिक परम्परा है। इसी हिसाब से उसका उल्लेख कीजिए।

[अनुवाद]

"दिल्ली के निकट कुतुब के समीप लगभग 1500 वर्ष पुराना लौह स्तम्भ, पुरी का बड़ा लौह शहतीर, सोमनाथ के अलंकृत द्वार तथा नारवार में लोहे से निर्मित 24 फीट की तोप, प्राचीन कला के अवशेष हैं तथा हिन्दुओं द्वारा धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त दक्षता के मूक परन्तु सशक्त प्रमाण हैं।"

कुतुब स्थित लौह स्तम्भ के संबंध में फर्गुसन ने कहा है:

"अभी तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका है कि यह कितना पुराना है। इस पर एक आलेख खुदा हुआ है लेकिन इसकी तारीख नहीं है। वर्णमाला के अक्षरों के स्वरूप के आधार पर प्रिंसेप इसे तीसरी अथवा चौथी शताब्दी का मानता है, इसी आधार पर भाऊ दाजी इसे 5वीं शताब्दी के अंत का मानता है। हमारा अपना विश्वास है कि यह ईसा पश्चात् 363 अथवा 400 ईस्वी के समय गुप्त वंश के किसी राजा के काल में निर्मित हुआ होगा।"

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप बता रहे हैं, क्या कुछ कर भी रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपनिषदों के समय में आर्यभट्ट ये पैदा कर देते हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान दिला रहा हूं। मैं भारत की वैज्ञानिक परम्परा का ध्यान दिला रहा हूं। जो प्रयोगात्मक काम करके दिखा सकें वह अध्यापक है और जो उसकी पुनरावृत्ति कर सके, वह छात्र है। बाकी लोग सिनेमा के एक्टर हैं। यह हमारी परम्परा थी जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इतनी पुरानी परम्परा और प्रयोग होता है। मैं इससे पुरानी परम्परा का उल्लेख आगे करूंगा। उन्होंने आगे कहा टैक्नॉलोजी जिस की बात की जाती है आचार्य पी.सी. रे लिखते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। गुरु तो आप ही रहे हैं। फिर ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई?

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसलिए कि छात्र आपके जैसे मिल गए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अब तो आप लोग कहने लायक हो गए हैं।

श्री शरद यादव: जोशी जी, ऐसा है आपने छात्र बनाये नहीं, क्या करें?

डा. मुरली मनोहर जोशी: जिसको बनाया था, प्रधान मंत्री बन गया लेकिन उसको आप ले डूबे। वह हमारा ही बनाया हुआ छात्र है। आपकी संगत में चला गया, क्या करें?

उपाध्यक्ष महोदय: जोशी जी, आप जानकारी तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन 30 मिनट हो गये हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा: उपाध्यक्ष जी, बहुत ही क्लिष्ट विषय है और इस सदन में कुछ रेयर ही माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका उस पर अधिकार है और जोशी जी उनमें से एक हैं। मेरी प्रार्थना है कि इनको टाईम दिया जाये।

डा. मुरली मनोहर जोशी: ये आचार्य पी.सी. राय हैं और यह पुस्तक डी.पी. चट्टोपाध्याय की है किसी बी.जे.पी. वाले की नहीं है। मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूं कि सुबह मैं श्री राम विलास पासवान का भाषण बड़ी गंभीरता से सुन रहा था कि हिन्दुस्तान में गरीबी का क्या कारण है? हिन्दुस्तान में किस प्रकार से हमारी साईंस एंड टैक्नालाजी को नष्ट किया गया, उसका इतिहास बिना जाने आप हिन्दुस्तान की गरीबी और उसकी तमाम समस्याओं का मूल नहीं समझ पायेंगे, उसको पकड़ नहीं पायेंगे। आप मनुस्मृति को दोष दें, उसको दोष दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह आपका अधिकार है लेकिन हिन्दुस्तान में गरीबी क्यों आई, कैसे आई और कब आई? जो सोने की चिड़िया था, वह दरिद्र, कंगाल और ऋणग्रस्त कैसे बन गया? उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे मार्किट फोर्सेज हैं या सोशिल, पालिटिकल फोर्सेज हैं, यह समझने की जरूरत है। एकतरफा डंडा या झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक कारण था कि हमारे देश की टैक्नालाजी नष्ट की गई। पहले यह समझा जाता है कि टैक्नालोजी वैस्ट में थी, यह गलत था मैं आपको बताता हूं कि 17वीं

सदी के पहले कोई टैक्नालाजी जैसी कोई चीज नहीं थी। हम 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़े लेकिन हारे और 1760 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गई। स्टीम इंजन का आविष्कार उसके पहले हो गया था मगर वह बाजार में क्यों नहीं आया? इंग्लैंड की हालत देखिये। 17वीं सदी में उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। पहली बार जब आलू पेट में पहुंचा तो लगा कि भोजन गया और उनको लगा कि दुनिया जीने के काबिल है। वे बुनना नहीं जानते थे, रूई वहां होती नहीं थी। जब पहली बार अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने कहा कि यह हिन्दुस्तान बहुत चालाक है, यह ऊन पेड़ पर पैदा करते हैं, यह तो भेड़ पर होनी चाहिए थी, पेड़ पर पैदा किया, उनको तमीज नहीं थी। रूई और ऊन क्या भारत में होता है? टैक्सटाईल इंडस्ट्री की पुरानी किताबें 1920-25 में शुरू होती हैं। आज उनको हटा दिया गया है क्योंकि हम पश्चिम की तरफ देखने के लिए तैयार हैं। आप टैक्सटाईल इंडस्ट्री और स्पिंडल की हालत देखें। कल माननीय नरसिंह राव जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल उठाये थे जिन पर पांच मिनट जरूर चर्चा करूंगा लेकिन आप देखिये कि हमारे देश में यह क्या हुआ।

अब स्टील टैक्नालाजी के बारे में कहता हूं। श्री धर्मपाल जी ने जो लिखा है और अपनी किताब में जो डाकूमेंट्स दिये हैं, मैं वह उद्धृत कर रहा हूं, डा. बेंजामिन हाईन ने यह रिपोर्ट सितम्बर, 1795 में भेजी है और कहते हैं जिसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

जबकि इंगलिश मेलेबल आयरन की कास्ट 5 पाऊंड 10 शिलिंग्स प्रति टन थी। अब हिसाब लगाया जाये कि कौन सस्ता था। हिन्दुस्तान में आना पाई का हिसाब लगाकर बताया और फिर मैनुफैक्चरिंग आफ बार आयरन इन साऊथ इंडिया। यह जे. कैम्पबल द्वारा भेजा गया था। अब ये रेलगाड़ी का उल्लेख कर रहे हैं कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में सबको एक करने के लिए लाये। अगर एक करने के लिए होता तो पहले रेल एन.ई. स्टेट्स में ले जाते।

रेल गाड़ी देने के लिए नहीं किया बल्कि आपके कच्चे माल को हिन्दुस्तान से बाहर ले जाने के लिए रेल गाड़ी बनायी गयी। व्यापार के लिए बनायी गयी और अपना तैयार माल को हिन्दुस्तान में लाने के लिए बनायी गयी। आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। आप इतिहास को पढ़िये। दादा भाई नौरोजी को पढ़िये और किसी को मत पढ़िये। यह बता देगा कि हिन्दुस्तान के अंदर रेल गाड़ी क्यों बनाई गई थी। अंग्रेज लोगों को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है कि उसने हिन्दुस्तान को एक किया। हिन्दुस्तान आज भी एक है। हिन्दुस्तान अंग्रेजों के वक्त भी एक था और अंग्रेजों के आने से पहले भी एक था। जब से सृष्टि बनी है तब से हिन्दुस्तान एक देश था, एक देश है और एक देश रहेगा। अंग्रेजों ने इसको एक देश नहीं किया।

दूसरा टेक्नालॉजी है। तन्जावूर से लेकर श्रीनगर तक जितनी आयरन की भट्टियां थीं उन सबका मेजरमैंट एक था। आज से हजारों साल पहले से बैलगाड़ी की धुरी होती है। हिन्दुस्तान में सारी बैलगाड़ियों की धुरी एक ही थी इसलिए यह कहना कि उन्होंने एक बनाया, अंग्रेजों के लिखे इतिहास को भूल जाइये। मैकाले को भूल जाइये। श्री आर.सी. मजूमदार को पढ़िये, दादा भाई नौरोजी को पढ़िये। आप उधार का लिया हुआ ज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं। श्री राम विलास पासवान जी आप स्वदेशी ज्ञान पढ़िये तब आपको सब पता लग जायेगा कि हिन्दुस्तान क्यों गरीब हुआ? वह इसलिए गरीब हुआ होगा कि 80 हजार आदमी ...*(व्यवधान)*

इसके पहले देखिये। यह कहता है कि उसको कहा गया था कि रेलगाड़ी लगाने के लिए बार आयरन खोजो, तो उसने कहा कि हिन्दुस्तान में बार आयरन बहुत सस्ता है। मच चिपर मच बैटर है। मानचेस्टर से लाए हुए मिल को यहां स्थापित करना जरूरी है। इसलिए इस इंडस्ट्री को डिस्ट्राय करिये। 1742 में 80 हजार आदमी हिन्दुस्तान की स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे और चार गुना स्टील जो इंग्लैंड और सारे यूरोप के लिए पैदा करते थे, उससे ज्यादा पैदा करते थे। स्टील में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। स्टेनलेस आयरन है। आज भी कुतुबमीनार खड़ा हुआ है। कुतुबमीनार के आयरन पिलर को अभी तक जंग नहीं लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कितना ही कुप्रचार करें, दुष्प्रचार करें, इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में कितने ही अंग्रेजी विचार रखें लेकिन हिन्दुस्तान की किसी व्यवस्था को न जंग लगा था और न आज लगा है और न आने वाले 10 हजार साल में जंग लगेगा। ऐसी शाश्वत व्यवस्थायें हैं जो कि खड़ी रहेंगी।

अब टेक्नोलॉजी के बारे में यह कहा जाता है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि डा. जेनर ने 1798 में वेक्सीनेशन टीका ईजाद किया। मि. कोल्ट हैं उन्होंने डा. ओलिवर को "एन एकाउन्ट आफ द डीजीज आफ बंगाल; कलकत्ता, डेटिड: फरवरी 10, 1731" इसमें यह लिखा है कि बंगाल में स्माल पाक्स होती बहुत है, तो उसके लिए टीका लगाया जाता है और वह उसी तरह से लगाया जाता है। जिसको बाद में डा. जेनर ने पस से या बाकी जो कुछ वेक्सीन काऊपस से निकाल कर दी, वह मनुष्य के शरीर में जो फिफोले होते थे, इससे निकालकर पस को इकट्ठा करते थे और अगले साल प्रयोग करते थे। पूरा विस्तार के साथ यह कहा गया है। यह मेडिकल जरनल पर छपी हुई किताब है। कोई समाचार-पत्रों का लेख नहीं है और उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। "आपरेशन आफ इनोकुलेशन आफ दी स्मालपाक्स एज परफोर्म्ड इन बंगाल; दैट इस, 1731"। और कहते हैं कि कम से कम 150-200 साल से यह चल रहा है और उस समय बंगाल में पूछा गया कि इसे किसने ईजाद किया तो बंगाल और उड़ीसा के गांव वालों ने कहा कि धनवंतरी ने यह रास्ता हमको दिखाया है। धनवंतरी जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। जिस अमृत मंथन की बात कर रहे थे, वह उसमें से अमृत का कलश लेकर निकले थे। यही वह हमारा अमृत कलश है जिससे हिन्दुस्तान के गांव-गांव में धनवंतरी ने पहुंचाया और चेचक से व अन्य रोगों से इस देश की रक्षा होगी। यही अमृत कलश है। इस देश के देवताओं को, यहां के मनुष्य ही देवतुल्य हैं, उन देवतुल्य लोगों को वह अमृत बांटा गया है। श्री राम विलास पासवान

जी अमृत धनवंतरी जी बांटते रहे। आज आयुर्वेद विश्व में अमृत बांटने की स्थिति में आ रहा है। इसलिए आप इसकी चिन्ता न करिये। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। कहते हैं कि आपकी टेक्नालॉजी होगी, थोड़ी सी अनसोफस्टीकेटिड होगी, क्रूड होगी। लेकिन यह सोफिस्टीकेटेड टेक्नोलॉजी है।

आज टेक्सटाइल मिनिस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा बतायेंगे कि कितने काउंट का धागा हिन्दुस्तान में पैदा होता है। मुझे बतायें कि दुनिया भर में सबसे बारीक धागा कितना होता है। 400 काउंट, 500 काउंट, 600 काउंट या 800 काउंट होता है। मुझे 800 काउंट देखने को नहीं मिला। हम 450-500 काउंट तक का धागा सुनते हैं। हिन्दुस्तान में जो धागा था, वह 2425 काउंट का था। एक ग्रेन रूई से 29 गज धागा होता था।

एक पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं। यह उपलब्धि है। 29 गज, यह था कमाल। यही वह मलमल का कपड़ा था। जो इसको बनाते थे, उन लोगों के अंगूठे काट दिये गये थे। राम विलास जी, हिन्दुस्तान इसलिए गरीब हुआ। ...*(व्यवधान)* अब तो शांतिपुर में ढाई सौ-तीन सौ काउंट होता है। आपकी कृषि को कष्ट हुआ, आपकी टैक्नोलोजी को कष्ट हुआ, आपके कुम्हार को कष्ट हुआ, आपके सिरामिक्स को कष्ट हुआ, लाखों आदमी मलमल के काम में लगे रहते थे। उन सबके हाथ काट दिये गये। हम समझते थे कि आजादी के 50 सालों में मुर्शीदाबाद, ढाका के उन मजदूरों के अंगूठे वापिस दिलाए जाएंगे। कहां हैं? आप तो पश्चिम से टैक्नोलॉजी लाने के चक्कर में पड़ गए। आप तो हमको यह सिखाने लगे कि हिन्दुस्तान में बिना पश्चिम की टैक्नोलॉजी के कुछ नहीं होगा और उस टैक्नोलॉजी के बारे में सी.एस.आई.आर. के डायरेक्टर क्या कहते हैं, जरा देख लीजिए।

[अनुवाद]

मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. आर.ए. मशालकर, द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 को पुणे में दिये गये व्याख्यान से उद्धत कर रहा हूं। मैं उद्धत करता हूं:

> ''सबसे पहले प्रौद्योगिकी संबंधी कारोबार अत्यंत जटिल हो गया है। भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी तभी उपलब्ध होगी जब यह किसी आपूर्तिकर्त्ता की विश्वस्तरीय योजना के अनुरूप होगी। यदि मार्क-3 श्रेणी की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तब हम शायद मार्क-2 श्रेणी के प्रौद्योगिकी के संबंध में बातचीत कर सकते हैं तथा अधिकांश मामलों में हमें मार्क-1 श्रेणी की प्रौद्योगिकी ही प्राप्त होगी।''

[हिन्दी]

फर्स्ट जनरेशन का मिल जाएगा। थर्ड जनरेशन बाजार में उसने बना रखी है। आपसे उसकी बात नहीं करेगा। आप सैकिंड जनरेशन की बात करेंगे और फर्स्ट लेकर घर आएंगे।

[अनुवाद]

और मैं पुन: उद्धत करता हूं:

> ''ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत को अत्यधिक मांग करने वाले देश के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि विश्व बाजार में एक प्रतियोगी के रूप में देखा जाएगा। मुझे याद है कि जब कुछ वर्ष पहले मैं इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड से संबद्ध था तब हमने कतिपय यूरोपीय, अमरीकी तथा जापानी कंपनियों से अल्फा ओलफिन संबंधी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कोशिश की थी। हमें सफलता नहीं मिली। क्या ''अल्फा ओलफिन'' प्रौद्योगिकी सामरिक उपयोग की थी। ऐसी बात नहीं है। वस्तुत: इसका उपयोग ''सल्फोनेट्स'' के निर्माण हेतु किया जाना था जो महज उपभोक्ता बाजार में बेचा जाने वाला डिटर्जेंट है। इस पदार्थ का कोई सामरिक दृष्टि से महत्व नहीं था। लेकिन फिर भी हम यह प्रौद्योगिकी नहीं प्राप्त कर सके। इसका कारण स्पष्ट था। प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से भारत की लाभकर स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि हम विश्व बाजार में उनके प्रतिस्पर्द्धी हो जाएंगे इसीलिए हमें प्रौद्योगिकी नहीं दी गई।
>
> प्रौद्योगिकी संबंधी कारोबार काफी जटिल हो चुका है। प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सीधे सरल ढंग से दिये जाने वाले लाइसेंस के दिन बीत चुके। प्रौद्योगिकी व उत्पाद का आदान-प्रदान प्रौद्योगिकी व स्टाफ होल्डिंग इत्यादि नए समीकरण हैं। विपणन क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी को भी कई भागों में बांटा जा रहा है तथा प्रत्येक भाग को अलग-अलग उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रौद्योगिकी संबंधी सीधी सरल सेवाओं संबंधी ठेकों को प्राप्त करना भी कठिन होता जा रहा है।''

[हिन्दी]

आपको कोई टैक्नोलोजी नहीं देगा। किसी देश में कोई टैक्नोलोजी नहीं देता है।

मैं अभी संयुक्त राष्ट्र के अंकटार्टिका के एक सम्मेलन में गया था। वहां ये सवाल उठे थे। मैंने वहां इन समस्याओं पर अपने विचार रखे। ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. के लोग जो पैनल में बैठे हुए हैं मेरा उनसे एक सवाल है। आपने सलाह दी थी। ''आप लोकतांत्रिक प्रणाली अपना लें'' और हमने यह प्रणाली अपना ली। आपने हमें सलाह दी थी ''आप मानवाधिकार को बढ़ावा दें।'' हमने ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन किया। आपने हमें सलाह दी थी, ''आप मुक्त बाजार संबंधी नीति का अनुसरण करें और हमने मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया।'' आपने वादा किया था, आपने कहा, ''जब आप इन सभी तीन बातों को पूरा कर लेंगे तब आपके यहां निवेश होगा, आपको प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी तथा आपके यहां रोजगार के अवसर सृजित होंगे।'' उसने कहा ये तीन तो कर चुके हैं। बरसों से आस लगाए हुए हैं। ''कोई निवेश नहीं हुआ है, कोई

प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं हुई है और कोई रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं हुआ है। कोई आपको टैक्नोलोजी नहीं देगा।''

जिन्होंने हमारे देश को बहुत सब्जबाग दिखाये थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहां आई टैक्नोलोजी? पेप्सी कोला में, लिप्सिटक में, बिस्कुट में, आइसक्रीम में, कौन सी टैक्नोलोजी आई। आपके स्पेस डिपार्टमेंट ने अपना जो बड़ा भारी टावर बनाया, उसके लिए अमरीकन कम्पनी को व्हील्स आर्डर कर दिए थे। अमरीकन कम्पनी देने के लिए मान गई थी। रिटन ऐग्रीमेंट था लेकिन अमरीकन कम्पनी ने कहा कि आपको व्हील्स नहीं मिलेंगे। यह बात दूसरी है कि हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत बेहतर व्हील्स बना लिए। ...*(व्यवधान)* आप ऐटॉमिक ऐनर्जी में भी इसी स्वदेशी भावना से आए, आप स्पेस में भी इसी से आगे बढ़ेंगे।

कम्प्यूटर में भी आगे बढ़े हैं। फिर बात उठी कि हमारी स्वदेशी टैक्नॉलोजी ने विदेशी टैक्नॉलोजी को पछाड़ा था लेकिन आज भी सलाह देते हैं कि टैक्नॉलोजी ऑफ वेस्ट पढ़िए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने वह पुस्तक दिखाई जो इस सदन को दिखाई जानी चाहिए। मैं पिछले पांच सालों से जब से हट्रिटसन ने पहली बार लिख दिया था, तब से इस खतरे की तरफ लोगों को सावधान करना चाह रहा था लेकिन पुस्तक से आगे भी मामला चला गया है। अब 1997 में पॉलिसी मैगजीन की तरफ आपको ध्यान दिला रहा हूं। टैक्नॉलोजी का उपयोग किसलिए करना चाहते हैं और आप कौन सी टैक्नॉलोजी चाहते हैं? अब वे कह रहे हैं।

अमरीका के लोग इस तथ्य को झुठला नहीं सकते हैं विश्व के सभी देशों में से भविष्य हेतु उनका देश अत्यंत उचित तथा सर्वश्रेष्ठ माडल है और इस मॉडल को बिना हिचक के ले जाना चाहिए। वे क्यों कहते हैं?

[अनुवाद]

हम अमरीकी लोगों को अवसर उपलब्ध हैं, अमरीका न सिर्फ सूचना युग की प्रधान शक्ति के रूप में 21वीं शताब्दी में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है, बल्कि उन अवरोधों को हटा कर भी नेतृत्व करने की स्थिति में है, जो राष्ट्रों को और राष्ट्रों के अन्दर विभिन्न समूहों को विभाजित करते हैं, और ऐसे संबंध स्थापित करके भी नेतृत्व करने की स्थिति में हैं, जो लोगों के वृहत्तर समुदाय के बीच सांझे हितों के विराट स्रोत का निर्माण करते हैं।

[हिन्दी]

शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं। कौन से शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं सिवाय इसके कि उनके कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं या कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको वर्ल्ड बैंक में या मल्टीनेशनल्स में काम करना होता है। वे शेयर्ड इन्टरेस्ट्स क्या हैं? इस पूरे लेख, पूरी मैगजीन को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि वे क्या बात कहना चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या बातें हैं क्योंकि वे कहते हैं:

[अनुवाद]

भूमंडलीकरण के व्यापक पारिभाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वर्तमान प्रवृत्तियां एक ऐसी प्रक्रिया को तेज कर रही हैं जो इतिहास के हर काल में रही हैं और विवेकशील समूह एक दूसरे के साथ परिचित होते जा रहे हैं और अन्ततः सहयोगी बनकर और अधिक एक समान हो रहे हैं।

अधिक एक समान होने का अर्थ यह है कि वे अधिक अमेरिकी अथवा अधिक पश्चिमी हो रहे हैं।

अपरिहार्यतः इस परिवर्तन में अमेरिका अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस सूचना युग के आरम्भिक वर्षों में यह विश्व घटनाओं के प्रबंधन में अपरिहार्य राष्ट्र है और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा का अग्रणी उत्पादक है।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि हम इंफोर्मेशन एज के मालिक हैं और हमारे पास इतनी शक्ति और साधन तथा टैक्नॉलोजी पॉवर्स हैं कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। आपको विश्व का नेतृत्व अवश्य करना चाहिए। उनको अपना जैसा बनाइए। बड़ी-बड़ी मजेदार बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया में अंग्रेजी फैलाइये। अगर अंग्रेजी हो सकती है तो क्या दिक्कत है?

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमेरिका का आम तौर पर हित इसमें है कि ऐसे विश्व के विकास को प्रोत्साहित किया जाये जिसमें राष्ट्रों को अलग करने वाली त्रुटिपूर्ण रेखाओं को साझे हितों (शेयर्ड इंटरेस्ट्स) द्वारा मिटाया जा सके और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हित में है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यदि विश्व का झुकाव किसी एक आम भाषा की ओर हो, तो वह भाषा अंग्रेजी हो, यदि विश्व का झुकाव किसी एक सर्वनिष्ठ दूरसंचार, सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड की ओर हो, तो वे अमेरिकी हों, यदि विश्व को टेलीविजन, रेडियो और संगीत से जोड़ना है, तो उनके कार्यक्रम अमेरिकी हों, और यदि कोई सर्वमान्य मूल्य विकसित किये जाने हों, तो वे मूल्य ऐसे हों, जो अमेरिकियों के लिए सुविधाजनक हों। यह है प्रौद्योगिकी का उपयोग।

[हिन्दी]

जिस टैक्नालॉजी को आप इस देश में लाने की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह है कि वह एक्सप्लोइटिव सिस्टम की टैक्नॉलोजी है। मैं आज समयभाव के कारण इस फिलॉस्फी में नहीं जाना चाहता। अपने देश की टैक्नॉलोजी स्वयं विकसित हो सकती है, उनको परास्त कर सकती है। मुलायम सिंह यादव जी ने भारत की भाषाओं के बारे में कहा था कि साइंस और टैक्नॉलोजी के विकास में अंग्रेजी सबसे बड़ी बाधा है। अगर अपनी मातृभाषा में विज्ञान और टैकनॉलोजी का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाए तो इस देश की वैज्ञानिक प्रतिभाएं विश्व पर विजय

करेंगी और ऐसी टैक्नॉलोजी बनाएंगी जो मानव का शोषण नहीं करेंगी बल्कि कल्याणकारी टैक्नॉलोजी देश को देंगी और वे मानवता के हित में हो।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): आप अपने भाषणों में अंग्रेजी की किताबों का उद्धरण देना भी बंद कर दें तो अच्छा रहेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह क्या कह रहे हैं? उसको देना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई बात सुनता नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अरे सुनेंगे। सुनने वाले बैठे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सुनेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि श्री वाजपेयी जी ने रजनी पाम दत्त को उद्धृत कर भाषण आरम्भ किया, और श्री जोशी, श्री पी.सी.राय और श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की पुस्तकों का हवाला दे रहे हैं। मैं प्रसिद्ध ग्रंथ ''द एण्ड ऑफ हिस्ट्री'' से कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आप इसका भी उल्लेख करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपकी मार्कसिस्ट सरकार भी इन लोगों को सुनती और पढ़ती *...(व्यवधान)* अगर आप बंकिम चट्टोपाध्याय को पढ़ लें, रविन्द्रनाथ को पढ़ लें, तो उससे देश का बहुत कुछ उद्धार हो जाए। विवेकानन्द को पढ़ लें, नेताजी सुभाष को पढ़ लें, स्वामी जीतात्मा को पढ़ लें, जगदीशचन्द्र बोस को पढ़ लें *...(व्यवधान)* आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए। *...(व्यवधान)* डाक्टर मुखर्जी जी को पढ़ने में इनको बहुत समय लगेगा। *...(व्यवधान)* मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वाधीनता के पहले के जो हमारे वैज्ञानिक थे, वे भारत की परम्परा से परिचित थे। उसका एकमात्र उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाद में तो सी.वी. रमन ने जो किया, वह उनकी दृष्टि का आयाम था। सत्येन्द्रनाथ बोस ने जो किया वह भी उनकी दृष्टि का ही एक एक्सटैंशन था। जो सत्येन्द्रनाथ ने किया वह बहुत महत्वपूर्ण था। जगदीशचन्द्र बोस पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया, जिसको आप इनएनीमेट कहते हैं, जड़ कहते हैं, उसमें भी चेतना होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल पुरुषों में आत्मा होती है, महिलाओं में भी नहीं होती है, जानवरों में भी नहीं होती है। बहुत से वैज्ञानिक, दार्शनिक लोग इस बात को नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि जानवरों को खाने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती है। वह एक पक्ष है। लेकिन जगदीशचन्द्र बोस ने सिद्ध करके दिखा दिया, जैसे लोहा है, तांबा है और दूसरे एलायज हैं, उनमें भी चेतना होती है। यह उन्होंने 1901 में किया था।

[अनुवाद]

''1899 में श्री बोस ने धातु जैसे निर्जीव पदार्थ और जानवर का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया। प्रयोग से उन्होंने पाया कि लगातार उपयोग किये जाने पर धातुएं कम संवेदनशील हो जाती हैं, परन्तु कुछ अवधि के विश्राम के बाद वे पुन: सामान्य हो जाती हैं। ''धातु की श्रांति'' की खोज से श्री बोस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से शरीर विज्ञान के क्षेत्र में पहुंच गये। वैज्ञानिकों को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तथाकथित ''सजीव'' और ''निर्जीव'' के बीच की विभाजक रेखा तय करना अब कठिन हो गया है। शरीर-वैज्ञानिकों ने श्री बोस की बातों को, जिन्होंने ब्रैडफोर्ड के ब्रिटिश एसोसिएशन के भौतिकी अनुभाग में प्रयोग करके दिखाया था सन्देह के साथ सुना। वैज्ञानिकों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रांति, उत्तेजना, अवसाद और विषाक्त औषधों से धातुओं में भी मांसपेशियों के खिंचाव सदृश वक्रता थी। तत्पश्चात् श्री बोस ने पाया कि धातुओं अथवा मांसपेशियों की तरह पौधों में भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। 10 मई, 1901 को श्री बोस ने इंग्लैण्ड में अपने प्रयोग दर्शाये और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला .....।''

मैं भी उन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करूंगा।

''मैंने आप लोगों को आज शाम सजीव और निर्जीव पर पड़ने वाले दबाव और तनाव के स्वयं उनके द्वारा दर्ज किये गये रिकार्ड दर्शाये हैं। इन लिखावटों में कितनी समानताएं हैं। ये लिखावटें इतनी समान हैं कि आप इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इन घटनाक्रमों में हम कोई विभाजक रेखा खींचकर यह कैसे कह सकते हैं कि भौतिक शास्त्र संबंधी बातें यहां समाप्त होती हैं और शरीर विज्ञान संबंधी बातें यहां से आरंभ होती हैं? ऐसे निरपेक्ष विभाजक होते ही नहीं ...जब मैंने उनमें स्वत: बने रिकार्डों के मूक साक्ष्य पर ध्यान दिया, और उनमें विद्यमान समानता को देखा, जो सब में व्याप्त है।.....''

सर्वमिदं खल्ल ब्रह्मा।

''.....प्रकाश की तरंगों में स्पंदन करते धूलकण, इस धरती पर स्पंदनशील जीवन, और हमारे ऊपर दीप्तिमान सूर्य में वह समानता देखी तो उस समय पहली बार मैंने उस संदेश को थोड़ा-सा समझा.....''

राम विलास जी, इस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए

"....तीस सदी पूर्व गंगा के किनारे हमारे पूर्वजों ने यह घोषणा की थी। जो लोग इस ब्रह्माण्ड में हो रहे परिवर्तनों में केवल एक चीज को ही देखते हैं, वे ही शाश्वत सत्य को जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं"

यह है शाश्वत सत्य की खोज—

[हिन्दी]

शाश्वत सत्य की खोज भारत से साइंस और टैक्नोलाजी का उद्देश्य होनी चाहिए। शाश्वत सत्य को सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रसारित करना हमारे देश की संसद का और देश के ब्यूरोक्रेट्स का, जो साइंस का प्रबंध करते हैं, उद्देश्य होना चाहिए।

इस संसद को भारत की वैज्ञानिक और अनुसंधान की जो प्रक्रिया आज धीमी पड़ गई है, कुंठित हो गई है, जो आज पाश्चत्यों की जंजीरों में जकड़ी हुई है उसको मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। यह संसद भारत की प्रतिभा और मेधा को मुक्त करे, उसको पाश्चात्य मानसिकता से छुड़ाए और आजादी की दूसरी लड़ाई, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया था वह अगर शुरू होनी है, उसकी परम आवश्यकता है तो वह भारत के विज्ञान और भारत की टैक्नोलॉजी को पश्चिमी जकड़न से मुक्त कराने की है।

उपाध्यक्ष महोदयः जोशी जी, धन्यवाद। साइंस टैक्नोलॉजी के विषय पर एक ही स्पीच हुई है, और वह बेहतरीन स्पीच हुई है।

श्रीमती शारदा टाडीपारथी

[अनुवाद]

***श्रीमती शारदा टाडीपारथी** (तेनाली): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत को केवल उस दिन स्वाधीन माना जायेगा जब कोई महिला मध्य रात्रि को भी अपने सभी आभूषण पहनकर गलियों में स्वतंत्र रूप से और निर्भय होकर घूम सकेगी। क्या हम आज कभी ऐसा देखते हैं? क्या इस देश की महिलाएं सचमुच स्वाधीन हो गई हैं? क्या देश की महिलाएं कई युगों के पुराने बंधनों से मुक्त हो गई हैं? क्या उन अभागिन युवतियों के लिए कोई मुक्ति है जो प्रतिदिन दहेज के कारण मौत की शिकार हो रही हैं? क्या हम अपने उस समाज को स्वतंत्र समाज कह सकते हैं जहां बेटियों के ब्याह में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी से बचने के लिए बालिका शिशु हत्या और भ्रूण हत्या तक की जाती है? जी नहीं, अभी तक किसी को आजादी नसीब नहीं हुई है। गुण्डों और बदमाशों जैसे असामाजिक तत्वों को पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। स्वतंत्रता उन्हें मिली है जो धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज का शोषण कर रहे हैं। आजादी उन दैत्यों के लिए है जो सामूहिक बलात्कार में लिप्त होते हैं। महोदय, गत तीन दिनों से हम स्वतंत्र भारत में गत पांच दशकों के दौरान लगातार बिगड़ती हुई स्थिति पर प्रमुख वक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता और पीड़ा को सुन रहे हैं। वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि इस देश को इस संकट की स्थिति में ले जाने के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं और इसके क्या कारण हैं? आजादी के पहले हम विदेशी शासकों को अपनी सभी बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन हम आज किसको जिम्मेदार ठहराये? आज जब हम यह देखते हैं कि वस्तुतः और कोई नहीं बल्कि स्वयं हम ही अपने समाज में हो रही चतुर्दिक अवनति के जिम्मेदार हैं तो हमें शर्म से अपने सिर झुकाने पड़ते हैं। हम किसी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं अपने भाषण को देश में महिलाओं से संबंधित समस्याओं तक ही सीमित रखूंगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं का गुणगान किया गया है। दिन रात प्रभावशाली भाषणों द्वारा नारी की श्रेष्ठता का गुणगान किया जाता है और यहां तक कि हम इस व्यंग्य से भी नहीं बच सकते हैं जब पति अपनी पत्नियों का अपने "गृह मंत्री" के रूप में परिचय कराते हैं। कभी-कभी, हम यह भी शब्दावली सुनते हैं कि "वह मेरी अर्द्धांगिनी (बैटर हाफ) है"। लेकिन वास्तविकता क्या है? "वह" किस प्रकार तथा कहां पर 'बैटर' अर्थात बेहतर स्थिति में हैं? वह केवल बाहर ही 'बैटर' अर्थात बेहतर स्थिति में है। जिस क्षण वह घर में घुसती है, सब कुछ 'बिटर' हो जाता है। यदि कोई व्यवस्था को चुनौती देने का साहस करता है तो पुरुष की तरफ से जवाब हाजिर होता है, "यह तुम्हारी नियति है हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। हम तो केवल पुराने रीति-रिवाजों का ही पालन कर रहे हैं।" उससे भी ज्यादा वह श्लोक है जो प्रत्येक धर्मपत्नी के छह दायित्व निर्धारित करता है। इस श्लोक के अनुसार एक अच्छी धर्मपत्नी वह है जो अपने पति की दासी जैसी सेवा करती है, मंत्री की तरह सलाह देती है; माँ की तरह प्यार करती है, उसकी दैहिक इच्छाओं की पूर्ति रम्भा की तरह करती है तथा जिसका धैर्य धरती मां की तरह होता है। यदि महिला में उपरोक्त गुण नहीं होते हैं, उसे धर्मपत्नी या कुलधर्मपत्नी नहीं कहा जा सकता है। यही शास्त्र पुरुषों का व्यवहार बताते समय राम को आदर्श पुरुष का दर्जा देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब उनके अपने आचरण की बात आती है तो वे उन शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते हैं? केवल महिलाओं के लिए ही ठोस नियमों का निष्ठापूर्वक पालन कैसे किया जाता है? महोदय, ये शास्त्र अथवा ग्रन्थ पुरुष प्रधान समाज की

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्पत्तियां हैं। यह सोचना भी गलत होगा कि 1997 की महिला, वर्तमान युग की महिला, इन पुरातन ग्रन्थों का पालन करेगी। यह वस्तुत: आश्चर्यजनक तथा अमानवीय है कि एक महिला जो घरेलू अथवा अन्य कारणों से बाध्य होकर कार्यालय तथा अन्य स्थानों पर कार्य करती है, पैसे कमाती है, अपने पति को वित्तीय सहायता करती है, वह अपनी पसंद की एक साड़ी अपनी आय से नहीं खरीद सकती। उसे अपने लिए ही फूल खरीदने की आजादी नहीं है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि महिलाओं की यह चाकरी कब समाप्त होगी। महोदय, इस समाज को स्वतंत्रता संघर्ष के उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए जब हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विदेशी ताकत से मुक्ति दिलाने के लिए आगे बढ़ीं थीं। देश को उनके महान बलिदान को सदा याद रखना चाहिए। महोदय, हाल में दिन-दहाड़े एक लड़के ने आंध्र प्रदेश में एक लड़की को चूम लिया। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू को यह बता पता चली तब उन्होंने न केवल उस लड़के को पकड़ा बल्कि सार्वजनिक रूप से जिस लड़की को उसने चूमा था उसी से झापड़ दिलवाया। केरल में, एक माननीय मंत्री को अपने पद से केवल इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने 18 वर्ष से एक दिन कम आयु की अपनी लड़की की शादी की थी। कानून को इसी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। जब तक कि सरकार कानून को और कड़ा नहीं बनाती तथा सख्ती से उसे लागू नहीं करती, देश की युवा महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर सकतीं। यदि किसी निर्दोष बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो दोषी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की बजाय संबंधित अधिकारी निर्दोष बालिका पर हुई चोट की मात्रा की जांच करने लगते हैं। उसे अपनी चोट दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह घाव पर नमक लगाने जैसा है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फाइल बन्द करनी होती हैं क्योंकि अमीर आदमी, उच्च अधिकारी तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पुत्र इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ऐसे लड़कों को छोड़ने के लिए तरीके खोजने पड़ते हैं। मामले दबा दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को पवित्र देखना चाहता है। उसे अन्य महिलाओं को भी ऐसा ही सम्मान देना चाहिए। व्यक्ति को अन्य महिलाओं को अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए तथा उन्हें सम्मान तथा आदर देना चाहिए। केवल तभी, देश की महिलाएं यह सोच सकती हैं कि वे सचमुच स्वतंत्र तथा मुक्त हैं। सरकार को उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा देने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें तथा आवश्यक हो तो वे अपने आश्रितों की देखभाल भी कर सकें। सरकार को महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संबंध में भी कदम उठाने चाहिए। तब मुझे विश्वास है कि केवल एक ही नहीं बल्कि कई झांसी की रानियां समाज में पैदा होंगी। महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के पासपोर्ट पर यह लिखा होता है कि यदि उनके नागरिक को किसी अन्य देश में परेशानी का सामना करना पड़ा तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार उस देश के खिलाफ कार्यवाही करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इतने सुरक्षित हैं। हमारी क्या दशा है? हमारी सरकार द्वारा देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है? निस्सन्देह कोई नहीं। महोदय, प्रत्येक माता-पिता चाहता है कि उनकी बेटियां प्रसन्न रहें। इसीलिए अपनी सारी कमाई को खर्च करके अपनी पुत्री के लिए इंग्लैंड अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से वर खोजते हैं। लेकिन क्या होता है? कहावत है दूर के ढोल सुहावने। परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। इंग्लैंड और अमेरिका में बसे लड़कों के साथ विवाहित इन लड़कियों को उत्पीड़ित किया जाता है। उनके लिए जिंदगी नरक बन जाती है। उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। भाग्यशाली लड़कियां बच निकलती हैं। शेष के लिए, तबाही है। इसी प्रकार कई लोग खाड़ी के देशों में रोजगार को वरीयता देते हैं। कई लोग इस देश में सोचते हैं कि खाड़ी के देशों में रोजगार मिलने से वे इतना पैसा कमा सकते हैं कि परिवार की ठीक-ठाक देखभाल कर सकते हैं। इन खाड़ी के देश में रोजगार चाहने वाले एजेंटों को काफी ज्यादा धन देते हैं, यहां तक कि इसके लिए वे अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं। परन्तु जब वे खाड़ी के देशों में पहुँचते हैं तो उन्हें अलग-अलग वेतनों पर अलग-अलग प्रकार की नौकरी मिलती है। उनके साथ धोखा किया जाता है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिये जाते हैं। नौकरी की इच्छुक महिलाओं को उत्पीड़ित और अपमानित किया जाता है। उन्हें कुछ मामलों में मारा-पीटा जाता है तथा गिरफ्तार किया जाता है। क्या उनके संबंध में कोई चिन्तित है? और 10 वर्ष की अबोध बालिकाओं की 65 से 70 वर्ष के बूढ़ों से शादी कर दी जाती है। क्या उन अबोध बालिकाओं के लिए कोई आंसू बहाने वाला है? क्या महिला कैदियों की दशा के प्रति कोई चिन्तित है? महोदय, मैं सरकार से यह विनम्र अपील करती हूं कि वह इन असहाय व्यक्तियों के संबंध में कुछ सोचे और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही करे। महोदय, इस सम्मानित सभा में हम भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों से हैं। हमारी विचारधारा में कई अंतर हो सकते हैं। लेकिन हम सब दिल से और बिना किसी अपवाद के यह चाहते हैं कि देश प्रगति करे तथा समृद्ध हो। हमारा देश खुशहाल तथा सुरक्षित हो। हम सब चाहते हैं कि देश की महिलाएं खुशहाल और सुरक्षित हों। उसी प्रकार, मैं यह भी इच्छा प्रकट करती हूं कि हम एक साथ मिलकर इस ग्यारहवीं लोक सभा को अगले वर्ष में भी ले जायें। मैं चाहती हूं कि अगले वर्ष एक और विशेष सत्र बुलाया जाये। मैं चाहती हूं कि उस सत्र में यही नेता जिन्होंने आज विगत की असफलताओं पर कुंठा तथा क्रोध व्यक्त किया है, अपने मुख से सभा को इस प्रवृत्ति को बदलने के संबंध में तथा देश को एक ऐसे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के संबंध में हर्ष से बताएं, जिसमें सभी सुखी तथा सुरक्षित होंगे, जहां महिलाएं यह अनुभव करेंगी कि वे अब असुरक्षित नहीं हैं तथा उन्हें न्याय मिलेगा तथा बच्चे यह अनुभव करेंगे कि एक स्वर्णिम भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह मेरा विश्वास है कि ऐसा "दिन" अवश्य आएगा तथा "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" सचमुच में सार्थक होगा।

महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एस. बंगरप्पा

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तथा इस सभा के नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसे मौलिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय दिया जो न केवल आम आदमी बल्कि हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के दिमाग को भी झकझोर रहा है।

हमें गर्व हैं कि हम इस महान राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। हालांकि यहां जाति, सम्प्रदाय और धर्म तथा भाषा से जुड़े अनेक मुद्दे हैं। भौगोलिक रूप से भारत एक महान और विशाल देश है। हमारे देश में मौलिक अंतर विविधताएं ही हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री एस. बंगरप्पा: जब हम अपने कई पड़ोसी देशों के साथ अपने समाज की तुलना करते हैं तो हम अपने समाज के मूलभूत ढांचे में काफी अंतर पाते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री एस. बंगरप्पा: अत: मैं समझता हूं कि यदि हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहते हैं, हमारे समाज में चाहे जितनी विविधताएं हों, हम निश्चित रूप से अपने समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं।

हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, अबुल कलाम आजाद और अनेक अन्य महान व्यक्तियों के मार्गनिर्देशन में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। लाखों लोगों ने उनका अनुसरण किया और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्होंने समाज की भलाई के लिए तथा अपने देश के भविष्य के लिए अपने परिवारों का भी बलिदान कर दिया। अब मैं उस मुद्दे के बारे में बात करता हूँ जो हमारे सामने हैं और मैं इस प्रस्ताव को पढ़ता हूं:

''कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति'' संबंधी प्रस्ताव पर विचार करे।

हां, हमने 14-15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी और हमने 26 जनवरी, 1950 को अपने देश को गणराज्य बनाया जबकि संविधान सभा में विचार-विमर्श के बाद कुछ भाग को 26 जनवरी, 1950 से पहले लागू कर दिया गया था। गणराज्य बनने के पश्चात, हमने अपना निर्वाचन आयोग स्थापित किया और अपने संविधान की परिधि के अन्दर अनेक कानून बनाए। हमारा देश एक छोटा देश नहीं है। हालांकि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के उन अनेक पहलुओं को संविधान में शामिल करना उचित समझा जो हमारे समाज की विभिन्न आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इस समय हमारे सामने जो विचारणीय विषय है, वह यह है कि आज हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्या स्थिति है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन-कौन सी हैं? संसद के दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा हैं। राज्य स्तर पर जहां द्विसदनीय प्रणाली है, वहां विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं। जहां एक सदनीय प्रणाली है वहां विधान सभा है।

इसके अलावा पंचायती राज प्रणाली हैं। शक्ति के विकेन्द्रीकरण के नाम पर हमने मौलिक संस्थाओं, जिन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं, को काफी शक्तियां प्रदान की हैं। यदि आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमें लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करना होगा कि उन्हें बुनियादी शिक्षा अथवा साक्षरता का अधिकार प्राप्त है। जिन मुद्दों को हमारी मौलिक संस्थाओं में प्रस्तावित किया गया है, उनको इस्तेमाल में लाने के लिए हमें समाज के न्यूनतम स्तर के लोगों को शामिल करना होगा।

हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? उनके बारे में मुझे आशंका है। यदि आप गत 50 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर एक नजर डालें तो मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हासिल करने के बारे में सोचा था, वह हम 45 वर्षों के पश्चात् भी हासिल नहीं कर पाये हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमने देखा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार किस प्रकार कार्य करती थी। उनके बाद अनेक नेताओं ने इस देश की बागडोर संभाली। यह वह समय था जब एक ही दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता था और उस दल की पूरे पांच वर्षों तक के लिए स्थायी सरकार होती थी। अब वे दिन नहीं रहे। आज जब हम ऐसे राजनीतिक दलों का जमघट देखते हैं जो सरकार बना सकते हैं तो उसे हम मिलीजुली सरकार कहते हैं। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना अतीत की बात हो गई है। वर्तमान स्थिति में कोई एक दल अकेले सरकार नहीं बना सकता है। यदि आप पूरे पांच वर्षों तक सरकार नहीं चला सकते तो कम से कम तीन या चार अथवा पांच या छ: राजनैतिक दलों को मिलाकर मिलीजुली सरकार के नाम पर आपको कुछ तो स्थायित्व देना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पांच वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते हैं। हम समाज को किस प्रकार की स्थायी सरकार दे सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

यद्यपि हम आज के समय को मिलीजुली सरकारों का युग कहते हैं परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सिद्धांत हमारे

समाज को स्थायी सरकार देने के विरुद्ध है। लेकिन हम इसे पसंद करें या न करें देश की राजनीति में ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें मिलीजुली सरकार जरूरी है। मेरे विचार से यह ऐसा परिवर्तन का दौर है जहां ऐसी ही सरकार बन सकती है। परन्तु इसमें यह हमारे देशवासियों की ही देन है। हम लोगों को भी दोष नहीं दे सकते हैं। गत चुनावों में किसने निर्णय दिया था, यह निर्णय जनता का था किसी को भी वोट देने का उनका अधिकार है। हम लोगों को दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं दिया। मैं यह मामला यहीं पर छोड़ता हूं। लेकिन लोगों को स्वयं को शिक्षित करना होगा, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत देने पर विचार करना होगा ताकि देश को स्थायी सरकार दी जा सके। लेकिन ऐसा करते समय, उन्हें उन राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना होगा जिनका मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों में, धर्मनिरपेक्षता में तथा समाजवाद में दृढ़ विश्वास हो और जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हों। उन्हें देश की भलाई के बारे में सोचना होगा।

इस सम्माननीय सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस देश का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है यह कहा गया है कि हमारा समाज एक छोटा समाज नहीं है। अनेक क्षेत्रों में इसका महान इतिहास है। इस देश में हमारे समाज के पास काफी संभावनाएं हैं जिनका हम अपने देश के खुशहाल भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं।

अब मैं आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उदाहरणार्थ देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव विकास की स्थिति से संबंधित उपलब्धियों और संभाव्यताओं के लिए आधारभूत ढांचा है। मैं नहीं समझता कि इस निर्धारित समय सीमा में हम इस ओर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं और फिर इस मामले पर व्यापक चर्चा कर सकते हैं।

अब मैं संविधान के एक मूल ढांचे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उद्देशिका में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारा देश लोकतांत्रिक संप्रभुता संपन्न गणराज्य है। मैं आपका ध्यान संप्रभुता शब्द की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि हम संविधान सभा के वाद-विवाद को देखें तो इस वाद-विवाद में इस बारे में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। डा. बी. आर. अम्बेडकर ने वाद-विवाद के दौरान एक बार कहा था कि हमारा देश संप्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने जा रहा है। हमें संप्रभुता कहां से प्राप्त होगी? उन्होंने उत्तर दिया कि "जब हम इस संप्रभुता को प्राप्त करने जा रहे हैं तो इसे देने वाला भी कोई व्यक्ति होगा ही" तो वह व्यक्ति कौन है? वे व्यक्ति इस देश के नागरिक हैं, जिन्होंने पूज्य महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा स्वत: ही संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बन गया है, बल्कि हमने अपनी संप्रभुता सीधे अपने देश के लोगों से ली है। संविधान सभा के वाद-विवाद के अनुसार हमारे लोग संप्रभु है। इसलिए यदि हम यह कहें कि हम मालिक हैं तो यह कहना ठीक नहीं है। जनता हमारे समाज की मालिक है। हम स्वयं को लोक सेवक कहते हैं, यदि हम लोक सेवक हैं तो हम सेवक हैं और एक मालिक भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में वह मालिक कौन है? केवल जनता ही मालिक है। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सेवक मालिक बन गए हैं और इस महान समाज के महान लोग जो मालिक हैं अब पूर्णरूप से स्वयं अपने सेवकों के सेवक बन गए हैं। क्या ऐसा किसी समाज में हो सकता है? क्या आप इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं?

सन् 1947 में, जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश की साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी। अब यह दर क्या है? मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले पचास वर्षों के दौरान हम अपने समाज के जरूरतमंदों को साक्षर बनाने का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उन्हें इतना भी शिक्षित नहीं कर पाए हैं कि वे हमारे राजनीतिक और सामाजिक मानदंडों, सामाजिक हैसियत को समझ पाएं और न ही हम अपने समाज के जरूरतमंदों को सामाजिक न्याय ही दिला पाए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में इसके लिए बहुत समय और मेहनत की जरूरत है तथा इस विषय पर बुहत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि इतने कम समय में इस विषय पर इतना ज्यादा कहकर भी मैं इस विषय के साथ न्याय कर सकता हूं और शायद मेरे मित्र भी न्याय नहीं कर सकते।

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमारा समाज विभिन्न दृष्टिकोण वाला समाज है। इसके बावजूद भी हमारे समाज की अनेक उपलब्धियां हैं। हमने अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से आजादी प्राप्त की। इस महान प्रजातंत्र को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए थे। अब तो यह मात्र सत्ता हथियाने का साधन बन गया है। इस प्रकार से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें अपनी राजनीतिक क्षमताओं को सत्ता हथियाने में नहीं लगाना चाहिए। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे लिए अपनी बुनियादी समस्याओं के संबंध में अपने बुनियादी दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना बेहतर होगा। हमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले करोड़ों लोगों के बलिदान को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

हमारे संविधान का ढांचा क्या है? हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन हम उन्हें कितना लागू कर रहे हैं? क्या एक आदमी को इन मौलिक अधिकारों की जानकारी है या वह उनका उपयोग करता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त भी हैं। क्या हमने इन्हें कभी लागू करने पर विचार किया है? हमारे यहां विधायिका है, संसद है। हमें अपने पूर्ववर्ती लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, परन्तु फिर भी हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल वाद-विवाद का स्तर वह नहीं रह गया है जो होना चाहिए, और इसमें हमारी सभा भी शामिल है। हमें एक साथ मिलकर बैठकर सोचना होगा कि हमसे कहां पर गलती हुई है। उसके बाद हमें विचार-विमर्श करना चाहिए और निश्चित निर्णय लेना चाहिए कि हमें वाद-विवाद के स्तर को कैसे ऊंचा उठाना है, न केवल संसद में बल्कि विधान सभाओं में भी।

अपराह्न 1.08 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

इसके पश्चात्, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। हमें कार्यपालिका पर भी पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में, हमें बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम राजनीति के अपराधीकरण का विरोध करते हैं और उससे नफरत करते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्तासीन होने के दौरान अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने सत्ता का नाजायद फायदा उठाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह उन मूल सिद्धान्तों के विपरीत होगा जिसके लिए कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा: बस मैं कुछेक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

इन सब बातों के बावजूद हमें यह कहते हुए खुशी है कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कोई छोटा-मोटा लोकतांत्रिक देश नहीं है। वास्तव में विश्वस्तरीय राजनीति में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत कोई छोटा देश नहीं है। यह एक महान लोकतांत्रिक देश है। वास्तव में हमारे यहां पर किया जा रहा प्रयोग सर्वोत्तम है और सबसे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्व को न भुलाएं। हो सकता है कि हम आंतरिक व्यवस्था से इत्तफाक न रखते हों, परन्तु हमें अपनी मूल लोकतांत्रिक प्रणाली पर दृढ़ आस्था रखनी होगी। इन कुछेक मुद्दों पर चर्चा करते हुए, मैं कुछेक सुझावों के साथ एक संकल्प के द्वारा सभा के विचारार्थ कतिपय मुद्दे रख रहा हूं।

महोदय, हमने इस शासन प्रणाली को देखा है और देश का नेतृत्व करने वाले महान नेताओं को भी देखा है। मेरे दिमाग में बार-बार यह विचार आता है कि हमारे जैसे देश के लिए इन सब बातों का मूल कारण अच्छे नेतृत्व का अभाव है। वास्तव में इस देश का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। मुझे कहना चाहिए कि प्रत्येक मामले में ही ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति एक बार सत्ता में आ जाता है तो कुछ समय के लिए वही नेता बन जाता है। जब तक कि उसके बारे में यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध न हो जाए कि वह देश को बिना सत्ता के भी आगे ले जा सकता है तो हमें वह नेतृत्व अल्पकाल के लिए भी अस्वीकार कर देना चाहिए। परन्तु यह सदैव नहीं होना चाहिए।

महोदय, अब मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्व में अनेक देशों में प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है जैसे कि अमरीकी, फ्रांसीसी और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली। पिछले पचास वर्षों के दौरान की इन सरकारों पर नजर डालने के पश्चात् मेरा विचार है कि हमारे यहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली बेहतर होगी जिसमें हम बेहतर नेतृत्व की बात सोच सकते हैं। वह ऐसी स्वीकार्य नेतृत्व होगा जिसमें देश आगे बढ़ेगा और उस पर हम जबाबदेही भी निर्धारित कर सकेंगे।

सभापति महोदय: बंगरप्पा जी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, बस मैं कुछेक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, अच्छे नेतृत्व के अभाव में, हम जवाबदेही भी निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए, मेरा विचार है कि हमें शासन की सर्वोत्तम प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाना चाहिए। तत्पश्चात, हमें अपने यहां राजनीतिक दलों की संख्या को घटाना होगा। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प के द्वारा इन सब बातों पर चर्चा करें। आजकल राजनीतिक दलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं इन सब बातों में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, परन्तु हम सबको एक साथ सोचना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद होना चाहिए और तत्पश्चात् यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम अपने वर्तमान संविधान में कतिपय संशोधन करके किस प्रकार राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या को कम कर सकते हैं।

सभापति महोदय: बंगरप्पा जी आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करके अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, बस कुछ ही मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय: नहीं, आप एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुझे ज्यादा देर तक बोलने की आदत नहीं है। इस सम्माननीय सदन का सदस्य बनने के पश्चात् मैं पहली बार इस विषय पर बोल रहा हूं।

महोदय, मैं बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के हमारे प्रयास में धर्म बाधा उत्पन्न करता है। अन्ततः धर्म ही देश का संबल होता है। राजनीतिक दल भी देश के लिए ही है। धर्म किसी राजनीतिक दल अथवा धर्म विशेष के हितार्थ नहीं है। परन्तु धर्म तो सभी देशवासियों की भलाई के लिए है। इसीलिए सभी धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा करनी होगी और एक निष्कर्ष निकालना होगा तथा संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे ताकि जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सके या उस पर रोक लगायी जा सके।

महोदय, जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था:

"सौभाग्य उनका वरण करता है जो साहसी है, कर्मठ है।
यह कायरों का वरण कभी नहीं करता है।"

कायर नेता कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। हमारे भारत का नेतृत्व हमें करना है, इसका नेतृत्व दूसरों का नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। इसलिए इस देश का नेतृत्व कायरों द्वारा नहीं हो सकता है बल्कि यह देश अच्छे नेतृत्व के लिए है, और मेरे विचार से यह नेतृत्व राष्ट्रपति शासन प्रणाली के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।

श्री तरित वरण तोपदार

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, हमने 15 अगस्त 1947 को किस्मत की बाजी लगाई थी।

[हिन्दी]

50 साल बीत गए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। लोकतांत्रिक ढंग से इस देश को चलाने का फैसला लिया गया था।

[अनुवाद]

हम सामाजिक जीवन में संसदीय लोकतंत्र, संघीय और लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की तलाश में थे।

[हिन्दी]

हमने कई उतार-चढ़ाव देखे। जब रूलिंग पार्टी की कोई नापसंद सरकार हुई तो उसको गिराने का काम किया, लोग नाराज हुए। इसके खिलाफ फिर आंदोलन संग्राम लोगों ने किया और हमने देखा कि हिन्दुस्तान में दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनी तो सूबे-सूबे में अलग-अलग पार्टी की सरकार बनी, तब लोगों ने इस तरह जवाब दिया।

[अनुवाद]

सत्ताधारी दल और शासित वर्ग सारे देश में एक दल का या एकाधिकार पूर्ण शासन चाहते थे।

[हिन्दी]

लोगों ने इन्कार किया। यह जो कंट्राडिक्शन है, संघर्ष है, राष्ट्र के परिचालक और लोग, शासक और जो लोग शासित हैं, यह रिपब्लिक प्रजातंत्र है हमारे देश में एक लोकतंत्र की बुर्जुआ धारणा इसमें चल रही थी। सरमायेदार, पूंजीपति, इन सब लोगों के सहारे से चलते हुए सरकार के खिलाफ अवाम ने बार-बार संघर्ष किया और यह संघर्ष का नतीजा हम आज देख रहे हैं। इस संघर्ष का सामना करते हुए दिन-प्रति-दिन हमने देखा कि डेमोक्रेसी के ऊपर चोट आ रही है। 1966 में दिल्ली में और प्रांतों में अलग-अलग सरकार बनी तब नारेबाजी हुई कि एक पार्टी की सरकार होगी तो अच्छा होगा, लोगों की भलाई होगी। लेकिन लोगों ने इन्कार कर दिया। कुछ दिन के लिए मान्यता दी लेकिन फिर उसे इन्कार कर दिया। हमने देखा कि दिन-प्रति-दिन लोकतंत्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आक्रमण हो रहा था। खास करके कम्युनिस्टों ने पूरे देश भर में ऐलान किया कि यह जो रास्ता चल रहा है यह तानाशाही का कब्जा बिठाने का रास्ता है, इसीलिए संघर्ष चल रहा था।

[अनुवाद]

यह एक गम्भीर वर्ग संघर्ष था जो पूरे देश में चल रहा था।

[हिन्दी]

कोई-कोई सूबे में इसकी दिशा नहीं है, लेकिन पूरे देश में उसको दिशा देने का काम बड़ी-बड़ी ताकतें नहीं कर पाईं। इसके चलते हम लोगों ने देखा कि बंगाल, केरल आदि जगहों पर लोग आगे बढ़ गए। जमीन का दखल किया और भूमि सुधार का काम आम जनता के एक मूवमेंट के बैंकग्राउंड में किसान, मजदूर और मेहनतकशों के संघर्ष के बैंकग्राउंड में भूमि सुधार का काम हुआ। पापुलर गवर्नमेंट बनी, बड़ी ताकत की गवर्नमेंट बनी और आज वहां पर यह मसला प्राथमिकता में नहीं है। जाति-पाति की लड़ाई चलती है, इसको प्राथमिकता नहीं है कि कम्युनल संघर्ष है, ये सब नहीं है। आज इस सदन में जाति-पाति का सवाल बहुत जोरदार उठा है।

कम्युनिज्म का सवाल बहुत जोर से इस सदन में उठा। लोकतंत्र का सवाल इस सदन में बहुत जोर से उठा। सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोगों को संघर्ष के रास्ते पर चलना है। अगर संघर्ष जाति-पाति और मजहब के ऊपर चलेगा तो देश टूट जायेगा।

पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंडस्ट्री बनायी, स्टील प्लांट्स बनाए और भारी उद्योग खोले गए।

[अनुवाद]

उस समय, भारतीय पूंजीपति इन सभी कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार नहीं थे।

[हिन्दी]

मैंने पहले भी बताया कि स्टेट कैपिटलिज्म हमारे देश के पूंजीपतियों की सहायता करता है। मैं इस प्वाइंट को फिर दोहराना चाहता हूं। हमने

जो प्लान बनाया, स्टेट इंडस्ट्री बनायी और दूसरी चीजें बनायीं, उनके द्वारा सरमायेदारों को बढ़ावा देने का काम हुआ। अगर कैपिटलिस्ट लोग जिम्मेदार होते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। हम जानते हैं कि ये लोग प्रॉफिट मोटिव पर चलते हैं और देश हित के बारे में ध्यान नहीं देते। यह बात हम पहले भी जानते थे और आज भी जानते हैं। हम इस बात को पूरे देश में फैलाने में आज तक कामयाब नहीं हुए। जब तक हम इस बात को कामयाबी से फैलाने का काम नहीं करेंगे तब तक विषमता की तरह की दूसरी कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आज क्या हो रहा है?

पब्लिक सैक्टर जो कि इतने दिनों तक पूंजीपतियों के सहारे चल रहा था, उसने नफा कमाया।

[अनुवाद]

देश का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रबंध पूर्णरूप से भ्रांतिजनक है। वे देश की दिशा तय नहीं कर सके।

[हिन्दी]

आज देश को नई दिशा देने का दिन आया है। कई बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि यह इनएफिशैंट हैं। कोल इंडिया, स्टील एथॉरिटी इनएफिशैंट है और हमारे भारी उद्योग इनएफिशैंट है। एफिशैंसी लाने के लिए लीडरशिप देना चाहिए। वह इनएफिशैंट क्यों बना? भगवान ने बना दिया, मजदूरों ने बनाया, आम जनता ने बनाया या जो लोग इसको चलाने वाले थे, उन्होंने उसे बनाया? एकाउंटेबिल्टी कहां है? इतने दिन राज चलाने वाले सभी लीडर अभी यहां बैठे हैं। वह भाषण भी दे रहे हैं उनका अच्छा और घंटाभर भाषण हो गया। उनके राज के समय जो भाषण हुआ, उन बिन्दुओं पर समय पर ध्यान दिया जाता तो देश की तरक्की हो सकती थी और अच्छे काम हो सकते थे। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा इधर-उधर उधार लेने से कुछ होने वाला नहीं है।

अगर करना है तो लोगों में जागृति लाना है, लोगों को एकजुट करना है। सचमुच में रिपब्लिकन आईडिया है उसकी कामयाबी के साथ लोगों की समस्या हल हो सकती है। आज आप देख रहे हैं मारूति लि. में इंडिया से जो नुमाइंदा किया गया, उससे विदेशी कम्पनी सुजूकी नाराज हो गई। वह तो होगी ही और यही होने वाला है। यह तो मारूति एक एग्जाम्पल है जो अगले दिन हमारे देश में होने वाला है। फारेन डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट की बात की जा रही है। कहां पर डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट है?

[अनुवाद]

वे सभी पूर्व स्थापित भारतीय संस्थाओं पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारे देश के पूरे औद्योगिक ढांचे पर धीरे-धीरे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

एफिशिएंसी की बात की जा रही है। यदि एफिशिएंट हो गई तो क्या सरकार के काम का कुछ हिस्सा आप विदेश से लायेंगे? तो एक बेजिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदारी का काम यही होगा कि हमारे देश में जो लोग हैं, एक फुल एम्पलायमेंट के लिए चिन्ता करना।

[अनुवाद]

रोजगार से आंतरिक बाजार का सृजन होगा तथा आंतरिक बाजार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विकसित किया जायेगा।

[हिन्दी]

कभी अपना मार्किट देश में नहीं होने के कारण बाहर व्यापार में नहीं जा सकते हैं। यह जो थ्योरिटिकल बात कही जा रही है। यह सब भूल है।

[अनुवाद]

हम अपने देश को पुरानी प्रौद्योगिकी और विदेशी कारों के पुराने माडलों का डम्पिंग ग्राउंड नहीं बनने दे सकते हैं। अंग्रेज तो छोड़कर चले गये। पचास वर्षों में यह 17 प्रतिशत है। प्रत्येक पांच सालों के लिए औसतन यह 1.7 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

मोटर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया और सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो परिचालन है, वे सब कर रहे हैं। मैं परिचालन का मतलब पालिटिकल लीडरशिप को नहीं कह रहा हूं। परिचालन का मतलब है इससे ज्यादा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का है, उनके बाहर से ताल्लुक जुड़े हुये हैं। हमारे देश की रेल तरक्की के बजाय रोड स्पेस नहीं दिया। अभी ट्रक से दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए चार रोज लगता था, आज 12 रोज लग रहा है। कुल कारोबार कितना है। ये लोग क्या इक्नामी सीखे हैं? या कौन सी सिखला रहे हैं, चार रोज के बजाय 12 दिन लगता है और टर्न ओवर घट गया है। रेल इंडस्ट्री की तरक्की नहीं हुई है। ये हमारे देश को कहां ले गये? 50 साल में तीन गुना रेल होना चाहिए था अगर तीन गुना होता तो मिट्टी काटने में कितने लोग लगते?

[अनुवाद]

यह एक श्रम प्रधान कार्य होता जिससे ग्रामीण भारत में एक बहुत अच्छे बाजार को सृजित किया जा सकता था।

[हिन्दी]

यह बात नहीं कि हमारी विदेशी तकनीक नहीं लगेगी। इंडिया में कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी क्या है? आप जितना भी बोलिये, हिस्ट्री है। इंग्लैंड में 1642 में इस्साक न्यूटन ने किया था। हमारे देश में मुगल जमाने में ज्ञान विज्ञान की तरक्की नहीं हुई थी। यह समझना चाहिए।

एक मर्तबा था बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे इतिहास में अप्स/डाउन्स रहे हैं, इसको समझना चाहिए। मेरा कहना यह है कि हमें इंडस्ट्री में तरक्की करना चाहिए।

50 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ है, यह कोई नहीं कह रहा है। कोई भी अगर पावर में होता, तो इतना होता। क्या हुआ है? इंडोनेशिया क्या हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हमारी उत्पादकता इंडोनेशिया की उत्पादकता का 60 प्रतिशत है। क्या हम इंडोनेशिया से भी पीछे रहेंगे। यह इंडोनेशिया की उत्पादकता का 60 प्रतिशत है।

इसलिए मेरा कहना है कि हमारी जो जमीन है, इसमें दो-ढाई गुना प्रोडक्शन अभी भी हो सकता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन्स अगर हमारे समाज में होगा तो आप समझ जाइये कि मजहब के बारे में वगैरह-वगैरह एवीलेशंस हैं, रांग थीकिंग्स हैं, वे कुछ तो चला जायेगा। हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें, इस तरह की योजना हमको बनानी है। ज्ञान तो कोई देश नहीं होता।

[अनुवाद]

ज्ञान मानवता की एक सम्पत्ति है। अब एक धारणा है कि ज्ञान को बेचा जाना चाहिए। ज्ञान को संचित किया जाना चाहिए तथा ज्ञान को ऊंचे दामों पर बेचा जाना चाहिए। इस धारणा से पेटेन्ट प्रणाली की उत्पत्ति हुई है और हमने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

सभापति महोदय: कृपया आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री तरित वरण तोपदार: यह जो चिंतन है, जो गलती है, यह आज हमारे देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है। यह बात ठीक है कि हमें नॉलेज एक्वायर करनी होगी। टेक्नोलॉजीकल हेड भी लाना होगा। यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे इंडियन साईंटिस्ट्स केपेबल नहीं है।

[अनुवाद]

वे लोग बहुत ही योग्य वैज्ञानिक हैं और वे तो सिलीकोन वैली में भी प्रमुख वैज्ञानिक हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने उस प्रौद्योगिकी को विकसित कर लिया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने उस विज्ञान को हासिल कर लिया है, उस विज्ञान को खोज निकाला है और उस विज्ञान का उपभोग आरम्भ कर दिया है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है।

[हिन्दी]

आज जो इंटरनेशनल नॉलेज है, हम जानते हैं। कम्युनिस्ट लोग इंटरनेशनलिज्म का नारा देते हैं। हम इंटरनेशनलिज्म से नहीं डरते हैं। क्या बातें कही जा रही हैं।

[अनुवाद]

पूंजी की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। हम लोग मान लेते हैं, देश के प्रचारक मान लेते हैं।

पूंजी की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। यदि पूंजी की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है तो फिर सी.टीबी.टी. (व्यापक परमाणु निषेध संधि) का क्या उपयोग है? फिर एन.पी.टी. (परमाणु अप्रसार संधि) का क्या उपयोग है? ये सब बातें क्यों हो रही हैं? सभी देशों में इस प्रकार का अस्त्र-शस्त्र क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? यदि पूंजी की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह एक विदेशी पूंजी, यह भारतीय पूंजी है। यह यूरोपीय पूंजी है और यह अमेरिकी पूंजी है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका समय खत्म होने वाला है। आप समाप्त करिये।

श्री तरित वरण तोपदार: मैं समाप्त कर रहा हूं। आज हमारे देश को एक बड़े पैमाने पर आंदोलन और संग्राम के जरिये आगे बढ़ाना है।

[अनुवाद]

इस जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में, जिससे हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हुआ है, जिससे लोकतंत्र की पुन: स्थापना हुई है और एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है जिसमें बहुदलीय मिली-जुली सरकार द्वारा लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह एक अस्थायी स्थिति है। मैं यह नहीं कहता कि यह एक अस्थायी स्थिति है। यह स्थायी है।

[हिन्दी]

कम्युनिस्ट लोग 52 साल तक मोर्चाबंद हुए थे। हमने दो-तिहाई पूर्ति होने के बाद भी ऑल पार्टी सरकार बनाई। यह वही धारणा है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई पार्टी इसे मजबूरी समझती है और मजबूरी समझकर 6-6 महीने में बंटवारा कर लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मजबूरी की बात नहीं है। यह समझना चाहिए, भारत के लोग चाहते हैं कि कोलीशन चले, सारी पार्टियों को इकट्ठे होकर अपने-अपने दिल, दिमाग और सोच को एक साथ चलाना चाहिए तभी मल्टी पार्टी सिस्टम में डैमोक्रेसी का सेफगार्ड होगा।

[अनुवाद]

जन आन्दोलन की पृष्ठभूमि में जिसे आरम्भ किया जाना है, यह लोकतांत्रिक प्रणाली स्वयं जनता पर आधारित होगी और जनता का भारतीयं राजनीति पर प्रभुत्व होगा।

सभापति महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत हुई

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन* हुए]

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान रखें। मंत्रियों को मैं टोक तो नहीं सकता लेकिन बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और आज अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि आज ज्यादातर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): माननीय सभापति जी, हमारे पहले के वक्ता तो अनुपस्थित हैं इसलिए उनका समय भी हमें मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने स्वर्ण जयंती को स्वर्णिम बनाने के लिए देश के सर्वोच्च सदन में इस बहस के लिए यह सत्र आहूत किया। निश्चय ही हमारी बहस सार्थकता की ओर बढ़ रही है और हमारे माननीय सदस्यों का भी ध्यान संसदीय लोकतंत्र, आजादी के उद्देश्यों की प्राप्ति के चिन्तन पर आकर्षित हो रहा है और उसका निश्चय ही जब यहां हम लोगों पर असर पड़ेगा तो उसका असर देश में भी पड़ेगा।

महोदय, आज हमें पुन: अपनी आजादी में जो शहीद रहे, जिनके अगुआ महात्मा जी रहे; उनको सबसे पहले नमन करना हमारा कर्तव्य है। जिन उद्देश्यों के लिए इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी आज हमें यह चिन्तन करने की जरूरत है कि उन उद्देश्यों को किस हद तक हमने प्राप्त किया है, निश्चय ही हमारी उपलब्धियां महान हैं। हीन भावना से ग्रस्त लोग ही कह सकते हैं कि हमने कोई उपलब्धि 50 साल में हासिल नहीं की। आजादी के बाद इन 50 सालों में हमने महान उपलब्धियां ही हासिल की हैं लेकिन विषम समस्याएं भी हमारे सामने हैं जिनके बारे में हमें चिन्ता भी करनी है और उनका समाधान भी करना है। आजादी की लड़ाई पांच साल में सिर्फ वोट देने की आजादी के लिए ही नहीं वरन् गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चन्द्र बोस जी के, सरदार पटेल जी के, मौलाना आजाद और हमारे तमाम नेताओं के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक आजादी के लिए लड़ी गई थी। राजनीतिक आजादी तो साधन था और उस साधन के जरिए सामाजिक और आर्थिक आजादी प्राप्त करनी थी। आज उसमें अगर हम ठीक से चिन्ता करे तो इस बहस को और भी सार्थक बनाया जा सकता है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि आम और खास आदमी के बीच खाई बढ़ी है या घटी है, जो आजादी का एक उद्देश्य था। आज हमें यह भी चिन्ता करने की जरूरत है कि समाज में वर्ण पर आधारित असमानता, विषमता घटी है या बढ़ी है या समानता आ गई है। अगर इन उद्देश्यों को लेकर हम इस बहस को सार्थक रूप देने में सफल रहे तो निश्चय ही यह सत्र ऐतिहासिक नहीं होगा बल्कि स्वर्ण जयंती को स्वर्णिम बनाने वाला यह सत्र होगा।

महोदय, यहां पर हमारे विद्वान नेताओं ने दार्शनिक एवं साहित्यिक भाषण दिए, वैज्ञानिक भाषण दिए; लेकिन इसलिए नहीं दिए कि मुलायम सिंह जी हमारी पार्टी के नेता हैं इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर धरातल पर किसी ने भाषण दिया है तो वह सिर्फ मुलायम सिंह जी ने ही दिया है जिससे देश की समस्याओं का और देश के पूरे हिस्से का एक चित्र लोगों के सामने प्रस्तुत होता है।

श्रीमान् आज क्या हो रहा है? क्या हमारी तकनीक आड़े आ रही है? टैक्नॉलॉजी और उसकी उपयोगिता के बारे में हम भी बहस और भाषण कर सकते हैं। लेकिन उसमें समय ज्यादा चला जाएगा। आज 52 फीसदी देश की आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। उनके लिए क्या हो रहा है? 52 फीसदी में से आधे ऐसे लोग हैं कि जो पांच रुपये रोज पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीन रुपये रोज मिलने पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनको आजादी का क्या लाभ मिला? उनके लिए हम कितनी चिंता कर रहे हैं? 50 साल की आजादी में अगर खेती करने वाला अपना पेट काट कर पक्का कमरा बना भी लेता है तो दस साल में उसमें प्लास्टर नहीं करवा पाता है। संविधानिक प्रतिबद्धता कमजोर हुई है। उसके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त करने की जरूरत है। संविधान में शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया लेकिन उसे पचास साल तक लागू नहीं किया गया। दुनिया में देख लीजिए जो देश शिक्षित हैं वह धनी हैं और उन्हीं देश के लोगों की औसत आयु भी बढ़ी हुई है। वह हमारी भी बढ़ी है। सम्पन्नता, धन हमारे यहां बढ़ा है लेकिन उसका वितरण ठीक से नहीं हुआ है। इस कारण 52 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उसके लिए हम मजबूर हैं। आज खेती होती है। खेती करने

वालों की तादाद भी हमारे यहां ज्यादा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है। किसानों का वोट लेने के लिए हम भाषण भी देते हैं और किसान को भगवान कहते हैं। लेकिन उस भगवान की 50 साल में कितनी पूजा की है? उस भगवान की यह हालत है कि अगर वह गन्ना बोता है तो मिल मालिक उसको दाम नहीं देते। वह आलू बोता है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता है। दूसरी चीजों का भी उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। फसल बीमा ईमानदारी से कारगर ढंग से आज तक लागू नहीं की गई। झोंपड़ी बीमा भी कारगर ढंग से आज तक लागू नहीं की गयी। इस कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। संविधानिक प्रतिबद्धता शिक्षा के प्रति जो हम लोगों की थी उसको लागू करने के लिए हम चाहेंगे कि एक आम सहमति बनायी जाए। इस बहस के बारे में बड़े कुछ लोगों ने कुछ प्रपोजल्स रखी। लेकिन हम पिछले तीन दिनों से देख रहे हैं कि बहस धीरे-धीरे गांधी जी को अंगीकृत करने की ओर जा रही है। चलो गांव की ओर, और गांधी दर्शन को फिर से अंगीकृत करो, इस पर धीरे-धीरे बहस हो रही है।

हमारे देश में क्या कुछ नहीं है? लेकिन हम 50 साल में कहां गए? गांधी जी ने सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने सामाजिक लड़ाई, साम्प्रदायिक लड़ाई भी लड़ी थी। आज हम कहां पहुंच गए? हम भाषण में अच्छे-अच्छे लच्छेदार शब्दों को जोड़ करके किसी भी बात का जवाब दे देते हैं लेकिन क्या साम्प्रदायिकता का जहर हमारे देश में नहीं फैल रहा है? क्या साम्प्रदायिकता के चलते गांधी जी हमारे बीच से नहीं गए? हम चाहते थे कि वह 125 साल तक जिन्दा रहें। साम्प्रदायिकता के बारे में उन्होंने कहा था कि हम इसके चलते एक मिनट तक जिन्दा नहीं रहना चाहते। साम्प्रदायिकता ने ही बापू की जान ली। जब आजादी का लाल किले पर पहला जलसा हो रहा था, जिन की वजह से देश आजाद हुआ था, वही गांधी जी नोआकाली में थे, दिल्ली में नहीं थे। वहीं से उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले लाहौर जाएंगे क्योंकि वे दिलों को जोड़ेंगे। आज उस तरह की भाषा क्यों नहीं बोली जा रही है? आज देश को जाति के साथ-साथ सम्प्रदाय में क्यों बांटा जा रहा है? उसने हमारी आजादी को शुरु में ही घुन लगा दिया गया था। जातिवाद उतना खतरनाक नहीं होता है। जातिवाद कह कर कुछ लोगों को गाली दी जाती है लेकिन जातिवाद उतना खतरनाक नहीं है। जातिवाद हमारे देश की राजनीति में हक मांगने के लिए दिखायी पड़ता है। लेकिन सम्प्रदायवाद ने देश को तोड़ा है। वह और आगे बढ़ेगा तो वह देश को फिर तोड़ सकता है। इस देश का अगर कोई बहुत बड़ा शत्रु है, गांधी जी के विचारों का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह सम्प्रदायवाद है। हम भूल जाते हैं जब साम्प्रदायिकता को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे महापुरुषों ने किस तरह देश की आजादी की लड़ाई में समाज के सभी वर्गों को जोड़ा था? और कौन सी भावना उनमें पैदा की थी कि वे फांसी पर लटक गये थे लेकिन उनके दिल-दिमाग में कभी जाति या सम्प्रदाय नहीं आया था। हमारे उत्तर प्रदेश से दो लोगों को काकोरी कांड में फांसी हुई थी। एक थे अशफाकउल्ला खान और दूसरे थे पं. राम प्रसाद बिस्मिल। ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे। वे काकोरी कांड के मुलजिम थे और दोनों को फांसी हुई थी। अंग्रेज, अशफाकउल्ला खान को पं. राम प्रसाद बिस्मिल से तोड़ना चाहते थे और उनको यहाँ तक कहा था कि तुम राम प्रसाद बिस्मिल का साथ क्यों दे रहो हो, वह एक हिन्दू है और इस देश की आजादी वह इसलिये चाहता है कि देश आजाद हो जाये और उसके बाद हिन्दू राज यहां पर आ जाये। अशफाकउल्ला खान ने कहा कि अव्वल तो तुम्हारी बात सही नहीं हो सकती है और अगर तुम्हारी बात सही भी है तो राम प्रसाद बिस्मिल का हिन्दू राज तुम्हारे राज से लाख गुना अच्छा होगा। इसलिए देश को आजाद होना चाहिये, अंग्रेज को यहां से जाना चाहिये। आज ऐसे मुसलमानों की कुरबानी को वे लोग भूल जाते हैं और देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए लच्छेदार भाषण देते हैं और सम्प्रदायवाद को पैदा करते हैं। मान्यवर, हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे जैसे कनिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं है। जब यह ऐतिहासिक बहस चल रही है तो उनको यहां मौजूद होना चाहिए था।

मान्यवर, अभी सुबह जोशी जी बहस में भाग ले रहे थे। वे स्वदेशी पर बड़ा जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि कुटीर उद्योग हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, वे सही कह रहे थे। अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया और हमारे सभी कुटीर उद्योगों को समाप्त करने की कोशिश की। वे तो इस देश को लूटने के लिए आये थे लेकिन ढाका की जो मलमल मशहूर थी, हमारे बुनकरों के अंगूठे काट दिये गये। यह अंगूठा काटने का रास्ता किसने दिखाया था? जोशी जी को उस रास्ते की भी चिन्ता करनी चाहिए थी। सबसे पहले अंगूठा काटने की परम्परा अंग्रेज इंगलैंड से सीखकर नहीं आया था। अंगूठा काटने की परम्परा यहीं पर पैदा हुई थी। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था? उसके अंगूठा काटने की चिन्ता करनी चाहिए थी और अंग्रेजों ने जो अंगूठा काटा, उसकी निन्दा जोशी जी को करनी चाहिये थी। एकतरफा नहीं चलेगा। गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़े और आज भी हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारी पार्टी भी इस बात में विश्वास नहीं करती है। कल हमारे नेता जी ने भी कहा कि 10 प्रतिशत आरक्षण अगड़ी जातियों का होना चाहिये। हम खुले मन से गांधी दर्शन को अंगीकृत करना चाहते हैं लेकिन उसमें क्यों गोलमोल और टालमटोल की भाषा का क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? जब दलित या पिछड़ी जाति का आपके पीछे बैठा रहेगा और जिस दिन वह प्रदेश और देश के नेतृत्व के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करेगा, उस दिन उसकी टांग खींचने की कोशिश आज की वर्ण व्यवस्था करेगी। इसे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा और वह कम नहीं होगा जब तक कि इस देश की आम जनता में नई ऊर्जा नहीं पैदा होगी, उनमें नई शक्ति पैदा नहीं होगी। इनको नया संदेश नहीं दिया जायेगा और वह संदेश भी ऐसे लोगों से दिया जायेगा। मैं मुलायम सिंह यादव की तारीफ नहीं कर रहा हूं। इन्होंने जान को जोखिम में डाला। 30 अक्तूबर, 1990 को हम भी थे और कैबिनेट में दूसरे स्थान पर थे, जानते थे कि इसके बाद हम लोगों का गांव और शहर में निकलना मुश्किल हो जायेगा। यह बड़ा आसान है कि जिस वर्ग का बहुमत ज्यादा हो, उसकी भावनाओं को उभार कर राजनीति करो और वोट के लिये इलैक्शन में खड़े हो जाओ। साहस तो वह होता हो जब जान को भी और कुर्सी को भी जोखिम में डालकर उसके लिए सही पैर टिकाओ। जोखिम कौन उठाता रहा है? अंगूठा कौन कटवाता रहा है? अनाज कौन पैदा करता रहा है? फैक्टरी में कच्चा माल कौन सप्लाई करता रहा है? इस देश का मालिक कौन रहा है?

अपराह्न 3.00 बजे

वही जोखिम उठाते रहे हैं और राजनीति में वही जोखिम उठा रहे हैं। इसलिए इस देश में एक नई ऊर्जा पैदा करने की जरूरत है। जो सर्वहारा वर्ग है उसके अंदर वह ऊर्जा पैदा होगी। यह जो बहस चल रही है, वह निरर्थक नहीं होगी। इस बहस का असर पूरे देश में जायेगा और उससे नयी ऊर्जा इस देश में पैदा होगी। श्री गांधी जी का जो ग्राम राज था, वह कामयाब होगा। आज किस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। हम यहां सेंट्रल हाल में बैठकर, लॉबी में बैठकर गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो समाज के निर्माण के जिम्मेदार लोग हैं, उनके दिमाग में समाज के विपन्न व्यक्ति की तस्वीर हमेशा रहनी चाहिए। जब तक वह तस्वीर रहेगी तब तक वह रास्ते से नहीं भटकेंगे। आज समाज के अग्रज लोगों को दिमाग में रखकर राजनीति होती है। इसलिए आज 52 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर कर रही है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि 50 साल की आजादी के बाद भी आधी से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। हमारे यहां सबसे ज्यादा अंधे हैं। सबसे ज्यादा तपेदिक के बीमार यहां है और दूसरी तरफ हमारे यहां धनी भी दुनिया के मुकाबले पैदा होते जा रहे हैं। यह असमानता क्यों है? संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता हमारी प्रस्तावना में है। जिस देश की जनता अपने संविधान का पूरी ईमानदारी से अमल न करती हो, तो उस देश की तरक्की पर प्रश्नचिन्ह तो लगेगा ही। आज उस पर विचार करना होगा कि इस सदन में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या वे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का ईमानदारी से अमल करते हैं? इस सदन के अंदर भाषा में, अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने घर में, धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह से कितने लोग अमल करते हैं। यह संवैधानिक प्रतिबद्धता है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह संवैधानिक प्रतिबद्धता के खिलाफ आचरण करे और करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है।

गांधी जी की मौत के बाद भी इस देश की संसद ने इस तरह के संगठनों पर रोक लगाने का कोई कानून नहीं बनाया है। वह कानून तभी बनना चाहिए था। जिन्होंने हमारी आजादी को शुरू में ही खंडित करने का पूरा प्रयास किया और हमारे पुरखे हमसे जुदा कर दिये, उन्हें राजनीति और समाज में किसी प्रकार का सामाजिक कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमान्, हम राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह हमारा खुद का कष्ट है। हम भी उस बाप के लड़के हैं जिसने चरखा कातकर अपना सूत गांधी आश्रम में भेजा और उससे जो कपड़ा मिलता था, उसी को पहनकर अपनी जिंदगी जीये। इसलिए हमें तकलीफ होती है। क्या वह जमाना था और क्या आज जमाना है? जिन लोगों को गांव में घुसने को नहीं मिलता था, गांधी जी की हत्या के बाद वे लोग आज सरकार बनाने की कल्पना कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)* अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी दल विशेष का नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। यह ऐतिहासिक सत्र है। इसमें आत्मचिंतन की जरूरत है और अगर कोई गलती है तो उसे सुधारने की जरूरत है। हम यह कहते हैं कि गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार लोग सरकार बनाने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि ऐसे लोगों की सरकार बनाने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। गांधी जी से बड़ा व्यक्ति शायद दुनिया में हजारों-हजार साल में पैदा नहीं होता। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि गांधी जी हमारे देश में पैदा हुए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां गांधी जी का कोई स्मृति चिह्न न हो। आप मार्टिन लूथर किंग को लो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो एक टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं और जब हिन्दुस्तान जाते हैं तो एक तीर्थयात्री के रूप में आते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस देश में गांधी जी ने जन्म लिया। गांधी जी पर हमको गर्व होना चाहिए। राजनीति करने के लिए किसी को गांधी जी के विपरीत भाषा बोलने का शौक होगा, तो वह देश के लिए शर्म की बात होगी।

आज जो ऐतिहासिक सत्र चल रहा है उसमें निश्चय ही अच्छे तर्क आये हैं और उन तर्कों के आधार पर जो नई नस्ल है, उसको प्रेरणा मिलेगी और जो हमारे इतिहास के कुछ पन्ने उलटे जा रहे हैं, वे भी उनके स्मृति में छोड़े जायेंगे।

गांधी जी को देश के बंटवारे की चिन्ता थी। ...*(व्यवधान)* हम उस समय के कांग्रेस के लोगों को कहेंगे कि उस समय गलती की। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का एक शानदार इतिहास हो गया है। राजनीतिक पार्टी दूसरी बना लें। सामाजिक कार्य के लिए लोक सेवक संघ बना लें। कांग्रेस के लोग उस समय नहीं माने। यदि उस समय मानते तो आज जो दुर्दशा हो रही है, वह नहीं होती। कांग्रेस का शानदार इतिहास बना रहता। यदि कोई 1947 से पहले की कांग्रेस की आलोचना करता है तो हमारे दिल में तकलीफ होती है और यदि कोई 1947 के बाद की कांग्रेस की तारीफ करता है तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरता। गांधी जी की बात नहीं मानी गई। डा. लोहिया ने कोशिश की। लोग चिन्ता करते हैं कि देश का बंटवारा हो गया। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। लेकिन चिन्ता व्यक्त करने वाले लोग यदि उसमें कहीं जाति और धर्म भी लाने लगें तो उसे निकाल देना चाहिए। गांधी जी का यदि किसी ने प्रखर साथ दिया था, उसमें एक मुसलमान भी था, डा. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तीन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंटवारे का प्रखर विरोध किया था। यदि गांधी जी की उस चिन्ता को किसी ने साकार करने की कोशिश की तो वे डा. राम मनोहर लोहिया थे। आजादी के बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनाने की बात की जिसे आज समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हम भारत-पाकिस्तान महासंघ बनाकर दुनिया की बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज दुनिया के वैज्ञानिकों की राय है। हमारे पास क्या नहीं है। थोड़ी बेईमानी हमारी बढ़ गई है। उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। गरीब की मेहनत का पैसा दिल्ली के खजाने में आता है। राजीव गांधी ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी कि हम एक रुपया भेजते हैं तो वहां 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी इसमें सुधार नहीं हुआ है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। यदि ईमानदारी से पूरा पैसा पहुंचने लगे, हमारी सरकारी मशीनरी, सरकार में बैठे हुए लोग यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने लगें तो 7 साल में हम चीन को पीछे कर सकते हैं और 10 साल में अमरीका को भी पीछे करके दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे धनवान देश बन सकते हैं। यह शक्ति हमारे पास है। आज दुनिया में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक कोई नहीं पैदा कर रहा है। हमसे ज्यादा स्कोप किसी का नहीं है। अन्न के क्षेत्र में भी यदि थोड़ी सी सहायता किसान को दे दें तो वह अपने आप ही दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा।

लेकिन यहां बैठकर हम बहस तो कर लेते हैं, भाषण और कर्म में हमारे यहां बहुत अन्तर है। जिस दिन भाषण और कर्म में अंतर मिट जाएगा तो हमारे पास न ही बौद्धिक सम्पदा कम है, न प्राकृतिक सम्पदा कम है, न खनिज की सम्पदा कम है, किसी भी चीज की हमारे देश में कमी नहीं है। यदि यह बहस सार्थक रूप से कथनी और करनी में एका के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए कामयाब हो तो हम समझेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो यह सत्र बुलाया है, यह देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती को स्वर्णिम करने का बहुत ही सार्थक प्रयास होगा।

श्रीमन्, आपने घंटी बजा दी और हम हमेशा अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति रहे हैं और आप भी मिलिट्री से संबंधित हैं। इसलिए हम आपके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं।

प्रो. रीता वर्मा

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): सभापति महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि इनफ्रास्ट्रक्चर पर जो बहस चल रही है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है। मैं आपसे विनती करूंगी कि आप जब घंटी बजाते हैं तो मैं डर जाती हूं। हमारी पार्टी का बहुत समय बचा हुआ है क्योंकि हमारे नेताओं ने टाइम शैडयूल फालो किया और कोई भी घंटे भर नहीं बोले। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप मुझे बार-बार घंटी बजाकर डराएंगे नहीं।

सभापति महोदय: अभी आपकी पार्टी के 22 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

प्रो. रीता वर्मा: जी हां, लेकिन रातभर बैठने वाले भी हैं।

मैं पहले दिन से ही बहुत ध्यान से सारी बहस सुन रही हूं। पहले दिन ही कांग्रेस के युवा नेता ने इतना बढ़िया भाषण दिया कि हमने यह किया है, वह किया है, बहुत सारी उपलब्धियों के आंकड़े उन्होंने गिनाए। हम लगातार तीन दिनों से सुन रहे हैं।

मैं उनकी हर बात पर यकीन करने के लिए तैयार हूं। बस वह मुझे केवल इतना बता दें कि जब हर क्षेत्र में हमने इतनी उपलब्धियां और सफलताएं हासिल की हैं तो 1991 से अचानक रास्ता क्यों पलट लिया? क्यों हर बात में बेबसी, लाचारी और मजबूरी दिखा रहे हैं कि पैसा नहीं है, यह बंद करना है, वह बंद करना है, सरप्लस लेबर है। जब हर क्षेत्र में सफलता मिल रही थी तो फिर अचानक उल्टी दिशा में चलना क्यों शुरू कर दिया? मैं मंद बुद्धि वाली हूं, यह बात जरा सदन में हम मंद बुद्धि वाले लोगों को बता दें तो बहुत अच्छा होगा।

विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के सामने याचक की मुद्रा में दीन-हीन बनकर खड़े होने की क्या जरूरत पड़ी? हर बात में यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि सरकार यह नहीं कर सकती है, सरकार वह नहीं कर सकती है। विदेशी निवेश में हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। हम आत्म-ग्लानि से भरे हुए हैं। यह कथन भी बार-बार दोहराने की क्या जरूरत पड़ी है? जिस पार्टी ने इतने सालों तक सत्ता चलाई है, अगर यह बात हमको समझा दें तो बड़ी कृपा होगी।

जहां तक मेरी समझ में आता है, वह यह है कि आजादी के बाद से ही हम भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को अंजाम देने में लगे रहें और जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई पूंजी निवेश भी नहीं किया और कोई काम भी नहीं किया। आबादी बढ़ने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए समस्याएं बढ़ती गई लेकिन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें एक कि.मी. भी राजमार्ग का निर्माण नहीं हुआ। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं बता सकती हूं कि मिसाल के तौर पर देश में मौजूदा समय में राजमार्गों की लम्बाई 34608 कि.मी. है और उसमें से 21440 कि.मी. तो हमारे गौरांग महाप्रभु जब शासन कर रहे थे, उसी समय उसको बनाकर गए थे। बाकी क्या बचा? आजादी के बाद पचास साल में जो नए राजमार्ग बने, उनकी पूरी लम्बाई मात्र 12858 कि.मी. है। पचास साल में 12858 कि.मी. सड़क बनाकर कहते हैं कि हमने देश के लिए यह किया है, वह किया है। पता नहीं उनकी क्या सोच है? यह मैं नहीं समझ पाती हूं। अब जबकि समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है और हमारी मांग बढ़ रही है और हमारे पास पूर्ति के लिए पैसा नहीं है तथा इतनी बड़ी जो खाई है तो ढोल पीटने का बहाना मिल गया है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। पूंजी निवेश होना चाहिए, निजी पूंजी-निवेश होना चाहिए, विदेशी पूंजी निवेश होना चाहिए। विदेशी पूंजी-निवेश पर इतना जोर दिया जा रहा है। यह भी एक षड्यंत्र है। यदि पूंजी निवेश हो और विदेशी पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत सावधानी के साथ विदेशी पूंजी मांगनी चाहिए और पूंजी निवेश का भी सार्क उपयोग होगा तभी यह उपलब्धि होगी। लेकिन मन में यदि यह बात आ गई कि मुफ्त का माल है, हड़प कर लो। तो वही बात होगी कि ऋणम् कृत्वा, घृतम पिवेत्।

हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्जे का फंदा उनके गले में लटकाकर मर जाएं? पचास साल का हमें लेखा-जोखा करना चाहिए ताकि पचास साल के बाद जो संतान आएं, वे हमें कोस-कोस कर गालियां न दें कि खुद तो कर्जे लेकर मर गए और हमारे गले यह कर्जे का बोझ लादकर छोड़ गए हैं। चूंकि भारत वर्ष की यह परम्परा रही है कि बापदादा काफी ठाठ से रहते हैं और कर्जे लेकर

मर जाते हैं संतान का दायित्व माना जाता है कि वे जो भी कर्जा छोड़कर जाएं, वे उसको चुकाएंगे, इसलिए सदन को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हम देश में आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। उस वक्त हमने देखा, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे बार-बार कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ों और आज हम कह रहे हैं कि अंग्रेजों भारत आओ। हम तुम्हारे लिए क्या-क्या करे, रैड कारपैट बिछायें, फूल की पंखुड़ियां बिछाये। आप आओ और पूंजी निवेश करो। उस समय अंग्रेज हमारे देश में 150 साल रहे, अब आप हजारों साल रहिए और मुनाफा कमाइए। समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। किस तरह की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। यह तो व्यंग भी नहीं है, उपहास भी नहीं है, इसको विद्रूप कह सकते हैं और देश की जनता के साथ विद्रूप हो रहा है। हम भारत की जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने खून बहाकर आजादी हासिल की थी। माननीय वित्त मंत्री जी याचक मुद्रा में विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारे यहां पूंजी निवेश कीजिए और सालों साल मुनाफा कमाइए। इन बातों से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और हम बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं कि आजादी के इन पचास वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, तो हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में विकास की धारा भी बहुत असमान रूप से रही। हमने पाया कम, खोया ज्यादा और जो पाया उसको भी हम ठीक-ठीक बांट नहीं पाए, अपनी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण।

मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को साधूवाद देना चाहती हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी उपलब्धियां श्रेष्ठ रही हैं और बहुत ही प्रशंसनीय रही हैं। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद, दोष वैज्ञानिकों का नहीं है, दोष तो सत्ताधारियों का है, हम देश की आधी आबादी को भी साफ पीने का पानी नहीं दे सके हैं। हम उनके लिए इतना भी नहीं कर पाए हैं। हम इस पश्चिमी सिद्धांत पर चल कर देश को किस रास्ते पर ले जायेंगे। यह जो विकास का माडल है, देश की जो आर्थिक सम्प्रभुता है, वह बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाली है। इस पर हमको विचार करना चाहिए।

सबसे पहले मैं अब ऊर्जा के संबंध में बोलना चाहती हूं। बिजली के क्षेत्र में हम स्थितियों और समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं और यह सरकार जिसको चलाने वाली पिछली सरकार थी, वह किस दिशा में सोच रही है। इसके मैंने कुछ फार्मूले निकाले हैं। पहला फार्मूला है-किसी परियोजना की शुरूआत से उत्पादन शुरू करने की अवधि तत्कालीन सरकार के स्थायित्व प्रत्यक्ष समानुपाती है। पहले सरकारें दीर्घजीवी हुआ करती थीं। उनको डर नहीं रहता था कि हमारी सरकार गिर जाएगी या प्रधान मंत्री बदल जाएगा। कोई और खड़ा होगा, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा चेहरा पसन्द नहीं है और आप प्रधान मंत्री नहीं रह सकते हैं, किसी दूसरे को बनाइए। पहले हम लम्बे प्रोजैक्ट ले लिया करते थे, जो हमारे देश के अनुरूप हुआ करते थे। याद कीजिए, आप उस समय को जब हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु थे, शास्त्री जी ने कम दिनों तक राज किया और उसके बाद इंदिरा जी ने बहुत दिनों तक राज किया। उस समय हमने भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े-बड़े हाइडल प्रौजैक्ट को लिया। इसलिए लिया, क्योंकि उस समय लम्बे समय तक सरकारें रहती थी। उसके बाद की सरकारों की आयु धीरे-धीरे कम होने लगी और अब हाइडल प्रोजैक्ट के स्थान पर थर्मल प्रोजैक्ट पर ध्यान दिया गया। हाइडल प्रोजैक्ट्स का पीरियड 15 साल का हुआ करता था और थर्मल पावर प्रोजैक्ट का पीरियड 5-7 साल का होता है। जब सरकारें डगमग-डगमग घूमती हैं और साल भर भी पूरा नहीं कर पाती हैं, तो हम तरह-तरह के अजूबे करते हैं। मैं इस बारे में सदन को बताना चाहती हूं। जैस्टेशन पीरियड कम होने की वजह से हम नैपथा से बिजली बनाने पर विचार कर रहे हैं। जैस्टेशन पीरियड कम हैं, तो एल.एन.जी. से बिजली बनाई जाएगी। कर्नाटक के मुख्य मंत्री का समय कम है, इसलिए उन्होंने जैट इंजन द्वारा एक्सपैरीमेंट किया है। जहाज पर एक जेट इंजन चढ़ा करके लॉस एंजिल्स में बिजली बनाई जा रही है और जिस दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उस जहाज को खिसका कर पाकिस्तान ले जाएंगे। अपने देश की बिजली भी वहां जलेगी। इस तरह का अब काम हो रहा है। इस तरह ऊर्जा के क्षेत्र में जो उटपटांग प्रयोग किये जा रहे हैं उससे बिजली इतनी महंगी होने वाली है। वैसे भी विश्व बैंक का दबाव है कि हम अपनी बिजली की दरों को सुधारें। 5-6 रुपए प्रति यूनिट साधारण लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए पांच रुपए प्रति यूनिट और गांव के लिए हम तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर कर दें, यह विश्व बैंक का दबाव है।

महोदय, आपने एक पुराना शेर सुना होगा कि-"लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है।" तो लम्हों में हम खता कर रहे हैं और 50 साल के बाद जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वे हमें कोसेंगी और गालियां देंगी कि कैसे अक्ल लगा कर ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं बना कर ये गये हैं, इस तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इसके अलावा विश्व बैंक, विदेशी सलाहकार और स्थानीय गैर-विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य विद्युत बोर्डों के ढांचे में सुधार एवं पुनर्गठन की बात हो रही है, वह तो ठीक है। लेकिन स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की हालत बहुत खराब है, परन्तु उनकी हालत किस ने खराब की है? हमने कानून यह बनाया था कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को मिनिमम तीन परसेंट लाभ कमाना है और जब वे नहीं कमा रहे थे और अपने इस दायित्व की उपेक्षा कर रहे थे तो क्यों किसी सरकार ने उनको ठीक नहीं किया? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसी का एक हिस्सा रास्ते से भटक रहा है, कानून के विरुद्ध काम कर रहा है तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता था कि उनको ठीक रास्ते पर लाए। यह तो ऐसा हुआ कि मरीज का इलाज नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे यह लाइलाज है इसलिए इसको जहर देकर मार दो। जब स्टेट इलैक्ट्रीसिटीज बोर्ड लाभ नहीं कमा रहे थे तब तो इन्होंने कुछ नहीं

किया। 50 साल तक उनको बर्बाद होने दिया और अब कह रहे हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है सब प्राइवेटाइज कर दो। हम इतने बेवकूफ हैं, हम कुछ मैनेज नहीं कर सकते इसलिए सब प्राइवेट इनवेस्टर्स के पास आने दो। इनको यह बात समझ में नहीं आती कि दरअसल खोट हमारी नीयत में है। अगर नीयत ठीक रहेगी तो पब्लिक सैक्टर भी ठीक से चलेगा और अगर नीयत में खोट हो तो आप चाहे प्राइवेट सैक्टर में दें या कहीं दें, हर जगह परिणाम या नतीजे वहीं होंगे ''ढाक के तीन पात।''

महोदय, आजकल हम लोग छोटे-मोटे इनवेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। मैं दो साल पहले चाइना गई थी तो मैंने देखा कि गांवों के लिए छोटे-छोटे उन्होंने थर्मल पावर यूनिट्स बनाए हुए हैं, मुश्किल से 25 मेगावाट बिजली बनती है जो एक-दो गांवों के लिए काफी होती है लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते हैं, हम तो मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं क्योंकि मेग प्रोजेक्ट्स में मेगा किकबैक्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में छोटा किकबैक होगा, मेगा प्रोजेक्ट्स में मेगा किकबैक्स होंगे। इसलिए छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो जब भी बात करेंगे तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे और उपलब्धि हमारी शून्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी जो बिजली के क्षेत्र में उपलब्धि है वह शून्य नहीं, शून्य के ही बराबर है, शून्य के ही समकक्ष है। बिजली के क्षेत्र में सरकार की सुधार की नीति होगी। ये जेनरेशन अलग कर रहे हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर रहे हैं। यानी योजना बनाने, बिजली घरों के निर्माण, बिजली की आपूर्ति और वितरण, इन सब कामों की जिम्मेदारी के लिए एक दर्जन से भी ज्यादा एजेंसियां होंगी। इन तमाम एजेंसियों के प्रशासन एवं समन्वय में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका निबटारा कौन करेगा, यह मुझे पता नहीं लगता और इस नये प्रारूप से कोई भी इकाई पूरी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं होगी तथा दूसरी और विकास की गति भी धीमी पड़ेगी। इस संशोधित ढांचे में जब राज्य सरकारें कोई आर्थिक मदद नहीं देगी तो वह टर्म्स कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, वह कैसे शुल्क निर्धारण कर सकते हैं कि आप इसी रेट पर बिजली बेचेंगे। आप कृषि के क्षेत्र को बिजली पहले देंगे, यह भी आप नहीं बता सकते हैं चूंकि जब वे कोई मदद नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं लगा रहे तो उनकी बात क्यों सुनेंगे तो ऐसी स्थिति में जो धनी राज्य हैं, जो धनी सैक्टर हैं या शहरी आबादी है उनको तो शायद बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन जो गांव है, झुग्गी-झोपड़ी है, खेत हैं, अगर निजी कम्पनियां उनको बिजली देना नहीं चाहेंगी तो क्या होगा? क्या हम ऐसे में और भी इनफ्रास्ट्रकचरल इनवैस्टमेंट का असमान वितरण नहीं कर रहे होंगे? यदि आप कहेंगे कि इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकार की होगी तो जिस को हम कहते हैं लाभ का निजीकरण और हानि का राष्ट्रीयकरण। जहां मुनाफा कमाने की जगह होगी वहां हम कहेंगे निजीकरण कर रहे हैं। जहां घाटा कमाना होगा वह सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। बड़ा अच्छा दर्शन है। इसमें भ्रष्टाचार की बड़ी अच्छी सम्भावना है। हम सेवा के क्षेत्र में अनेक मामलों में कुछ हद तक कमर्शियलाइजेशन के पक्ष में बिल्कुल है। कमर्शियली मार्किटेबिल्टी होनी चाहिए। लेकिन कमर्शियल होने के चक्कर में उनका ग्लोबलाइजेशन करने की सरकार साजिश करना चाहती है वह भी विदेशी निवेश की बदौलत। इस सैक्टर में हमारी हिन्दुस्तान की कम्पनियों को, बेनी प्रसाद जी चले गए, अभी मैं टेलीकॉम की बात करने वाली हूं। मेरे मित्र में पी.डी.आई.एल. नाम की एक कम्पनी है। जो कि खाद कारखानों की प्लानिंग करती है मॉडल तैयार करती है। वह बड़ी अच्छी कम्पनी थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन इटली से हमारे घनिष्ठ संबंध होने से उसकी सजा इस बेचारी कम्पनी को भुगतनी पड़ी। स्नाम प्रगोगिटी के चक्कर में हमने अपनी अच्छी फलती-फूलती कम्पनी का भट्ठा बैठा दिया, गला घोंट दिया। ऐसी एक कम्पनी नहीं, पी.डी.आई.एल. है, एच.एस.सी.एल. है, भ्रष्टाचार के चलते, निकम्मेपन के चलते, गलत नीयत के चलते अच्छी-खासी कम्पनियों का भट्ठा बैठा दिया गया। मुझे याद आता है जब सिन्दरी में खाद कारखाने का उद्घाटन करने पंडित नेहरू गए थे तो उन्होंने कहा कि यह आधुनिक काल के योगी मंदिर है। कल लोग मंदिरों में जाने की बजाय यहां आकर पूजा किया करेंगे। मेरी इच्छा होती है कि उनकी आत्मा को बुलाया जाए, पंडित जी आकर देखें कि उनके मंदिर आज किस हालत में हैं? अभी इतने दिनों तक जो शासन चला रहे थे, उनके हर भाषण और दो लाइन में नेहरूजी, गांधी जी का नाम लिया जाता रहा। मैं उसे सुन कर हंसती हूं कि नाम जपते हैं गांधी जी का और रास्ता बिल्कुल उल्टा। एक कहावत है जब आप संशय में हों तो बाईं ओर देखिये ओर दाईं ओर मुड़िए।

वही इनका हाल है। गांधी जी का नाम जपते रहो और कुटीर उद्योगों का सत्यानाश करते रहो। कल हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी का भाषण बहुत मार्मिक और बढ़िया था। उस में कुटीर उद्योग पर बहुत जोर दिया गया। मुझे उस समय गांधी जी की बहुत याद आई। यह भी क्या बात है जैसे कि हमारे यहां एक कहावत है ''हारे को हरि नाम और मजबूरी का नाम गांधी जी'' जब सतत में रहते हैं, जब आराम से कुर्सी में बैठे होते हैं तब गांधी जी और कुटीर उद्योग याद नहीं आते हैं। तब वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. पैसा कहां से आए, यह याद आता है। जैसे सत्ता से हटते हैं तो गरीब जनता दिखायी पड़ने लगती है। गांधी जी और कुटीर उद्योग याद आने लगते हैं और हारे को हरि नाम चलने लगता है। गांधी जी और कुटीर उद्योगों का नाम जपते रहो। पूरे पांच साल इनकी नीति ऐसी थी और अभी भी यह सरकार उन नीतियों पर चल रही है क्योंकि ये लोग भी इस सरकार को चला रहे हैं। इनकी सारी नीतियां ऐसी हैं। जो इस देश का अर्थ तंत्र था, जो हमारे कुटीर उद्योगों की परम्परा थी, उसका माननीय जोशी जी ने सबसे अच्छी तरह उल्लेख और वर्णन किया। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। यदि मैं गलत बात करूं तो जरूर आप मुझे रोक दें।

सभापति महोदय: अनडाउटिडली आप बड़ा अच्छा भाषण दे रही हैं। मैंने 20 मिनट के बाद घंटी बजायी। अगर मैं आपको चैक नहीं करूंगा तो औरों को कतई चैक नहीं कर पाऊंगा।

प्रो. रीता वर्मा: मैं आपसे थोड़ा सा स्नेह मांगती हूं। बेनी प्रसाद जी यहां से उठकर चले गए।

आपकी सरकार की नीतियां जो कि पुरानी सरकार से उधार ली हैं, दूरसंचार के क्षेत्र में आप उसको भी बरबादी के रास्ते पर धकेल रहे हैं। इससे न सिर्फ दूरसंचार की व्यवस्था बरबाद होगी बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं इनको इस बात का ध्यान है या नहीं? हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के उत्तरदायी भी उन्हीं के नेता मुलायम सिंह जी हैं।

सरकार की मंशा में खोट है। उसका नतीजा यह है कि उसने दूर-संचार संबंधी नई नीति पर मुहर लगवाने के लिए गलत तथ्यों का सहारा लिया। एक तरफ टेलीफोन की सघनता में कमी दिखाई गई, टेलीफोन की सघनता और घरेलू उत्पाद के संबंधों को छिपाया गया, दूसरे संसाधनों की कमी को खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया कि हम इतने संसाधन जुटा ही नहीं सकते और इसलिए विदेशी कम्पनियों का आना बहुत जरूरी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है और यही नहीं बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के क्षेत्र में जो कम्पनियां निवेश कर रही हैं, उनके लिए जो नये रुल्स बनाये हैं, उसमें आपको मालूम होगा। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी भारतीय कम्पनी टैंडर नहीं भर सकती है। मुझे दुख होता है कि श्री बेनी प्रसाद जी यहां नहीं हैं। वे मेरा भाषण सुनते। जबकि उसमें कोई भी भारतीय कम्पनी अपना टैंडर नहीं भर सकती जब तक कि उसके साथ एक विदेशी कम्पनी न हो। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का गठबंधन न होने से वह बुनियादी टैली संचार क्षेत्र में टैंडर नहीं भर सकती। ये इनकी किस तरह की सोच है? हम अच्छी तरह से इनकी नीयत को समझते हैं। इसलिए ये बहाने बनाते हैं कि देशी कम्पनियों को अनुभव नहीं है। इसलिए विदेशी कम्पनियों को उंगली पकड़े बिना ये कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चे हैं, हमें तो अक्ल नहीं है और अपने अंग्रेज पापाओं की बिना उंगली पकड़े हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इस सरकार ने पिछले 50 साल में कुछ किया हो या न किया हो, हमें एक आत्म ग्लानि से हीनभाव से इतना भर दिया है कि हमें लगता है कि किसी भी क्षेत्र में अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकते। बिना विदेशियों की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते और खड़े भी नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि जब गांधी जी ने अंग्रेजों के समय में एक नारा दिया था कि विदेशी कपड़े की होली जलाओ तब हमारी मातायें और पूर्वज यह नहीं कहते थे कि इतना कपड़ा जला देंगे तो दूसरा कपड़ा कहां से आयेगा क्योंकि भारत में तो इतना कपड़ा बनता ही नहीं। भारतीय कारीगरों के अंगूठे काटकर उनको बेकार कर दिया गया था। यदि यह सोचते तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन गांधी जी ने तो हमें अहिंसा और सत्याग्रह सिखाया था। और गांधी जी ने नामर्दगी नहीं सिखायी थी। गांधी जी पौरुष का रास्ता अपनाते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं की कि इतना कपड़ा जला तो और कहां से आयेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो और स्वदेशी बनाओ। आज यह सरकार गांधी जी का नाम तो लेती है और कहती है कि हमारी संस्तति को एक्सपीरियंस नहीं हैं, टैंडर भरने लायक नहीं है। जब तक वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से गठबंधन नहीं करेगी इसलिए एनरान के लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम भारतीयों को शिक्षा देने में बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह एक मजाक हो गया था। हम भी उसी तरह से मजाक किया करते थे कि आप तो ग्रेजुएट नहीं हुये। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक आदमी था, उसका खेत बेकार पड़ा हुआ था। खेत जोतता नहीं था तो लोग उससे पूछते थे कि आप अपना खेत क्यों नहीं जोतते हो तो वह कहता है कि कल मेरा साला आयेगा, वह सब कुछ कर देगा या वह खेत जोत देगा तो मैं बुआई कर दूंगा। लेकिन उसका साला भी नहीं आया। दूसरे दिन फिर पूछा तो कहने लगा कि मेरे चाचा आयेगा, मेरा खेत जोत देगा तो खुद खेत में बुआई कर देगा लेकिन वह भी नहीं आया। जब बहुत दिन बीत गये तो तंग आकर उसने अपना खेत अगले दिन जोता और बुआई भी की। किसान ने अपना खून पसीना एक करके सारा काम किया। परिश्रम किया तो उसका फल मिला। पता नहीं हमारी सरकार यह क्यों नहीं सोचती, क्यों हमारे देश को पौरूषहीन बनाने पर तुली हुई है, यह मुझे समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय, हमारे यहां पहले एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। और उसके बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति हमने ऐसी सीखी कि सरकारी नौकरी पाना और क्लर्क की नौकरी करना हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो गया। पहले हम तो भूख निदान कहते थे और यह सरकार पूरे विश्व में भीख मांगने के लिए घूम रही है। क्या प्रधान मंत्री, क्या वित्त मंत्री और क्या मुख्य मंत्री सब के सब बाहर चले जा रहे हैं। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने चले जा रहे हैं। अब तो कटोरे का दाम भी बढ़ गया होगा।

जब हम बार-बार यह सोचते हैं कि विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा देश इतना बड़ा देश है। यहां चीजों की कमी है और इस मार्केट की तरफ हम विदेशियों का ध्यान तो आकृष्ट करते हैं कि आप आइये। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। मैं आपकी अगली घंटी बजाने से पहले ही समाप्त कर दूंगी। मुझे बुद्धि पर आश्चर्य होता है कि हम एक्सपोर्ट पर इतना जोर देते हैं और अपने देश के इतने विशाल मार्केट को नहीं देखते। दूसरों को कहते हैं कि हमारे देश में इतनी विशाल मार्केट है। इसलिए यहां आओ और इन्वेस्ट करो। हमारी अंधी आंखों को अपनी मार्केट दिखायी नहीं पड़ती है और हम विदेशियों से तुलना करने जा रहे हैं। इतना बड़े झंझावात से भरे समुद्र में अपनी एक्सपर्ट की छोटी सी नैया लेकर बड़ी बहादुरी से निकले हैं जैसे कितना बड़ा तीर हम लोग मार लाये हैं। मैं उनके दुस्साहस पर चकित हो जाती हूं। सच कहिये तो आज स्वदेशी को छोड़कर कोई

रास्ता नहीं है। हमें किसी और में काम न करके अपने पौरुष में काम करना चाहिए।

डिसइन्वेस्टमैंट की जो बातें करते हैं, वह भी एक भ्रष्टाचार है। हम लोग कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स की डिशक्शन पर शरीक थे। हम बातें करते हैं कि जो हमारे उद्योग हैं, वह घाटा कमा रहे हैं। इसलिए हम डिसइन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। लेकिन जो कम्पनियां मुनाफा कमा रही हैं, उसी को डिसइन्वस्टमैंट करने के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी भेल की कम्पनी है जो किसी भी विदेशी कम्पनी की प्रतिस्पर्धी है। उनको पछाड़ रही है। कई ठेके उसने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पछाड़कर लिये हैं। लेकिन यह चाहते हैं कि भेल विदेशी कम्पनियों के साथ मिल जाये और इसके लिए ए.बी.बी. और हितेची जैसी विदेशी कम्पनियों से बातचीत चल रही है यानी हम खुद स्वदेशी का गला घोटने के लिए तैयार हैं।

जिस डिसइन्वेस्टमैंट की बात करते हैं, वह रुग्ण उद्योगों के लिए है लेकिन अच्छी खासी, स्वस्थ कम्पनियों को जबरदस्ती रुग्ण बनाकर हम विदेशी सहायता पर आश्रित बनाने के लिए कर रहे हैं। एक बार किसी विदेशी कम्पनी का भेल पर कब्जा हो गया तो भारतीय बाजार पर कब्जा जमाने में उन्हें कितना समय लगेगा। यह तो पहले सोच लेते हैं कि हमने यह करना है। फिर उसके बाद एक कमेटी बैठा देती है और उनको एक्सपर्ट भी ऐसे मिल जाते हैं। जब जैसा सरकार कहती है वैसा वह करते हैं। अगर वह जमाना नेशनलाईजेशन का होता है तो रिपोर्ट आ जाती है कि नेशनलाईजेशन करेंगे और जब जमाना प्राइवेटाईजेशन का होता है तो रिपोर्ट आ जाती है कि प्राइवेटाईजेशन करेंगे।

श्री राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट की बड़ी चर्चा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह उनके लिए बाइबिल है। लेकिन राकेश मोहन कमेटी की सब बातों से मैं सहमत नहीं हूं लेकिन रिपोर्ट अच्छी है और कमेटी का ध्यान इस मामले में साफ है। चूंकि बुनियादी क्षेत्र में लाभ हासिल करने में काफी लम्बा समय लगता है इसलिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लम्बी अवधि के ऋण की जरूरत है और यह लम्बी अवधि के ऋण और इतनी बड़ी राशि, क्योंकि 4 हजार से लेकर 45 सौ तक की राशि का अनुमान है। राकेश मोहन कमेटी भी कहती है कि विदेशी इन्वेस्टमैंट नहीं होगा। इसका 15 फीसदी से ज्यादा विदेशी निवेश की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने आधे घंटे का समय लिया है, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: सभापति महोदय, मैं दस मिनट और लूंगी। आप मेरी पार्टी में से समय काट लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया ऐसा न करें, क्योंकि मैं और किसी को नहीं रोक सकता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: यहां बड़े-बड़े लोग 65 मिनट और एक घंटे तक बोले हैं। अगर में बेकार की बात करूं तो कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी का समय सबसे ज्यादा था और हमारी पार्टी सबसे कम बोली है। इसलिए मैं दस मिनट और बोलूंगी।

सभापति महोदय: मैंने आपको 20 मिनट की बजाय 30 मिनट दे दिये हैं। अब आप समाप्त करिये।

प्रो. रीता वर्मा: मैं दस मिनट का समय और लूंगी। ...*(व्यवधान)* हम लोग रात भर बैठते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: भारतीय जनता पार्टी के बीस से भी अधिक सदस्यों को अभी भाषण देने हैं। आपने तीस मिनट का समय तो लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: सभापति महोदय, 85 प्रतिशत इन्वेस्टमैंट घरेलू स्त्रोतों से जुटाना होगा। यह भी निवेश तभी संभव है जब कि प्रत्येक क्षेत्र में नीतियां निवेशकों के अनुकूल और पारदर्शी होंगी।

सभापति महोदय, चूंकि आजकल हो गया है कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। अपने देश के लोगों की ज्यादा हम नहीं सुनते लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक सलाहकार कम्पनी अरनेस्ट एंड यंग इंटरनेशनल है। मैं इसकी रिपोर्ट सुनाती हूं क्योंकि यह लोग तो अंग्रेजों को ही एक्सपर्ट मानते हैं। अमेरिकन को ही एक्सपर्ट मानते हैं। उन्हीं की रिपोर्ट मैं सुन रही हूं। उसके ताजा अध्ययन के मुताबिक यदि भारत ने अपनी बुनियादी क्षेत्र की खामियों को दूर नहीं किया तो उसके लिए अगले दशक के दौरान सात फीसदी की विकास दर पर हासिल करना संभव नहीं होगा।

दूसरी रिपोर्ट है एशिया पैसीफिक आउटलुक 1997-2007। इस रिपोर्ट में अर्नेस्ट एंड यंग इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत के बुनियादी क्षेत्र की समस्याओं में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, इससे उल्टा समस्याएं बढ़ती हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर भारत में बिजली क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति में अंतर बढ़ता ही जा रहा है। बुनियादी क्षेत्र की खामियों को दूर करने के लिए जिस मात्रा में निवेश होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अध्ययन रिपोर्ट में बुनियादी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी निवेश की जबरदस्त वकालत करते हुए कहा गया है कि अगले दशक में 7 फीसदी और आगे चलकर चीन

और वियतनाम की तरह 9 से 10 फीसदी विकास दर हासिल करने का भारत का सपना तभी साकार होगा जब यहां राजनैतिक अस्थिरता और ढांचागत कमियों को दूर करने के गंभीर प्रयास होंगे। ढांचागत कमियां तो दूर करेंगे, राजनैतिक अस्थिरता कैसे दूर होगी। जब तक हम अपना दायित्व न संभाले तब तक राजनैतिक अस्थिरता कैसे दूर होगी, यह जनता और देश के लिए सोचने की बात है।

आप बार-बार कह रहे हैं तो मैं अपना भाषण अब समाप्त करती हूं वर्ना मेरे पास अभी बोलने के लिए बहुत कुछ था। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: कनक्लूजन ही है।

अंत में मैं आपको एक शेर सुनाउंगी तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा।

सभापति महोदय: मेरे मूड की चिन्ता मत कीजिए, आप हाउस के मूड की चिन्ता कीजिए।

प्रो. रीता वर्मा: हाउस का मूड भी अच्छा हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता को आगे आना चाहिए तो मुझे एक चुटकला याद आता है। चुटकला है इसलिए उसे सच्चाई मत समझिए। एक जहाज जा रहा था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पॉयलट ने कहा कि जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो कुछ लोगों को अपना जीवन बलिदान करना होगा ताकि और लोग सही-सलामत लैंड कर सकें। आप में से कौन अपना-अपना बलिदान करने के लिए आगे आ रहा है। एक फ्रैंच आदमी जा रहा था, फ्रैंच लोग जो भावुक होते ही हैं, वे आगे आए और कहा कि वी लव फ्रांस, और वे जहाज से नीचे कूद गए। उसके बाद एक अंग्रेज आए। उन्होंने कहा सम्राट अमर रहे, और वे भी कूद गए। दो भारतीय बैठे थे। एक भारतीय ने कहा 'देश की जय हो' और बगल में बैठे हुए भारतीय को धकेल दिया। क्या कहें। प्रधानमंत्री जी खुद नहीं कर रहे और कहते हैं कि दूसरे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। यह गलती मैंने की थी। मैं एक बार भ्रष्टाचार से लड़ने निकली थी तो मुझे इतने डंडे पड़े और पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। मैंने यही सोचा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर मैं तो जेल में बंद होती हूं और उन भ्रष्टाचारियों की मदद से प्रधानमंत्री जी सरकार चलाते हैं। वे तो मजा करते हैं और मैं जेल में मरती हूं। ऐसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता आगे आएगी तो फिर आपको प्रधानमंत्री किसने चुना है। भ्रष्टाचारियों की मदद से आराम करने के लिए चुना है या मजा करने के लिए चुना या राजा बनने के लिए चुना है। जनता अपना गला भी फसाएगी, जेल भी जाएगी, भ्रष्टाचार से भी वही लड़ेगी, सारा काम जनता को करना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप शेर पर आ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा: कभी गौतम बुद्ध के बारे में, कभी गांधी जी के बारे में पुरानी कहानी भी आपने बहुत सुनी होगी। एक मां अपने बच्चों को लेकर आई और कहने लगी कि बच्चा बहुत चीनी खाता है। आप इसे मना कर दीजिए कि चीनी न खाए। उन्होंने कहा कि तुम दस दिन बाद आना। दस दिन बाद जब वह गई तो उसे सिर्फ इतना कहा कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, शेर पर आइए।

प्रो. रीता वर्मा: मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए एक मिनट का समय और लूंगी।

सभापति महोदय: मुझे पूरी सभा की आलोचना सुननी पड़ रही है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: हम भी अपनी बारी में बहुत बोर हुए हैं इसलिए हमें भी बोर करने का हक है। ...*(व्यवधान)*

उस दिन बच्चे को सिर्फ इतना कहा गया कि तुम चीनी खाना छोड़ दो। बच्चे ने चीनी खानी छोड़ दी। मां ने पूछा कि आपने यह बात उस दिन क्यों नहीं कही तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे पहले खुद चीनी खाना छोड़ना था। प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते हैं, जरा सत्याग्रह करने खुद तो निकलिए, तब आपकी बात कोई सुनेगा।

स्वयं तो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और हमें कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह करो, जेल जाओ और डंडा खाओ। पचास साल के बाद देश फिर से उन्नति के शिखर पर होगा लेकिन अभी जो हालत है, उसके बारे में एक कवि महोदय ने क्या कहा है, वह सुनिए।

बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ता क्या होगा?

धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री पी. उपेन्द्र

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): महोदय, सौम्य महिला सदस्य के प्रति आपका रवैया काफी उदार रहा और मेरे विचार में अब आपको घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं महिला सदस्य की अपेक्षा आधा समय लूंगा।

यह एक बहुत अनूठा वाद-विवाद है जिसे समूचा राष्ट्र देख रहा है। सदस्यों ने इसमें अप्रत्याशित उत्साह भी दिखाया है। शायद संसद के इतिहास में यह पहला अवसर है जब प्रत्येक सदस्य ने बोलने की इच्छा जाहिर की है। यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस सत्र की अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

महोदय, सचिवालय ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराई है जो हमारी उपलब्धियों और असफलताओं, सफलताओं व कमियों और हमारी महत्वाकांक्षाओं व भावी लक्ष्यों का एक संकलन है। यह उन नवयुवकों के लिए आत्म-विश्लेषण करने और प्रेरणा लेने का भी अवसर है, जो स्वतंत्रता संग्राम और हमारे उन महापुरुषों और महान महिलाओं के बलिदान से पूरी तरह अवगत नहीं हैं जिनके प्रयासों के फलस्वरूप हमें आजादी प्राप्त हुई।

कई माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, इस देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है; हमें किसी एक पार्टी को इसका श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस पार्टी ने इस देश में 50 वर्षों में से 45 वर्ष तक शासन किया हो, को इसका श्रेय देना उचित है, यद्यपि भारत के सभी लोग इन उपलब्धियों के लिए बधाई के पात्र हैं।

लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना और ग्यारहवें आम चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जाना और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्षुण्य बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृषि, खाद्य पदार्थों में हमारी उपलब्धियां, सिंचाई और विद्युत, रक्षा उपस्कर बनाने वाले उद्योग सहित अन्य उद्योगों में आत्मनिर्भरता तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, और शिक्षा और साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, औसत आयु में वृद्धि, परिवहन विशेषकर रेलवे, विद्युत उत्पादन के क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों और सन् 1991 के पश्चात् उदारीकरण के कारण हमारे व्यापार में हुई वृद्धि, विदेशी मुद्रा के भंडार में हुई वृद्धि, मुद्रा स्फीति की दर में आई गिरावट ये सभी बातें देश में हुई प्रगति को परिलक्षित करती हैं।

सभापति महोदय, मैं उन उपलब्धियों के बारे में विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिनका ब्यौरा सहायक सामग्री में दिया गया है और जिनका कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं केवल दो अथवा तीन बातों का ही उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बात भारतीय परिस्थितियों में विरोधाभास और विवाद की स्थिति है। इस संबंध में हम सबको आत्म-विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम अपनी सभी विफलताओं के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल हुए हैं। एक बार प्रोफेसर गॉलब्रेथ ने कटाक्ष करते हुए भारत को ''फंकशनिंग एनारकी'' कहा था। उन्होंने इस प्रकार भारत की स्थिति का उल्लेख किया था। भारत में अराजकता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मौजूदा समस्याओं और अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए।

इनमें कुछेक विडम्बनापूर्ण परिस्थितियां, असमान्यताएं, विरोधाभास और विवादाग्रस्त स्थितियां शामिल हैं। एक ओर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली और निष्पक्ष चुनावों की बढ़चढ़ कर बात करते हैं।

इसके साथ-साथ हम धन और बाहूबल तथा महिलाओं की, जो देश की कुल आबादी के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। एक ओर तो हम अपनी इन उपलब्धियों की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे खाद्य पदार्थों का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है। हमारे पास खाद्यान्नों का लगभग 25 मिलियन टन बफर स्टॉक है। हम यह भी कहते हैं कि हमारे पास इन खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए कोई गोदाम नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि लाखों लोग भूख के कारण मर रहे हैं। कई जगह तो उन्हें दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। यह विरोधाभास की स्थिति है जिसके बारे में हमें विचार करना है। एक ओर तो, कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। किसान आधुनिक तकनीकों, आधुनिक उपस्करों आदि का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर, इन किसानों को उनकी फसल के लिए लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा है। वे बुरी तरह से कर्ज में डूबे पड़े हैं।

एक ओर तो हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, अंतरिक्ष में पदार्पण करने और अपने रॉकिटों पर गर्व करते हैं। लेकिन हमें देश के मौजूदा हालात पर लज्जा नहीं आती है जिसकी तुलना हम 18वीं शताब्दी से कर सकते हैं जहां महिलाओं के लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें क्या दृश्य देखने को मिलता है? यह स्थिति न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, अपितु शहरों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी है, जहां लोग खुले में पटरियों पर और दीवारों के निकट मल-मूत्र का त्याग करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। हम कई स्थानों पर पेयजल अथवा भोजन तथा स्वच्छता की न्यूनतम आवश्यकताएं भी प्रदान नहीं कर पाए हैं। आज

भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उसी टंकी से पेयजल लेना पड़ता है। एक ओर तो, धोबी उसी पानी में अपने कपड़े धोते हैं जबकि दूसरी ओर लोग अपने पशुओं को स्नान कराते हैं। हम असंख्य लोगों को सुरक्षित पेयजल भी मुहैया कराने में सफल नहीं हो पाए हैं। चालीस प्रतिशत गाँव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। हमें इन समस्याओं पर विचार करना है।

इसके अतिरिक्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मैंने कई गांवों में यह देखा है कि उन गांवों में एक भी डाक्टर नहीं है। कई अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। कई अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। यह भी एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति है जिस पर हमें ध्यान देना है।

भारतवर्ष महात्मा गांधी, बुद्ध, अशोक, महावीर, गुरु नानक और कबीर जैसे महापुरुषों की भूमि है। लेकिन इसके साथ-साथ हम देश के विभिन्न भागों में हिंसा और आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार और मानव अधिकारों के दमन के बारे में समाचार पत्रों को पढ़ते और सुनते रहते हैं।

हमारी साक्षरता दर अब 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है। लेकिन इसके साथ-साथ देश में निरक्षरों की कुल संख्या बढ़कर 450 मिलियन हो गई है। यह भी एक विरोधाभास की स्थिति है। देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है। साथ ही साथ निरक्षरों की संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो पहली योजना में 3.6 प्रतिशत था, नौवीं योजना में बढ़कर लगभग सात प्रतिशत हो गया है। प्रतिव्यक्ति आय 1127 रुपए से बढ़कर 2450 रुपये हो गई है। लेकिन, आज 38 प्रतिशत लोग अथवा 323 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है?

कुछ लोग ही समृद्ध हैं। इस देश में अमीर लोग भी हैं। दुर्भाग्यवश सब ओर गंदगी, गरीबी और कष्टों की भरमार है। हम आडम्बर, फिजूलखर्ची, तड़क-भड़क के जीवन, जन्म दिनों के आयोजनों और घटिया दिखावों पर इस देश की सम्पदा लुटा रहे हैं। क्या हम इस गरीब देश में ऐसी चीजों को रोक नहीं सकते हैं? हमने सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रगति की है। यदि आप सामाजिक विकास के क्षेत्र में यू.एन.डी.पी. की हाल की रिपोर्ट को लें तो आंकड़ें बताते हैं कि

> ''हमारा देश सामाजिक विकास के संबंध में 174 देशों में 138वां स्थान रखता है।''

यह भी एक विरोधाभास वाली स्थिति है। हम अपने पास कुशल नौकरशाही होने का दावा करते हैं। वे मेहनती हैं। वे कुशल हैं। वे योग्य हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वे विकासोन्मुख हैं? क्या वे आत्मकेन्द्रित नहीं हैं? क्या वे लोगों के दुःख के प्रति अनमने तथा संवेदना शून्य नहीं हैं? क्या एक साधारण व्यक्ति एक कार्यालय जाकर अपने आप न्याय पा सकता है? अधिकारी वर्ग काफी संवेदन शून्य हो गए हैं। प्रशासनिक कार्यवाही में देरी होने से भ्रष्टाचार पनपता है। पुलिस अभी तक लोगों की मित्र नहीं बन पाई है।

महोदय, आरक्षण का मामला काफी संवेदनशील है। संवैधानिक नियमों के अनुसार, आरक्षण प्रणाली पिछड़े लोगों तथा समाज के निम्नतम वर्ग के लोगों को समाज में उठाने के लिए अपनाई गई है। लेकिन क्या हो रहा है? निम्नतम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई आरक्षण प्रणाली का वे लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि उच्च वर्ग के, ऊंची जाति के लोग पिछड़े वर्ग में शामिल होना चाहते हैं, तथा पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं। लोगों के बीच सामाजिक श्रेणी में ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने की प्रवृत्ति है। क्या यह विरोधाभासपूर्ण स्थिति नहीं है? क्या हम आगे जा रहे हैं या पिछड़ रहे हैं? क्या यह सवाल हमें गहराई से सोचने को विवश नहीं करता? एक या दो राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति को चार वर्गों में विभाजित किया है यह एक मुद्दा है जिस पर हम सबको विचार करना है।

महोदय, हम एक राष्ट्र तथा सब एक होने का दम भरते हैं। लेकिन विघटनकारी शक्तियां यहां कार्य कर रही हैं तथा सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद जोरों पर है। क्या हम कह सकते हैं कि हम सर्वप्रथम भारतीय और आखिरी सांस तक भी भारतीय के रूप में ही चिंतन करते हैं? हम वस्तुतः वैसा नहीं कर रहे हैं? हम अपने क्षेत्र के विषय में तेलुगु, बंगाली और बिहारी के रूप में सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय के रूप में न तो सोचता है और न ही कार्य करता है। यही बात विदेशों में भी फैल गई है। यदि आप अमेरिका जायें तो एक भी भारतीय संघ नहीं पाएंगे परन्तु आंध्र संघ, तमिल संघ, बंगाली संघ तथा बिहारी संघ पाएंगे। यह दुःख की बात है कि यह भावना विदेशों में भी फैल गई है। ये कुछ विसंगतियां तथा विडंबनाएं हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसका एक कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसे नियंत्रण में रखने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब तक कोई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नहीं है। हमारे पास कोई दिशानिर्देश नहीं हैं तथा पहुंचने के लिए कोई गंतव्य नहीं है। हमने एक ''संतान नीति'' को अंगीकार भी नहीं किया है। कुछ लोगों का यह तर्क है कि यह हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। विकास का लाभ सामान्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया है। एक समय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि राज्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं को जो धनराशि भेजी जाती है, उसके प्रत्येक रुपये में से केवल 15 पैसा आम आदमी तक पहुंच पाता है। हमें उसके बारे में भी सोचना होगा।

महोदय, राज्य सरकारें, जो प्रशासनिक इकाईयां हैं तथा जिन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना है वे अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहीं हैं। धनराशि को दूसरी योजनाओं में लगाया जा रहा है। केन्द्रीय योजनाओं के नाम बदले जाते हैं तथा पैसे की बर्बादी होती है।

महोदय, जापान, जर्मनी या कोरिया की तरह हममें राष्ट्र गौरव नहीं है। चीन की तरह अनुशासन नहीं है। हम अपने युवावर्ग में अनुशासन

में रहने की भावना पनपाने में असफल रहे हैं। राजनीतिज्ञ-अफसरशाह-ठेकेदार की सांठगांठ ने गत पचास वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के सभी लाभों को हड़प लिया है और परिणामस्वरूप खर्च के लिए नियत धनराशि को हड़प लिया है।

भ्रष्टाचार रोकने तथा काले धन का पता लगाने की राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवावर्ग की कोई भागीदारी नहीं है। वे कुंठाग्रस्त हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद सहित कई क्षेत्रों में लक्षित होता है। राजनीतिक दलों का कार्यकरण व्यवस्थित नहीं है। राजनैतिक दलों में प्रजातंत्र की भावना अंतर्निहित नहीं है। नियमित चुनाव नहीं होते हैं। अब, चुनाव आयोग ने यह काम उन पर जबर्दस्ती थोप दिया है।

महोदय, एक और मुद्दा जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, वह है राज्य के आधारस्तम्भों में दरारें पड़ना। राष्ट्रीय संस्थाओं की शनैः शनैः अवनति हुई है। हमारे संविधान में विधानपालिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच नाजुक संतुलन बना हुआ है जिसे स्पष्टतः बताया गया है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। लेकिन सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आज गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है तथा वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। न्यायालयों द्वारा अपारंपरिक निर्णय, जिसे न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं, वह भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर टिप्पणी की जा चुकी है, कई लेख लिखे जा चुके हैं तथा इस पर इस सभा में कई बार चर्चा भी हो चुकी है।

अपराह्न 4.00 बजे

न्यायालय ने क्या कहा? केवल कार्यपालिका की उदासीनता तथा विधानपालिका की असफलता के कारण न्यायालयों को राज्य के अन्य दो अंगों का कार्य करना पड़ता है। महोदय, यहां पर मैं सुप्रसिद्ध, न्यायविद्, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को उद्धृत करना चाहता हूं:

> ''किसी देश अथवा राज्य पर शासन करना संविधान द्वारा सरकार को सौंपा गया दायित्व है जो विधिवत निर्वाचित विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है।''

न्यायालय द्वारा अतिक्रमण की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना कहते हैं:

> ''यदि मानव समुदाय ने राजनीतिक चेतना की अनुवर्ती अवस्था को पार करते हुए निरंकुशतावाद तथा तानाशाही प्रवृत्तियों को ठुकरा दिया है, तो यह न्यायपालिका की निरंकुशता को बर्दाश्त करे यह उपेक्षा करना बहुत बचकाना बात होगी। विभिन्न प्रकार के स्वेच्छाचारी शासनों में न्यायपालिका की निरंकुशता न केवल अक्षम्य है बल्कि यह सबसे ज्यादा अवैज्ञानिक है।''

न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात की ओर ही इशारा किया था।

मैंने हमारे यहां के न्यायालयों द्वारा न्याय देने में विलम्ब पर प्रकाश डाला। भारत के न्यायालयों के हाथ में इतना कुछ है कि वे जनहित याचिकाओं की बजाए अपने सामने प्रस्तुत मामलों पर अपना और अधिक समय तथा ऊर्जा खर्च कर सकती हैं। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में जनहित याचिका लाना ठीक है। परन्तु अब जिस प्रकार से जनहित याचिकाएं न्यायालयों में लाई जा रही हैं उससे अन्य मामलों को निबटाने में देरी हो रही है। कुछ समय पहले विधि मंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 70,000 मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसमें से, 10,000 ज्यादा मामले 10 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित हैं, 10,000 पांच वर्षों से तथा 7,500 तीन वर्ष और उससे ज्यादा समय से लंबित हैं। यदि आप पूरे देश के न्यायालयों में लंबित कुल मामलों को लें, तो यह दो करोड़ से ज्यादा बैठते हैं। अब समय आ गया है कि तीनों अंगों के प्रमुख, प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारी एक साथ बैठें तथा इस तथाकथित न्यायिक सक्रियतावाद का हल ढूंढे जो राज्य के अन्य दो अंगों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है।

विधानपालिका के संबंध में, लोक सभा अध्यक्ष ने संसद तथा विधानसभाओं के गिरते स्तर पर ठीक ही अपना रोष व्यक्त किया है। कोई गंभीर चर्चा नहीं होती है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। अधिकांश समय गणपूर्ति का अभाव होता है। सभा में महत्वपूर्ण विधेयक गणपूर्ति के अभाव में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच सहमति के आधार पर पारित कर दिये जाते हैं। राजनीतिज्ञों की छवि आम जनता के मन में गिरती जा रही है। जैसी कि किसी ने टिप्पणी की है, यह विरोधाभास भरी स्थिति है कि लोग नेताओं को निर्वाचित करते हैं तथा कुछ ही दिन में उनसे घृणा करने लगते हैं। यह देश की परिस्थिति है। हो सकता है ऐसा कहीं और भी हो। संपूर्ण प्रजातांत्रिक प्रणाली को हास्यास्पद बनाया जा रहा है।

वाजपेयीजी ने परिस्थिति में सुधार के लिए तीन सुझाव दिये हैं। हमें इसमें दो या तीन और जोड़ देने चाहिए। उन्होंने सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निकट सभा के बीचों बीच आने के संबंध में कहा। हमें इसमें सभा में नारे लगाना भी शामिल करना चाहिए। हमें एक और बात जोड़नी चाहिए कि जब पीठासीन अधिकारी खड़े हों तो सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। यह एक मूलभूत नियम है जो कि नियम पुस्तिका में पहले ही शामिल है परन्तु उसका पालन नहीं होता है।

कई देशों में, जब टेलीविजन द्वारा सीधा-प्रसारण होता रहता है, तो कैमरे को केवल अध्यक्ष पर तथा अनुमति दिये गये सदस्य पर फोकस किया जाता है। वे व्यवधान उत्पन्न कर रहे अथवा अभद्र व्यवहार को नहीं दिखाते हैं। हमें इस कार्यप्रणाली को अपने विधानमंडल में भी पालन करना चाहिए।

हमने समिति प्रणाली अपनाई है परन्तु दुर्भाग्यवश नियमों में यह कहा गया है कि सुझाव विचारणीय होते हैं और वे सरकार के लिए अनुशंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। स्थायी इन समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाकर हमें अमरीकी समितियों की तरह इन समितियों को सुदृढ़ और

शक्तिशाली बनाना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक समिति प्रणाली सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगी।

अब हम एक 'आचार समिति' बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। राज्य सभा ने आचार समिति गठित कर ली है। यह सभा भी ऐसा ही करने पर विचार कर रही है और सौभाग्यवश मुझे दो या तीन देशों की आचार समितियों के कार्यकरण का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है और हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है और शीघ्र ही हम इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले हैं।

अनेक देशों में ऐसी पद्धति है कि निर्वाचित होते ही विधायक अपनी सम्पत्ति की घोषणा करते हैं। वर्ष के दौरान समय-समय पर उन्हें खरीदी अथवा बेची गई परिसंपत्तियों की सूचना देनी होती है। वहां पर एक रजिस्टर होता है और जब वे बोलते हैं तो उन्हें यह बताना होता है कि क्या उनकी किसी विशेष कम्पनी अथवा उद्योग में रुचि है। हमें भी अपने देश में ऐसा ही करना होगा। संसद सदस्यों द्वारा अपने कार्यों को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

हम इस मामले में सदैव संवेदनशील हो जाते हैं। हमें इस मामले में संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है। विश्व में हम निर्धनतम सांसद हैं। कई छोटे देशों में विधायकों को बेहतर वेतन दिया जाता है। जब तक हम संसद सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे तब तक संसदीय प्रणाली प्रभावी नहीं बन सकती।

यद्यपि, हमारी कार्यपालिका गतिशील और परिश्रमी है परन्तु जैसा मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ कार्य विलम्ब से होता है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है।

हम चुनावी सुधारों के बारे में विचार-विमर्श करते रहे हैं। इस संबंध में अनेक पहलुओं पर विचार करना होगा। चुनावी सुधारों के बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों में सहमति है। मेरे विचार से इसे प्राथमिकता देने का समय आ गया है।

जहां तक संविधान के कार्यकरण का संबंध है, अब तक 78 संविधान संशोधन पारित किये गये हैं और पांच संशोधन अभी लम्बित हैं। सरकार के स्वरूप के बारे में विचार-विमर्श होता रहता है। परन्तु मैं बहु-जातीय तथा भाषाई समूहों और इतने बड़े आकार एवं जटिल संरचना वाले इस देश के लिए राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता हूं। सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली से ही शासन में विभिन्न राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाली सरकार इस देश के लिए उपयुक्त नहीं होगी।

मेरे विचार में वह समय आ गया है जब हमें संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक संवैधानिक सुधार आयोग गठित करना चाहिए। ऐसे भी कुछ सुझाव हैं कि इसमें परिवर्तन किये जाने चाहिए। राज्य सभा की संरचना के बारे में भी एक सुझाव है कि क्या हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए अथवा नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का विस्तार करने का भी एक सुझाव है ताकि इसमें पंचायती राज के पदाधिकारियों अथवा कम से कम खण्ड स्तर तक अधिकारियों को शामिल किया जा सके। एक सुझाव यह भी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक-मंडल में विधान सभा सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

योजना आयोग की भूमिका को पुन: परिभाषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अन्तर्राज्य परिषद् की भूमिकाएं क्या हैं? इनकी भूमिका की भी स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए। इन निकायों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

काम के अधिकार और सूचना के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने का भी सुझाव है। इन सभी कार्यों के लिए संविधान का व्यापक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है जोकि संविधानिक सुधार आयोग के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है।

हमारे लिए भविष्य में क्या है। हम समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं; हम अपनी कमियों का विश्लेषण कर रहे हैं। परन्तु यह विश्व हमारे बारे में क्या सोचता है? मैं परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुए विश्व बैंक के अद्यतन प्रतिवेदन से एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा।

> "प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसने गत तीन वर्षों में छह से सात प्रतिशत की औसतन वृद्धि की है, अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखे और आय का वितरण वर्तमान स्तर पर बना रहा तो भारत में गरीबी की लगभग 35 प्रतिशत की वर्तमान दर वर्ष 2005 तक घटकर केवल 6.3 प्रतिशत हो सकती है। यह ऐसे देश के लिए जबरदस्त उपलब्धि होगी जहां पर विश्व के सबसे अधिक संख्या में गरीब लोग रहते हैं।"

प्रतिवेदन में आगे यह कहा गया है:

> "भारत ने गत पचास वर्षों में अत्यधिक अभाव के बावजूद भारी प्रगति की है।"

विश्व बैंक ने यह भविष्यवाणी की है कि अगली शताब्दी के प्रारम्भ में भारत विश्व में चौथा सर्वशक्तिशाली देश बन जाएगा। इसलिए हमें इस देश के भविष्य के बारे में निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं उन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण देता हूँ जिनके लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी है ताकि हम कल अथवा परसों प्रस्ताव लाए जाने

के समय भावी कार्यवाही के बारे में चर्चा के दौरान इन बातों को ध्यान में रख सकें। प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं; कड़े अनुत्साहक प्रावधान करके जनसंख्या नियंत्रण करना; न्यूनतम आवश्यकताओं—भोजन, आवास और वस्त्र पर जोर देना; उन संवैधानिक आश्वासनों को पूरा करना जिनके लिए हम कृत संकल्प हैं; महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचारों को रोकना; युवाओं के मन की कुण्ठा दूर करना; खेलों और युवाओं संबंधी कार्यों में सुधार पर बल देना; महिला और बाल कल्याण पर अधिक ध्यान देना; सभी के लिए स्वास्थ्य; प्रत्येक गाँव में एक चिकित्सक की व्यवस्था करना; प्रत्येक ब्लॉक में एक औषधालय खोलना; प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सुसज्जित अस्पताल उपलब्ध कराना; किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना; औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना; विधायिकाओं में सुव्यवस्था; चुनाव सुधार; भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष; लोकपाल संस्था की स्थापना; राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्रात्मक रूप से कार्य करना; संविधान की नए सिरे से समीक्षा करना; गरीबी को समाप्त करने वाले सभी कार्यक्रमों और केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा करना; केन्द्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन करना; अन्तर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद की भूमिका तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन; पंचायती राज निकायों को सुदृढ़ करना; बेहतर पर्यावरण पर बल देना; लघु उद्योगों और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहन देना; बच्चों और युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नागरिकता की भावना पैदा करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना।

अपराह्न 04.10 बजे

[**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन* हुए]

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमने अनेक व्यक्तियों द्वारा पचास वर्ष पूर्व की गई उन भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध कर दिया है जिनमें उन्होंने कहा था कि यह देश समाप्त हो जायेगा और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहेगा। भारत आज तक विद्यमान है और वह प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।

कल हमारे प्रस्ताव पर चर्चा इस आशा के साथ पूर्ण हो जानी चाहिए कि हमारी सभी कमियों के बावजूद हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हमें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। हमने भारी प्रगति की है और वास्तव में पचास वर्ष पश्चात् जब हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, हममें से अनेक व्यक्ति उस समय नहीं रहेंगे परन्तु जब हमारी भावी पीढ़ियां स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने पर इस देश की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगी तो मुझे आशा है कि उस समय तक हमारा देश काफी प्रगति कर चुका होगा। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि तब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछ दिए जाएंगे और भारत प्रगति और सम्पन्नता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता जाएगा।

श्री मोहम्मद मकबूल डार

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इनतिहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो यह सोचता था कि शायद मैं हाल ही में उग्रवाद को शिक्सत देकर पाकिस्तान को डिफीट करके उस माहौल से आया हूं जिस माहौल के मुताबिक मैं अपने दिल से सोचता हूं कि रियासत जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का ताज है लेकिन नौबत यहां तक आयी कि यहां के थिंक ट्रेकर्स भी एक वक्त कहते थे कि यह हिन्दुस्तान का ताज अपने मुल्क से चला गया। लेकिन उस वक्त के इन मेरे साथियों को मरहबा है। मेरे समेत वहां आग में कूदे। और इंशाअल्लाह अजीज जिन लोगों ने वहां हुकूमत की, जिन्होंने वहां बहुत कुछ पाया, सादा लोह इस्तेमाल भी किया। लेकिन जब लोगों को उनकी जरूरत पड़ी, तो उस वक्त पता नहीं कहां गये। लंदन चले गये या बिहार चले गये और लोगों को अपने कसमोपुरखी में छोड़ गये। लेकिन बेहसियत पेट्रीयाट यह ज्यादा लम्बा और पार्लियामेंट में पोलिटिकल प्रोसेस शुरू किया और वही एक बुनियाद बन गयी। इससे यहां लोकप्रिय सरकार को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए मुझे ख्याल था कि हो सकता है कि आज हमें भी थोड़ी मान्यता दी जाये क्योंकि हम छोटे आदमी हैं। इस छोटे मसले पर बोलने का मौका हासिल करने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। दो बार लिखकर रिकवैस्ट करनी पड़ी। तीन बार जाति तौर पर मैं जिम्मेदार आदमी को मिला लेकिन आज मैं मायूस हो गया था कि मुझे यह छोटा सा मौका भी नहीं मिलेगा लेकिन मैं इस वक्त आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथी आलीम-फाजिल ने अपने-अपने शोबे में एक्सपर्ट्स ने जो तजावीव पेश की, वह काफी हैं और अगर उन्हीं पर यहां गोर-व-खोज को ही अमल में लाया जाये। वह भी एक शान की बुनियाद बन जायेगा। लेकिन मैं चूंकि आम आदमियों में बैठने वाला हूं, उठने वाला हूं, कॉमन मैन हूं जिसके नाम पर यहां हम आते हैं, चाहे वह किसान हों, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे मोहताज हो, उनमें मैं बैठने वाला हूं। इसलिए

मैं चंद गुजारिशात अपने प्रैक्टिकल आब्जर्वेशन पर करूंगा कि वह लोग हमारे मुतालिक क्या चलते हैं और हमारे मुतालिक क्या एक्सपेंटेशन रखते हैं। हमारे गरीब वोटर देहात के पसमांदा इलाकों के बेकस लोग हमें बड़ी आशाओं के साथ, तमन्नाओं के साथ अपने ख्वाबों की तावीर हमें यहां भेजते हैं और चाहे किसी के वोटर चाहे लाख हों। मेरे वोटर दो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट पलवाना में मुशतमील हैं।

12 लाख वोटर हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, वही मेरे ख्याल में सभी का हाल होगा। वे मुझे सबसे ज्यादा ईमानदार समझते हैं, सबसे ज्यादा डैडीकेटेड समझते हैं। मैं यही यकीन रखता हूं कि यह जो क्रीम है, हमारे अवामी नुमाइंदे 548 हैं। यह 90 करोड़ की क्रीम है। 90 करोड़ लोग अपनी सारी तकदीर हमारे हवाले करके यहां भेजते हैं और हमें मान्यता देते हैं। वह हर शोबे में हैं चाहे वह जानिबदारी है या ईमानदारी है। यहां मेरे साथी नाराज न हो जाएं, मुझे कोई झिझक नहीं होती क्योंकि मैं इस महान देश को अपना घर और अपना परिवार समझता हूं। इसलिए सही बात कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं। वह प्रैक्टिकल ओब्जर्वेशन क्या है? यहां जो हमने देखा, हम देखते हैं कि और जो उनके तास्सुरात हैं, वो यही है कि यहां एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे पार्टी लैवल पर हो या पार्टी के अंदर हो, कुछ न कुछ नीचा दिखाने के लिए अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आम कॉमन वोटर जो हमें भेजता है, वह हमें माईनूटली औब्जर्व करता है। मेरा मकसद यह है कि मुल्क के वैल्फेयर, मुल्क की खुशहाली, इस महान् देश को और महान् बनाने के लिए गरीब लोग ही अपनी कुर्बानी देते हैं। यहां हमें एकजुट होकर सारी सियासत को बाला-ए-ताक रखकर पार्टी सियासत को एक-दूसरे को नीचा दिखने का जो जज्बा बाला-ए-ताक रखकर मेरे ख्याल में मुल्क की फलाह-ब-बहबूद के लिए एक यकजहती के साथ काम करना चाहिए। हमें नीचा दिखाने में जो वक्त जाया होता है, उसमें अगर हम कंसट्रक्टिव रोल अदा करें तो मैं कहता हूं कि हम दयानतदारी के साथ अपना फर्ज अंजाम देंगे और फिर पांच साल के बाद फील्ड में जाकर एक-दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखा सकते हैं।

मैं पैसीमिस्ट नहीं हूं। मुल्क को 50 साल आजादी हासिल किए हुए हो गए हैं। एक जमाना था जब अपने मुल्क में सुई नहीं बनती थी। हमने विदेशी हुकमरानों को निकाला और उस जमाने में भी हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया था, आज भी है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं, उनकी वजाहत सब साथियों ने की और वह एक खुली किताब है, दुनिया मानती है। लेकिन इतने साल तक विदेशी हुकमरानी करता था, वहीं सुई तक वहां से महंगे दामों में हमें बेचता था। मैं इस मामले में बहुत ही वसी-उल-कलबी के साथ, सादगी के साथ कहना चाहता हूं कि यह कुफरानी नियामत है, जब हमारे लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने बहुत पाया है इस 50 साल के दौर में। हमने साइंस और टैक्नोलाजी में जो तरक्की की है, मेरे ख्याल में अनकरीब वक्त आएगा जब हम डैवलप्ड कंट्रीज के साथ सफे-अव्वल में इस दौर में इस वक्त चल रहे हैं और आला मुकाम हासिल करेंगे। एक जमाना था जब विदेशी हुकमरान हमारे तालीमी शोबों में सिर्फ अपने वास्ते दफ्तर में काम कराने के लिए रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक के लिए यहां के नौजवान को, यहां के बच्चे को तैयार करता था। लेकिन आज बापू महात्मा गांधी के एक दिए हुए अमल पर हमने तालीमी शोबे में जो तरक्की की है, खुदा के फजल से हैंड, हार्ट और हैड की तरबियत हम बच्चे को देते हैं।

इस तरह हम इस वक्त बेहतरीन इंजीनियर पैदा कर सकते हैं और दुनिया में हमारे ही सबसे ज्यादा मशहूर, काबिल हॉर्ट-स्पेशलिस्ट भी हमारे मुल्क ने तैयार किए हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर रियासत-ए-जम्मू कश्मीर की बात कल एक साथी ने उठाई। मैं यहां पर फिर दोहराना चाहूंगा कि रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का एक अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। यह दो कौमी नसीहत तुमने शुरू की, उसे हमने 1947 में ठुकराया है और जानबूझकर, सोच-समझकर हमने इस महान देश के साथ अपनी तकदीर वापस कर दी है और यही वह वादी कश्मीर है जिसके बदले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 1947 में जब सारा मुल्क साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था तब उस समय इन्सानियत की एक किरण सिर्फ वादी कश्मीर से नजर आती है। हमें देखना है कि यह हिन्दुस्तान का ताज जो हमेशा सर पर होता है, क्या कभी हमने पांव तले तो नहीं रौदा? हमें पचास साल की पिछली गलतियों का इजहार करना है, उनको देखना है और चोट खाकर संभलकर चलना है।

यह मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ कुछ बेइंसाफियां हुई हैं। इस रियासत-ए-जम्मू-कशीर को महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपये में अंग्रेजों से खरीदा था और इस वक्त रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के कब्जे में है और जिसे मैं कहता हूं, कश्मीर की जनता कहती है, हिन्दुस्तान का हर नागरिक कहता है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी झगड़ा है तो वह झगड़ा कश्मीर का है। लेकिन कश्मीर हमारा हिस्सा है और उसको हम लेकर रहेंगे। ग्रेटर कश्मीर के साथ गिलगिट का वह हिस्सा है जो चाइना के साथ है और वह हमें हासिल करना है। किस तरह से हासिल करना है, वह अवाम को फैसला करना है, 90 करोड़ हिन्दुस्तान के लोगों को फैसला करना है। ग्रेटर कश्मीर में उस वक्त चालीस लाख की आबादी थी। उसमें मेरे बाप-दादा थे और जब हिसाब करेंगे, उसमें मेरे वालिद बुजुर्गवार थे, अगर मैं पैदा नहीं हुआ था, अगर मैं उसमें शामिल नहीं भी हूं तो भी रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर की तरफ से इस अवमान को बताना है, इस मुल्क को बताना है कि मेरी भी कीमत सिर्फ पौने दो रुपया थी जब महाराज गुलाब सिंह ने पौने दो रुपए में खरीदा था। इसलिए कहना चाहता हूँ और एक निशानदेही करना चाहता हूँ कि रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर जहाँ का एक इंसान पौने दो रुपए में खरीदा

हुआ होगा, वहां की पसमांदिगी का क्या हाल होगा यह अंधाधुंध हमारे बुजुर्गों ने यों ही आर्टिकल 370 नहीं रखा है बल्कि हमारी पसमांदिगी को मद्देनजर रखते हुए खुदकिस्मत रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का ताज बने, यह हमारी मांग है। कश्मीर हमारी इज्जत है। अगर इसके तहत फैसला हुआ होता तो आसिफ जरदारी जिसका नम्बर दुनिया के कैपिटेलिस्ट्स, दौलतमंदों में सातवें नम्बर पर है, वह वादी कश्मीर के उस छोटे से रुकबे को एक ही आदमी खरीदने के लायक है और तब खरीदा होता और हमें धक्का देकर वहां से निकाला होता।

धारा 370 हमारे लिए गारन्टी रही है। यह हमारे बुजुर्गों की दूरंदेशी है। मरहवा उनकी दूरंदेशी। वहां कोई जमीन खरीदता है, तो जमीन खरीदने का मसला स्टेट सब्जैक्ट होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था। वहां एक लड़का मेरा दूध लेकर आता था, मैं अपने आपको कहता था कि मैं खुर्दम खान हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट कर रहा हूं, कानून पढ़ रहा हूं। मैं उस बच्चे को कहता था कि जाओ मेरा यह बर्तन मांझ लाओ और मैं साहेब बहादुर उस गर्म दूध को पीता था। एक दिन वह लड़का नहीं आया और उसने अपने छोटे भाई को भेज दिया। मैंने कहा-सुदर्शन, रामू कहां हैं? उसने कहा-वह थिसैस पेश करने के लिए गया है। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं यह मिसाल इसलिए देना चाहता हूं कि कल तक जम्मू-कश्मीर रियासत में एक मैट्रिक पास नहीं मिलता था और आज यह स्थिति है। अगर धारा 370 की गारन्टी नहीं होती, तो हमारे बच्चे कभी भी नौकरी में नहीं होते। धारा 370 के तहत सरकारी मुताबिक स्टेट सब्जैक्ट होना चाहिए। यह जो देन है, वह धारा 370 की है। इसलिए मैं उन साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि नीचा दिखाने के लिए, पामाल करने के लिए एक दूसरे को, अभी धारा 370 की बात मत करिए। अभी रियासत जम्मू कश्मीर पसमांदा है। वह पंजाब के मुकाबले नहीं है और दूसरे राज्यों के मुकाबले नही है। हमारा तालीमी माहौल पूरा नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें। हमारी इकतसादियात उस हद तक नहीं है कि हम दूसरी रियासतों को कम्पीट कर सकें। हम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से दूसरे राज्यों के बराबर आ जाएंगे।

सभापति महोदय: आप 16-17 मिनट ले चुके हैं।

श्री मोहम्मद मकबूल डार: मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ।

सभापति महोदय: मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग मंत्री हैं। आपने रिक्वैस्ट किया, तो आप लोगों को बोलने का मौका मिला। रात भर जो लोग बैठे, जो सुबह 5.30 बजे गए हैं, उनका थोड़ा ख्याल करिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मकबूल डार: महोदय, मैं एक गरीब रियासत से हूं। गरीब वोटरों ने मुझे चुना है। उन्होंने कल एक उम्मीद बनाई है। सिंसियरिटी, दयानतदारी, ईमानदारी, खलीलुल रहमान गुलजार बन गए। जब यहां बैठे हुए लोग कहते थे कि यह हिस्सा गया और मुझ जैसे छोटे आदमी को वहां छोड़ा गया। महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

अभी मैंने रियासत जम्मू-कश्मीर की बात कही है। मैं मुल्क की बात करना चाहता हूं। गृह राज्य मंत्री हूं, एक छोटी सी रिसपांसिबिलीटि है, प्रैक्टीकल आब्जरबेशन पर मुबनी है। मैं आम आदमियों में बैठने वाला हूं। गृह राज्य मंत्री को मैंने बड़ा सस्ता पद बनाया है।

मुझसे किसी भी समय कोई मिल सकता है। 24 घंटा वहां 15, लोदी स्टेट में भी खुला रहता है और अपने आफिस में भी खुला रहता है जो कुछ अपनी शक्सियत के मुताबिक करता हूं। लेकिन मन में यही है। यदि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मैं अपने लोगों के पास जा सकता हूं चाहें वे किसी जाति, रंग अथवा धर्म के हों, चाहे वह मिजोरम हो, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं यहां आया, सब लोग कहते हैं हीरो ऑफ द कंट्री, लेकिन एक महीने तक मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। मैं सारे देश के लोगों का शुक्रगुजार हूं और आपका भी शुक्रगुजार हूं। सब लोगों का जिन्होंने दिखाया वह मेरे लिए नहीं बल्कि उन सरफरोश लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी जान जोखिम में डाल कर मुझे यहां भेजा, मेरी शक्ल में वह उन लोगों की इज्जत अफज़ाही थी, क्योंकि मिजोरम से लोग आए, देश के सभी भागों से विभिन्न वर्गों से आए लोग। जिन्होंने प्रेस में, मीडिया में और खुद भी फिजिकल डेमोस्ट्रेशन की, उसमें भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। अब मैं यहां सोचता हूं कि जब यह पद देने में मिजोरम वाले, असम वाले, बिहार वाले का मुझे कंट्रीब्यूशन है तो मैं उसका नुमाइंदा होने के अलावा, गृह मंत्री होने के अलावा इसका जानी जिगर हूं। मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं। इसलिए जब कभी रात के एक बजे भी यहां दिल्ली में कोई सिर फटा हुआ आता है, ऐसे बहुत सारे आए जिनमें औरतें और मर्द भी थे उनका मैंने थाने में साथ दिया और वहां उनका एफ.आई.आर. दर्ज करवाया। यहां अजीब माहौल है यह कमजोरी अपनी नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि मैं यहां एहदे अलम् हूं। लेकिन दिल्ली में यह भी देखने में आया कि एक वक्त था जब यहां एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले को ही यहां बंद किया जाता था, बिहाइंड द बार रखा जाता था। जबकि मेरे पास बहुत कम ताकत है, वह भी एक राज है कि मेरे पास कितनी ताकत है। मैंने कुछ भी न होते हुए कुछ करने की कोशिश की जब मुझे कोई पूछता है कि आपका क्या पोर्टफोलियो है तो मैं कहता हूं सारी होम मिनिस्ट्री मेरी पोर्टफोलियो है।

महोदय, मैं अपने साथियों से और अपने देशवासियों से इनके थ्रू, आपके थ्रू एक अपील करना चाहता हूं। यहां कभी-कभी इल्लिगल

इमीग्रेशन के मुतल्लिक बात उठती है। बहुत शोर होता है, बहुत बहस चलती है, कभी-कभी मैं भी सोचता हूं कि मैं जवाब देकर कायल कर सकूं लेकिन आज न किसी का सवाल है और न मेरा जवाब है बल्कि एक हम्बल रिकवेस्ट है कि इस मामले में जो नेशनल इशुज हैं, चाहे रियासत जम्मू-कश्मीर में नार्मल्सी लाना है, चाहे नार्थ-ईस्ट में उग्रवाद को कर्ब करना है, चाहे इल्लिगल इमीग्रेशन को रोकना है, उसमें वैस्टेड इंटरस्ट छोड़िए और पार्टी से जरा ऊपर हो जाइए। यहां भी आपको अपने वोटरों की काफी बरकत लगेगी। चाहे वे इल्लिगल हैं, लड़के को बहादुर कहते हैं क्योंकि वह नौकर बनता है, चाहे वह नेपाल का ही क्यों न हो, बंगलादेश का क्यों न हो, चाहे वह पाकिस्तान का क्यों न हो वहां से नौकर रखते हैं और यहां इल्लिगल इमीग्रेट कहते हैं। वोट हासिल करने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करते हैं और उनका वोट हासिल करते हैं। लेकिन वोट हासिल करके कहते हैं कि वह इल्लिगत माइग्रेंट्स है। मैं खुदा न खास्ता किसी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। बल्कि अपने साथियों से हम्बली अपील करना चाहता हूं कि वह इन खास और सैनसिटिव मामलात में, जरूरी मामलात में पार्टी पालिटिक्स से बाला असर हो जाइए। वादे कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ? बहुत से नौजवान गए लेकिन वापस नहीं आए. बहुत से जो बच्चे यतीम हुए, उनके मां-बाप लौट नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ-साथ हमें आपनी पैरा मिलिट्री फोर्सिज, बी.एस.एफ., सी.आर.पी., मिलिट्री फोर्सिज और सी.आई.एस.एफ. पर नाज और फख्र है। किसी उग्रवादी के माथे पर यह नहीं लिखा है कि यह उग्रवादी है चाहे कोई सिपाही हो या अफसर हो, वह इन्सान है, फरिश्ता नहीं है, किसी मां-बाप का बेटा है। जब ऐसी नौबत आती है तो कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। उन उग्रवादियों से पूछो क्या वे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं करते हैं? हमारे सिपाही किसी मामलात में वॉयलेशन कर सकते हैं। हमारे बहुत से सिपाही वहां मर गए। कितने बेघर हुए? हमारे बहादुर नौजवान देश की आन हैं, शान हैं जिन्होंने एक मायूसी को उम्मीद में तबदील किया और उन उम्मीदों को इनशाह-अल्लाह ने यकीन में तबदील किया। आज हमारे ऑपोजिशन के चीफ व्हिप, जिन का जब कभी यहां रहते दिल तंग आ जाता था और वे वहां जाना चाहते थे तो जा नहीं पाते थे, लेकिन अब की बार हमारे चीफ व्हिप्स और पार्लियामेंट मैम्बर 400 की तादाद में श्रीनगर आए। श्री राम नाथ जी ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं हाउस बोट में रह कर कॉमन मैन के साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने उनसे बात की। कामन मैन चाहे वह खाना पकाने वाला था, चाहे नाव चलाने वाला था, उसने कहा कि हां, यहां सब लोग पेट्रिऑट हैं। वहां फंडामैंटलिस्ट सिर्फ 7 परसैंट हैं और 93 परसैंट लोग हमेशा हिन्दुस्तानी रहे हैं, पेट्रिऑट रहे हैं। वे हिन्दुस्तान के नाम शहीद होने के लिए हमेशा तैयार हैं। वे हर वक्त फलाह व बहबूद के लिए तैयार हैं। कुछ लोग यह बात तशरीह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री वी. वी. राघवन

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर): सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

एक सुस्पष्ट आधार सामग्री उपलब्ध कराते हुए सभा का एक विशेष सत्र बुलाना एक बहुत ही सराहनीय और अभूतपूर्व कदम है जिसकी शुरुआत हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के उत्कृष्ट भाषण के साथ हुई है। इन चार दिनों के दौरान हमारे वरिष्ठ नेताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शनशास्त्र और हमारे सामाजिक ताने-बाने के विभिन्न पहलुओं पर अपने व्यापक ज्ञान से हमें लाभान्वित किया है। एक के बाद एक माननीय मंत्रियों ने यहां आकर अपने उपयोगी विचार व्यक्त किए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं यह कहता हूं कि किसी बात को दोहराना, चाहे वह कितने ही अच्छे शब्दों में कही गई हो, एक तरफ की मानसिक पीड़ा देने वाली बात होती है।

मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं।

दुर्भाग्यवश, मुझे आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से एक पैनल-चर्चा सुनने का मौका मिला। चर्चा में भाग लेने वालों में से एक वक्ता पंडित जवाहर लाल नेहरू में दोष निकाल रहे थे। उनका यह विचार था कि पंडित नेहरू ने आयोजना तैयार करने के लिए सोवियत संघ की जिस नीति का अनुसरण किया था वह देश के हित में नहीं थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस चर्चा में भाग लेने वाले इस सदस्य ने सोवियत माडल में किस प्रकार की खामी पाई है।

आजकल घोटालों का दौर चल रहा है। मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि हम में से कुछ व्यक्ति हैं जो "अंकल सैम" की उपासना करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि हमारे महान नेता नकली भगवान हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुत ही सुदृढ़ आर्थिक आधार और सुस्पष्ट भविष्यदृष्टि के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की। उस दिन, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने यह कहा था कि आजादी और स्वतंत्रता एक दूसरे से भिन्न हैं। आजादी का अर्थ कुछ और है जबकि स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और है। जब सन् 1947 में हम आजाद हुए थे, तब तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्तियों ने हमारी स्वतंत्रता और आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं दिया था। श्री चन्द्रशेखर ने इस तथ्य को एक वाक्य में कह दिया है। जब पंडित

नेहरू ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में साम्राज्यवादी देशों से संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा था "आपको इस्पात संयंत्र स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।" उनका यह दृष्टिकोण था। वे यह नहीं चाहते थे कि भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। तत्पश्चात् तत्कालीन सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों की सहायता से पंडित नेहरू ने अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूत किया और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया।

आज भारी उद्योगों की हम अनेक व्याख्याएं कर सकते हैं। लेकिन आरम्भ में जब हम साम्राज्यवादियों, पूर्व शासकों का मुकाबला कर रहे थे, तब भारी उद्योगों का होना अत्यन्त आवश्यक था। हमारे इस्पात संयंत्रों भारी अभियांत्रिकी उद्योगों रक्षा उत्पाद एककों तथा तेल के कुओं से, जो हमारे बुनियादी औद्योगिक क्षेत्र हैं, न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि इससे भारत उन देशों को उचित जवाब देने में भी सफल रहा है जो यह चाहते थे कि हम उन पर निर्भर रहें। इसीलिए जब हमने सक्षम होकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया तब भारत की बात सभी द्वारा सुनी गयी।

हम यहां अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहे हैं। इस समय, आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के प्रसारण से पैनल चर्चा में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भुलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करना खेदपूर्ण है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की किसी को भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार पैनल चर्चाएं चल रही हैं, वे इस उत्सव के अवसर पर उचित नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा। हमारे विकास कार्यों में उनके असहयोग के बावजूद हमने प्रगति की है। मैं एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के भूतपूर्व शासकों के प्रति चिंतित हूं। भूमण्डलीकरण के नाम पर वे हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते हैं। उनकी शब्दावली में भूमण्डलीकरण का अर्थ एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद है। वे यहां आकर संयुक्त उद्यमों में निवेश करना चाहते हैं। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है तथा उनके लिए अवसर उपलब्ध कराये हैं। यहां, मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा। हम विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वागत करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व उपनिवेशवादी शक्तियां यहां एक नए नाम से, हमारे बाजार का एक नए तरीके से दोहन करने और धन लूटने तथा हमारी राजनैतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने हेतु आ रही हैं। हमें इस सच को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए।

मैं इससे सहमत हूं कि वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में हमें कतिपय विश्व स्तरीय समझौते करने होंगे। लेकिन यह कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के साथ 31 दिसम्बर, 1994 को जो हमने समझौता किया वह हमारी एक भूल थी। इस समझौते में ऐसी शर्तें हैं जो हमारे अनिवार्य हितों के एक दम विरुद्ध हैं। एक तर्क यह दिया गया कि जब प्रत्येक राष्ट्र इस पर हस्ताक्षर कर रहा है, तो भारत इससे कैसे अलग रह सकता है। हम उन शर्तों के विरुद्ध तर्क दे सकते थे जिनसे हमारी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को खतरा था। विश्व व्यापार संगठन एक बड़ी औपनिवेशक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह समूचे विश्व को प्रभावित करने वाला महा संगठन है। यह हमारे बाजार पर नियंत्रण करने और हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास कर रहा है।

यदि अब आप बौद्धिक सम्पदा अधिकार और "ट्रिप्स" (टी.आर.आई.पी.एस.) पर एक नजर डालें तो आप पाएंगे कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार और "ट्रिप्स" के नाम पर वे हमारे भेषजीय उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भेषजीय उत्पादों का उत्पादन तो हम स्वतंत्रता पूर्व से ही करते आ रहे हैं और आज वे कह रहे हैं कि उनके पास पेटेन्ट का अधिकार है। इस संबंध में यहां याचिकाएं भी दाखिल की जा रही हैं।

कुछ लोग हमें यह कहकर सांत्वना दे रहे हैं कि यदि हम औषधियों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के दावों को मान भी लेते हैं, तो मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। हो सकता यह बात सही हो, परन्तु इसका हमारी प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ता है। 96 करोड़ की जनसंख्या वाला यह महान देश स्वयं ही औषधियों का उत्पादन करने और उन्हें वितरित करने का अधिकार रखता है।

चीन ने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किए, अमेरिका ने उसका क्या कर लिया? उन्होंने चीन पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा कर उसे विवश करने का प्रयास किया। उन्होंने चीन पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। लेकिन इसका क्या परिणाम निकला? चीन ने उनकी एक नहीं मानी और महान अमरीका ने लगाए गए प्रतिबन्धों को स्वयं ही हटा लिया क्योंकि चीन को कोई नुकसान नहीं था। वे विश्व बाजार में व्यापार में हैं और उनके हितों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए अमरीकी व्यापारी समुदाय ने राष्ट्रपति क्लिंटन पर प्रतिबन्ध एक तरफा रूप से वापिस लेने के लिए दबाव डाला। ऐसा हो रहा है इस दुनिया में। इसलिए विश्व व्यापार संगठन की शर्तों पर हस्ताक्षर करना तो ठीक है परन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसकी शर्तें हमारी प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव न डाले।

जो औपनिवेशिक ताकतें हमारे देश में आ रही हैं, वे हमारी समस्याओं को हल करने नहीं आ रही हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। बाजार पर नियंत्रण के लिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है। वे अपनी समस्याएं हमारी कीमत पर हल करना चाहती हैं। यही उनका इरादा है। हमारे नीति निर्माताओं को चाहिए कि उनके इस इरादों को ध्यान में रखें। यह बहुत अच्छा है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया है। विकास में बाधक नियंत्रण, परमिट और अन्य बाधाओं को समाप्त कर दिया है, जो कि नि:संदेह उचित है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इन उपनिवेशवादियों द्वारा नए नियंत्रण लाए जा रहे हैं। हमने अपने नियंत्रणों को समाप्त कर दिया है परन्तु उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने हमारे व्यापार पर नियंत्रण कर लिया है। वे हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम अपनी निर्यात नीति को बदलें।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय वाशिंगटन की यात्रा पर जाने वाले हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है; इसीलिए अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय

संबंधों से संबंधित हमारी नीतियों में से किसी भी नीति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। व्यापक परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमें इसका अनुभव हो चुका है। लेकिन मैं पुन: यहां पर चेतावनी देना चाहूंगा कि भारत में कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहती हैं क्योंकि हमारी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनका हित बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवादी ताकतों के साथ सहयोग करने में है। इसीलिए हमारे मौलिक कानूनों, हमारे पेटेन्ट कानूनों और आयात नीति में परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है ताकि बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों को लागू करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ प्राप्त हो सके। ये सभी दबाव अमरीका और उपनिवेशवादी देशों द्वारा डाले जा रहे हैं।

श्री क्लिंटन को भारतीय बाजार में कुछ ज्यादा रुचि है। उन्हें हमारे पेटेन्ट संबंधी कानूनों में परिवर्तन करने में अपेक्षाकृत अधिक रुचि है। उन्हें हमारे देश के महत्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए संयुक्त उद्यम लगाने में रुचि है। संभवत: श्री क्लिंटन चाहते हैं कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन इस समय वे आर्थिक पहलुओं के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। 96 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान मंत्री में हमें पूर्ण आस्था है। श्री क्लिंटन का कैसा भी दबाव सफल नहीं होगा। अत:, आर्थिक मामलों में हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा होनी चाहिए। बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की रक्षा होनी चाहिए। वे हमारे यहां संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्रवेश करना चाहते हैं। हमने पहले ही 51 प्रतिशत हिस्सेदारी उन्हें आबंटित कर दी है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वी.वी. राघवन: लोक सभा का यह विशेष सत्र सोमवार को समाप्त होगा। मैं सभा के सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियों के बारे में है।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वी.वी. राघवन: बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने दूसरों को समय देने में काफी उदारता बरती है।

सभापति महोदय: आप "दो मिनट" का समय कितने बार लेंगे?

श्री वी.वी. राघवन: मुझे लगता है कि आपकी मेज पर रखी इलेक्ट्रोनिक घड़ी ने सदस्यों के बोलने के वक्त ही काम करती है। जब हम बोलते हैं तभी घंटी बजती है और जब वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं तो नहीं बजती। वे घंटों तक भाषण देते हैं। बस आप मुझे एक और बात बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी आज्ञा मान लूंगा।

आज हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी का मूल कारण मौलिक भूमि सुधारों का न होना है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। आपको बिहार में मौलिक भूमि सुधारों का ज्यादा अनुभव है। लेकिन बिहार के गांवों में क्या हो रहा है? जब तक आप ग्रामीण किसानों को भूमि नहीं देते तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और इसीलिए भूमि सुधार की समस्या है, को मैं आप पर छोड़ता हूं।

मेरा एक मुद्दा कृषि कामगारों के विधेयक के बारे में है। यह 18 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विभिन्न संगठनों के साथ विभिन्न स्तरों पर कई बार चर्चा हो चुकी है। विधेयक तैयार है, परन्तु इसे पारित नहीं किया जा रहा है। हमारे लगभग 22 करोड़ कृषि मजदूर भूमिहीन हैं। न उनके सिर पर छत है और न ही उसके पास रोजगार है। उनकी भूमि, मकान और रोजगार संबंधी मांग को दबाया नहीं जा सकता। जब तक कृषि मजदूरों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी की जाएगी तब तक देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही लोग हमें भोजन देते हैं। वे हमारे लिए पसीना बहाते हैं। उन्हीं के कारण हमारी कृषि की पैदावार बढ़ती है। हमारी उत्पादकता बढ़ती है। यह किसके बल पर बढ़ती है? नि:संदेह उन कृषि मजदूरों के बल पर ही बढ़ती है।

मेरे विद्वान मित्र श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार इस विधेयक को प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें अब वित्त के स्थान पर श्रम मंत्री बना दिया गया। वे अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वे स्वयं अकेले ही न तो इस विधेयक को पारित कर सकते हैं और न ही इसे लागू कर सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए इस कृषि विधेयक को स्वीकृति के लिए पूरे सदन की सहमति आवश्यक है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गुढ़े (अमरावती): अभी आधे घंटे पहले जो लिस्ट बनी थी, उसमें मेरा नाम था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ऐसे मामले फ्लोर पर रेज नहीं किये जाते हैं।

[अनुवाद]

ऐसे मामलों को सभा में नहीं उठाया जाता है। कृपया बैठ जाइए। आपकी बारी भी आएगी। कृपया धीरज रखें।

श्री अनादि चरण साहू (कटक): महोदय, मैं उन सात दुखी आत्माओं की ओर से बोल रहा हूं जो पूरी रात इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए बैठे रहे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

रात को जो सदस्य रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिल चुकी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के मामले में रात को बैठने वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख): बोलने के लिए समय की सीमा रखिए।

सभापति महोदय: यह तो आप ही रख सकते हैं। देखिए, अब आप उनका समय ले रहे हैं। आप अपने टर्न पर इसका ख्याल रखिएगा।

श्री भक्त चरण दास

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आजादी की इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर विशेष अधिवेशन बुलाने का काम किया है। आज के दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है और उनको नमन करने का दिन है। आज के दिन यह समीक्षा करने का दिन है कि हमने इन पचास सालों में क्या खोया और क्या पाया।

महोदय, बहुत सी बातें हमारे माननीय सदस्य कह चुके हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर, हमें जो लग रहा है, कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमने जो व्यवस्था अपनायी है, राजतन्त्र अपनाया है, उसमें तरक्की तो जरूर हुई है। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने और कुछ शहरों का विकास हुआ है। शहर में रहने वालों का विकास हुआ है। आज टी.वी. का विकास हुआ है और दूरसंचार का विकास हुआ है। लेकिन एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता नहीं बन पाया है। क्या एक-एक गांव में दूरभाष और टी.वी. की व्यवस्था कर पाए हैं। हमने आजादी के बाद एक गांव को एक इकाई माना था। इस विचारधारा को हमने भारत की मुख्यधारा से अलग कर दिया है। जब यह स्थिति है, तो देश कैसे तरक्की करेगा। इन पचास सालों में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन आज तक गरीबी बहुत तेजी से बड़ी है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। जितने भी हमारे गरीब देश है, उनको हमने आइडेंटिफाई करने का काम नहीं किया है। रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ रहे हैं। बोडो लैंड का आन्दोलन चल रहा है, उत्तराखण्ड का आन्दोलन चल रहा है, तेलंगाना का आन्दोलन चल रहा है, विदर्भ का आन्दोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ का आन्दोलन चल रहा है, पश्चिमी उड़ीसा का आन्दोलन चल रहा है। इन कारणों को जानने की कोशिश नहीं की गई है। हमने अपने पंचवर्षीय प्लान में उसका स्वरूप रखने की कोशिश नहीं की है। इस चर्चा के बाद मुझे पता नहीं कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं कोई आशा नहीं करता हूं। मेरे जैसे नौजवान के लिए एक कष्ट की बात है। सोमनाथ जी ने कहा कि एक स्ट्रांग सैन्टर होना चाहिए। केन्द्र को मजबूत होना चाहिए, लेकिन केन्द्र कैसे मजबूत हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए।

अपराह्न 5.05 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

भारत को बनाने के लिए ग्रामीण जनता को मजबूत होना चाहिए और ऐसे स्ट्रक्चर में हम एक-दूसरे के विचार को सबसे सराहनीय मानें। दूसरे का विचार गलत है हमारा विचार अच्छा है, हम सरकार में आ जाएंगे तो देश का बहुत विकास हो जाएगा और दूसरे लोग सरकार में रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। जब एक-एक पार्टी में पांच-पांच प्रधान मंत्री बनने वाले रहेंगे तो ये जो डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रांग होंगे? जब पोलिटीकली इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस केन्द्र में कैसे पावरफुल सरकार रह सकती है या केन्द्र मजबूत रह सकता है।

महोदय पांच पार्टियां मिल करके फाइव ईयर प्लान की जगह पर दस साल की योजना बनाएं। यह कभी नहीं सोचते हैं कि हम पांच पार्टियां मिल करके, अपनी पार्टी का जो इंटरेस्ट है, पार्टी में रहने वाले व्यक्ति की प्रधान मंत्री की लालसा या सत्ता में रहने की लालसा है, उससे हट करके सब पार्टी के लोग अगर मिल कर दस साल का एक प्लान बनाएं कि दस साल में हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, हमारी ये खामियां हैं उसको आइडेंटीफाई करो और उसका समाधान करने के लिए दस साल की योजना बनाएं। एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं और पार्टी के इंटरेस्ट को भूल जाएं। आप जातीयता की बात करते हैं हर धर्म की बात करते हैं। महोदय, गरीबी हटी नहीं, गरीबी अभी भी है। आज भी किसान की हालत बहुत खराब है। आज हमारे अध्यक्ष महोदय नारा दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि और ग्रीन रेवोल्यूशन करने की स्थिति में है? यह तो ठीक है कि सब लोग अपने भाषण में जनता को ऊपर उठाते हैं। जनता तो अपनी जगह पर है, जो मुट्ठी भर पांच प्रतिशत लोग हैं, जो तमाम लोग हैं चाहे जिले की पंचायत में बैठने वाले हों, ब्लाक का प्रमुख हो या जिले का प्रमुख हो, असेम्बली में बैठने वाले हों या पार्लियामेंट में बैठने वाले हों, ये मुट्ठी भर लोग जनता को अपनी-अपनी बातों से गुमराह करके, जैसे ये अपने को डिवाइड कर चुके हैं उसी तरह से जनता को भी तोड़ कर रख दिया है। जनता को तरह-तरह के स्लोगन देकर उसकी हालत और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैसे और ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है? प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? मैं अपना उदाहरण देता हूं, हमने पंचायत में कुछ सरपंच जिताए, कुछ ब्लाक के प्रमुख बनाएं। हम जिन लोगों को जिताते हैं हमारे संसद के सदस्य, मंत्री या बड़े नेताओं की बात छोड़िए। हमने कुछ लोगों को जिताया है और वे जीतने के बाद कहते हैं कि मैं कैसे जीऊं, जिन्होंने उसको वोट दिया उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वे लोग कैसे जीएं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अपनी व्यवस्था के बारे में व्यक्ति जीतने के बाद तुरंत सोचने लगता है और जनता को दूर कर देता है। हम लोग प्लान और टैक्नोलॉजी तथा पालिसी संसद में बैठ कर बनाते हैं, असेम्बली में बैठ कर और जिला प्रशासन में बैठ कर बनाते हैं लेकिन उससे होता कुछ नहीं है।

महोदय, हम जनता से वोट तो जैसे-तैसे प्रोवोकेटिव स्लोगन देकर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर मांगते हैं। मैं दलित जाति का हूं, क्या कोई जानता है कि मैं दलित हूं। मैं दलितों के लिए अपने क्षेत्र में काम करता हूं, मैंने कभी जाति का स्लोगन नहीं दिया। इसलिए मैं यह कहता हूं कि कर्म के आधार पर हम जीत कर आते हैं और कर्म के आधार पर हमारे तमाम देश के नेता जीत सकते हैं। उनमें विचार है, सोच है, हम देख रहे हैं। हम चार दिन से देख रहे हैं कि हर कोई सोच रहा है कि कर्म के आधार पर पार्टियां बनाई जानी चाहिएं। महोदय, मूल्यों के आधार पर कोई कितने दिन देश के लिए

मरा या जेल गया, उसके आधार पर टिकट दिया, आज किस आधार पर टिकट दिया जा रहा है? जिसके पास पैसा है उसको टिकट दिया जा रहा है, कोई वोट मोबलाइज कर सकता है उसी को टिकट दिया जा रहा है। मैं हर पार्टी की बात कह रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आज किस को टिकट दिया जा रहा है, जो नेताओं के इर्द-गिर्द हैं। ऐसे लोग शासन चलाएंगे, ऐसे व्यक्ति लोगों के हित में नीतियां बनाएंगे, जो चंद मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च करके पढ़ाई की है। वह लोग कार बना कर गांधी जी के सपने को साकार करने लगते हैं। यह कतई नहीं हो सकता है। इसलिए सारा प्रोग्राम गांव से बनना चाहिए। गांव को छूट देनी चाहिए—चाहे वह सरपंच हो, प्रमुख हो। गांव की जनता को बुला कर गांव का प्रोग्राम बनना चाहिए। फाइव इअर प्लानिंग दिल्ली से नहीं बननी चाहिए। वह गांव से बननी चाहिए। आज के समय को देखते हुए वह फाइव इअर की न बन कर दस साल की बननी चाहिए। मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के पास 4-5 व्यापार हैं और लाखों-करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप 50 साल बाद रिफार्म्स लाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि एक व्यक्ति को एक रोजगार मिलेगा। आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं लेकिन संसद के सदस्यों को 1500 रुपये देकर भ्रष्टाचार दूर करना चाहेंगे। जो संसद की गरिमा नहीं रख सकता है, क्या उस देश में ब्यूरोक्रेसी और पैसे वाले अपने हिसाब से काम करेंगे? चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, संसद सदस्य हो या विधायक हो उनके परिवार को चलने लायक मापदंड निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद अगर कोई करप्शन करते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए या फांसी का दंड देना चाहिए। आज हम ऐसी व्यवस्था कर नहीं सकते हैं। सब जानते हैं कि चुनाव पैसे से लड़ा जाता है। आप चुनाव को पैसे से बंद कीजिए। हर नेता जाकर भाषण दे। वह कर्म और विचार के आधार पर जीत कर आएं और देश बनाएं। पालिटिकल पार्टी के जो छोटा-छोटा कैडर बनते हैं मुझे दुख है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे कैडर बनाए हैं। आज भी कुछ कैडर्स हैं। कैडर्स बनाने के लिए जे.एन.यू. यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से नौजवान लोग दौड़ कर आते थे। वह अपनी पूरी जिन्दगी को उसमें लगा देते थे। पूरा जीवन रिसर्च पर सोचते थे और ड्राफ्टिंग करते थे। आज क्या हो रहा है? आज हम किस को कैडर मान रहे हैं? जैसे राजनैतिक कार्यकर्ता आजादी के समय थे, वैसे कार्यकर्ता आज किसी पार्टी में नहीं हैं। इस माहौल को सुधारने के लिए हर पार्टी की तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता है। आज चिन्ता करने का समय है। काम के अधिकार को लागू करने का समय है। जो कुछ भी हो रहा है, हर चौराहे, ब्लाक या पंचायत या गांव या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर और सब जगह सारी इंफार्मेशन जनता को मिलनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि हमारे नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है? राइट टु इंफार्मेशन जितनी जल्दी हो सके, उसको लागू करने के लिए सोचना चाहिए। पासवान जी कह रहे थे कि जाति व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। क्यों नहीं बदली जा सकती? इस देश में जाति व्यवस्था को बनाए रखा जा रहा है। यहां धर्म अपनी जगह पर है। मैं धर्म की परिभाषा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक नौजवान हूं। धर्म की परिभाषा हम से ज्यादा दूसरे लोग जानते हैं। धर्म धर्म है। जो अच्छा है, वह धर्म है। जाति को बदला जा सकता है। आप इसके लिए समय तय कर दीजिए और कह दीजिए कि हम 20 साल से दलितों को इन्सान लायक बनाएंगे। इसके बाद वर्ण व्यवस्था हटा दीजिए। आप-हम उनको इंसान नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें कमजोर बनाना चाहते हैं। उनके साथ राजनीति करना चाहते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं। कहते हैं कि हमने यह दिया, वह दिया। इसलिए हमको वोट दो और हमारे साथ रहो। कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी इस नेता के साथ, कभी उस नेता के साथ उन्हें जोड़ते हैं। आप उन्हें इंसान बनाइए। गरीबों को 10 साल, 15 साल, 20 साल में इन्सान बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, वह देकर इन्सान बनाइए। उन्हें काबिल बनाने के बाद जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था हटा दीजिए। हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। इससे क्या मिल रहा है? आज भी 50 साल के बाद एस.सी. और एस.टी. के जितने लोग पढ़े-लिखे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पायी है और उनका रोस्टर फिल-अप नहीं हो पाया है।

आज भी ऐसी हालत है कि ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन हुआ है, कितने लड़कों को नौकरी मिली है, रिजर्वेशन से कुछ होगा नहीं। गरीब आदमी हैं। अगर 20 साल तक दलितों को अपना स्वाभिमान दिया जाये और उसके बाद जाति व्यवस्था हटा दी जाये और गरीब व अमीर के बीच में जो स्थिति है, उससे जातीय तनाव नहीं रहेगा, न दलित अपने को छोटा मानेगा, न दलित लोग हिंसा करेंगे। हमें यह बात सोचनी चाहिए कि दलितों पर कोई आक्रमण न हो। दलितों का स्वाभिमानपूर्ण जीवन हो, यह सत्ता में रहने वालों को सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत पीड़ा के साथ यह कह रहा हूं कि यहां पर आर्थिक विकास और विदेशी पूंजी के बारे में सब चर्चा कर रहे थे। जब हम इन्सान को महत्व नहीं दे पा रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय: आपके 14 मिनट हो गये हैं, कनक्लूड करें।

श्री भक्त चरण दास: उपाध्यक्ष जी, जब इन्सान को महत्व नहीं दे रहे हैं तो हम भारतवर्ष के तमाम गांवों को महत्व नहीं दे रहे हैं और केवल 2-4 तकनीकी विकास को महत्व दे रहे हैं तो हम भारत को आगे ले जाने को चाहेंगे तो भी हमें डर है कि हम आगे नहीं ले जा पायेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पापूलेशन कंट्रोल के बारे में जो राय आ रही है, करीब-करीब सब लोग कह रहे हैं। भारत के भविष्य को देखते हुए यह कंट्रोल जरूरी है। यदि हम ईमानदार हैं तो तीन बातें—एग्रीकल्चर बिल, इलैक्शन बिल और लोकपाल बिल। क्या इस सदन में हर पार्टी के नेता बैठकर बिल के एक पन्ना पर विचार करके एक एग्रीमेंट करके इनको पास कर सकते हैं? यदि हम सब एक हैं तो इनको पास करना चाहिये। यदि नहीं कर सकते तो इस बहस का कोई मूल्य नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य की जो बुरी हालत है, गांव में मां और बच्चों की बुरी हालत है, उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाये, शिक्षा का सुधार किया जाये और कृषि की व्यवस्था को सुधार दिया जाये। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को मजबूत बनाते हैं तो हमारा किसान मजबूत होगा। यदि हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों का स्वास्थ्य सुधार कर दें तो हमारे खेत में उपज ज्यादा करा सकते हैं। हम मजबूत रह सकते हैं। शिक्षा सब के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से अर्ज करता हूं कि इस आजादी के अवसर के जो अधिवेशन हुआ है और हर पार्टी ने अपने-अपने विचार रखे हैं, उसके लिए जनता बाद में सांसदों को गाली न दे या संकीर्णता की नजर से न देखे, इसलिए संसद सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कोई नेशनल एजेंडा ऐसे बनायें कि जो भी पार्टी भविष्य में शासन में आये, वह राष्ट्र के हित में उस नेशनल एजेंडा के आधार पर काम करे।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस विशेष सत्र के बुलाये जाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी का अभिनन्दन करना चाहूंगी और उसके पश्चात् मेरे विषय पर विचार रखना प्रारम्भ करूंगी। लगातार चार दिनों से जिन-जिन विषयों पर यहां पर चर्चा हुई, मैंने बड़े गौर से सुना। उसमें विशेषरूप से महिला और पुरुष के भेद के विषय में कभी किसी वक्ता ने अपना वक्तव्य नहीं दिया। इसलिए इस विषय को लेकर मर्यादित रूप से अपने विचारों को यहां रखने का प्रयास कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्र विचार मंथन का एक उपयुक्त माध्यम रहेगा और उसका जो नवनीत निकलेगा, उससे देश का भविष्य बनेगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करती हूं, देश नई दिशा में नई करवट लेगा और आजादी के 50 वर्ष में जो हमने पाया और जो गंवाया, उसका भी योग्य तरह से विचार कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमने इन 50 वर्षों में स्वत्व, स्वाभिमान और स्वावलम्बन इन तीनों को गंवाया है और अधिक जो कुछ पाया है, उससे हम अस्वस्थ और चिन्तित हो चुके हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है।

इस देश की संस्कृति तथा अति प्राचीन परम्परायें विश्व को दिशा निर्देशन करने वाली हैं। इस देश ने पहले से ही गणतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। नर-नारी की समानता को मान्यता दी है। जब दोनों घटकों को पूरी समानता के साथ महत्व प्राप्त होगा तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है और उसी के कारण देश में पुनश्च: स्वर्ण युग भी आ सकता है। समाज के पूरे 50 प्रतिशत इस घटक की तरफ यदि योग्य ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इस देश का, समाज का विकास नहीं हो सकता है। देश का आधा हिस्सा पैरेलाइज हो जाये तो राष्ट्र समृद्ध कैसे हो सकता है? बगिया के हर पौधे की तरफ माली को ध्यान रखना पड़ता है। यदि बगिया को सुशोभित और सुगंधित करना है तो महिलाओं की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

50 वर्ष में नारी समाज की ओर दुरलक्ष्य हुआ है। इसलिए देश की 50 प्रतिशत महिलायें अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी हुई हैं और दुखी हैं। महिलाओं को व्यक्ति के नाते जीने की स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। प्राचीन समाज की नारी रणक्षेत्र में युद्ध भी करती थी। हथियार चलाना भी जानती थी। घुड़सवारी भी करती थी अनेक वीर नारियों के पराक्रम से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। सर्वगुण संपन्न होकर अपना पति अपने आप चुनने का अधिकार भी प्राप्त होता था किन्तु आजादी के पश्चात् के समय में नारी की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई इसे सुधारने का अल्प-सा प्रयास हुआ। लेकिन वह प्रयास तो इतना प्रभाव नहीं हो सका। इस वास्तविकता को हम नकार भी नहीं सकते। पुरुष प्रधान मानसिकता बढ़ती गयी और नारी को दुर्बल बनाने में लोग अधिक सफल होते गये। वैसे नारी दुर्बल नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में भी नारी ने अवसर प्राप्त होने पर पुरुषों की मोनोपॉली को तोड़ा है। माउंटेनियरिंग (पर्वतारोहण), पायलट बनकर हवाई जहाज चलाना आदि काम करके पुरुषों की मोनोपॉली को तोड़ने का काम महिलाओं ने किया है। कुशाग्र बुद्धि, कार्यकुशलता के साथ नारी अवसर मिलने पर पुरुषों से भी आगे निकल जाती है, इस भय से पुरुष समाज नारी को रोकने का प्रयास करते रहे हैं।

शिक्षा एक अत्यंत आवश्यक चीज है। भारत देश में ग्राम्य जीवन में यदि हम जाकर देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से ज्यादा भूख की तरफ ध्यान दिया गया है। इसलिए बालिकाओं को पढ़ाने से ज्यादा काम में लगाये जाने का प्रयास होता रहा। माता-पिता काम पर जाते हैं तो अपने छोटे-भाई-बहनों को संभालने की जिम्मेदारी अपनी पुत्री पर छोड़ देते हैं। इस वजह से अशिक्षा बढ़ती ही चली गयी। भुखमरी भी बढ़ती गयी। सावित्री भाई फुले जैसी नारी ने सामाजिक अवहेलना झेलते हुए भी शिक्षा का महत्व समाज को समझाने का प्रयास किया। इतिहास उसका साक्षी है। आज अशिक्षा ही सामाजिक जीवन को छिन्न-भिन्न कर रही है। साक्षरता के महत्व को सरकार ने माना है। किन्तु नारी साक्षरता के जितने भी आंकड़े बताए गए हैं, वे सब प्रमाण बहुत ही कम हैं, इसमें कोई असत्य बात नहीं है। उसे हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि महिलाओं में साक्षरता का प्रभाव बढ़े इसलिए कौन-सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

'चिकित्सा' का विषय भी नारी के लिए एक संवेदनशील विषय है। समाज में ऐसा भी पाया गया है कि पुत्र को दूध, दही, घी आदि पौष्टिक आहार दिया जाता था लेकिन लड़कियों को जब खाना परोसा जाता था तो उस समय उसको सूखी रोटी, नमक और चटनी के साथ खिलाने का प्रयास हुआ है। यह हम भूल नहीं सकते। यह भेदभाव परम्पराओं में कैसे चला, इसका हमें शोध लेना होगा। नारी को मातृत्व का वरदान प्राप्त है। शिशु को जन्म देने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। नई पीढ़ी को तैयार करने का भी काम उसी का है तो उसके प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन भेदभाव की शिकार नारी वह यह काम नहीं कर सकती। भेदभाव की परम्परा के कारण ही आज हम 'भ्रूण हत्या' के अपराधों को देख रहे हैं। आज मैं यह बताने जा रही हूं कि यूनीसेफ द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में करीब 2 करोड़ 90 लाख महिलायें आज अधिक जीवित होतीं। अभी-अभी 25 जुलाई 1997 को यूनीसेफ के एक एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री केडीले बिलावी ने अपने पत्रकार परिषद में यह आंकड़ा दिया और उन्होंने यह बताया कि 2 करोड़ 90 लाख महिलायें आज अधिक जीवित हो सकती थीं। लेकिन भ्रूण हत्या, बाल्यावस्था में कन्या की हत्या और बचपन में ही उपेक्षा के कारण मृत्यु, इन सभी कारणों से यह महिलाओं की संख्या कम करने के कारण है।

मैं यह बताना चाहूंगी कि नारी अत्याचारों के कई प्रकार हैं— बलात्कार, जातीय गुलामी, परिवार में उत्पीड़न, सौन्दर्य नष्ट करने के प्रयास और अंत में हत्या करना, इन अत्याचारों में लगातार वृद्धि होती चली गई है। बलात्कार का मामला मूलभूत मानव अधिकारों के हनन के साथ निजी स्वतंत्रता और जीने के अधिकार के हनन का भी मामला होता है। बलात्कार मानवीयता और नैतिकता की दृष्टि से जघन्य और असभ्य अपराध है। छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कर नि:सन्देह रूप से नीयत और नीचता की पराकाष्ठा है। बलात्कार की शिकार नारी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए हमें सोचना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित नारियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उसके अलग-अलग प्रकार के कारण माने जाते हैं। जाति, भाषा, धर्म के आधार पर वे राजनीति की शिकार होती हैं। उत्तराखंड की मांग को लेकर आने वाली महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या यह राजनीति से प्रेरित नहीं था, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सामूहिक बलात्कार, 4-5 वर्ष की बालिकाओं के साथ बलात्कार, सरपंचों के ऊपर बलात्कार, निर्वस्त्र करके गांव में घुमाना आदि बातों से राजनीति की गंदी बू आती है। नयना साहनी, सरला मिश्रा और विधायक की पत्नी की हत्या के पश्चात् टुकड़े करके नदी में बहा देना, यह सब राजनैतिक हत्याओं के ही प्रमाण नहीं हैं। इसका आत्म-संशोधन करने का यह समय है, ऐसा मैं मानती हूं।

दहेज भी एक सामाजिक दूषण बना हुआ है। विवाहिताओं को जलाना या दहेज के लिए जलने पर मजबूर करना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कानपुर की तीन बहनों को आत्महत्या करने की नौबत आई। दहेज के लिए सरकार ने कानून तो बनाया किन्तु कानून का अमल कहां हो रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। यूनीसेफ की रिपोर्ट में, जिसमें 'प्रोग्रैस ऑफ नेशन्स' में उन्होंने बताया है कि हमारे भारतवर्ष में हर साल 5,000 महिलाएं दहेज की शिकार होती हैं और हर दिन कोर्ट में 95 केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये दहेज के दूषण पर बलि चढ़ने वाली महिलाओं की संख्या है।

वैश्या व्यवसाय भी नारी जीवन के लिए एक कालिमा है। स्वेच्छा से यह व्यवसाय कोई भी नारी नहीं कर सकती। नारी जीवन का शोषण करने की यह बात बहुत ही गंभीर और चिन्ताजनक है। स्त्री का अपहरण करना, बेचना और उसके दलाली के पैसे से अपने आपको सम्पन्न बनाना, ऐसे कई गिरोह भारत में बने हुए हैं। अपना शरीर बेचकर यदि कोई नारी एक हजार रुपये कमाती है तो उसमें से 700 रुपये उसे जबरन धंधा चलाने वाले लोगों को देना पड़ता है। अपनी भूख और अन्य आजीविका के लिए उसके पास सिर्फ 300 रुपये ही बाकी रहते हैं। इसी के साथ देवदासी प्रथा आजादी के 50 वर्षों के बाद भी यदि आज अस्तित्व में है तो यह सामाजिक जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा मैं मानती हूं।

आजादी के पश्चात् कई घोषणाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताने का हमने प्रयास किया। सरकार ने भी किया। 1950 में भारत के संविधान ने महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान किया, रचनात्मक कार्य के लिए शक्ति प्रदान की गई। 1971 में समानता की ओर 'टूवर्ड्स इक्वेलिटी' के शीर्षक से सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी नीतियों के लक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया गया। छठी योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, रोजगार का संभरण सेवाओं के बारे में भी सक्षम करने हेतु कुछ नीतियां बनाई गईं। 1953 में भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। 1985 में महिला और बाल विकास के लिए भी हमने सोचा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करके महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करने के लिए भी हमने एक कदम और उठाया। इन सारे कदमों को उठाने के पश्चात् भी नारी उत्पीड़न और नारी के अत्याचारों के लिए नारी और पुरुष के बीच के भेदभाव के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, यह बात आज हमें स्वीकार करनी चाहिए।

महिलाओं के रोजगार के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। महिलाओं द्वारा दिए हुए काम का लेखा-खाता कभी होता ही नहीं है और घरेलू काम का कोई मूल्यांकन भी नहीं होता। शिक्षित और नौकरी करने वाली महिलाओं पर प्रमोशन के लिए भी अन्याय होता है। बड़े पदों पर नियुक्ति करते समय भी पुरुष प्रधान मानसिकता बीच में आती है। महिलाओं में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कानून प्रदत्त फायदें भी उसे नहीं मिलते। ''मैटरनिटी लीव'' न देनी पड़े, इसलिए उसे काम पर नहीं रखा जाता। टैक्सटाइल उद्योग में पहले जो महिलाओं की संख्या थी, उसमें भी गिरावट आई है। यह उसका प्रमाण है। महिला कामगारों का वर्गीकरण पेज 123 पर आप देखेंगे कि 1991 में 1000 में से 561 पुरुष हैं और स्त्रियों की संख्या 93 हैं। जनसंख्या में भी कामगारों का जो प्रतिशत है, वह भी इस बात का परिचायक है कि महिलाओं के रोजगार की संख्या में कटौती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1961 में जो महिलाओं को काम मिलता था, वह 31.42 प्रतिशत था और 1991-92 में 26.79 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगार देने की संख्या में गिरावट आई है। शहरी विभाग में 1961 में 11.16 प्रतिशत था और लेकिन आज वह गिरावट होकर 9.24 प्रतिशत हो गया है। यह प्रमाण घटता चला गया है। यह निश्चित रूप से यह मानने की आवश्यकता है कि रोजगार की दृष्टि से भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है।

अंत में इस राष्ट्रीय पंचायत में राष्ट्र के सारे सवाल उठे हैं, नीतियां बनाने के लिए हम सांसद लोग योगदान देते हैं। भारत के गणतंत्र में हमें जनप्रतिनिधि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ी है तो हम सब मिलकर देश की 90 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के एक बहुत बड़े घटक को जिसकी संख्या 45 करोड़ है, उसको न्याय दिलाने, सम्मान प्रदान करने और राष्ट्र के निर्माण में उन्हें आगे बढ़ाने का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए और उस कर्तव्य को निभाने के लिए आगे आना है। महिलाओं के तैंतीस प्रतिशत आरक्षण के बिल को शीघ्र पारित करने के बाद नारी समाज का उत्थान होगा और हम अपना सपना पूरा कर सकें तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। इसके साथ अर्धनारिनटेश्वर की 'आदि' कल्पना को साकार करें, इसको ध्यान में रखते हुए आजादी के जो पचास साल बीत गए हैं, आने वाले पचास वर्ष की यदि हम नीव डालें तथा समाज के तमाम घटकों को समानता दिलाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर यह विशेष वाद-विवाद कर रहे हैं। हमारी आजादी की उपलब्धि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय के संघर्ष और आंदोलन की पराकाष्ठा थी लेकिन, यह शर्म की बात है कि गांधी जी को बदनाम करने और उनके सिद्धांतों को नकारने के लिए अब खतरनाक षडयंत्र रचा जा रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि कल इसी सभा में सुनने को मिली थी। यह निंदनीय है। यहां तक कि विजय चौक पर 13 तारीख की रात को हुए सरकारी समारोह में भी गांधी जी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ उल्लेख अवश्य किया गया।

महोदय, कल श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने एक सुन्दर विश्लेषण किया था। उन्होंने विस्तार से और गहराई से बताया था कि किस तरह से आज और आने वाले दिनों में भी गांधीवाद की न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में, प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है।

मैं, गांधी जी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं तथा असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनके बलिदान से हमारी आजादी संभव हो सकी, पावन स्मृति में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

साथ ही, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमने जो प्रगति की है वह बहुत प्रभावी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में चहुंमुखी प्रगति है जो वास्तव में सत्ता पक्ष के तथा अन्य राजनीतिक नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों आदि के प्रयासों से संभव हो सकी है। वे निस्संदेह हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा के पात्र हैं।

महोदय, संसद का यह एक अति विशेष सत्र है जिसमें हम भिन्न-भिन्न मुद्दों से संबंधित बहुत ही क्लिष्ट विषयों पर वाद-विवाद कर रहे हैं। जिनमें एक मुद्दा—बुनियादी ढांचा है। और, मैं अपना भाषण इस विषय पर अधिक केन्द्रित करना चाहूंगा।

इस संबंध में, मैं स्व. इंदिरा गांधी को उद्धृत करना चाहता हूं जो हमारी महान प्रधान मंत्री थीं और जिन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए अत्यधिक कार्य किया। उन्होंने "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम चलाया। उन्होंने कहा था:

> "हमने अनेक वर्षों तक बलिदान देकर केवल इसलिए इतने कष्ट नहीं झेले कि हम विदेशियों को हटाकर स्वयं मालिक बन बैठें बल्कि हमने यह सब अपने लोगों की सेवा करने के लिए किया ताकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और निर्धनतम दुर्बलतम और दुर्गम स्थानों में रहने वाले भी इससे लाभान्वित हो सकें।"

उन्होंने यह बात सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कही थी बल्कि यह बात उन्होंने दिल की गहराई से कही थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने देश के गरीबों की गरीबी मिटाने, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए।

पिछले लगभग तीन वर्षों से हमारे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात प्रतिशत रही है। मुझे शंका है कि क्या हम इस वर्ष विकास दर के इसी स्तर को कायम रख भी पाएगें कि नहीं क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक विकास दर विगत में दर्ज की गई 10 से 12 प्रतिशत दर से गिरकर 5 से 6 प्रतिशत दर रह गई है। निस्संदेह माननीय वित्त मंत्री का वक्तव्य यह है कि अगले तीन-चार वर्षों में यह सात प्रतिशत न रहकर 8, 9 या 10 प्रतिशत हो जाएगी। हाल ही में, विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में हमारे देश की विकास दर के बारे में संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यदि यह विकास दर इसी तरह बढ़ती रही तो अगले सात वर्षों में अर्थात् 2005 तक देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या मात्र 6.3 प्रतिशत रह जाएगी। आज हमारी जनसंख्या का एक-तिहाई हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। कुछ राज्यों में, यह 33 प्रतिशत है तो अन्य में 40 है। महोदय, मेरे राज्य उड़ीसा में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 55 से भी अधिक है।

इसका आकलन दो प्रकार से किया जाता है। इस संबंध में प्रो. लक्कड़ वाला फार्मूला विद्यमान है और दूसरे डी.आर.डी.ए. ने भी सर्वेक्षण किए थे। मुझे अपनी आजादी और उपलब्धियों के बारें में अत्यधिक खुशी है, लेकिन इसके साथ ही, यह हम सभी के लिए आत्मविश्लेषण का अवसर भी है, हमें न केवल आत्मविश्लेषण करना है बल्कि हमें आत्मशुद्धि भी करनी चाहिए। हमें यह देखना होगा कि गलती कहां हो रही है और फिर तदनुसार सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को पुन: सही मार्ग पर लाया जा सके जिससे हमारी विकास दर में तेजी से वृद्धि हो सके।

यद्यपि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी हमारी उपलब्धियां दूसरे देशों की तुलना में यहां तक कि दक्षिण-पूर्व के छोटे देशों की तुलना में भी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। अत:, हमारे पास संतुष्ट होकर बैठ जाने का कोई आधार नहीं है। हमें अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

अब मैं बुनियादी ढांचे के संबंध में बात करता हूं। जैसाकि आप जानते ही हैं कि बुनियादी ढांचे में ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन एकक,

रेल, हवाई परिवहन और जल मार्ग आदि शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिक्षा आती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह किसानों और ग्रामबासियों का देश है, अत: कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। जनसंख्या वृद्धि प्रत्येक के लिए एक सोचनीय बात है। हमारी कृषि की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से मेल नहीं खा रही है। यह भी एक सोचनीय बात है। इस तरह सिंचाई और उर्वरक भी बुनिबादी ढांचे के अंतर्गत आने चाहिएं।

जहां तक विद्युत का संबंध है, आप जानते ही हैं कि विद्युत किसी भी देश की उन्नति और सम्पन्नता के लिए सफलता की कुंजी मानी जाती है। हम विद्युत के बिना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विद्युत के विषय में वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। यह हतोत्साहित करने वाली है। अब हमारे पास अपने ही देश में 18 प्रतिशत विद्युत की कमी है। यह कमी आने वाले वर्षों में बढ़कर 25 प्रतिशत तक हो जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि विद्युत की सर्वाधिक मांग के समय 25 प्रतिशत सप्लाई की कमी रहेगी। समाचार-पत्र में छपी एक खबर को पढ़कर मैं चकित रह गया जिसमें लिखा था कि भारत पाकिस्तान से 3000 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। यह वास्तव में एक शर्मनाक बात है। विद्युत के क्षेत्र में सन 1747 में अपनी स्वतंत्रता के समय जितने विद्युत का उत्पादन हम कर रहे थे वह बहुत ही कम था। उस समय विद्युत का उत्पादन 2000 मेगावाट से कम लगभग 1747 मेगावाट था। आज यह बढ़कर 85,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस प्रकार विद्युत उत्पादन में पचास गुणा वृद्धि हुई है। हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर विद्युत के उत्पादन में भी पचास गुणा वृद्धि हुई है। 1972 में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के समय, प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन की लागत एक करोड़ थी। व्यवहारिक बात यह थी: "एक करोड़ रुपये, एक मेगावाट विद्युत।" अब जब हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, विद्युत उत्पादन की लागत बढ़कर 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट हो चुकी है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के विषय में क्या स्थिति है? भारत में अभी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत केवल 320 किलोवाट घंटा एकक है जबकि विश्व में विद्युत की औसत खपत 2216 किलोवाट घंटा है। यहां तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की दर अधिक है। वहां प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 416 किलोवाट घंटा एकक है। चीन में यह 719 किलोवाट घंटा एकक है। निसंदेह, अमेरिका में यह 10,000 किलोवाट घंटा एकक है और स्वीडन जैसे देशों में 12000 किलोवाट घंटा एकक है। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि हमें अभी कितनी लम्बी दूरी तय करनी है और कितनी शीघ्रता से करनी है। विद्युत की कमी के कारण, आज औद्योगिक मन्दी है। हमारी औद्योगिक विकास दर केवल 5 से 7 प्रतिशत है। जब औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता का कम उपयोग होता है, तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। औद्योगिक उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है। विद्युत के क्षेत्र में देश को 22 प्रतिशत पारेषण और वितरण हानि होती है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड है। संसार में औसतन पारेषण और वितरण हानि 10 प्रतिशत होती है।

यदि हम पारेषण और वितरण हानियों को उपरोक्त स्तर तक घटायेंगे तो स्वत: ही हम 8000 मेगावाट विद्युत बचा पाएंगे। एक मेगावाट विद्युत की बचत का अर्थ है उतना ही विद्युत उत्पादन और 4 करोड़ रुपये की बचत। आज दशा क्या है? आज, हमारे राज्य विद्युत बोर्डों में दयनीय स्थिति बनी हुई है। बोर्डों की वार्षिक हानि 8000 करोड़ रुपये है और संचित हानि 18000 करोड़ रुपये है। यह है इसकी पृष्ठभूमि।

आठवीं योजना में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। निर्धारित लक्ष्य का केवल पैंतालिस प्रतिशत ही हम प्राप्त कर सके। नौवीं योजना में, हमने विफलताओं की पृष्ठभूमि में 57000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बहुत अधिक राशि अर्थात् 2,28,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। लेकिन इतना धन कहां से आयेगा?

हम अपनी विफलताओं का आत्मविवेचन करें। विद्युत के क्षेत्र में हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से बहुत आशा थी परंतु यह आशा पूरी नहीं हुई। केवल ऐनरॉन ही महाराष्ट्र में आयी और एक अन्य फर्म कर्नाटक में आयी। ए.ई.एस. के संबंध में क्या हुआ? उड़ीसा के मुख्य मंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक ने अपने जन्म दिन पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ईब घाटी में दो यूनिटों के लिए ए.ई.एस. का शिलान्यास बड़ी धूमधाम से किया था। हालांकि इस बीच तीन वर्ष बीत गये हैं लेकिन मैंने उस क्षेत्र में ए.ई.एस. को कहीं भी आते हुए नहीं देखा है। यह स्थिति है।

विद्युत क्षेत्र में और अधिक सार्वजनिक खर्च होना चाहिए। इसके बिना हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए, विश्व बैंक रिपोर्ट ने बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश का सुझाव दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस स्थिति में आ गई है कि बुनियादी ढांचे में कमी, विकास की गति को तेज करने के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। भारत को एक अन्य एशियाई शक्ति बनाने की योजना, विद्युत परिवहन और संचार व्यवस्था की भारी कमी के कारण अवश्य ही विफल हो जाएगी।

हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। भारत में राजनैतिक अस्थिरता है। इस प्रकार की मिली-जुली राजनीति और मिली-जुली सरकारें हमारे देश के लोगों में, और विशेषकर विदेशी निवेशकों में विश्वास पैदा नहीं कर सकती हैं। यही कठोर वास्तविकता है। किस बात की आवश्यकता है? फिर, वे कोई मिशनरी नहीं हैं। वे यहां हमारी सेवा करने के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। वे तो व्यावसायिक संगठन हैं। वे यहां लाभ कमाने के लिए आते हैं। उन्हें लाभ कमाने का विश्वास नहीं दिलाया जाता है। राज्य विद्युत बोर्डों और कर ढांचे, में पुनर्गठन की आवश्यकता है और साथ ही नियामक प्राधिकरण की स्थापना और विद्युत के क्षेत्र में अन्य अनेक सुधारों की भी आवश्यकता है। विश्वास की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। यह कार्य किस प्रकार किया जा सकता है? हमारी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अब वह समय आ गया है कि विद्युत उत्पादन और दृढ़ बुनियादी

ढांचे के विकास को अधिक महत्व देने के साथ-साथ नयी आर्थिक नीति के मुद्दों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई आम सहमति हो। इसके साथ-साथ गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत कुटीर उद्योगों और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कल श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने इसकी मांग की थी और इसका विश्लेषण भी किया था। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि गांधीवाद की प्रासंगिकता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बढ़ रही है।

अब मैं परिवहन क्षेत्र के विषय में बात करता हूं। सड़कों की दशा बहुत ही खराब है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन समेत परिवहन क्षेत्र में विकास, मांग के अनुरूप नहीं हो पाया। इस क्षेत्र के लिए आबंटन को पचास प्रतिशत घटा दिया गया है। पांचवीं योजना में, सार्वजनिक क्षेत्र के कुल आबंटन का 6.3 प्रतिशत सड़कों के लिए निर्धारित किया गया था। अब यह केवल तीन प्रतिशत ही है।

दूरसंचार के क्षेत्र में भी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। देश के आधे गांवों को दूरसंचार नेटवर्क में शामिल नहीं किया जा सका है। श्री राजीव गांधी का एक सपना था। टेक्नोलोजी मिशन की स्थापना श्री राजीव गांधी ने की थी। उनका भारत को 21वीं शताब्दी में दूरसंचार सहित कई क्षेत्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ प्रवेश कराने का एक सपना था।

समय आ गया है कि हम उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। वित्त मंत्री की आत्मनिर्भरता की परिभाषा अधिक ठोस नहीं है। यद्यपि खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं, परन्तु इसका सही प्रबंधन नहीं हो रहा है। हमें 20 लाख टन गेहूं का आयात करना पड़ा जो हमारी आत्मनिर्भरता की धारणा पर आघात है। इस बात से हमारी आत्मनिर्भरता, जिस पर हम गर्व करते हैं, ठेस पहुंची है।

यह अच्छी बात है कि हम अनेक विषयों पर वाद-विवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारी समस्याओं पर सभा में चर्चा के अलावा जनता के बीच भी एक बहस होनी चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि इस वाद-विवाद के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर सामने आयेंगे। जब तक इन मुख्य मुद्दों पर हमारे बीच आम सहमति नहीं बनती है, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

हमें बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है। एक मजबूत बुनियादी ढांचे के बिना, सशक्त भारत का निर्माण असम्भव है। विशेषज्ञों के अनुसार, दृढ़ बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए, हमें वर्ष 2001-2002 तक सात लाख और पचास हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी होगी जो 215 अरब अमेरिकी डालर के बराबर है। हम इतनी धनराशि कहां से जुटा पायेंगे? लोगों द्वारा धन दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें सही माहौल तैयार करना है, लोगों में विश्वास पैदा करना है ताकि निजी निवेशकर्ता हमारे देश में आयें। हमें आर्थिक नीति पर चर्चा करनी चाहिए और आर्थिक नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति कायम करनी चाहिए। आर्थिक नीति में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं श्री राजीव गांधी द्वारा कही हुई बात को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

"जैसा हम अपने वर्तमान को बनाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। हम सब मिलकर 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करेंगे। हम सब मिलकर वे परिवर्तन लायेंगे जिनकी आवश्यकता है। हम सब मिलकर प्रगति मार्ग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का सामना करेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसे सशक्त और महान भारत का निर्माण करेंगे जिसके हाथ में शांति और सहिष्णुता की मशाल होगी।"

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो व्यवस्था से संबंधित है। साल में एक दिन रात को हाउस चल गया जैसे रेलवे में रात भर चल गया तो और बात थी लेकिन अब आप देखिये कि आठ लोग हैं, कल रात को भी चला और सवेरे 6 बजे तक चला। मैम्बर्स लोग तो आते-जाते रहते हैं लेकिन पार्लियामेंटरी स्टाफ जो आज रात फिर जागेगा, इनके बीमार होने के अलावा और क्या चारा रहेगा? आज रात में भी ऐसे चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: पोजीशन ऐसी है कि मेरे पास जो लिस्ट है, जो रात में बैठे रहे हैं। जब तक आदमी प्लेटफार्म पर खड़ा है, ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है। जब ट्रेन से दरवाजे पर पहुंच जाता है तो दूसरे को अंदर नहीं आने देता है। दस मिनट कहा गया है, 20 मिनट से कम कोई लेता नहीं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): पिछले कुछ दिनों से हम आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें शामिल होता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने के लिए मौका दिया। जब हम देखते हैं कि 1947 में भारत क्या था और आज क्या है तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत उन्नति की है। खाद्य उत्पादन जो 1950 में 50 मिलियन टन था, आज 198 मिलियन टन हो गया। सिंचाई की व्यवस्था जो 23 मिलियन हैक्टेयर थी आज 80 मिलियन हैक्टेयर में

सिंचाई हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 18.3 से बढ़कर 302 प्रतिशत हो गया। कपड़े का उत्पादन 1215 मीटर से बढ़कर 17250 मीटर हो गया। चीनी का उत्पादन 1.13 मिलियन टन से 15.45 मिलियन टन हो गया। बिजली का उत्पादन 1.7 मेगावाट से बढ़कर 86.3 मेगावाट हो गया। ऐसे स्कूल और सड़कें बन गयीं किन्तु जब हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल था, क्या हमने उसके अनुसार प्राप्त किया है? जब हम देखते हैं कि हमारे समाज की जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या वह पूरी हुई है? जब हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड थी, वह क्या पूरी हुई है, तो हम अपने आपको बहुत पीछे समझते हैं। जब हम उन देशों के साथ मुकाबला करते हैं जिन्होंने हमारे साथ आजादी प्राप्त की थी जैसे चीन, जापान और कोरिया के साथ मुकाबला करते हैं तो हम बहुत ही पीछे दिखायी देते हैं।

जहां तक पावर्टी की बात है, हर तीसरा भारतीय गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्भर कर रहा है और इस देश के जो 36 परसेंट लोग हैं उनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। देश का जो गरीबी के साथ इल्लीट्रेसी है, वह 50 परसेंट है। दुनिया में जितने अनपढ़ हैं, उसका आधा हिस्सा भारत देश में है। अनइम्पलायमैंट चार करोड़ के करीब है। भारत की पर केपिटा इंकम 340 डालर है जबकि सिंगापुर की 26730 डालर है। हांगकांग की 23 हजार डालर है। कोरिया की 9730 डालर है। कालाहांडी की जब चर्चा हो रही थी कि लोग भूख से मर रहे हैं और जहां लोग बाढ़ से डूब रहे हैं तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद हमारी क्या दशा है और हमारी जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं, उसको हम पूरी नहीं कर पाये। न पूरे स्कूल हैं और न पूरे अस्पताल हैं और जो सड़कें हैं, अभी पाणिग्रही जी बता रहे थे कि सड़कों की हालत ऐसी है जिसके कारण साल में 60 हजार मौतें एक्सीडेंट से हो जाती हैं। 14-15 प्रतिशत तो ईंधन ज्यादा खपता है। यह देश की सड़कों की हालत है।

कोयले की हालत यह है कि जब से वह नेशनलाईज हुआ तब से 12 गुना कीमतें बढ़ गयीं और 3 परसेंट केवल उत्पादन बढ़ा। 1972 में सरकार ने 252 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किये थे। अब 19,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किये हैं। मगर इसकी प्राप्ति न तो कन्ज्यूमर को हुई और न ही प्रोड्यूसर को हुई। ऐसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, ओ.एन.जी.सी. का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दुनिया के दूसरे जो आयल प्रोडक्ट हैं, उनसे कम है। जैसे मौबाइल का 7.73 डालर है। शैल का 10.23 डालर है। बी.पी. का 10.12 डालर है और ओ.एन.जी.सी. का 5.34 डालर है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है जबकि विश्व से कीमतें ज्यादा हैं। यह क्यों है? यह जो रांग एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी है, प्राइज मेकेनिज्म है, इसलिए यह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं जब डीजल की कीमतें बढ़ गयीं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र को होगा जो कि पहले ही कर्ज के नीचे है। सरकार प्राइस मेकेनिज्म को सुधारने की बात तो नहीं कर रहे है और यह नहीं सोच रही कि हमारे देश में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के बावजूद कीमतें क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं। ऑयल पूल का डेफीसिट बढ़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए कीमतें बढ़ाने, सुधार की जगह कोई और दूसरी नीति लानी चाहिए—प्रबंधकीय कुशलता में सुधार और प्राइस मैकेनिज्म में पावर शार्टेज है, वह पीक ऑवर में 17 परसेंट है।

अपराह्न 6.00 बजे

जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, भारत में 21.80 है, जर्मनी में 4.87 है, यू.एस.ए. में 8.97 है। यू.के. में 9.20 है। इसे सुधारने का कोई उपाय नहीं हो रहा है।

जो प्रोजैक्ट इनकम्प्लीट हैं, 35 प्रोजैक्ट्स हैं जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से इनकम्पलीट पड़े हैं। जो कॉस्ट 23,504 करोड़ आनी थी, आज 46,191 करोड़ आएगी। 96 प्रतिशत कॉस्ट बढ़ रही है। हमारे हाईडल प्रोजैक्ट्स, थीम डैम प्रोजेक्ट्स हैं, उसे 1969 में शुरू किया था। तब 85 करोड़ में हो जाना था। आज उसकी कॉस्ट 3000 करोड़ रुपये हो गई है और वह 1998 में कम्प्लीट होगा। वह भी तब होगा यदि प्रधान मंत्री जी ने कमिटमैंट की है कि हम 400 करोड़ रुपये पंजाब को देंगे, यदि वे 400 करोड़ रुपये दे देंगे तब 1998 में कम्प्लीट होगा। यदि न दिए तो और देर लगेगी जिससे उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। देश में ऐसे 35 प्रोजैक्ट्स हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। यह सब क्यों हुआ, यह सोचने की जरूरत है और मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात मैं समझता हूं कि यह इसलिए हुआ है कि पिछले पचास वर्षों में अनबेलैंस्ड पहुंच अपनाई गई। गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। प्लान अनप्लान्ड थीं। जिन लोगों के लिए प्लान बना, उनके पास तो सिर्फ 10 प्रतिशत ही गया, बाकी का सब या तो ऐडमिनिस्ट्रेशन के भ्रष्टाचार और इनऐफीशैंसी की भेंट चढ़ गया या राजनैतिक स्वार्थ में खो गया। उसके सिर चढ़ गया। जो प्रगति थी वह जरूरत के आधार पर नहीं हुई बल्कि राजनीति राजनैतिक स्वार्थ के आधार पर हुई। हमें यह कहते हुए आज शर्म आती है कि 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम एक भी पंचवर्षीय योजना के टारगैट पूरे नहीं कर पाए।

अनप्रोडक्टिव एक्सपैंसेस की वजह से भी घाटे बढ़े। जैसे विदेशी टूर पर जाते हैं। अभी पावर कमेटी के कुछ अफसर बाहर गए। उन्होंने टूर पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। जब उनसे विदेशी कम्पनियों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार ने प्राईवेटाईजेशन का कानून बना दिया है? वे कहने लगे कि अभी तो नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि जब कानून ही नहीं बना है तो फिर आप यहां पर क्या करने आए हैं।

ऐसे ही पैट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं। सरकारी पैट्रोल कितना खर्च किया जाता है। लोग बार-बार सरकार से पूछते हैं कि सरकारी और निजी क्षेत्र में जो पैट्रोल खर्च होता है, उसके आंकड़े दो। सरकार टाल जाती है क्योंकि इसे बताने से भांडा फूटता है। एक-एक अफसर ने पांच-पांच गाड़ियां रखी हुई हैं जिनका मिसयूज होता है। टेलीफोन का मिसयूज होता है। यदि अनप्रोडक्टिव एक्सपैंसेस खत्म हो जाएं तो मैं समझता हूं कि उससे देश की आधी गरीबी खत्म हो सकती है। यह भी सोचने की बात है। सबसे जरूरी बात मैं यह समझता हूं कि देश की गरीबी, बदहाली उस समय तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इस देश के शासक कृषि की ओर ध्यान नहीं देंगे। आज कृषि का क्या हाल है। किसी समय कहा जाता था—उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद चाकरी। आज कृषि की क्या दशा है। आज कृषि के काम में लगे हुए लोगों से कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। नौकरी वालों से रिश्ता कर लेते हैं। 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि का देश के कुल उत्पादन में योगदान देखें तो हमें महसूस होगा कि हमारी दशा क्या हो रही है। गरीबी कैसे दूर होगी। 1952 में कृषि का जी.डी.पी. में जो योगदान था, वह 53 प्रतिशत था लकिन आज 1997 में क्या हो गया है। आज वह 25.1 प्रतिशत ही रह गया है। जब 70 प्रतिशत लोगों का योगदान घटकर आधा रह जाए तो यह देखना होगा कि देश की इकोनौमी की क्या पोजीशन होगी। किसान कर्जे में डूब रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस चार दिन की चर्चा के बाद कृषि के लिए कोई ठोस सुझाव माने जाएं तो देश की गरीबी दूर हो सकती है।

क्रॉप इंश्योरेंस की बात भारत सरकार हर बार कर देती है पर लागू नहीं होती। हर मामले में इंश्योरेंस देती है, बाढ़ से कितनी फसलें तबाह होती हैं, कितना नुकसान होता है, उसके लिए भी इश्योरेंस मिलना चाहिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा): जो बजट बना है, उसमें कृषि और ग्रामीण विकास का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो कि असली चीज है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मेरे माननीय साथी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। सरकार जो बोलती है कि देश की गरीबी दूर करनी है, सत्तर प्रतिशत जो लोग जीवित रहे होंगे, उनके बारे में कुछ भी प्रोग्राम नहीं बनाया गया है, यह बड़े दुख की बात है। क्रॉप इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए और कर्जे की व्यवस्था भी जरूर होनी चाहिए। किसान बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं। यहां हमारे लोगों का कितना धन विदेशों में जमा हुआ है, उसका उपयोग ही नहीं होता। मैं जब कृषि मंत्री जी से मिला तो मैंने कहा कि हमारा पंजाब कृषि प्रधान देश है, वहां कोई एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोला जाए। इस पर कृषि मंत्री जी ने हंसकर बोला कि आपको शायद मालूम नहीं है कि इस बजट में एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक नया पैसा नहीं रखा गया है। एग्रीकल्चर में स्टैगनेशन आ गया है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और हाई टैक्नॉलोजी होनी चाहिए। पिछले साल 380 रुपये में गेहूं लिया और 900 रुपए में गेहूं बिकती रही। किसान और खाने वाले दोनों को लूटा गया और मीडिएटर मौजें करते रहें। सरकारी एजेंसियां भी मीडिएटर बनी हुई हैं, जो सरकार को भी लूटता है किसान को भी और उपभोक्ता को भी लूट रही है। इस पर विचार करने की जरूरत है।

कृषि क्षेत्र के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने क्या गंवाया है? मैं समझता हूं कि 1947 में इस देश में अहिंसा, चरित्र और सत्य का विश्व भर में उल्लेख किया जाता था लेकिन आज वही हमारा देश भ्रष्टाचार में आठवें नम्बर पर आ गया है। इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। हमारी पार्टी छोटी है, समय भी कम मिलता है। इस देश में हमारी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। आजादी के संग्राम में जितना हमारा हिस्सा था, उसके मुताबिक भी हमें हिस्सा नहीं मिलता। मेरे कुछ सुझाव है कि भारतीय संविधान को उसके शासकों ने नहीं समझा कि यूनिटी इन डाईवर्सिटी। हम बड़ा गौरव करते हैं कि बंगाली, पंजाबी, मद्रासी और बिहारी सब भारतीय हैं। हम गौरव करते हैं कि अलग-अलग भाषाएं होने के बावजूद भी, अलग-अलग कल्चर के बावजूद भी इंडिया एक देश है। महात्मा गांधी जी ने इस बात को समझा था जब आजादी के संग्राम में किसी ने अपर क्लॉस को ऑरगेनाइज किया और किसी ने एक प्रदेश को ऑरगेनाइज किया। तब महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऑरगेनाइज किया। अलग-अलग धर्मों के लोगों को ऑरगेनाइज किया। वहां सब लोगों को इकट्ठा किया तो फ्रीडम स्ट्रगल बना और उसको किसी ने नहीं समझा।

महात्मा गांधी और नेहरू कोई बच्चे नहीं थे। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली में चांदनी चौक में उन्होंने सिखों के लिए कहा था कि हम उन्हें सम्मान देंगे। पंडित नेहरू ने कहा था कि इस देश में सिखों को खास हिस्सा दिया जायेगा जहां वे आजादी का आनन्द मना सकें। लेकिन क्या हुआ? सैन्ट्रल हॉल में ही देख लीजिए कि जो फोटो लगी हैं, उसमें एक भी फोटो सिख की नहीं है। आजादी के संग्राम में क्या सिखों का हिस्सा नहीं था? मैं समझता हूं कि सिखों का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए तो वह मास्टर तारा सिंह का होना चाहिए। अंग्रेजों

ने शरारत करके थ्री नेशंस थ्योरी लाई थी और देश को तीन हिस्सों में बांटना चाहा था और मास्टर तारा सिंह जी ने देश को तीन हिस्सों में बांटने नहीं दिया। लाहौर में जाकर पाकिस्तान का झंडा उखाड़ दिया। यदि देश और नेता मास्टर तारा सिंह का साथ देते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था।

महात्मा गांधी ने कहा था कि गुरुद्वारे की चाबी की लड़ाई से हमने आजादी की पहली लड़ाई जीत ली है। कृपाण की नौक पर चाबी ली थी, लेकिन बाबा खड़कसिंह का भी फोटो कहीं पर नहीं है। इन बातों को हम लोगों को क्यों कहना पड़ता है, बरनाला जी को क्यों कहना पड़ता है। अकाली दल ही अकेला क्यों कहता है कि 1984 में जो कत्लेआम हुआ है, जिसमें हजारों सिख मारे गए हैं, उनकी माफी मांगी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। इस बारे में सदन में भी दो मिनट का मौन रखकर दुख प्रकट किया जाए। सबने इस पुस्तक को पढ़ा है, जिसमें सिख को सिख मिलिटेंट कहा गया है। हमें इस बात का खेद है कि माइनोरिटीज के विश्वास को जीता नहीं गया और उनमें बेगानेपन की भावना है। कानून सबके लिए एक है। मैं समझता हूं कि विश्वास जीता जा सकता है। इसी प्रकार हमारा पानी का मामला है। पानी के मामले में भी कानून नहीं देखा गया। पंजाबी बोली के मामले को भी नहीं देखा गया। आज हिन्दुस्तान में ऐसी कोई स्टेट है, जिसके पास अपनी कोई कैपिटल न हो। यह पंजाब की बदकिस्मती है कि उसके कैपिटल पर भी कब्जा है। भाखड़ा डैम पर भी कब्जा है। हम माइनोरिटीज की बात करते हैं, लेकिन हमें इस सोच को बदलना होगा और माइनोरिटीज का भरोसा जीतना होगा। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जिसने मध्य प्रदेश में भी एक सिख को लिया था और दिल्ली में एक सिख को सरकार में लिया। दूसरे दलों के लीडर्स तो वोट लेने के लिए माइनोरिटीज की बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी को भी हिस्सा नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसी ने हिस्सा नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी किसी ने हिस्सा नहीं दिया। कारण यह कि हमारी गिनती कम है और जब नोटों के नाप से तोला जाएगा तब असन्तोष होगा तो पंजाब, कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखण्ड जैसी समस्या खड़ी होंगी और संघर्ष होगा। इस संघर्ष को दबाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी जाती है। लोग मारे जाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की बात आती है। देश में शान्ति कायम करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। एक ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, उसकी प्राप्ति हो सके और गरीबी दूर करने में सारे भारतीय हिस्सेदार बनें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. के.पी. रामलिंगम

[अनुवाद]

डा. के.पी. रामलिंगम (तिरुचेंगोडे): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जन्म देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। मैंने स्वतंत्रता के बारे में केवल इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है। आज मैं इस सभा में अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

अब संसद आत्मावलोकन और स्वमूल्यांकन के रूप में देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाकर इतिहास की रचना कर रही है। मैं संसद द्वारा उठाए गए इस सही कदम की सराहना करता हूँ। हम अतीत पर दृष्टिपात करने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए समवेत हुए हैं। यह विशेष सत्र इस सभा के पीठासीन अधिकारियों की सूझबूझ का परिणाम है। मैं इस संबंध में पहल करने के लिए विशेष रूप से हमारे माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सायं 6.16 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

आज जिस भारत को देख रहे हैं वह पचास वर्ष पुराना है। इससे पहले भारत नाम का कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। स्वतंत्र भारत का प्रादुर्भाव केवल 15 अगस्त, 1947 को हुआ। इतिहास से हमें पता चलता है कि भारत में 56 साम्राज्य थे। बाद में एकता के अभाव में भारत मुगलों के अधीन हो गया। तत्पश्चात्, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अत: आज हम जिस भारत को देखते हैं वह पहले-पहले मुगल भारत था, ब्रिटिश भारत था लेकिन अब स्वतंत्र भारत है जो स्वतंत्रता मिले पचास वर्ष हो गए हैं। यह हमारी राजनीतिक एकता का परिणाम था।

पचास वर्ष पूर्व हमने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी, हमने देश पर स्वयं शासन करने का अधिकार प्राप्त किया था। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा किया है। अत:, हमने इन वर्षों के दौरान राजनीतिक एकता बनाए रखी।

हम केवल राजनीतिक एकता से ही प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अपने प्रशासनिक स्वरूप को नई दिशा देनी चाहिए तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशासक बनाने का सही समय आ गया है। हमारा देश यूरोप और विश्व के अन्य देशों की तुलना में सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है? हमारे देश का प्रशासन अभी भी नौकरशाहों अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों

द्वारा चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आधुनिक पशुवधशालाओं के उपकरणों को देखने के लिए विदेश जाने की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

कल "द पायनियर" में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का एक दल आधुनिक पशुवध गृहों की प्रौद्योगिकी देखने के लिए विदेश जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी लेने के बाद लौटने पर उन्हें किसी अन्य विभाग में तैनात किये जाने का क्या फायदा है? किसी भी पशु चिकित्सा विशेषज्ञ को बाहर नहीं भेजा जा रहा है। अत: अब समय आ गया है जब प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को प्रशासन में शिखर पर होना चाहिए। हमें राज्यों और केन्द्र दोनों स्तरों पर ऐसे प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है।

हमारा राष्ट्र राज्यों का संघ है। हम सहकारिता संघ की बात करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के बढ़ते हुए प्रभाव और राजनीतिक बहुलवाद को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सरकारों का गठन केवल संघीय ढांचे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। हमारे देश में केवल तभी राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। यह वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा है।

सभ्यता में प्रगति के लिए सुरक्षा और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं सुरक्षा और सहिष्णुता पर बल देता हूं।

महोदया, यह राजनीतिक भाषण देने का समय नहीं है। यह आंकड़े प्रस्तुत करने का समय नहीं है। यह संदर्श-पत्रों में दर्शाया गया है। हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। हमें सूचना का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए। हमें अपने विचारों और समस्याओं को एक-दूसरे को अवगत कराना चाहिए। आज का युग गठबंधन का युग है। दोनों ओर के बड़े समूहों में सहिष्णुता होनी चाहिए। धैर्य न होने के कारण गठबंधन असफल होते हैं। हारने वाले धैर्यहीन हो जाते हैं और चालबाजियां करने लगते हैं। गठबंधन हमारी वजह से असफल होते हैं। इसका समाधान क्या है इसका समाधान एक दल का शासन नहीं है मिथ्या राष्ट्रवाद इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान एक दूसरे का सम्मान करने में निहित है। इसका समाधान अलग-अलग विचारों पर ध्यान देने में निहित है।

मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि हमें संघीय ढांचा अपनाना चाहिए। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय जातियों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हमें वास्तविक संघवाद की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि संघवाद को बनाए रखकर ही संविधान परिवर्तन का वाहक हो सकता है। मैं ईमानदारी से यह कह रहा हूं और यह मेरा आग्रह है हमें इस पर विचार करना चाहिए।

नेहरू जी ने कहा था कि "हमारा संविधान लचीला होना चाहिए"। डा. अम्बेडकर ने कहा था "कि स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग नहीं किया जा सकता है।" यह देश भाईचारे के साथ सदैव एकजुट रहना चाहिए।

इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा यह विचार है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संघीय ढांचा ही एकमात्र रास्ता है।

श्री समीक लाहिड़ी

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर): महोदया, देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के पुनीत अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह चर्चा केवल इस कारण महत्वपूर्ण नहीं है कि हम देश की आजादी की पचासवीं सालगिरह पर इन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। बल्कि यह इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सदी के समापन पर इन संपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे है और अगली शताब्दी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदया, जैसाकि आप जानती हैं कि आज की दुनिया में नियमित रूप से परिवर्तन हो रहे हैं और प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है। आज की प्रौद्योगिकी आने वाले कल के लिए अप्रयुक्त है। हम इस प्रकार की परिवर्तनशील दुनिया में रह रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं और गत 50 वर्षों के दौरान हमने अपने राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया है। यदि हम वास्तव में अगली सदी के लिए राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि हम क्या करें?

गत पचास वर्षों के दौरान हमारे सामने अनेक मुद्दे आये हैं, परन्तु मैं प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अपना भाषण शिक्षा और अपने देश के विकास तक ही सीमित रखने का प्रयास करूंगा। महोदया, जैसाकि आप यह जानती हैं मानव सभ्यता का यह अनुभव है कि शिक्षा विकास का आधार है। इसके लिए मैं या कोई भी व्यक्ति अनेक उदाहरण पेश कर सकता है कि किस प्रकार कोई राष्ट्र पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर विकास कर सकता है। आज हम पश्चिम का उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तथाकथित सफलता की कहानी क्या है? वहां दो बातें हुई हैं। एक तो यह कि वहां पूर्ण साक्षरता है। हमारे देश में हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर बल नहीं दिया। यह सही नहीं है कि हमारे नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी। हमारे नेता यह अच्छी तरह जानते थे कि शिक्षा और साक्षरता दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमें निर्भर करना होगा। लेकिन हुआ क्या? 1938 के हरिपुरा कांग्रेस महाअधिवेशन में भी साहिर हुसैन समिति ने किस बात पर बल दिया था? इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि आजादी प्राप्ति के बाद सात वर्षों तक सभी को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। परन्तु 1947 के बाद क्या हुआ? क्या हमारे नेता इससे अनजान थे? क्या हमारे वे सभी नेता इस बात से अनभिज्ञ थे जिन्होंने हमारे देश पर 50 वर्षों तक राज्य किया। वे अनजान बिल्कुल नहीं थे। ऐसा क्यों है?

आज देश में 35 करोड़ लोग निरक्षर हैं। निरक्षर लोगों की संख्या 1947 में देश की जनसंख्या से भी अधिक है। स्थिति ऐसी क्यों है?

जी हां, हमारी उपलब्धियां अनेक हैं। हमने इनसैट उपग्रह प्रक्षेपित किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की है। परन्तु हम भी शिक्षा, साक्षरता के ही अभाव में मौजूदा जरूरतें पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदया, मैं अनेक मुद्दों पर अनेक बातें उद्धृत कर सकता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मैं एक गांव में गया। वहां कुछ लोग विद्यालय की मांग कर रहे थे। वह गांव दूरदराज के क्षेत्र में था। वहां पानी की कोई सुविधा नहीं थी।

सायं 6.28 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

वहां बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि अधिक जल, अधिक सफाई संबंधी सुविधाएं और अधिक बिजली न मांगकर वे विद्यालय की मांग क्यों कर रहे हैं। इस बात पर एक निरक्षर ग्रामीण ने कहा इससे हमारी भावी पीढ़ी का भाग्य निर्धारित होगा। अत: एक ग्रामीण जो बिल्कुल अनपढ़ है वह भी यह बात जानता है कि शिक्षा हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करेगी, यह देश के भाग्य का निर्माण करेगी। परन्तु हम पीछे क्यों हैं? 1968 में कोठारी आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में सरकार को स्पष्ट रूप से आगाह किया था।

अध्यक्ष महोदय: आप 13 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री समीक लाहिड़ी: जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: समय बहुत जल्द बीत जाता है। आप अपनी बातों में इतने मग्न थे कि आपको इसका पता ही नहीं चला। मैं समझ सकता हूं।

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल): उनको और दस मिनट बोलने दिया जाये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: आपके और आपसे पहले वाले पीठासीन अधिकारी के बीच अवश्य ही कोई भ्रम उत्पन्न हुआ होगा।

श्री समीक लाहिड़ी: ''यदि हम इस कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से अर्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निरक्षरता दूर करने के लिए चलाये गये कार्यक्रम से है—पर निर्भर रहेंगे, तो हम 2000 ई. तक भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।''

अब हम 2000 ई. के निकट पहुंच रहे हैं। कोठारी आयोग ने हमें आगाह किया था परन्तु हमने निरक्षरता दूर करने के कोई कदम नहीं उठाया। मैं कई बातों को उद्धृत कर सकता हूं। श्री अमृत सेन ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है, ''इकानामिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपार्चुनिटी''।

इस पुस्तक में विशेष रूप से उन्होंने यह दर्शाया है कि उन एशियाई देशों, और विशेषकर पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों जैसे हांग कांग, थाइलैंड और दक्षिण कोरिया ने, जिन्होंने साक्षरता और बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया, बढ़े हुए आर्थिक विकास और स्वस्थ मानव विकास संकेतकों का लाभ प्राप्त किया है। अब हम प्रौद्योगिकी में विकास का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आजादी के पचास वर्षों के बाद भी हम अभाव के दौर से गुजर रहे हैं। पचास वर्ष पहले भी हम इस दौर में थे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस महाअधिवेशन में भी इसके लिए प्रयास किया गया था। अब भी हम शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा तैयार किये गये राज सहायता संबंधी पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षा के लिए काफी बड़ी राजसहायता की व्यवस्था की गई है। क्या यह राजसहायता है? क्या सरकार का विचार यही होना चाहिए कि शिक्षा पर आने वाला व्यय राजसहायता है। क्या हम ऐसे में राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम प्रौद्योगिकी में विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्र का विकास कर सकते हैं? यह संभव ही नहीं है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। परन्तु समस्या यह है कि हर कोई इस समस्या से अवगत है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि हमारे नेताओं को इस समस्या की जानकारी नहीं है और यह भी विश्वास नहीं करता कि पूर्व नेता इस समस्या को नहीं जानते थे। यहां समस्या यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर उच्च वर्ग पर आधारित बना दिया गया है। और यही मुख्य समस्या है। आज भी हम आर्थिक विकास और उदारीकरण के माध्यम से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मूल रूप से उच्च वर्ग पर ध्यान दिया गया है, दलित वर्ग पर नहीं और हम अपनी अर्थव्यवस्था उच्च वर्ग के लिए विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और यही मुख्य समस्या है। अत:, हमें इस दिशा में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता के क्षेत्र में बदलाव लाना होगा। जब तक हम इस अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं को नहीं बदलते, जब तक हम अर्थव्यवस्था की दिशा नहीं बदलते, तब तक हम शिक्षा की हालत में सुधार नहीं ला सकते, हम सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते।

अत:, सरकार से तथा इस सम्मानित सदन से मेरा निवेदन है कि कृपया दलितों पर ध्यान देने का प्रयास करें। अब भी 35 करोड़ जनता निरक्षर है और केवल चार प्रतिशत लोग विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। अब भी लाखों करोड़ों लोग विद्यालयों की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कृपया उन पर ध्यान दिया जाये। हम केवल इसी प्रकार से देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात में संशोधन करता हूं। आपने दस मिनट से अधिक समय नहीं लिया। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने दस मिनट से भी कम समय लिया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, यह बात अत्यंत प्रशंसनीय है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह आपके नेतृत्व का प्रभाव है।

मैंने सभा की कार्यवाही और स्थिति को देखा है। हमारे अधिकारियों, विशेष रूप से संसदीय रिपोर्टरों, चेम्बर अटेंडेंट, सभा की कार्यवाही से संबंधित अधिकारियों को प्रात: घर जाने का समय भी नहीं मिला और उन्हें यहां लगातार कार्य करना पड़ा। यह उनके साथ थोड़ी ज्यादती है। दूसरी बात यह है कि आठ बजे प्रधान मंत्री जी का रात्रि भोज है। आज सभा 8.30 बजे रात्रि को स्थगित होगी। तथापि, सभा की बैठक कल दिन भर और रात भर चलेगी ताकि हमारे अधिकारियों और संसद सदस्यों को आज रात विश्राम करने का मौका मिल सके। अब हमारे पास लगभग दो घंटे हैं। यदि सभी वक्ता दस मिनट का समय लेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, तो कम से कम बारह वक्ता बोल सकते हैं। यह एक बड़ी संख्या है।

अब श्री सत महाजन बोलेंगे। मैं किसी भी वक्ता को दस मिनट से अधिक समय तक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, आप हमें प्रधान मंत्री जी के भोज में विलंब से पहुंचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यह भोज 8 बजे है।

अध्यक्ष महोदय: पैदल चलकर वहां केवल दो मिनट में पहुंचा जा सकता है। मैं यह नहीं मानता कि पहले पहुंचने वाले सब कुछ खाकर खत्म कर देंगे।

श्री सत महाजन केवल दस मिनट तक ही बोलेंगे।

श्री सत महाजन

श्री सत महाजन (कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्वतीय लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। डा. रंगपी, टेहरी के श्री मानवेन्द्र शाह और श्री माधव चौधरी ऐसे तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने कल पर्वतीय लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डाला था।

सायं 6.35 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन* हुए]

महोदय, भारत की कुल आबादी में पर्वतीय क्षेत्रों का 6 प्रतिशत योगदान है जबकि इस देश के कुल क्षेत्रफल का पांचवां हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है और इस प्रकार जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में काफी विषमता है। वे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और सुरक्षा के लिए मांग करते रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्वतीय लोगों की सुरक्षा चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में क्या हुआ है। 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि 1976 में पंजाब की 28 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। अब यह 11 प्रतिशत है और इस प्रकार इसमें 17 प्रतिशत गिरावट आई है। हरियाणा में 35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। अब यह आंकड़ा 25 प्रतिशत रह गया है, अर्थात् इसमें 10 प्रतिशत गिरावट आई है। दिल्ली में 34 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 17 प्रतिशत गिरावट आई है। परन्तु, हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या में केवल दो प्रतिशत गिरावट आई है।

हमारे लोग परिश्रमी हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे प्रदेश में पर्यटक स्थल हैं। परन्तु हमारी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि हमारी आयोजना मैदानी इलाकों के साथ जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश अथवा पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी इलाके में सड़क बनाने में क्या अंतर है? हमें सड़क निर्माण के लिए मैदानी इलाके के मुकाबले पांच गुना राशि अधिक व्यय करनी पड़ती है। हमारे जलवायु में अंतर है। जबकि मैदानी इलाके के लोग गर्मी और लू की चपेट में आकर मरते हैं वहीं पर्वतीय इलाके के लोग अत्यधिक ठंड के कारण मरते हैं। अतएव सभी बातें बिल्कुल अलग-अलग हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन का है। पर्यटन के लिए संचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विगत कई वर्षों में क्या हुआ है? पिछले 50 वर्षों में देश में 10,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई परन्तु हमारे क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबी रेल लाइन नहीं है। नागर विमानन में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। नौवहन के मामले में हमारे पास भाखड़ा और पांग झील के लिए दो नौकाएं भी नहीं हैं। इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सुरक्षा चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि हमें मैदानी इलाके के साथ न जोड़ा जाये। मैं आपको वस्तुस्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, श्री जवाहर लाल नेहरू ने जनता की राजनीतिक अपेक्षाओं को देखते हुए पर्वतीय राज्य बनाए थे, न कि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के कारण यह सब किया गया। परन्तु हुआ क्या? वे यह चाहते हैं कि हमारे राज्य आर्थिक रूप से सक्षम हों। एक ओर तो वे कहते हैं कि ''वनों की कटाई मत करो'' और दूसरी ओर यह कहते हैं कि ''आप वनों से अपने लिए संसाधन पैदा कर सकते हैं''। श्री जवाहर लाल नेहरू ने 11 विशेष श्रेणी के राज्य बनाये थे परन्तु नौवें वित्त आयोग ने ''ग'' श्रेणी में दी गई सभी रियायतों को अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से हटा लिया है। इससे भारी क्षति हुई है। वे यह चाहते हैं कि हम वनों की कटाई करें परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया है कि हम एक भी पेड़ न काटें। एक अन्य बात यह है कि निर्धारित वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। हम सड़क बनवाना चाहते हैं परन्तु दिल्ली में बैठे वन प्राधिकारी हमें सड़क बनवाने नहीं देते हैं। इस प्रकार से, हम स्वाभाविक रूप से गिरे पेड़ों का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं।

हमारे लोग बहुत परिश्रमी हैं। हमने देश को कई न्यायाधीश दिए हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे भी सैनिकों ने जन्म लिया है जिन्हें अलंकृत किया गया है। हमारे क्षेत्र में सर्वोत्तम लोगों ने जन्म लिया है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि उनका पर्वतीय लोगों से बहुत लगाव है। उनका कहना था कि पर्वतीय लोग नृत्य और संगीत प्रेमी होते हैं, वे प्रकृति के अत्यंत करीब रहते हैं। वे मेहनती हैं और अपने पसीने की कमाई खाते हैं। उन्होंने कहा था कि वे पर्वतीय लोगों को पसंद करते हैं और शेयर बाजार में दलालों द्वारा कारोबार के संबंध में की जाने वाली बातचीत के मुकाबले पर्वतीय लोगों से बात करना पसंद करते हैं। श्री जवाहर लाल नेहरू हमारी समस्याओं को समझते थे। इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी हिमपात के दौरान हिम में एक घंटे तक खड़ी रहीं। वे पर्वतीय लोगों की समस्याओं को समझती थीं। मैदानी इलाके के लोग पर्वतीय लोगों की समस्याओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हमने भाखड़ा और पोंग बांध के लिए अपनी भूमि प्रदान की है।

प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा ने कहा:

[हिन्दी]

क्या हमारा हक नहीं है?

[अनुवाद]

हमारी भूमि जलमग्न हुई थी।

महोदय, हजारों लोग विस्थापित हो गए। हमें अल्पमात्रा भी विद्युत उपलब्ध नहीं कराई गई। पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हमें 7.19 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जानी थी परन्तु हमें 2.6 प्रतिशत की अस्थायी सहायता मिल रही है। पचास वर्ष बीत गए हैं और हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया गया है। रंगराजन समिति यह कहती है कि पर्वतीय प्रदेश के लोग अपने प्रदेश में उत्पादित विद्युत पर उत्पादन शुल्क अथवा कर वसूल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी दलों की सहमति के साथ सर्वसम्मत रूप से यह कहा कि वे प्रदेश द्वारा उत्पादित विद्युत पर प्रति यूनिट 10 प्रतिशत की दर से कर की वसूली करेंगे। परन्तु केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे राज्य की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं परन्तु, वे हमें सड़कों का निर्माण कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे हमें पेड़ों की कटाई करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

जो इनकी अपनी कमेटी है, रंगराजन जी को ऐप्रुव किया। जो आजकल के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वह उनकी रिपोर्ट को नहीं मानते।

[अनुवाद]

वे हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में अशान्ति फैली हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी यही कुछ होने वाला है?

[हिन्दी]

बर्फ में आग लगा दी है क्योंकि हमारी समस्या को ये नहीं समझते। हम चौदह महीनों से यहां आए हैं। हमें सफोकेट करते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो यही हाल होगा। गोली इसका कोई हल नहीं है। आप गोलियां चलाइए, इससे काम नहीं बनेगा। बर्फ में आग लगा दी है। अशांति के लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप हमारी समस्याओं को नहीं समझते। हिल्स के थोड़े मेम्बर हैं, इसलिए आप हमें सफोकेट करना चाहते हैं। आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि आज कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम और उत्तराखंड में भी आग है जो बिल्कुल साइलेंट पहाड़ था। उसमें आग लगा दी है। आपके इमेजिनेशन की कमी है।

ट्यूरिज्म की बात करते हैं। हमारे रिसोर्सेज हैं। मनाली में हमारी रोड नष्ट हो गई हैं। दो साल हो गए हैं और एक पैसा केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया है। ट्यूरिज्म और फॉरेस्ट तबाह हो गए हैं। हाइडल की बात करना चाहते हैं। पाणिग्रही जी और चन्दूमाजरा जी ने बात कही है। 1950 में हाईडल का टोटल जनरेशन 1710 था और थर्मल का 1150 था। हाईडल 550 थी और अब हाईडल 85000 है और थर्मल 61000 है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दो मिनट और बाकी हैं।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन: महोदय यदि आप चाहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं। इस समय मैं इस विषय पर इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि 14 माह से किसी भी सदस्य ने पर्वतीय लोगों की समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं की है। हम अपनी बात रखने के लिए सभा के बीचों-बीच चले गए थे। अब हम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम अपनी बात कैसे कह पायेंगे?

सभापति महोदय: श्री महाजन कृपया अपना समय व्यर्थ न गवाएं। मैंने आपको इसलिए टोका है क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने अभी थोड़ी देर पहले यह था कि प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री सत महाजन: महोदय यह बात देश की सुरक्षा की समस्या से संबंधित है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात और दो मिनट तक के लिए जारी रखें।

श्री सत महाजन: महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों की आयोजना को मैदानी इलाकों की आयोजना से अलग रखना चाहिए। मूलभूत बात तो यही है। जब तक आप पर्वतीय लोगों के मनोविज्ञान को समझ नहीं पायेंगे तब तक आप इनकी समस्याओं को सुलझा नहीं सकेंगे। उनके लिए आर्थिक कार्यक्रम और आयोजना तैयार करनी होगी। श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री बहुगुणा जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर्वतीय क्षेत्र के थे।

परन्तु जब तक आप पर्वतीय और मैदानी इलाकों के मसलों को अलग-अलग नहीं रखेंगे तब तक आप पर्वतीय लोगों की समस्याओं को सुलझा नहीं पायेंगे। इस समय उत्तराखंड की समस्या सामने है और मैं आपको बता दूं कि यदि धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही समस्या उठ खड़ी होगी। हम धनराशि उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ आपके समक्ष आये हैं परन्तु हमें धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसके लिए आपसे भिखारियों की तरह याचना करते रहें? हमारा भी

आत्मसम्मान है। हम इसके लिए बार-बार आग्रह करते हुए अपने आत्म सम्मान अथवा मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए अपने पेड़ों की कटाई नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे प्रदेश में पेड़ काट दिये जायेंगे तो इस सदन सहित पूरी दिल्ली बह जायेगी। अतएव देश के हित में हमारे क्षेत्र में सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए हमें राजसहायता उपलब्ध करायें ताकि वहां के ग्रामीण अपने दैनिक घरेलू ईंधन के लिए पेड़ न काटें।

महोदय, मेरी आपने कड़वी बातों का बुरा नहीं माना इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। परन्तु मैं भावुक हूं मुझे अपने देश, राज्य और पर्वतीय लोगों से गहरा लगाव है। ये लोग ऐसे नौकरशाहों और व्यक्तियों के अत्याचारों के शिकार हैं जो उनके मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं।

इसलिए यह देश बर्बाद हो रहा है। एक दिन पर्वतीय क्षेत्र समस्याओं की आग में झुलस जायेंगे और इन्हें कोई बचा नहीं पायेगा। एक बार राबर्ट फ्रास्ट ने कहा था:

"वुडस आर लवली, डार्क एंड डीप,
आई हैव प्रामिसेस टू कीप"

आपने ये वादे किनके साथ किए हैं? क्या ये वादे हमारे जैसे दलित व्यक्तियों के साथ किये गये हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था: "जब तक एक भी आंख में आंसू रहेगा, मेरा काम अधूरा रहेगा।"

स्वामी विवेकानंद ने कहा था:

[हिन्दी]

"उठो, जागो और आगे बढ़ो-हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।"

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री आनंद मोहन

श्री आनंद मोहन (शिवहर): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आजादी की इस स्वर्ण जयन्ती पर इस विशेष सत्र में इस विशेष और गम्भीर बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं उन शहीदों का नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से यह देश आजाद हुआ और हम आजाद मुल्क में नागरिक कहलाने में गर्व और गौरव प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आता हूं। हमारे भी सात पुरखों ने देश की आजादी के लिए असीम कुर्बानियां दी हैं। पिछले सत्र में हमने जिक्र किया था कि जब गांधी जी दो बार हमारे घर पर आए, तो सैकड़ों बीघा जमीन उनके आश्रम के लिए तथा कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए दी गई। चार सेर सोना गांधी जी के चरणों में अर्पित किया गया, मुल्क की आजादी के कोष के लिए। हम वतन के निगाहबानों के परिवार से आते हैं। आज जब यह देश 50वीं स्वर्ण जयन्ती मना रहा है, तो हम फख्र अनुभव कर रहे हैं और हम गर्व अनुभव कर रहे हैं। अगर हम इसको इंकार करेंगे, तो बेमानी होगी। यह भी सही है कि दुनिया के सामने हम मुकम्मिल तौर पर खरे नहीं उतरे हैं। इसका हमें अफसोस है। देश की तरक्की का ढिंढोरा पीटा जाता है कि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन हमने दूसरी तरह की तरक्की भी की है। यह आत्म मंथन और आत्म चिन्तन का दौर है, तो हमें इस पर चिन्ता करनी चाहिए। गरीबों के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। कुपोषण के मामले में भारत सबसे बड़ा मुल्क बनकर रह गया है। यह भी सच है कि भारत भूखों का देश है। भीख मांगने वालों का देश भारत है, यह भी सच है। 50वीं स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस बात से इन्कार नहीं करना चाहिए। दुनिया के मुकाबले भारत में अशिक्षितों की आबादी है, इसमें भी भारत आधा हिस्सा फुलफिल करता है, यह भी कड़वा सच है। यह भी सच है कि सौ रोगियों के सर्वेक्षण के अनुसार भारत इस प्रतियोगिता में भी सबसे आगे है। यह भी सच है कि यह देश विकलांगों का सबसे बड़ा देश है। यह भी सच है कि सड़कों पर, पहाड़ों पर और तपती रेत पर गरीबों के बच्चे जब चलते हैं, मेहनतकश मजदूरों के बच्चे जब चलते हैं, तो लाखों की संख्या में बच्चे अन्धे हो जाते हैं। इस प्रकार भारत सबसे बड़ा अंधों का भी देश बनता जा रहा है। यह देश विधवाओं में भी सबसे बड़ा देश है। यह देश दुनिया के आठ मुल्कों में भी है, यह भी एक हकीकत है। घोटालों का देश, हवालों का देश है। हमारी जो छवि बन रही है, वह भी अच्छी नहीं बनी है। इस विशेष सत्र में इस गम्भीर बहस से जो निचोड़ निकले, उसमें आत्म चिन्तन और आत्म मंथन होना चाहिए, ताकि एक नई दिशा मिले।

हमारी यह मंशा है कि एक नेशनल एजेंडा बने जो राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन की एक नयी लहर पैदा कर सके, नहीं तो सिर्फ भाषणों से मुल्क में कोई बदलाव और परिवर्तन आने वाला नहीं है। हम मिथिलांचल से आए हैं और मैथिली में एक कहावत है-"कि परसेछी गप, लिए लब के लब।" चार दिन से लब का लब गप परोसा जा रहा है। अगर इस चार-पांच दिन की बहस से कुछ देना है तो हमने कहा है कि एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए और तमाम बातों का निचोड़ निकलाना चाहिए। दूसरी आजादी की बात की गई है तो दूसरी आजादी के क्या स्वरूप हो, क्या तस्वीर हो, क्या हमारी दृष्टि हो, इस पर व्यापक विचार करके कोई एजेंडा बनना चाहिए। महोदय, हम आपकी दुआ से नौजवान हैं तो हमारी जो समस्या इस मुल्क में है, हम उधर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कहा जाता है कि स्कोप नहीं है, कैसे इतने बड़े बेकारों की फौज को खपाएंगे। इसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है, योजना बहुत साल पहले डा. राम मनोहर लोहिया जी ने तब दी जब उन्होंने कहा कि-"रोजी के हों तीन आधार,

खेती, नौकरी या व्यापार।'' उन्होंने कहा कि इस तरह से रोजी का वर्गीकरण हो, लेकिन आज क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग फार्म हाउस पर काम करते हैं। वे फार्म हाउस बनाते हैं, वही पोलिटिक्स में हैं, वही आईएएस, आईपीएस पैदा करते हैं और वहीं आज व्यापार पर छाए हुए हैं। इस तरह से रोजी के जो क्षेत्र हैं वे सिमट कर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह गए हैं। हमारा काम है कि जो खेती करे उसे नौकरी एवं व्यापार से वंचित करो, जो व्यापार करे उसे खेती और नौकरी से वंचित करो। इस तरह से जो नौकरी करे उसे खेती और व्यापार से वंचित करो। जब तक यह नहीं होगा तब तक रोजी सिमटती चली जायेगी।

महोदय, कहा जाता है कि बड़ी योजना नहीं, है, कोई स्कोप नहीं है लेकिन स्कोप है। हम कह रहे हैं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। देश को कोई सीमा निर्धारित करने का नैतिक हक नहीं है जिसने काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज हमको कहा जाता है, जब हम 58 साल के होते हैं तो हमें रिटायर कर दिया जाता है, हम काम के लायक नहीं रहते। हमारी उम्र खत्म हो गई। जब हमारी प्रतिभाएं बढ़ती हैं, क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारी काम की ताकत और प्रतिभा ज्यादा परिपक्व होती है तब हमें कहा जाता है कि तुम काम के लायक नहीं हो। लेकिन इसी सदन में बैठे लोग रिटायरमेंट के बाद मुल्क चलाने के काबिल हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग राजनीति में आते हैं, वे देश चलाने के काबिल हैं। 80-82 साल में लोग राष्ट्रपति बन कर देश चलाने के काबिल हैं। इसी सदन में 75, 80, 82, 84 साल के लोग मुल्क चलाने के काबिल हैं लेकिन हम कलम चलाने के काबिल नहीं रह सकते। हम कालेज में लेक्चर देने के काबिल नहीं रहते। हम संगीन उठाने के काबिल नहीं रहते हैं। इतना बड़ा अन्याय नौजवानों पर हो रहा है। हम आज आपको कहेंगे कि उम्र सीमा की जो नंगी तलवार नौजवानों की गर्दन पर लटका दी गई है उसको बिलकुल खत्म किया जाए। इस तरह से हमारी गर्दन पर नंगी तलवार लटका दी और उम्र सीमा तय कर दी गई। अगर उम्र सीमा तय करनी है तो राज नेताओं के लिए भी उम्र सीमा तय होनी चाहिए। राजतंत्र में वानप्रस्थ था। राजा भी स्वेच्छा से राज सिंहासन को छोड़कर वन में पूजा पाठ के लिये जाते थे। अपने परलोक को दुरुस्त करने के लिए जाते थे लेकिन आज हम परलोक को दुरुस्त करने के लिए खानदान-दर-खानदान इंतजाम करने के लिए लोक सभा में आते हैं। यह तय होना चाहिए। नहीं तो नौकरी के लिए भी उम्र सीमा खत्म होनी चाहिए। नौकरी और ज्यौनिंग के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट की चाहे सीमा हो लेकिन ज्यौनिंग की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय: नौकरी के लिए कितने साल की सीमा होनी चाहिए?

श्री आनंद मोहन: 65-70 कर दीजिए लेकिन हमारे लिए भी 70 होनी चाहिए। ..*(व्यवधान)* इस मुल्क में दो रंगी कानून चल रहा है। हम जमींदारों के परोपकार नहीं हैं। हम किसान के बेटे हैं। हमारे पुरखों ने जमींदारी के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारा मानना है कि जो जमीन को जोते बोए, वह जमीन का मालिक हो, जो धरती मां की सेवा न करे, उस नालायक लड़के को उससे वंचित कर देना चाहिए। आप हमारी 15 बीघा जमीन पर सीलिंग लगाते हैं लेकिन उद्योगपतियों और धनपतियों के लिए कोई सीमा नहीं है। यह देश अगर किसान की 15 बीघा या एकड़ जमीन पर सीलिंग लगाता है तो यह भी तय होना चाहिए कि 15 लाख या 15 करोड़ से ज्यादा सम्पत्ति जब्त होगी। इस सम्पत्ति को नेशन की सेवा में लगाना चाहिए। हम इस विचार के हैं।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। आपने ज्यादा समय ले लिया है।

श्री आनंद मोहन: शिक्षा में जो रंगीली चल रही है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। आज लार्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जगत गुरु भारत, यज्ञवल्म्य भारत, संकल्प का भारत, बाणभट्ट और आर्यभट्ट का भारत, विवेकानन्द, बुद्ध, महावीर का भारत, इसको फिर से देखना चाहिए। लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आजादी के 50 साल बाद भी चल रही है। किसी विद्वान ने कहा है हमारा विश्वविद्यालय बेकारों का विश्वविद्यालय है। वह ऐसे नौजवान पैदा करता है जिस का बाजार में कोई खरीदार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए। आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री आनंद मोहन: लार्ड मैकाले द्वारा चलायी गयी शिक्षा पद्धति खत्म होनी चाहिए। एक तरह की समाज शिक्षा ही विषमता को दूर कर सकती है, चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो या किसी और का बेटा हो, सब को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अंग्रेज यहां से गए। हमें आजाद हुए 50 साल हो गए लेकिन यहां से अंग्रेजी नहीं गई। लोक और क्षेत्रीय भाषयों को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम मिथिलांचल से आते हैं। हमारे साथ और मां मैथिली के साथ अन्याय हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तीन लाख, पांच लाख और दस लाख लोगों की भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है लेकिन जो साढ़े तीन लाख लोगों की भाषा है, उस भाषा के साथ छल और अन्याय हुआ है। मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

मैं अपनी बात इस एक शेर से खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आप शेर सुना कर अपनी बात खत्म करिए।

श्री आनंद मोहन: वर्तमान मुल्क की जो स्थिति है, उसे देखते हुए जो मन की वेदना और पीड़ा है, उसे मैं चन्द शब्दों में व्यक्त करके खत्म करूंगा।

क्या इसलिए ये गर्दनें फांसी पर चढ़ी थीं,
जुल्मो सितम की आग में आवाम जली थी,
कि चन्द ही सरमायेदार मुल्क बेच दें,
और 5 लाख गांव में गुरबत धकेल दें।
इसलिए संकल्प लें कि
गांधी के देश में न अब ये झूठ चलेगा,
दोषी न दोषियों के गले दोष मढ़ेगा,
हर हरकतों की धड़कनों का राज खुलेगा,
कब तक भला इतिहास की भ्रमवाद चलेगा।''

आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओ.पी. जिंदल

श्री ओ.पी. जिंदल (कुरुक्षेत्र): माननीय सभापति महोदय, आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित इस विशेष अधिवेशन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी देश के उत्थान के लिए उस देश के आधारभूत ढांचे का सही मायनों में विकास करना सबसे पहली आवश्यकता है। जैसा कि विकसित देशों और विकासशील देशों चीन, कोरिया, मलेशिया आदि में देखा जा सकता है।

इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट सामान्यत: उस वास्तविक ढांचे के रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से जनता को सामान और सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। इससे देश का उत्पादन बढ़ता है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है।

सायं 7.00 बजे

उसके साथ-साथ इससे व्यापार का विस्तार होता है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ तालमेल होता है, गरीबी कम होती है और पर्यावरण संबंधी स्थितियों में सुधार आता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट से मेरा मतलब ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार आदि सेवाओं से है। सामाजिक संरचनात्मक विकास के क्षेत्र के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी प्राथमिक सेवायें आती हैं।

महोदय, पिछले पचास सालों में हमारे देश में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है क्योंकि ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। हमारे सामने इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई सुविधाओं की जो तस्वीर उभरकर आती है, उससे यह प्रकट होता है कि इन सेवाओं की मांग और उसकी पूर्ति के बीच में न केवल व्यापक अंतर बना हुआ है जबकि मौजूदा पूर्ति की गुणवत्ता भी घटिया किस्म की है। क्षमता में आई गिरावट और अकुशलताओं के प्रत्यक्ष संकेत बिजली पूर्ति में रुकावट, सड़कों पर भीड़-भाड़ और टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची आदि से देखे जा सकते हैं। इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई सुविधाओं की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ता हुआ अंतर भविष्य में हमारे आर्थिक विकास के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा देता है।

यह बड़े दुख की बात है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के क्षेत्र में किया गया निवेश लगभग 4.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था का लगातार और तीव्र विकास ज्यादातर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की सुविधाओं जैसे बिजली, परिवहन, संचार साधनों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस संबंध में हमारी पंचवर्षीय योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे रही हैं और इसका मुख्य कारण सोच से कम किया गया निवेश है।

तेजी से हुए शहरीकरण के कारण पैदा हुई मांगों और पहले किये गये अपर्याप्त निवेश की भरपाई करने की आवश्यकता के कारण आगे हमें काफी निवेश करने की आवश्यकता है। इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी खासकर विद्युत उत्पादन और वितरण अथवा लंबी दूरी के दूरसंचार क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सर्वप्रथम चालू परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये ताकि वे यथासंभव शीघ्र अपना लाभ अर्जित करना शुरू कर दें तथापि यह प्रयास स्वयं में काफी नहीं होगा एवं इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के लिये नये निवेश आरंभ करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

महोदय, जब तक उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार नहीं किया जाता तब तक लगातार उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हासिल करने में बहुत सी मूलभूत रुकावटें पैदा होती रहेंगी। अत: हमें वाकई इन वास्तविकताओं से अवगत होना चाहिए और व्यावहारिक नीतिगत परिवर्तनों के लिए देश के चहुंमुखी विकास के लिए अपने इनफ्रास्ट्रक्चर को अधिक गति से बढ़ाना होगा।

महोदय, मैं सदन का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात जो कि पिछड़े वर्ग के विकास के बारे में है, से अवगत कराना चाहता हूं। हम सब यह जानते हैं कि गत पचास वर्षों में किसी भी विकसित क्षेत्र व संगठन में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा है। पिछड़ा वर्ग गत पचास वर्षों में और भी पिछड़ गया है। आज हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो बहुत ही दुख होता है कि इस संदर्भ में हम केवल बातों, भाषणों और कागजी कार्यवाही तक सीमित रहते हैं। हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास करने का प्रावधान किया गया है तो मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर संसद तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तब तक हमारे संविधान के प्रावधान एवं पिछड़े वर्ग के लिए किए गए सभी

प्रयास अधूरे हैं। यह मैं इस सदन में आपके माध्यम द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश में एक स्वच्छ, स्वस्थ तथा संपूर्ण समाज की स्थापना के लिए यह प्रावधान बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। जबकि यह बहुत जरूरी है कि हम बिना किसी भेदभाव के पिछड़े वर्ग के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाएं और इन लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे दबे हुए लोगों को सुविधा मिलेगी और इस आरक्षण पद्धति द्वारा इनका उद्धार होगा, दबे व पिछड़े वर्ग के लोग आगे आयेंगे और देश का मान बढ़ाने योग्य हो जायेंगे।

अत: मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि देश के सभी नगरिकों को विकास के समान अवसर देने, भेदभाव एवं ऊंच-नीच समाप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जनसंख्या के आधार पर संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समान ही प्रतिनिधित्व देने के लिए विचार किया जाए ताकि आजादी की यह स्वर्ण जयंती इनके लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत साबित हो।

सभापति महोदय, मैं फिर से आपका व सदन में उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और मुझे विश्वास है कि सदन व सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगा।

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल (इरन्दोल): सभापति महोदय, धन्यवाद। विभिन्न क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति पर विचार करने हेतु इस प्रकार का संकल्प लाने के लिए मैं अपने दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बुद्धसेन पटेल (रीवा): चेहरा देखकर बुलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे।

[हिन्दी]

चेहरा देखकर कौन बुला रहे हैं। आपकी व्हिप की जो लिस्ट है, उसी के हिसाब से हो रहा है।

[अनुवाद]

क्या आप अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं?

[हिन्दी]

यहां चेहरा देखकर कौन बुला रहे हैं?

[अनुवाद]

यह अध्यक्षपीठ पर आक्षेप है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बुद्धसेन पटेल: हम सारी रात बैठे हैं।

सभापति महोदय: हम भी सारी रात इधर बैठे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या आप नये मेम्बर हैं?

[अनुवाद]

आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको खेद व्यक्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बुद्धसेन पटेल: हमने जो कहा है, हम उसे वापस लेते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो व्हिप है, उसी तरह हम बुला रहे हैं। आप कहते हैं कि चेहरा देखकर बुला रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल: मैं सभा का ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास तथा सम्पन्नता का मुख्य साधन समझा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्र के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में तेजी लाने के भी साधन हैं।

महोदय, सुविख्यात वैज्ञानिक प्रो. एम.जी.के. मेनन ने अपने एक व्याख्यान में निम्नलिखित बातें कहीं हैं:

"जबकि विवेक सम्पन्न विज्ञान भविष्य में एक सुखद विश्व का निर्माण कर सकता है, विश्व में विज्ञान रहित विवेक आज की जटिल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।"

स्वतंत्रता से पूर्व देश में केवल आठ वैज्ञानिक संस्थान तथा निकाय कार्य कर रहे थे। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे प्रयासों से अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं तथा संस्थान कार्य करने लगे हैं। अपने अनेक भाषणों में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इन संस्थानों को ''आधुनिक मंदिर'' कहा है जिससे ग्रामीण भारत के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सम्बद्ध कार्यों में लगी विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियां मुख्य रूप से मानवीय, भौतिक, रसायन, अभियांत्रिकी, भूमंडलीय, वातावरण, चिकित्सा, इलेक्ट्रानिकी, अंतरिक्ष, तेल अन्वेषण, महासागर विकास, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, आणविक आदि क्षेत्रों में कार्यरत है।

आज हमारे देश में 320 से भी अधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त देश में लगभग 1200 इन हाउस अनुसंधान और विकास औद्योगिक उपक्रम हैं। इन संस्थानों में 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त और प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि अभियंताओं की संख्या के संबंध में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। हमारे देश में पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

जिन सदस्यों ने मुझसे पहले अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने देश के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया है। हमें परिचालित की गई पुस्तिका में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी विभिन्न मुद्दों की चर्चा की है। मुख्य मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हमारी ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने सचमुच कोई योगदान दिया है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि क्या उनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग है? मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो 10 से 15 प्रतिशत से अधिक जनता गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं करती। अब नगरों की आबादी बढ़ रही है। आजकल शहरों में पर्यावरण, मलिन बस्ती, प्रदूषण आदि जैसी अनेक समस्यायें हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर यदि हमने गांवों में बुनियादी सुविधायें प्रदान की होतीं तो यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। महात्मा गांधी ने हमसे इसी कार्य की अपेक्षा की थी।

किन्तु बात कुछ और ही है। मुझे लगता है कि जो धनराशि हम बजट से खर्च कर रहे हैं वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी कार्यकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जैसाकि अन्य सदस्यों ने बताया है, हम बजट की कुल राशि का केवल 0.73 प्रतिशत ही विकास और अनुसंधान पर व्यय कर रहे हैं जोकि उन अन्य देशों की तुलना में पर्याप्त नहीं है, जो दो या तीन प्रतिशत से अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

अत: जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया था, कि चीन, कोरिया तथा अन्य देश हमसे बेहतर तरीके से इस संबंध में खर्च कर रहे हैं। इसलिए वे हमारी तुलना में अधिक प्रगति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम अपनी ग्रामीण आबादी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं सभा के समक्ष कुछ नये विचार रखना चाहता हूं।

ऊर्जा के क्षेत्र में हमें चीनी मिलों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे देश में गुड़ और चीनी का उत्पादन कर रही हैं। परन्तु पावर, अल्कोहल तथा गैसोलिन जिसका प्रयोग अन्य देशों द्वारा किया जा चुका है, के उत्पादन हेतु गन्ने के रस पर आधारित प्रौद्योगिकी तथा तकनीक के विकास का विचार सर्वप्रथम हमारा ही था। वास्तव में 25 वर्ष पूर्व विभिन्न गाड़ियों अथवा वाहनों को चलाने हेतु अल्कोहल का प्रयोग करने वाला पहला देश भारत ही था। परन्तु इस विचार को हमारे देश में कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है। अन्य देशों में इस विचार को कार्यरूप दिया गया है और अब 82 लाख से भी अधिक वाहन कृषि आधारित इस ईंधन द्वारा चल रहे हैं।

वास्तव में गांवों में रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए हमारे देहात के लोगों को काम करने में साइंस एंड टैक्नॉलोजी का यूज आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बावजूद हमारी इंडस्ट्रीज का पिक्चर साइंस एंड टैक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी साइंस एंड टैक्नॉलोजी में जो इनोवेशंस और डैवलपमेंट हुए हैं, वे नजर में नहीं आते हैं। आज अपने देश में 1864000 लेबर इंडस्ट्रीज से बेरोजगार होने के कगार पर हैं और उसमें से ज्यादा से ज्यादा टैक्सटाइल के लोग हैं जो करीब-करीब 361000 तक बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी साइंस एंड टैक्नॉलोजी इस बात को नहीं देखेगी कि जहां हम काम करें, उस काम को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करेगा तो बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी तथा लोगों की जो डिपेंडेंसी है, वह कम नहीं होगी। इस बारे में मेरे तीन सुझाव थे।

[अनुवाद]

गन्ने के रस तथा अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गांवों में लघु उद्योगों की स्थापना करनी होगी ताकि वहां के लोगों को कुछ रोजगार प्राप्त हो सके। वे लोग गांवों से नगरों में पलायन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमें ईंधन तथा उद्योगों में अन्य उपयोगों के लिए अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।

निर्यात के क्षेत्र में हम बहुत ही पीछे हैं। जहां तक निर्यात का संबंध है हम अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह विश्व में कुल निर्यात का आधा प्रतिशत भी नहीं है।

गांवों में जो भी संसाधन हैं, उनका उपयोग ग्रामीण लोगों के उत्थान हेतु किया जा सकता है जिससे गांवों से उनका पलायन रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर): महोदय, आजादी की स्वर्ण जयन्ती के विशेष अवसर पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। 15 अगस्त, 1947 को जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ और इस देश की बागडोर हमारे देश के हाथ में आई, तो इस देश के हुकमरानों ने इस देश की जनता के साथ बहुत बड़े-बड़े वायदे किए थे। इस देश के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरु, से लेकर जितने भी प्रधान मंत्री इस देश में हुए हैं, उन्होंने इस देश की जनता को यह विश्वास दिया कि हम इस देश से गरीबी हटायेंगे, बेजमीन लोगों को जमीन देंगे, बेघर लोगों को घर देंगे। जय जवान और जय किसान के नारे लगाए गए और रोटी-कपड़ा और मकान के नारे लगाए गए। इस देश में हरितक्रान्ति के अलावा झूठी क्रान्ति और मीठी क्रान्ति की बातें भी कही गई हैं। इस तरह की बातों और भाषणों को सुनते-सुनते हमें ऐसा लगता था कि जरूर इस देश में गरीबों के बारे में सोचेंगे और देश तरक्की करेगा तथा देश के लोग तरक्की करेंगे। लेकिन दु:ख इस बात का है कि हम देश में स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और देश के लोग अनाज न होने से भूखों मर रहे हैं। कितने लोग इस देश के अन्दर पहनने के लिए कपड़ा न होने से तरस रहे हैं। कितने लोगों को इस देश के अन्दर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारें इस देश के अन्दर आई हैं, उन्होंने इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। कहते कुछ रहे, लेकिन करते कुछ रहे। मुझे इस बात को देखकर और भी दु:ख होता है, हम इस देश के अन्दर 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहे थे, तो बी.बी.सी. जो सबसे बड़ा रेडियो है, वह दुनिया को बता रहा था कि इस देश की एक-तिहाई आबादी को एक समय की रोटी मिलती है और दूसरे समय की रोटी नहीं मिलती है। आज इस देश के अन्दर किसानों और मजदूरों की हालत बहुत खराब है। इस देश के 80 फीसदी लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में रहने वाले 70 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत लोग जो खेती में काम करते हैं, खेती में काम करने वाले किसान और मजदूर लोगों को बुरी तरह से कुचला गया है। सबसे ज्यादा इस देश के अन्दर किसी की हालत खराब है, तो वह किसानों और मजदूरों की हालत खराब है। आज इस देश के अन्दर जो करोड़ों मन अनाज पैदा करता है, इस देश के अन्दर जो डैम बनाता है, इस देश के अन्दर जो नहर बनाता है, सड़कें बनाता है और अपने सिर पर टोकरी उठाकर चार-चार मंजिलें बनाता है, लेकिन उसके बच्चे को रहने के लिए मकान नहीं है। जो अनाज पैदा करता है, उसके बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। जो कपड़ा बनाता है, उसके बच्चे कपड़े के बिना नंगे रहते हैं। जो जूता बनाता है, उसके बच्चे को पहनने के लिए जूता नहीं है। जो लोग इस देश के अन्दर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों की हालत इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा दुखी है। उनकी हालत इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा खराब कर दी गई है।

इस देश का जो बहुजन समाज है उस समाज की हालत किसी भी सरकार ने नहीं सुधारी। आज हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जब हम एजूकेशन की ओर नजर डाल कर देखते हैं, जब हम गांवों की तरफ जाते हैं तो इस देश के जो लोग हैं वे अब भी स्कूलों की मांग कर रहे हैं कि हमें स्कूल चाहिए। हमारे स्कूल अपग्रेड होने चाहिए। वहां अध्यापक होने चाहिए। जबकि आजादी के 50 साल बीतने के बाद यह स्थिति है कि इस देश के जो सरकारी स्कूल हैं वहां कोई भी पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का सत्यानाश हो चुका है। जो हाईस्कूल हैं, जिसमें 20 अध्यापकों की जरूरत है वहां दस अध्यापक हैं और दस पोस्टें खाली पड़ी है।

महोदय, मैं पंजाब की बात करता हूं। पंजाब इस देश का सबसे अच्छा सूबा है, जहां लोग अच्छी रोटी खाते हैं। देश के बाकी प्रांतों में से पंजाब के लोगों की हालत अच्छी है लेकिन पंजाब के स्कूलों की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि जिस हाईस्कूल में 20 अध्यापकों की जरूरत है वहां मुश्किल से दस अध्यापक लगे हुए हैं। जिस मिडल स्कूल में पांच अध्यापकों की जरूरत है वहां दो अध्यापक लगे हुए हैं, जहां प्राइमरी स्कूल में दो टीचरों की जरूरत है वहां कोई भी नहीं लगा हुआ है। महोदय, ऐसे सैंकड़ों स्कूल पंजाब में हैं। जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं और बच्चे बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना अध्यापक के वे बच्चे पढ़ कर पास हो रहे हैं— पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में कोई फेल नहीं करता है। बच्चों को स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। वहां एक स्कूल को 15 दिन चलाते हैं, फिर दूसरे को 15 दिन चलाते हैं। वहां स्टाफ इतना कम है उसमें से भी वहां से उनको हटा कर साक्षरता में लगाया जा रहा है। वहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा और गवर्नमेंट कह रही है कि बूढ़ों को पढ़ाओ। इस देश के अंदर नौजवान पढ़-लिख कर बी.ए., एम.ए. की डिग्री लेकर बी.एड. करके बेकार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अनपढ़ लोगों को साक्षर करने के लिए स्कूलों में से स्टाफ को हटा कर साक्षरता में लाते हैं तो ये बच्चों के साथ भी धोखे वाली बात है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो जमीन खाली पड़ी है और वह खाली जमीन लोगों को नहीं दी जा रही। 40 लाख हैक्टेयर जमीन पर हल चल रहा है और इससे दुगुनी जमीन इस देश में खाली पड़ी है। एक तरफ लोग जमीन के लिए तरस रहे हैं कि हमें पांच एकड़ जमीन मिल जाए, दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। वह खाली पड़ी जमीन, जिनके पास जमीन नहीं है उनको नहीं दी जा रही। अगर वह खाली पड़ी जमीन, जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दी जाए तो इस देश में जो गरीब लोग हैं वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और जो इस देश में अनाज की समस्या है वह बड़े पैमाने पर हल हो सकती है।

महोदय, हमारे देश के अंदर जो खेती करने वाले हैं, जिन लोगों को खेती करना आता है उनके पास खेती नहीं है। जिनको हल चलाना नहीं आता, जिनको खेती करने का पता नहीं वे इस देश के अंदर हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं। खेती करने वाले को खेती नहीं दी जा रही और जिसको खेती का पता नहीं वह जमीन का मालिक बना हुआ है। मेरा यह कहना है कि जो जमीन खाली पड़ी है वह जमीन उनको दी जानी चाहिए जिनके पास नहीं है।

मैं एक और प्वाइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में हर तरफ के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। यहां जंगल हैं, पहाड़ हैं, गर्मी है, सर्दी है, यहां कोयला है और लोहा है। फिर यह देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? बाकी देशों ने क्यों तरक्की की—चाहे वह अमरीका हो, जापान हो, आस्ट्रेलिया हो, कैनेडा हो। इन मुल्कों ने इसलिए तरक्की की कि उन्होंने अपने देश की इंडस्ट्री को डैवलप किया। जब तक इस देश की गवर्नमैंट इंडस्ट्रीज को डैवलप नहीं करती तब तक यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इंडस्ट्री को डैवलप करना बहुत जरूरी है।

आज पढ़े-लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं। मैं इस पर अपना एक प्वाइंट रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट इन नौजवानों को रोजगार इतनी जल्दी नहीं दे सकेगी। इसलिए उनके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। उनको विदआउट इंटरस्ट लोन मिलना चाहिए ताकि वे अपने आप काम कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री ए.सी. जोस

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की): महोदय, इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान इस सम्माननीय सभा को सम्बोधित करने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर यह ऐतिहासिक सत्र बुलाने का निर्णय लेने के लिए समस्त राष्ट्र आपकी प्रशंसा करेगा तथा आपको बधाई देगा। 15 अगस्त, 1947 की तिथि केवल भारतीय स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है बल्कि इसका विश्व के इतिहास में युगान्तरकारी घटनाओं में अपना स्थान भी है। यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बैस्टाइल का पतन अथवा रूसी क्रांति। इस दिन का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि भारत में हम लोगों के लिए यह दिन वह दिन था जब शताब्दियों के विदेशी शासन के पश्चात् एक महान राष्ट्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तथा स्वतंत्रता के आगमन का अभिनन्दन किया था। यूरोपीय उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए भारत की स्वतंत्रता एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी क्योंकि पिछले तीन सौ वर्षों के दौरान उपनिवेशवाद का काफी विस्तार हुआ था। भारत की आजादी के पश्चात् साम्राज्यवाद की पूरी की पूरी इमारत तहस-नहस हो गई। मुझे सरदार वल्लभभाई पटेल की वह भविष्यवाणी याद है जो उन्होंने 1945 में अपनी रिहाई के तुरंत बाद कारागार के सामने की थी, और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं:

> "यह आंदोलन अब सिर्फ भारत छोड़ो ही नहीं रहा, बल्कि एशिया छोड़ो भी हो गया है और कल यह अफ्रीका छोड़ो भी हो जाएगा।"

अत: आज न केवल अपनी महान मातृभूमि की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपितु पूरे विश्व में शक्तिशाली ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन की समाप्ति की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। पचासवीं वर्षगांठ मनाना हमारे लिए कोई समारोह नहीं है, यह हमारी मातृभूमि, अखंड भारत राष्ट्र की पचासवीं जयंती है। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक तौर पर भारत पांच हजार वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है लेकिन राजनीतिक तौर पर यह केवल 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। यदि कोई मुझसे यह पूछता है कि हमारी स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो मैं वे हिचक, निस्संदेह यह कहूंगा कि विभाजन की दु:खद स्थिति तथा आन्तरिक और बाह्य तौर पर विध्वंसकारी अन्य ताकतों की सक्रियता के बावजूद भारत वर्ष पिछले पचास वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान रहा है। जब हम अपने इर्द-गिर्द अधिकांश नये आजाद हुये देशों, जिसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल हैं, की स्थिति को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह चमत्कार के सिवाय कुछ नहीं है। हमें पिछले पचास वर्षों में इस महान देश के निर्माण पर गर्व है। अपनी उपलब्धियों के बारे में मैं अधिक विस्तार से बोलने नहीं जा रहा हूं परन्तु एक छोटा-सा कार्यकर्ता होने के कारण गर्व के साथ मैं यह कहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल आजादी का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि आगामी शताब्दी में इस देश के उत्थान का भी मार्ग प्रशस्त किया है। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि आजादी के समय हमारे देश की क्या स्थिति थी लेकिन मैं यह कहूँगा कि हरित क्रांति हमारी उपलब्धि रही है जिसके परिणामस्वरूप इस देश से दस वर्ष का अकाल पूर्णत: समाप्त हो गया। हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। जहां तक तकनीशियनों की संख्या का सवाल है, हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम आठवीं सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति हैं। हमने विश्व में बहुत से पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत बढ़िया ढंग से तीन तेल संकटों का सामना किया। समय विशेष में जिस ढंग से भारत ने इस संकट का हल निकाला था उससे अन्य सभी देश भौचक्के रह गये थे तथा उनको ईर्ष्या हो गयी थी। हमने तीन युद्ध झेले हैं-दो युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध और एक चीन के विरुद्ध। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु राजनीतिक स्थायित्व के कारण ही यह सब संभव हो सका था तथा यह राजनीतिक स्थायित्व किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया था।

जब जब कांग्रेस सत्ता में आई देश को राजनीतिक स्थायित्व मिला। मैं निराशावादी नहीं। मुझे इस देश द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर

आज भी गर्व है। हममें दोष भी हैं। हम में कमियां भी हैं, किस देश में कमियां नहीं हैं? किस देश में समस्याएं नहीं हैं? समस्याएं खुशहाली से अनुप्राणित हैं। जब आप अधिकाधिक समृद्ध हो जायेंगे तो समस्याएं भी बढ़ जायेंगी। अमरीका में आध्यात्मिक समस्या है, यूरोप में आर्थिक समस्या है। प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं हैं। हमारी भी समस्याएं हैं। मैं दो समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो स्वयं सभा है।

मैं इस सभा की संरचना को देखकर निश्चय ही भयभीत हूं, आशंकित हूं। उल्लंघनों के पक्षधर बहुत सी बातें कह सकते हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। 1977 में जब कांग्रेस हारी तो जो मंत्री परिषद् बनी वह केवल 32 महीने ही चल पाई। 1989 में कांग्रेस फिर हारी तब हमारे यहां क्रमशः 11 और 8 महीनों की दो सांझा सरकारे रहीं। यह हमें किस ओर ले गई? ये हमें विदेशी मुद्रा तथा अर्थव्यवस्था के घोर संकट की ओर ले गयीं। 1991 में श्री नरसिंह राव सत्ता में आये। हमने अपनी विदेशी मुद्रा बड़े चमत्कारिक ढंग से बचाई। हमने उदारीकरण की एक नई आर्थिक नीति शुरू की। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे सहमत हैं अथवा नहीं, लेकिन लोगों ने हम पर गर्व करना शुरू कर दिया था। उन दिनों हमारी विकास दर काफी अधिक भी थी जो चीन अथवा अन्य महत्वपूर्ण एशियाई देशों से बेहतर थी।

आज भी हमारे यहां साझा सरकार है लेकिन यह लड़खड़ा रही है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया कोई व्यवधान पैदा न करें।

श्री ए. सी. जोसः मैं साझा सरकारों के विरुद्ध नहीं हूं। हमारे यहां एक बार, दो बार तथा तीन बार त्रिशंकु संसद रही जिसने प्रजातंत्र के अस्तित्व पर ही लोगों के विश्वास को खत्म कर दिया। अतः, मैं दोनों पक्षों के राजनीतिक नेताओं से यह अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के बारे में वे गंभीरतापूर्वक सोंचे।

हम वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का मतलब है राजनीतिक दलों की एकाधिकता न कि राजनीतिकता दलों की अनेकता। हमें राजनीतिक पार्टियों की एकाधिकता की आवश्यकता है, न कि अनेकता की। हमारे यहां राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र, समाज अथवा भाषा के आधार पर बन जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर बार त्रिशंकु संसद आ रही है। अन्तोगत्वा इससे लोगों का प्रजातंत्र पर विश्वास हिलेगा। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं और मैं इसका श्रेय भी लेना नहीं चाहता हूं। प्रमुख राजनैतिक दलों के नेताओं को मिलकर बैठना चाहिए तथा निर्णय लेना चाहिए। मुझे मालूम है कि 64 देशों में साझा सरकारें चल रही हैं। इटली और जर्मनी में साझा सरकारें चल रही हैं। मैं साझा सरकारों के खिलाफ नहीं हूं परन्तु इस सभा की संरचना पेचीदा है। इस सभा का स्वरूप हमें यह बताता है कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है।

सभापति महोदयः आप कृपया मेरी कठिनाई को समझने की कोशिश करें।

श्री ए.सी. जोसः जी हां, महोदय भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से एक अरब होने जा रही है। इसका आधार वस्तुतः विस्फोटक हो रहा है। भारत के महापंजीयक द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर मार्च, 1996 को देश की जनसंख्या 93.42 करोड़ बतायी गयी है। यह वृद्धि डर पैदा करने वाली है। हमें इस पर रोक लगानी होगी, विशेष कर तब जब सारी की सारी सभा इस बात पर सहमत हो गई है कि सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या है।

मैं केरल राज्य का रहने वाला हूं। मुझे गर्व है कि केरल, तमिलनाडु और गोवा राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी प्रगति की है। मैं भारतीय जनसंख्या संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री निवासन की बात का उल्लेख करना चाहूंगा।

> ''भारत की जनसंख्या समस्या इसके बड़े राष्ट्र होने के कारण नहीं है अपितु सतत उच्च वृद्धि दर के कारण है। जब हम राज्यों पर अलग-अलग ढंग से विचार करते हैं, तो अलग-अलग तस्वीर सामने आती है। 1981-91 के दशक के दौरान केरल, तमिलनाडु तथा गोवा में क्रमशः 13.98, 14.94 तथा 15.96 की वृद्धि दरें दर्ज की गईं, जो उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम थीं।''

ऐसा किन्हीं गर्भनिरोधकों के कारण नहीं हुआ है। केरल में जनसंख्या वृद्धि जागरूकता के कारण रोकी जा सकी है। हमने अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की है। इस सम्माननीय सभा से मेरा निवेदन है कि हम अपनी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह प्रतिज्ञा करें कि इस देश में इस साल से प्रत्येक बालिका को शिक्षित किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए अपेक्षित और प्रदत्त धन में 2,700 करोड़ रुपये का अन्तर है। इस सभा से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जब हम सोमवार को विचारार्थ संकल्प को स्वीकार करें तो हमें इस प्रयोजन के लिए यह 2,700 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर देनी चाहिये।

केरल का अनुभव जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क में सिखाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि हम समृद्ध न होते हुए भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा पाए हैं। महिलाओं में साक्षरता बढ़ा कर हम ऐसा कर सके हैं। मेरा सुझाव है कि महिला शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह प्रावधान किया जाना चाहिये कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के लिये भेजे जाने वाले प्रत्येक के माता-पिता को 100 रुपये दिये जायेंगे। मैं आंकड़े उद्धृत करना नहीं चाहता हूं। देश में पांच करोड़ बालिकाएं हैं। उनके माता-पिता को पचास रुपयों की राशि दी जा सकती है तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जा सकती है। यदि माता-पिता अपने बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो इसे दण्डनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति बनानी होगी। अन्यथा हम संकट में पड़ जायेंगे।

मेरा पुनः निवेदन है कि अपनी आजादी की पचासवीं जयन्ती मनाने के अवसर पर हमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 2700 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करनी चाहिए। यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि प्रत्येक बालिका स्कूल जाएगी। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए

यह सबसे कारगर निवारक उपाय है। इसके अलावा हमें एक उचित जनसंख्या नीति अपनानी पड़ेगी। यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो समूचा ढांचा चरमरा जायेगा।

मैं सभा के समक्ष केवल दो बातें कहना चाहता हूं। मेरी पहली बात है राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक नेताओं को इस पर विचार करना होगा। मेरी दूसरी बात यह है कि हमें एक ऐसी जनसंख्या नीति बनानी होगी जिसमें महिला शिक्षा के लिए राज सहायता देनी होगी। यदि कोई माता पिता अपनी बालिका को स्कूल नहीं जाने देते हैं तो ऐसे दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अब तक केवल 22 सदस्य बोल पाए हैं। उनमें से भारतीय जनता पार्टी के केवल चार सदस्यों को ही समय दिया गया है।

सभापति महोदय: इसके बाद आपकी पार्टी की बारी है।

श्री सत्यपाल जैन: कृपया उनके समय की पूर्ति करें ताकि प्रत्येक सदस्य बोल सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति जी, आजादी के पचास वर्षों पर स्वर्ण जयन्ती के सुअवसर पर देश के सर्वोच्च सदन में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। संसद का जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, सबसे पहले मैं इसके लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उन पर यहां दल की सीमाओं से ऊपर उठकर चर्चा हुई है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों को दल की सीमाओं को छोड़ने में बहुत परेशानी हुई।

लेकिन तब भी कुल मिलाकर जो चर्चा उभर कर सामने आई है, यहां जो बहस और डिस्कशन हुआ, मैं समझता हूं कि उससे अध्यक्ष महोदय ने एक अच्छी परम्परा की शुरूआत की है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष भी इसका अनुकरण करे। इसके लिए कोई डायरेक्टिव तो नहीं दिया जा सकता लेकिन अगर वे इसका अनुकरण करें तो अच्छी बात होगी क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कंसैन्सस बनाकर, राष्ट्रीय एजेन्डा बनाकर, एक नेशनल चार्टर बनाकर, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दल की सीमाओं और कार्यक्रमों में आबद्ध रहते हुए भी, प्रथम प्रियौरिटी बनाकर, यदि हम इस पर आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश महानतम हो सकता है। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे कोयला हो, बिजली हो, पानी हो या हमारी धरती की उर्वरा शक्ति हो। यही कारण है कि आज अनाज के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं।

इस वर्ष देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है। इस अवसर पर सबसे पहले, निश्चित रूप से हमें अपने देश के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि पहले हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर नहीं थे, उस समय हमारी प्रियौरिटी थी कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनें लेकिन आज देश के किसानों की मेहनत, उनके परिश्रम से हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गए हैं–चाहे वे पंजाब के किसान हों, हरियाणा के किसान हों, राजस्थान के किसान हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हों, मध्य प्रदेश के किसान हों, महाराष्ट्र के किसान हों या किसी भी सूबे के किसान हों, उनके परिश्रम और मेहनत के चलते, आज हम खाद्यान्न के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। यह हमारी उपलब्धि है।

वैसे हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने सदन में अनेक उपलब्धियों का जिक्र किया, यहां तक कि सुई से लेकर मिसाइल बनाने तक का जिक्र यहां किया गया। इन 50 वर्षों में हमारी जितनी उपलब्धियां रही हैं, वह हमारे लिए गौरव की बात है लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी त्रुटियां क्या रहीं, कमजोरियां क्या रहीं और उन पर अपनी चर्चा को केन्द्रित करे, उन पर नजर डाले। अब यह बहस तो पूरी होने वाली है लेकिन उससे पहले यदि सभी दलों के नेताओं से एक नेशनल चार्टर बनाकर हम रेखांकित कर देते, इन बिन्दुओं पर फाइनल संकल्प ले लेते तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता। अभी भी हमारे पास दो दिन का वक्त है, क्योंकि पहले आज ?इस स्पेशल सैशन का अंतिम दिन था लेकिन अब इस सत्र को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि आगामी दो दिनों में संकल्प नियत कर लेने की जरूरत है क्योंकि अब तक की चर्चा के बाद जो कंसैन्सस सामने आया है, उससे यही स्पष्ट हुआ है कि दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर, अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या सभी माननीय सदस्य इस बात को नहीं मानते कि किसी भवन की नींव की पहली ईंट यदि टेढ़ी लगायी जायेगी तो दीवार को आप भले ही आसमान तक ऊंची उठा दो, दीवार टेढ़ी ही रहेगी—इस तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरा तात्पर्य है कि यहां जो बहस हुई है, हमारे नेताओं ने अपने विचार सदन के सामने रखे, महात्मा गांधी के सामने आजादी लाने की समस्या थी जिसका समाधान महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को मिला क्योंकि उनमें इच्छा-शक्ति को जगाने की क्षमता थी, उनके आचरण में इतनी ताकत थी। आज क्या कारण है कि हम सब नेतागण अनेक मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस तो करते हैं, आज भी लम्बी बहस हो रही है, मुझे आप माफ करें, लेकिन बहस के अनुरूप यदि ईमान का संकट रहेगा, चरित्र का संकट रहेगा, आचरण का संकट रहेगा तो उसका कोई प्रतिफल, इस बहस का कोई नतीजा देश के सामने आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आज जब देश में कोयले

की, पानी की, संसाधनों की, इंटर्नल रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन की क्षमता है, किसी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो सिर्फ एक चीज की–अकेले ईमान की, ईमानदारी की, चरित्र की, नैतिकता की और आचरण की। गांधी जी ने अपनी पहचान बना ली थी, जब गांधी जी अपील करते थे तो उनकी आवाज पर पूरा हिन्दुस्तान खड़ा हो जाता था।

सभापति महोदय, इसका कारण क्या था। इसका कारण महोदय यह था कि गांधी जी ने अपने को गरीबों के साथ जोड़ा। उन्होंने गरीबों को अपना लिया था। इसलिए इस देश के गरीब उनकी एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते थे। इस देश का जन-जन उनके साथ था। उनके नेतृत्व में इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों ने कुरबानी दी। मैं आज देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश में चाहे कोई भी कानून हो, सुधार का कार्यक्रम हो, भूमि-सुधार हो, जो भी योजनाएं बनीं, वे क्यों लागू नहीं हुई, चाहे लैंड रिफार्म हो, धन और धरती बंटकर रहेगी। आज सांसदों को भी एक नजीर पेश करनी चाहिए और हमें अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए।

सभापति महोदय, आजादी के पचासवें वर्ष में आज हम यह संकल्प करें कि हम अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा में राज्य सभा के सभापति को और उसकी एक प्रति प्रधान मंत्री को देंगे। यही बात राज्यों की विधानसभाओं में लागू होती है। वहां के विधायक वहां के अध्यक्ष और मुख्य मंत्री को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। आज निश्चित रूप से एक कानून बनाइए कि हम सदस्य बनने के बाद, शपथ लेने के 15 दिन के भीतर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सभापति या अध्यक्ष और प्रधान मंत्री को दे देंगे। निश्चित रूप से ऐसा कानून बनाइए और एक राय से बनाइए। इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं और जो संसद सदस्य अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं या उसमें त्रुटि करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बहस करते हुए, मेरा यही अनुरोध है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य बनाया जाए।

सभापति महोदय, जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी, तब तक हम चाहे जितने भाषण दें। उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। आज जो बहस हुई है उसका कुल मिलाकर यही लम्बोलुबाब निकला है कि हम गांधी के प्रोग्राम की तरफ जाएं। हमें स्वदेशी और स्वावलंबन की ओर जाना चाहिए। आज मैं मुरली मनोहर जोशी के भाषण को और अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। जोशी जी ने बताया कि कैसे हमारी साइंस उस युग में भी आज के युग से ज्यादा तरक्की पर थी। हमारी दस्तकारी और कलाएं आज की उन्नति तकनीक से बनाई चीजों से भी बहुत उन्नत किस्म की थी। ढाका की मलमल दुनिया में मशहूर थी। हमारी जो पुरानी तकनीक थी, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी वह आज से ज्यादा समृद्ध थी। इसलिए मैं सदन में आज सभी माननीय सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं कि हमें गांधी जी के प्रोग्राम को अपनाना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हम 50 साल पीछे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम 50 साल आगे जाकर गांधी जी के प्रोग्राम पर तो बैक जा सकते हैं। हमें उनके प्रोग्राम को एडाप्ट करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जब मैं मंत्री था, तो मैंने एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है और जिन राज्यों में मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर है वहां पर यह योजना आज भी चल रही है। कुछ राज्य जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, जहां यह सिस्टम मजबूती से लागू है। उसमें मैन फोकस आन दि पूअर दिया गया है। इसको बनाते समय हमने गांधी जी को आधार बनाया था। जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसके पेट को जो रोटी दे दे, वही उसका भगवान है। उसी में वह ईश्वर के दर्शन कर सकता है।

सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि गरीबी और गरीबों की पहचान करने के लिए गांधी जी ने एक जंत्र दिया था। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है आप उसे बताकर समाप्त कर दें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गांधी जी के मंत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं। जब तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ की जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा होगा उसकी तस्वीर याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए उपयोगी होगा। क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेंगे? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों का स्वराज्य मिल सकेगा। जिसका पेट भूखा है आत्मा अतृप्त है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है तो तुम उस दिशा में आगे बढ़ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक आवश्यकतायें हैं जैसे पीने का पानी है, रोटी की समस्या है, आज तक हम रोटी की समस्या को हल नहीं कर सके। करोड़ों लोग आधा पेट खाकर सोते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि न्यू प्लानिंग कमीशन का जो दस्तावेज है उसके हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का एस्टीमेट 35.97 प्रतिशत है। मतलब 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हमें इनके लिए सिर्फ एक काम करना होगा कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हें सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाये। जो सस्ता भोजन देने की योजना है, उसे धरती पर उतारा जाये। मौनटरिंग किया जाये। विजिलेंस कमेटी बैठाकर उसमें सभी माननीय सदस्य अपना सहयोग करें। सस्ता अनाज जिसकी क्रयशक्ति कम है, परचेजिंग कम है, उनको प्रथम प्राथमिकता में रखना चाहिए। इस देश के जो 32 करोड़ लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। समाज का जो अंतिम आदमी है, वह इससे लाभ प्राप्त कर सके। अगर हम इस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से यह सही होगा। उनको मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। सस्ते दाम पर भोजन मिलना चाहिए। उनको स्वास्थ्य को भी प्रथम लिस्ट में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब यह बेसिक आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी, जब हम गरीबों के साथ जुड़ जायेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)* जिनका तन पिघल रहा है। भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर में खून नहीं बन रहा है, यदि उनके पेट में खाना चला जायेगा तो इससे उनके क्रयशक्ति बढ़ेगी। जो दौलत पैदा करने वाले लोग इस देश में है। मैं समझता हूं कि करोड़ों लोग दौलत पैदा करते हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त करिए। स्पीकर साहब ने दस मिनट कहे थे और आप चौदह मिनट बोल चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, जो लोग संस्कृति और राजनीति पर कब्जा किये हुये हैं, उनको हम ही कब्जा देने का काम कर रहे हैं। जब यह परिवर्तन होगा तो इस देश में सबसे बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री चन्द्रभूषण सिंह

श्री चन्द्रभूषण सिंह (कन्नौज): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में प्राचीन काल से प्रतिभाओं का अटूट भंडार रहा। बीसवीं शताब्दी में जगदीश चन्द्र बोस, आचार्य पी. सी. रे, श्री रामानुजम जैसे वैज्ञानिक हिन्दुस्तान ने दिये। हमारे यहां प्रतिभाओं के नाम पर वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि जिनका दुनिया में नाम रहा। इसमें साईंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय रखा गया है और मैं अपने को उसी से संदर्भित रखता हूं। हमारे देश में सी.वी. रामन, श्री एस. चन्द्रशेखर और हरगोविंद खुराना को नोबल पुरस्कार भी मिले। श्री सी.वी. रामन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में अपनी खोजें की जिसकी वजह से उनको नोबल पुरस्कार मिला। श्री खुराना और एस. चन्द्रशेखर अमरीका में जाकर बसे और वे अमरीका के नागरिक हो गये। मैं आपसे यह कहने जा रहा हूं कि इन परिस्थितियों में हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जी.डी.पी. में जो खर्चा हो रहा है, वह मात्र .73 प्रतिशत है।

रात्रि 8.00 बजे

अब स्थिति क्यों बिगड़ी है। आज यदि आप अमरीका और विकसित देशों को देखें, वहां के अधिकतर पॉलिसी मेकर्स विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। जिसे उसमें विशेषज्ञता प्राप्त होती है, वही उसका नियोजन करता है। लेकिन हिन्दुस्तान की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। आज यहां प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें खास विषय के संबंध में कुछ भी ए.बी.सी.डी. नहीं आती, वे हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हिन्दुस्तान के वे कर्णधार हैं। दुर्भाग्य है कि आज प्रशासनिक अधिकारियों को लाल बत्ती मिली होती है, चकाचौंध की जिंदगी जीते हैं और समाज में भी उनकी एक प्रतिष्ठा होती है जबकि विकसित देशों में वैज्ञानिक विशेषज्ञों को उन जैसी ही सुविधा मिलती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारे वैज्ञानिकों को वे सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको पॉलिसी मेकिंग में अग्रणी बनाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान की आज जो परिस्थिति बिगड़ी है, हम और आप सभी जानते हैं कि 1971 से हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। जब सरकार को यह महसूस हुआ कि हम अब अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे तब इन्होंने लिब्रलाईजेशन के नाम पर आर्थिक स्वतंत्रता दे दी। पूंजी निवेश के नाम पर आज हम पलक बिछाए बैठे हैं लेकिन हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, हमारा आधारभूत ढांचा इतना खराब और जर्जर हो चुका है कि आपके यहां कोई निवेश करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या परिस्थितियां हैं, आखिरकार हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों हुआ? जापान में भी एक बार ऐसी परिस्थिति आई थी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है तो उसने मुकम्मल 10 वर्ष पहले आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए उस मद में खर्च किया और अपने सारे संसाधन चाहे वह ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोड हो, चाहे पावर हो, सभी में तरक्की की। उससे दुनिया में आज उनकी जो स्थिति है, उससे हम सभी परिचित हैं। क्योंकि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे आधारभूत जो भी संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग होता है। नतीजा यह होता है कि आज कोई भी आपके यहां निवेश करने के लिए तैयार नहीं है।

मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मलेशिया की कम्प्यूटर की एक बहुत बड़ी कम्पनी, जिसके मालिक पैकार्ड हैं, उन्होंने 40 करोड़ डालर यहां खर्च किया। इन्होंने 1967 में सिंगापुर में मात्र अपने 62 कर्मचारियों को लेकर एक कम्पनी बनाई जो आज वहां फल-फूल रही है जबकि वहां उस समय लेबर का खर्चा बहुत कम था। लेकिन आज यदि आप सिंगापुर की परिस्थिति देखें, टैक्नीकल या कोई भी लेबर है, वह महंगी से महंगी है। लेकिन निवेशक वहां पैसा लगाना पसंद करते हैं। आज वही कम्पनी जिसने हिन्दुस्तान में 40 करोड़ डालर निवेश किया, मलेशिया जाने के लिए तैयार बैठी है। उसी तरह से आप जापान की स्थिति देखें, जब निवेश की स्थिति आई तो जापान ने अपने हिसाब से निवेश करने की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो भी लेबर ओरिएन्टेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें आप लें और पैसा खर्च करें। चीन भी इसका एक उदाहरण है। अपने यहां मात्र 1 अरब करोड़ डालर सालाना निवेश होता है जबकि चीन में 30 अरब डालर तक सालाना निवेश होता है। जापान की परिस्थिति आप देखें। वहां लेबर ओरिएन्टेड काम निवेशकों के पास पहुंचा और बेरोजगारी दूर हुई। वहीं हिन्दुस्तान की परिस्थिति आप देखें। हिन्दुस्तान में जो भी निवेशक आते हैं, वे नई योजना लेकर नहीं आते बल्कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको टेक ओवर करने के लिए आते हैं। क्योंकि यह उनकी पहुंच के नजदीक हैं इसलिए वे ऐसी इंडस्ट्रीज को लेना चाहते हैं जो यहां पहले से स्थापित थी। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। डी.सी.एम. कम्पनी श्री राम, भरतराम जी की बहुत बड़ी कम्पनी थी जिसके शेयर्स को स्वराज पाल जी ने खरीद लिया। यदि सरकार मदद न करती तो इतनी बड़ी कम्पनी आज स्वराज पाल के हाथों में होती। दूसरी दावू कम्पनी है जो पहले डी.सी.एम. के माध्यम से मिल-जुलकर चलती थी। उस समय डी.सी.एम. का शेयर 51 प्रतिशत था, आज जब उन्होंने कहा कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा तो चरतराम जी ने कहा कि हमारे पास इतना रुपया निवेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप शेयर दीजिए। आज उनकी स्थिति 49 प्रतिशत की है और उनकी 51 प्रतिशत की है।

नतीजा यह हुआ कि आज दावू इण्डस्ट्री के ऊपर आधिपत्य हो गया। मैं आपको सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को यह सलाह देना चाहता हूं कि जल्दी-जल्दी में लिब्रलाइजेशन के नाम पर ऐसा कोई कार्य न करें ताकि देश फिर आर्थिक परतंत्रता की तरफ अग्रसरित हो।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में सबसे मुख्य मुद्दा होता है, कोल का, इनर्जी का, इण्डीविजुअल, प्रति व्यक्ति जितनी इनर्जी का इस्तेमाल करता है, उतना ही वह विकसित कहलाता है। अपने यहां क्या स्थिति है, आज

हिन्दुस्तान की स्थिति है कि हमारे यहां मात्र 320 के.डबलू.एच. एक व्यक्ति पर सालाना बिजली खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान पर 416 है, अर्जेंटीना जो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, उस पर 1784 के.डबलू.एच. बिजली का कंजम्पशन एक व्यक्ति करता है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 2216 के.डबलू.एच. है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हम वैसे भी बहुत पिछड़ गये हैं, यदि हमने अपने को न सुधारा, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया तो आर्थिक परतंत्रता में हम ग्रसित हो जाएंगे और जो आर्थिक स्वतंत्रता की कामना लिए बैठे हैं, यह धरी की धरी रह जाएगी। आज इनर्जी के नाम पर थर्मल का 74 परसेण्ट, हाइड्रो का 24 परसेंट और न्यूक्लियर की दो परसेण्ट जैनरेशन हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतने गरीब मुल्क में जब हम हाइड्रो पद्धति से जो सबसे सस्ती बिजली होती है, हम अधिक से अधिक पैदा कर सकते थे लेकिन नहीं की गई। 1961-62 में 51 प्रतिशत शेयर हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी का था, वही गिरकर आज 24 प्रतिशत हो गया है। हमारे पास इतने संसाधन थे कि हम पहाड़ों पर अपने बांध बना सकते थे और हाइड्रो बिजली का हम ज्यादा उत्पादन कर सकते थे, लेकिन सरकार का गौर उस तरफ नहीं गया। आज हम सभी जानते हैं कि कोयले का अभाव हो गया है, 202 बिलियन टन कोयला ही हमारे पास बचा है, लेकिन थर्मल की तरफ विश्व बैंक के तहत और अमेरिका की पालिसी के तहत लगातार जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में हम लोग थर्मल पावर स्टेशन लगातार बनाते चले जा रहे हैं। न्यूक्लियर की मात्र दो परसेण्ट हमारी जैनरेशन होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूं कि न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर की तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बिजली सस्ती उपलब्ध हो सके और आम आदमी को बिजली सहज सुलभ हो सके।

उसी तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट की जब बात आती है, मैं निवेदन करता हूं कि ट्रांसपोर्ट के नाम पर इस समय हिन्दुस्तान में 34 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज हैं और करीब 1.30 लाख किलोमीटर स्टेट हाइवेज हैं, उसमें दो परसेण्ट सिर्फ ऐसी सड़कें हैं जो कि फोर लेन की हैं, बाकी की सारी की सारी सड़कें कच्ची और टूटी हुई हैं, ऐसे में आप उम्मीद कैसे करते हैं कि निवेशक आपके यहां आयेंगे। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की बात है, एक ही साल में 220 करोड़ रुपये से घाटा बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गया तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे साधन निवेशकों को दे सकेंगे, अच्छी व्यवस्था निवेशकों को दे सकेंगे, ताकि अच्छे निवेशक आ सकें, अच्छी व्यवस्था बन सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपनी इस लिब्रलाइजेशन पालिसी पर उन्हें दोबारा निश्चित ध्यान देना चाहिए और निश्चित एक ऐसी सशक्त पालिसी बनानी चाहिए ताकि जो आर्थिक परतंत्रता आने वाली है, वह हमारे ऊपर न आये और आधारभूत ढांचा मजबूत हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद। भाषण निर्धारित समय के अन्दर ही पूरा हो गया। अब श्री अनादि चरण साहू जी बोलेंगे।

श्री अनादि चरण साहू

श्री अनादि चरण साहू (कटक): सभापति महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को इस देश के शासन में एक राज चिह्न अपनाया गया था। यह चिह्न सिद्धांत चक्र के साथ अशोक स्तम्भ है और इसकी पीठिका में एक उक्ति निक्षारित की गयी थी जो आशा, आदेश, आकांक्षा तथा उत्प्रेरणा की उक्ति है। और यह उक्ति ''सत्यमेव जयते'' है अर्थात् केवल सत्य की ही विजय होती है। संस्कृत में यह तात्कालिक वर्तमान काल में है। सत्यमेव जयते क्या है, इसकी उचित रूप से व्याख्या की जाए तो इसका अर्थ है केवल सत्य की ही विजय होनी है। मैं आप सबों से ''मुण्डक उपनिषद'' का अध्ययन करने का अनुरोध करूंगा जहां सुन्दरतम तरीके से इसकी व्याख्या वर्तमान पूर्णकाल में की गयी है।

इसमें कहा गया है:

''सत्यमेव जयति ना अनरुलं
सत्येन पंथाविततो देव्यान:।

इसका अर्थ है कि हर घड़ी केवल सत्य की ही विजय होती है न कि झूठ की। असत्य मिथ्यात्व है। यह शाश्वत नहीं है। प्रत्येक कार्य द्वारा हम देवलोक जाने के लिए वाहन बना सकते हैं अथवा स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। इस दिन अंग्रेजों के दासत्व से मुक्त हुए लोगों की यही आकांक्षा अभिलाषा थी।

अधिकाधिक प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत के लोगों ने 1949 में संविधान का निर्माण किया। 1950 में इसे लागू किया गया था जिसके द्वारा लोगों को न्याय, समानता, भाईचारा तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। इन आकांक्षाओं को साकार रूप प्रदान किया गया था। केवल आदर्श और विचारधारा से ही लोगों के लिए कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। किसी भी प्रकार की बेहतरी के लिए आपके पास ठोस तथ्य, समर्थन, भोजन, धन तथा समानता जैसे तत्व होने चाहिएं। इस संविधान में भी संरक्षणात्मक विभेद निहित हैं ताकि दलितों, अल्पसंख्यकों तथा उन व्यक्तियों, जिनकी वर्षों से उपेक्षा की गयी है को एक उचित आधार प्रदान किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखा गया था। परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि केवल दर्शनशास्त्र या तत्वज्ञान से ही लोगों की भलाई नहीं की जा सकती है।

महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो क्या मैं दो या तीन मिनट और बोल सकता हूं?

सभापति महोदय: आपको अपने निर्धारित समय में ही हर बात कहनी होगी?

श्री अनादि चरण साहू: मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप में कहूंगा। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा।

वर्ष 1955 में, कांग्रेस के आवाडी सम्मेलन में पंडित नेहरू ने समाज के समाजवादी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की थी। इस प्रकार 1955 में, समाज को प्रगति का अवसर प्राप्त हुआ था। यह योजना स्वीकार कर ली गयी थी और साथ ही और भी अनेक कदम उठाए गए थे। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर बोलना है।

जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और जब उतार-चढ़ाव आते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ विकृतियां/त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। त्रुटियां 1975 में ही दिखनी आरंभ हो गयी थीं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आपातकाल के कारण को उचित रूप से समझ न पाने के कारण कुछ लोगों ने आपातकाल की निन्दा करने का प्रयास किया था तथा श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्हें भारत की सिंहनी के रूप में जाना जाता था की आलोचना करने की चेष्टा की। जब उतार-चढ़ाव आते हैं तो स्वाभाविक है कि त्रुटियां उत्पन्न होती हैं और इन त्रुटियों को नियंत्रित करना होगा। त्रुटियों पर नियंत्रण पाने हेतु एक माँ हाथ में छड़ी ले कर अपने शरारती बच्चे के कान खींचती हुई कहती है कि "अपना आचरण ठीक करो।" आपातकाल लगाने से पूर्व, इसके दौरान और इसके पश्चात् की अवधि में मुझे दो जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं इस स्थिति को जानता हूं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे चेहरे पर चोट का निशान देख सकते हैं। मैं इसे अपने चेहरे की सुन्दरता बढ़ाने वाला निशान कहता हूं। मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद जनवरी अथवा फरवरी, 1977 में जब चुनाव हो रहे थे मैं भुवनेश्वर में पुलिस अधीक्षक था। श्रीमती इंदिरा गांधी वहां एक जनसभा को सम्बोधित करने आयीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भुवनेश्वर में जन सभा में केवल 2000 व्यक्ति ही उपस्थित थे? जून, 1978 में वे कटक आयीं। उस समय मैं कटक में पुलिस अधीक्षक था। उन पर जान लेवा हमला किया गया था और लोग गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। मेरे लिए उस भीड़ को नियंत्रित कर पाना बहुत ही कठिन हो गया था तथा मैं घायल हो गया। जिलाधिकारी के एक पांव की हड्डी टूट गयी थी। 25 से 28 वर्ष पूर्व भारत में स्थापित की गयी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति दिखायी गयी यह प्रतिबद्धता थी। इसने लोगों की आकांक्षाओं को उद्वेलित कर दिया था और जब चिंगारी राख में बदलने लगती है तब आप इसे हवा देकर पुन: सुलगाने की कोशिश करते हैं। इसने लोगों की आशाओं को जगाया तथा लोगों की सोई हुई आशा जाग उठी। वे बेड़ियों में जकड़े रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए, लोग जहर उगल रहे थे। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि दिसम्बर 1979 में, जब मैं दुबारा कटक में पुलिस अधीक्षक था तब वे चुनावों के लिए लोगों को संबोधित करने आईं। मेरे लिए कटक शहर की लाखों की तादाद में बढ़ती हुई, आह्लादित भीड़ को काबू में रखना काफी कठिन था। इसका कारण यह था कि वे लोग अब यह समझ गए थे कि जिस प्रणाली को उन्होंने ठुकराया था, जिस शक्ति को उन्होंने अस्वीकार किया, वह गलत था। वहां आपसी लड़ाई, स्वार्थ सिद्धि और क्या नहीं था। मैं आपातकाल के बाद की दो ढाई वर्ष की घटनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा। शायद लोगों ने यह बात समझ ली थी कि उन्हीं लोगों को फिर से सत्ता में बैठना चाहिए जिन्होंने ठीक ढंग से शासन किया और यही भारत की प्रजातंत्र की आत्मा है। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा लोगों की छिपी शक्ति को जगाया गया था और ऐसा किया जा रहा है। यही आवश्यक है तथा यही 1975 से 1980 के बीच हुआ था। क्या हुआ है? प्रजातंत्र ने कई अच्छी चीजों को प्रस्तुत किया है जिनका लाभ हम आज उठा रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों को भोजन तथा आवास मुहैया करा चुके हैं लेकिन अभी भी 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। भूखा व्यक्ति हमेशा रोष में रहता है और यह कानून और नियंत्रण की समस्या को जन्म देता है। मैं पुलिस में था इसलिए इन भूखे लोगों की परेशानियां जानता हूं। क्रोधित तथा भूखे व्यक्ति को नियंत्रण में रखना काफी कठिन है। अभी भी, हम यह नहीं कह सकते हैं हमारे पास क्या-क्या वस्तुएं हैं। मैं इसके लिए कोई बहाना भी नहीं बनाना चाहता हूं लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। संस्कृत में एक उक्ति इस प्रकार है:

अकर्मा भूमि निन्दन्ति, जलम् निन्दन्ति रोगिण:
गणिका पुत्र निन्दन्ति चौर निन्दन्ति चन्द्रमा।

आप चाहे कुछ भी कह लें लेकिन मैं बहाना नहीं बना रहा हूं। तथ्य यही है कि हमारे 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तथा गरीबी के कारण, हमें कई परेशानियाँ हो रही हैं तथा लोगों की सोई हुई शक्ति को जब जागृत किया गया तो कई जटिलताएँ पैदा हुई हैं।

पहली जटिलता जो सामने आई है वह है शक्ति प्रदर्शन। यह पाया गया है कि आग्रह करना पर्याप्त नहीं है तथा हम शक्ति में आने के लिए बाहुबल का प्रयोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में कुम्भकर्ण द्वारा शासन के बारे में रावण को कहे गए नीतिगत शब्दों की मैं व्याख्या करूंगा। इसमें उन्होंने कहा है कि:

राज्यम् पालयितुम सक्यम
न तिखणेन न निशाचर,
न चापि प्रतिकूलेन,
न विनिलेन राक्षस।

यही उन्होंने कहा।

न विनितेन राक्षस,

इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अभिमानी हों, तो आप शासन नहीं कर सकते हैं, और अब आपने देखा है कि अभिमान ने एक मुख्य मंत्री को अपने पद से हटा दिया।

न तिखणेन न निशाचर,

यह कोई अपमानसूचक शब्द नहीं है बल्कि यह जातीय सम्बोधन है तथा राक्षस भी एक जातीय संबोधन है। यदि आप बाहुबल का प्रयोग

करते हैं तब भी आप शासन नहीं चला सकते हैं। अभिमानी व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता है। यदि समूची जनता आपके खिलाफ है तब भी आप लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तथा उन पर शासन नहीं चला सकते हैं। यही सिद्धांत श्रीलंका की भीषण लड़ाई से स्पष्ट होता है। कुम्भकर्ण ने अपने बड़े भाई द्वारा किये जा रहे कार्य के संबंध में उसे चेतावनी दी तथा हम आज जो कर रहे हैं यह उसी की पुनरावृत्ति है। प्रजातंत्र में दरार आ रही है। यह खाई बड़ी हो गई है तथा अब यह विखंडित प्रजातंत्र बन गया है, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में आई इस दरार को यदि हम अगले पचास वर्षों में नहीं पाट सके तो यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस विखंडित शक्ति ने हमें क्या दिया है? इसने सम्प्रदायवाद तथा क्षेत्रीयतावाद तथा अन्य कई समस्याओं को जन्म दिया है ....*(व्यवधान)* मैं उन चीजों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक मिनट आने वाली नई पीढ़ियों के लिए आवश्यक संदेश देना चाहूँगा। मैं केवल कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा तथा बीच में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं बाहुबल या शक्तिप्रदर्शन के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल उन मामलों के संबंध में बताऊंगा जो कि भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक हैं तथा जो संकल्प यहाँ पारित किया जाना है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहूँगा।

पहली बात राजनीति के अपराधीकरण की है तथा दूसरी बात प्रशासन के राजनीतिकरण से संबंधित है। इन दोनों बातों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। प्रशासन का राजनीतिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय: आपको अपनी बात और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनादि चरण साहू: तीसरी बात यह है कि संघवाद को एक स्थिर संस्थानिक संकल्पना बने रहने की बजाय सहभागी कार्यवाही के लिए एक कार्यात्मक व्यवस्था का माध्यम बनना होगा। इसलिए, कृपया यथास्थिति अनुच्छेद 256, 257 और 360 में संशोधन कीजिए।

चौथी बात यह है कि एक सुरक्षात्मक विभेद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ही यह बात समुचित रूप से निर्दिष्ट कर दी जानी चाहिए कि सुरक्षात्मक विभेद का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति एक स्थान विशेष में ही रहेगा। सुरक्षात्मक विभेद भारतीय संविधान में यथा निर्दिष्ट सीमा के अन्दर होना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा यह है कि न्यायपालिका को लोकप्रियता बटोरने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि न्यायपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। विभिन्न विभागों के समान न्यायपालिका को भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए और इन निर्णयों पर संसद में वाद-विवाद होना चाहिए।

हमें कुछ सीमा तक नियंत्रित लोकतंत्र की व्यवस्था अपनानी होगी। यह नियंत्रित लोकतंत्र क्या है? भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि यदि वह किसी मंत्री को किसी भी तरह भ्रष्ट, अयोग्य, अनुपयुक्त अथवा अकुशल पाता है, तो वह उस मंत्री से उसकी शक्ति को वापस ले सके। आवश्यक परिवर्तनों के साथ राज्यों में राज्यपालों को भी यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यही मेरा नियंत्रित लोकतंत्र का आधार है।

अंत में उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला बंधन-मुक्ति के साथ-साथ महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। ऋग्वेद में एक सुन्दर कहावत है जो इस प्रकार है:

[हिन्दी]

"अंहग राष्ट्री संगमनी बशुनां,
चिकिसुसी प्रथमा यज्ञायानाम्।"

[अनुवाद]

ऋषि अनुरूण की कन्या बागदेवी कहती है: "मैं राज्य स्वरूप हूं।" यदि आप उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, वे यही कहेंगे "मैं राज्य हूं, और मैं ही राज्य का निर्माण करती हूं।" यह वही बात है जो हमारे पूर्वजों ने कही थी और हमें इसे संकल्प के रूप में लेना चाहिए जिसे हम दो या तीन दिन में पारित करने वाले हैं।

श्री सी. नारायण स्वामी

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। गत चार दिन मेरे लिए बहुत शिक्षाप्रद रहे हैं। देश से जुड़े कई विषयों पर यहां अनुभवी सांसदों और नेताओं के द्वारा दिये गये भाषणों से मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। मैं मुद्दों या समस्याओं का उल्लेख करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। गत चार दिनों के दौरान इन पर पहले ही सदन में चर्चा की जा चुकी है। इस देश में निम्नतम स्तर पर जिन लोकतांत्रिक संस्थानों के महत्व को नये सिरे से रेखांकित किया गया है वे हैं पंचायती राज संस्थान। वे नगर पालिका और नगर-निगम हैं। वे स्थानीय निकाय कहलाते हैं। साथ ही साथ मैं सहकारी समितियां कहे जाने वाले अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रासंगिकता का उल्लेख भी करना चाहूंगा। इन दोनों शासन संस्थानों को राष्ट्रपति, प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रमुखता प्रदान की गई थी। प्रति वर्ष चाचा नेहरू के जन्म दिन, अर्थात् 14 नवम्बर से एक सप्ताह के लिए सहकारी सप्ताह मनाया जाता है और

इस अवधि के दौरान सहकारिता अथवा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। हमारे देश में 3.95 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और इनके 18 करोड़ सदस्य हैं।

इन सहकारी संस्थाओं में 1,18,000 करोड़ रुपये की कार्य पूंजी लगी हुई है। सहकारिता के महत्व पर बल देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण कृषि ऋण में 60 प्रतिशत भाग सहकारी संस्थाओं का होता है। किसानों को उर्वरकों के वितरण में इनका भाग 35 प्रतिशत है। जब हम चीनी उत्पादन के विषय में बात करते हैं, तो हमारे देश में सहकारी क्षेत्र का अंशदान 63 प्रतिशत है। हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं का तीस प्रतिशत वितरण सहकारी उचित दर की दुकानों के जरिए से किया जाता है।

हम उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम नवरत्नों पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं और विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और विदेशों से कड़ी प्रतिद्वन्द्विता का सामना करने के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा सक्षम और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मैं इस पृष्ठभूमि का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नौवें योजना पत्र में सहकारी समितियों की भूमिका के संबंध में केवल टिप्पणियाँ ही दी गयी हैं और इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है अथवा यदि सरकार आवश्यक समर्थन नहीं देती है तो देश में देश का सहकारी ढांचा तथा सहकारी आन्दोलन का आधार ही खतरे में पड़ जाएगा।

समग्र देश में हमें अभी ऐसे किसी राज्य का पता लगाना है जहां सहकारी आन्दोलन का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ है। बहुत से राज्यों में बहुत से वर्षों से सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते रहे हैं लेकिन जहां चुनाव हुए हैं तथा जहां निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वहां हमने सहकारी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं की रोजमर्रा की गतिविधियों को नियंत्रित करने और विनियमित करने में सरकार के हस्तक्षेप को सामने पाया है।

मैं उस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने माडल सहकारी कानून (माडल कोआपरेटिव लॉ) संबंधी चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसने इन संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में स्वायत्ता तथा लोकतंत्र की बात कही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि हमें किसी राज्य में भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन देखने को नहीं मिलता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह यह देखने के लिए प्रभावी कदम उठाये कि राज्य इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करे तथा प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों को लागू करें।

आज सहकारी आन्दोलन तथा इसकी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु लम्बे अर्से से प्रयास हो रहे हैं। सहकारी आन्दोलन, बैंककारी विनियमन अधिनियम, में थोड़ा-सा संशोधन करके इस बैंक को लाइसेंस दिलाने के लिए केन्द्र सरकार पर दवाब डाल रहे हैं ऐसा नहीं किया गया है। संविधान में तिहत्तरवां तथा चौहत्तरवां संशोधन किये जाने से पहले पंचायती राज संस्थाएं देश की सहकारी संस्थाओं जैसी थीं। लेकिन संशोधनों के उपरान्त, पंचायती राज अथवा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक जनादेश, संवैधानिक प्राधिकार मिल गया। यह देखने के लिए कि सहकारी आन्दोलन की देश में जड़ें जमें तथा देश में विकसित होने के लिए इसे शक्ति प्रदान की गई है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह यह देखने के लिए कि देश में सहकारी आन्दोलन का मजबूत संवैधानिक आधार हो, तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधनों की तर्ज पर संवैधानिक संशोधन करें ताकि नियमित रूप से चुनाव हों तथा ये संस्थाएं प्रजातांत्रिक रूप से कार्य करें।

औद्योगिक विकास के मामले में, रुग्ण मिल अधिनियम के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास का प्रावधान है और मैं बी.आई.एफ.आर. का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन सहकारी संस्थाओं के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अनेक कारणों की वजह से रुग्ण हो जाती हैं।

मैं यह महसूस करता हूं कि हमें एक इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जहां रुग्ण सहकारी संस्थाएं भी विद्यमान रहें तथा उन्हें स्वयं ही पुनर्वासित होने दिया जाये।

पंचायती राज संशोधन का जिक्र करते हुए मैं यह कहता हूं कि बहुत से राज्यों में स्थानीय निकायों को चाहे वह शहरी हों और चाहे ग्रामीण हों, अपेक्षित शक्तियां और कार्य प्रदान नहीं किये जाते हैं और फिर भी संविधान की अनुसूची में तथा राज्य सरकारों के अधिनियमों में कई मदों का उल्लेख किया जाता है, इसके बावजूद राज्य सरकारों ने इन निकायों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान नहीं की हैं और अब यह उपयुक्त होगा कि संविधान में जो तीन सूचियां—संघ सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती-सूची हैं उनके अलावा एक अन्य सूची स्थानीय प्रशासन सूची को शामिल करने के लिए और संशोधन किया जाये ताकि स्थानीय निकायों के कार्य और शक्तियों की देखभाल हो सके और वे देश में कारगर ढंग से कार्य कर सकें।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): आज नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वे सभी जो सुबह 6 बजे तक यहां थे—20 माननीय सदस्य थे—को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उस सूची के पूरा होने के पश्चात् बाकी सभी माननीय सदस्यों को

दूरदर्शन पर दिखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह माननीय सदस्य सुबह से बोलने के लिए यहां बैठे हैं परन्तु उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय: नहीं, मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकारा था। आप उस समय यहां नहीं थे। माननीय सदस्य को बोलने के लिए पुकारा गया लेकिन वे नहीं बोले।

श्री मधुकर सरपोतदार: समस्या यह है कि यहां पर माननीय सदस्य बैठे रहे हैं। मैं भी यहीं था। अभी वापस आया हूं। माननीय सदस्य 6 बजे तक यहां रहे हैं और अध्यक्षपीठ ने विनिर्णय दे दिया है। लेकिन माननीय सदस्य को सवेरे से ही अवसर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय: मैं भी अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाया था। आप उनसे अभी पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी): साढ़े आठ बजे हाउस एडजर्न होने वाला है, ऐसा स्पीकार साहब ने बोला था।

सभापति महोदय: जब बोला गया तब 10-15 मिनट होंगे।

[अनुवाद]

प्रत्येक सदस्य को दस मिनट बोलने की अनुमति दी गई है। हम माननीय सदस्य को भी सुनेंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सत्यपाल जैन: प्रात:काल से लेकर अब तक भा.ज.पा. के केवल पांच सदस्यों, डा. मुरली मनोहर जोशी, प्रोफेसर रीता वर्मा, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता, श्रीमती रजनी पाटिल और श्री चन्द्रभूषण सिंह को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। परन्तु आज हमारी आंखों के सामने ही कांग्रेस (आई) के पांच सदस्यों ने दो घंटों का समय लिया।

सभापति महोदय: आपको पता है कि समय सीमा को भी पार कर दिया गया है।

श्री सत्यपाल जैन: आज बोलने वाले 25 वक्ताओं में भाजपा के केवल पांच तथा कांग्रेस (आई) के दस सदस्य थे ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): मैंने इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति में उठाया था। कल हमें एक घण्टे का समय दिया गया था और आपको ढाई घण्टे का समय दिया गया था क्योंकि पिछले दिन आपको कम समय मिला था। इसलिए आज आपने ज्यादा समय दिया है। श्री सुल्तानपुरी, श्री नामग्याल और कुमारी तिरिया का नाम कल भी था और आज भी है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाकर कहा कि रात्रि भोज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वचन का पालन करना। वह तत्काल तैयार हो गए और इसी का परिणाम है कि ये तीन सदस्य बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: मैं सवेरे तक यहां मौजूद था। मेरा नाम भी वहां दर्ज है। मैं प्रात: 5.45 बजे तक यहां मौजूद था। कुछ तो अनुपात होना चाहिए। सभा स्थगित होने के पश्चात् मैं अपने घर चला गया। यह न्यायोचित नहीं है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रत्येक दल द्वारा लिए गए समय का हिसाब रखा गया है। मैं तर्क नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: यह ठीक नहीं है। 25 सदस्यों में से पांच सदस्यों का बोलना कोई उचित अनुपात नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अभी एक घंटा पहले ही पीठासीन हुआ हूं। समय बर्बाद न करते हुए जो सदस्य यहां मौजूद हैं उन्हें बोलना चाहिए और तत्पश्चात् सभा स्थगित होगी।

श्री सत्यपाल जैन: मैं सवेरे भी यहां मौजूद था। मुझे भी समय मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): अब नौ बजने जा रहे हैं। मुझे कब मौका मिलेगा।

सभापति महोदय: आपको कल बोलने का मौका मिलेगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह आश्वासन आज ही दिया जाना चाहिए। सवेरे हमसे कहा गया था कि हमें प्राथमिकता दी जाएगी।

सभापति महोदय: हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको कल बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री सुल्तानपुरी बोलना आरंभ करें।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): चेयरमेन साहब, मैं सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने 26 तारीख को संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया। हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। सभी सदस्यों ने यहां अपने अच्छे-अच्छे विचार भी रखे। कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी आलोचना भी गलत ढंग से की गयी। कांग्रेस पार्टी पर बड़े भारी लांछन इस तरफ से कम और उस तरफ से अधिक लगाये गये और हमारे ऊपर बहुत अधिक हमले किये गये।

हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता रहा है। जहां-जहां विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां-वहां उन पर अत्याचार हुआ है। आज आप देखेंगे कि जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे गढ़वाल का, नागालैंड और मणिपुर का क्षेत्र है, चाहे हमारे छोटे-छोटे टापू हैं, द्वीप है, इसमें लक्षद्वीप भी आता है और अंडमान-निकोबार भी आता है, जहां पर शहीदों ने कुर्बानियां दी। उनके परिवार के कल्याण के लिए कोई आज तक कार्यवाही नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, कोई पैसा नहीं दिया गया। आप ऐसा समझते हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं है। यहां विभिन्न पार्टियों के जो वजीर बनाए गए हैं, वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या यह पुलिस स्टेशन है? यहां संसद-सदस्य आते हैं। यहां संसद-सदस्यों को देश की प्रगति के लिए पालिसी प्रोग्राम बनाने हेतु भेजा जाता है। हमारे यहां इंडियन पैनल कोड बना हुआ है, जिसे ताजिराते-हिन्द कहते हैं, उसके तहत आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराइए, जो चोर है, चाहे वह संसद सदस्य है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ बाकायदा न्यायिक कार्यवाही हो सकती है। इस सदन में इनकी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी और आपकी तरह चुने हुए नुमायन्दे हैं।

जैसाकि आप फरमाते है कि इस सदन के अंदर 40 सांसद अपराधी हैं। यदि 40 अपराधी हैं, तो पकड़कर उनको जेल में भेजा जाये, चाहे वे जिस पार्टी से संबंधित हों, फिर काम खत्म हो सकता है। क्या आपको ऐसा अधिकार प्राप्त है, जिससे आप उन्हें जेल भेज सके। मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य के लिए या जिस बात के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, वह बात आमने-सामने रखनी है। आप जानते हैं कि शिमला के अंदर ही आजादी के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ था शिमला में ही इस पार्टी की बुनियाद डाली गई थी तथा इसको बनाने वाले डा. ह्यूम थे, जिनका बंगला शिमला में है, वह अंग्रेज थे। उस समय हिमाचल प्रदेश की कई रियासतों में सत्याग्रह हुआ। प्रजामंडल ने एजिटेशन किया। शहीदों को फांसी भी हुई। किसी को काले-पानी की सजा मली, किसी को दिल्ली और किसी को अम्बाला में फांसी दी गई या जहां-जहां अंग्रेजों की छावनियां थीं, जहां-जहां गरीबों पर ज्यादती कर सकते थे या जिन्होंने एजीटेशन में हिस्सा लिया, उसमें आदिवासी और अनुसूचित जाति के भी थे और दूसरे लोग भी थे। काले अंग्रेज जिनकी चमड़ी काली थी, जैसे ही हमें आजादी मिली, उन्होंने अपने घर का माहौल बदलकर गांधी टोपी रखकर और खादी के चोले पहनकर कांग्रेस में शामिल हो गये और देशभक्त बन गये। यदि आज हमारे शहीद हुए देशभक्त इन देशभक्तों को देखते तो पता लगता कि उस तरफ कितने देशभक्त बैठे हुए हैं। ये कौन आदमी थे जिन्होंने गरीब लोगों का शोषण किया और ज्यादा से ज्यादा जमीन के मालिक बन गये, सरकार से फायदा उठाते रहे हैं। मैं आज सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के जितने लोग हैं, जिन्होंने इस देश में पूंजीवाद फैलाया है, गरीब लोगों का शोषण किया है, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा आज हम मजदूरों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आप बंगाल के नेता यह बता रहे हैं कि हमने गरीब लोगों के लिए काफी कुछ किया, मगर यह सत्य है कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। संयुक्त सरकार के समय 10 हजार का कर्ज माफ किया गया। यह कर्ज किसका माफ हुआ? बड़े-बड़े और मोटे-मोटे आदमी सरकारी पैसा खा गये, सरकार का जो कर्जा था, उसको वापस नहीं लौटाया। क्या आपने कभी गरीब को पैसा देने की कोशिश की, नहीं की। इस बात पर हमको विचार करना पड़ता है कि यह सम्पत्ति सारे राष्ट्र की है जिसे इस तरह से नहीं बांटना चाहिये था और यह सोचना चाहिये कि हम यहां अधिकारी को गाली देकर या एम.पी. को गाली देकर या कोई काम करते हैं, यहां के लोगों को डाकू और चोर बनाकर देश के सामने संसद में उनको बेइज्जत करते हैं। क्या इससे हमारी छवि अच्छी हो जायेगी? मैं नहीं समझता यह अच्छी बात है।

चेयरमैन साहब आप 5-7 बार एम.पी. बनकर आये हैं और ऐसी ही छवि वाले दादा चित्त बसु हैं, हमारे इन्द्रजीत गुप्त हैं, जिनके ऊपर

कोई लांछन नहीं लगा सकता। लांछन तो उन पर लोग लगाते हैं जो पैसा खाते हैं। हम तो वैसे ही चोर बन गये हैं। अब इस हाउस में क्या होता है? यहां गैस के कूपन मिलते थे, किसलिए मिलते थे? इनसे मेरा कनेक्शन दे सकते थे, अब बंद हो गये हैं। राज्य सभा के सांसदों के पास जाते हैं कि हमें टेलीफोन और गैस कनेक्शन दे दें लेकिन उनकी भी मजबूरी है या तो सबके बंद होने चाहिए। यह लोक सभा के सांसदों के साथ अन्याय है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षों का कटान भारी मात्रा में हो रहा है, जो कि उन्हें अपनी जरूरत के लिए करना पड़ता है, चूंकि वहां गैस उपलब्ध नहीं है। हमारे इलाके के लिए सांसदों को एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, जिसे कलेक्टर ठीक ढंग से खर्च नहीं करता। हमारे यहां पर इतने एम.पीज है। मैं तो दल की बात कहना चाहता हूं कि मैं मिनिस्टर को पत्र लिखता हूं तो मंत्री का उत्तर आता है कि मैं मामले को दिखवा रहा हूं, परन्तु उन पर कोई काम नहीं होता है। मेरे पास इस तरह के 2000 पत्र पड़े हैं। क्या इस तरह से राष्ट्र को चलायेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें तो गरीबी को हटाना है, तो कैसे दूर होगी। उसके लिए कोई योजना तैयार नहीं करते, जैसे पिछली कांग्रेस की सरकारे करती थीं। क्या कांग्रेस को गाली देकर गरीबी दूर कर सकते हैं या क्या कभी दूसरों को गाली देकर इस तरह गरीबी दूर कर सकेंगे।

कई नेता ऐसा भी हैं, जिनके बाप का नाम पता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी हैं। बड़े-बड़े लीडरों के बाप को कोई नहीं जानता है। मोतीलाल नेहरु, पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कुरबानी दी, इंदिरा जी ने कुरबानी दी, जिसे राष्ट्र जानता है, राजीव गांधी जी का नाम है। उन्होंने हमें 21वीं सदी में ले जाने की बात कही और उन्होंने करके दिखाया। यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में कुछ नहीं हुआ। हमारी आबादी 96 करोड़ की हो गई है और हम 40 करोड़ थे, जिसमें से 11 करोड़ पाकिस्तान चले गये। अगर हमारी आबादी नहीं बढ़ती तो देश खुशहाल हो जाता। हमारे यहां शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस बात का प्रचार सारे संसार में जायेगा जो हम यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन इस सरकार को यह चाहिए और इन पार्टियों को भी यह चाहिए कि अपने नेताओं को और अपने आपको ठीक रखे। इस देश की बेइज्जती करना इस देश की आबरु को खतरे में डालना हमारा काम नहीं है। हमारे देश का काम इस देश की इज्जत बढ़ाना है। आज हम सब यूनाइटेड होकर इस देश को आगे ले जा सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम कम्यूनिस्टों को कहेंगे और वे हमें कहेंगे।

सभापति जी 6 दिसम्बर का दिम हमारे देश में दुखदायी दिन है, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ठहाया गया। हमारी माताओं-बहनों ने वहां सोचा था कि कुछ साम्प्रदायिक दल ईंटों से अच्छा मंदिर अयोध्या जाकर बनायेंगे। देश के हर राज्य से ईंट तथा धन एक संस्था द्वारा एकत्र किया गया। मस्जिद ढहने के बाद वे सारी ईंटों कहां गई, वह सारा धन कहां गया, क्या उसका कोई आडिट किया गया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है कि एक संस्था जनता से धन एकत्रित कर उसको हजम कर गई। अगर उन्होंने पैसा खाया है तो मैं जोरदार ढंग से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई इन्क्वायरी कराई जाये कि इतना धन और ईंटें कहां रखी हुई हैं।

अभी स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए रथ यात्रा निकाली गई। 18 साल अभी इनको बने हुए हैं और स्वर्ण जयन्ती रथ चला रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती में इन्होंने सिर्फ चुनाव का प्रचार किया। पर मैं कहना चाहता हूं कि हम इलेक्शन नहीं कराने वाले हैं। हमने जो संयुक्त मोर्चा को समर्थन दिया है, वह सीताराम केसरी जी ने पक्की तरह से दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर आप हमको उठाना चाहते हैं तो बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश में 20,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो सकता है और उसके लिए अगर हमारी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकेगा। इसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में रोहडू चरगांव में बादल फटने से 500 आदमी मर गए। यह 16 तारीख की बात है। हमने संसद में कोशिश की कि मामला उठायें लेकिन यहां मामला उठाने के लिए कुछ दल इसे ठीक नहीं समझते थे और हमारे बोलने में रोड़ा अटकाते रहे। हमें किसी ने बोलने नहीं दिया। जब हम अपनी सीट से ऊठकर आगे गए तो पाणिग्रही जी और प्रिय रंजन दास मुंशी ने और कुछ महिला सदस्यों ने भी समर्थन किया। वहां 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि 800 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया जाए। इसके साथ-साथ वहा जो टीम गई, इसकी रिपोर्ट के अनुसार तो आप हमें पैसा दें। आप पैसा ही नहीं देते हैं। हमारा बिजली का बकाया पंजाब की आर्गनाइजेशन एक्ट के तहत 7.19 मिलना चाहिए, वह हमें नहीं दे रहे हैं। हमारे पहाड़ियों के साथ ज्यादती बंद करके और जो गढ़वाल का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, झारखंड का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, उन सूबों को प्रांत का दर्जा दिया जाये और लक्षद्वीप और अंडमान को भी काउंसिल का दर्जा दिया जाये ताकि वहां के लोगों का शोषण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सके।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि-

"रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं।
जिनकी बदौलत सब कुछ है, वह रात को बैठे रोते हैं।"

श्री पी.एस. गढ़वी

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। इस वर्ष हम आजादी की 50वीं सालगिरह स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। इसके साथ महर्षि अरविन्द की 100वीं वर्षगांठ भी है। महर्षि अरविन्द ने 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के अवसर पर कहा था:

[अनुवाद]

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र भारत का उद्भव हुआ। इस तिथि को एक पुराने युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व और मानवता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए अपने जीवन तथा कार्यों से इस तिथि को एक महत्वपूर्ण दिवस बना सकते हैं।

[हिन्दी]

महर्षि अरविन्द ने भारत का ऐसा स्वप्न देखा था लेकिन आज क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ और हम कहां पहुंचे हैं–इसका आत्म-विवेचन यहां कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अरविन्द आश्रम की मां ने अपने मैसेज में कहा था–

"इस अपने लघु स्वाभिमानी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर भारत माता की सुयोग्य संतान बनें, तथा अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं और चेहरे पर सदा चिर मुस्कान रहे और ईश्वर में विश्वास रखें।"

[हिन्दी]

आज सब जगह धर्म की बातें की जा रही हैं। जब-जब धर्म का नाम आता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहकर दबा दिया जाता है लेकिन भारत में जो धर्म है, वह डिवाइन है। उस डिवाइन की जो ग्रेस है, उसमें बहुत लोग श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा की वजह से ऐसे अनेक काम हो सकते हैं जो सरकार भी नहीं कर सकती। श्रद्धा की बात सब करते हैं और हमारे गुजरात में इस संबंध में कई रिफॉर्म्स हुए हैं। पांडुरंग शास्त्री ने एक अभियान चलाया, जिसमें 15 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता जबकि पूरा खाद्यान्न वहां प्रयोग होता है, वन प्रयोग होता है और आरोग्य प्रयोग होता है। वह अभियान स्वयं चालित है लेकिन उसमें आप दृढ़ इच्छाशक्ति, कार्यशक्ति और श्रद्धा के साथ भाग ले सकते हैं। यहां मैं उसकी डिटेल्स में न जाकर सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर तक अपने आपको सीमित रखता हूं क्योंकि हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है–मन्दिर भी आता है, रेलवे भी आती है, लोहा, कोयला, वाहन आदि भी आते हैं।

जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस समय पूरे नार्थ इंडिया में सिर्फ एक कराची बंदरगाह था, जो पाकिस्तान में चला गया। उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल ने निश्चय किया कि हम यहां एक महा-बंदरगाह बनाएंगे और उसी क्रम में कांदला पोर्ट बना। कांदला पोर्ट पूरे नार्थ इंडिया का महा-बंदरगाह है लेकिन आजादी के 50 साल बाद भी आज तक उसे देश की कैपिटल दिल्ली से ब्रौडगेज लाइन के जरिए नहीं जोड़ा जा सका। हमारे पूरे 6000 किलोमीटर लम्बे समुद्री तट पर 11 मेजर पोर्ट्स हैं, जिनमें 230 मीट्रिक टन यातायात की क्षमता है, यातायात की हमारी जरूरत 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा है लेकिन उस दृष्टि से अभी हम उसका विकास नहीं कर पाए हैं, उसे ब्रौडगेज से नहीं जोड़ पाए हैं। हमारे मेजर पोर्ट्स पर यातायात की अनेक प्राब्लम हैं–

[अनुवाद]

पत्तनों की मुख्य समस्या भीड़-भाड़ की समस्या है उनमें बढ़िया तथा पर्याप्त संविधा सेवाओं का अभाव है, वहां अत्यधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं तथा प्रौद्योगिकी घटिया है एवं रखरखाव लागत अधिक है और उत्पादकता बहुत कम है।

[हिन्दी]

देश में पिछले 50 सालों में हुई प्रगति से संबंधित एक बुक हमें दी गई है, जिसमें बताया गया है कि–

[अनुवाद]

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1993 में पत्तनों में विलम्ब और घटिया नौवहन सुविधाओं के कारण भारतीय निर्यातकों पर लगभग 420 मिलियन डालर की अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ा।

[हिन्दी]

जहां हम पिछले 50 सालों में हुई प्रगति की चर्चा करते हैं, वहीं हमने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे हमारा भारी नुकसान हुआ। कांदला पोर्ट से हम जितना एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसे नहीं कर पाए। आज कांदला बंदरगाह में 7 बर्थ्स हैं लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से उसका विकास नहीं हो रहा है।

सात गोदी हैं, जिसमें से तीन निर्यात के लिए और तीन आयात के लिए आरक्षित हैं।

एक्सपोर्ट से संबंधित वर्ष 1990 में यहां से एक आर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया दो गोदी खाद्यान्नों के लिए आरक्षित की जायेंगी। जब 1990 में हमारे यहां फूडग्रेन्स की कमी थी, हम बाहर से खाद्यान्न मंगाते थे, उस समय हमारे लोगों ने जोरदार मांग की कि यहां जो बैंटोनेट पैदा होता है, साल्ट पैदा होता है, आप जानते हैं कि पूरे भारत का 60 प्रतिशत साल्ट हमारे यहां कच्छ गुजरात में पैदा होता है। हम वंहां से साल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई बर्थ नहीं मिलती। हमारी मांग है कि दो बर्थ्स जब आप फूडग्रेन्स के लिए रिज़र्व करेंगे, हमारे यहां से राइस एक्सपोर्ट होता है लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद, उसके यूज को अभी तक चेंज नहीं किया गया है। यदि सरकार उसके यूज को चेंज कर देती है तो उससे स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है।

कांडला बंदरगाह के अंदर पानी की व्यवस्था का बहुत ही महत्व है। मैं इसलिए यह बात बता रहा हूं कि यह बड़ा भारी इम्पार्टेंट है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए यह बहुत ही जरूरी है। वहां पूरा बिखरा हुआ 45 हजार स्क्वेयर किलोमीटर्स कच्चा इलाका है। वहां पूरी-पूरी खनिज संपत्ति है। खनिज संपत्ति के त्वरित विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए यदि नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो नीतियों में परिवर्तन किया जाए। इससे आपका वहां बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

सभापति महोदय, वहां पर अब माइग्रेशन हो रहा है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरे देश में लार्जेस्ट कांस्टीट्यूएंसीज में से थर्ड लार्जेस्ट कांस्टीट्यूएंसी है। हमारे पास एबंडेंट मिनरल पावर है। कांडला में नीतियों के कारण और उनके ऊपर ध्यान न देने के कारण यह सब नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर गहन गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं रेलवे के बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूं कि जो रेलवे का डवलपमेंट है वह काफी नहीं है। जिस प्रकार से आप नार्थईस्ट में ध्यान देते हैं उसी प्रकार से पश्चिम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उधर भी ऐसा ही इलाका है। अकाल के अंदर हमें खूब सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी सुविधा नहीं मिली। हमारे सेंट्रल बैल्ट में ज्यादा ध्यान नहीं दिये जाने के कारण हमारी स्थिति खराब हो रही है।

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: सर, मैं कुछ रेलवे के बारे में भी बताना चाहता हूं। रेलवे का जो बजट यहां रखा गया उसमें लिखा गया कि:

[अनुवाद]

इसमें सर्वाधिक संख्या में कर्मचारी सेवारत हैं। परन्तु अपर्याप्त बजटीय समर्थन के कारण रेलवे को लाईन के विस्तार, पुनर्नवीकरण, आमान परिवर्तन और प्रमुख मार्गों के विद्युतीकरण की चालू परियोजनाओं में बाध्य होकर कटौती करनी पड़ी और इसके कारण चल स्टाक की खरीद पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में बजटरी सपोर्ट 75 परसेंट था और सेवंथ फाइव ईयर प्लान में बजटरी सपोर्ट 42 परसेंट हो गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 19 परसेंट रह गया। इस प्रकार से बजटरी सपोर्ट कम होने से रेलवे नहीं बन पाती है। जब भी हम मांग करते हैं, तो बताया जाता है रिसोर्सेस क्रंच है।

सभापति महोदय, हमारे यहां नमक बहुत पैदा होता है। उसके लिए सुविधाएं होनी चाहिएं वे वहां नहीं हैं। नमक के ट्रांजिटमेंट के लिए साधन होने चाहिए वे नहीं हैं। प्रत्येक चीज का विकेन्द्रीकरण के नाम पर केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। पावर्स होते हैं वे पूरे अधिकारियों के पास होते हैं। इतना करप्शन होता है कि कोई सुनता नहीं है। इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और डवलप करने की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक यह नहीं हो सकता है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो वह सब कुछ कर सकती है। नौकरियों में बड़े-बड़े अफसर होते हैं। हमारे गुजरात में एक गुजरात मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन है। उसमें एक स्टेनोटाइपिस्ट की तनख्वाह छ: लाख रुपया प्रति वर्ष है। यानी 50 हजार रुपया महीना और वह भी बिना काम के। एक स्टेनोग्राफर को 50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। अगर वह 50 हजार रुपए का काम करे, तो भी ठीक है, लेकिन वह काम भी नहीं करता है। वह वहां पर कांट्रैक्टर का काम करता है।

सभापति महोदय: ठीक है। अब आप समाप्त करिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: ठीक है साहब। अंतिम बात कहता हूं। आज जो वहां नीतियां हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है वह मैं बता रहा हूं। उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 311 में जो प्रोटैक्शन टू दि सर्विसेस रखा गया है उसका मिसयूज किया गया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुजरात में पावर कार्पोरेशन बनना है। गुजरात में आज 15 साल से गैस निकल रही है। वहां पर फालतू गैस को जलाया जा रहा है। जो गैस वहां निकलती है उसे वहां से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि उसका उपयोग वहां पर बिजली पैदा करने के लिए किया जाए, उससे बहुत फायदा हो सकता है। यदि वहां पर बिजली की कमी है, तो उस गैस से पावर स्टेशन बहुत ही कम खर्च में बनाए जा सकते हैं और बिजली से वहां की तरक्की की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि यहां कहा जाता है कि रिसोर्सेस नहीं हैं और जहां रिसोर्सेस हैं वहां उनको डवलप नहीं किया जाता है। उनका उपयोग नहीं किया जाता है। वहां पावर प्रोजैक्ट को बनाने नहीं देते हैं। उसकी परमीशन नहीं देते हैं। इसी प्रकार से सोलर पावर का एक हजार मैगावाट का प्रोजैक्ट है जो तीन सालों से लटका हुआ है। उसकी परमीशन नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से टाइडल वेव का प्रोजैक्ट कई सालों से अधर में लटका है उसकी भी परमीशन नहीं दी जाती है। टाइडल पावर के प्रोजैक्ट को लगाने के लिए तो कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता है। वह तो बिना खर्च के ही बन जाता है। इन पावर प्रौजैक्ट को भी मना करते हैं।

सभापति महोदय: अब समाप्त करिए। 20 मिनट से भी ज्यादा हो गया।

श्री पी.एस. गढ़वी: सिर्फ एक बात बता कर मैं समाप्त करता हूं।

मुझसे बोलने वाले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एयर सर्विसेस में एक हजार करोड़ रुपए का लौस होता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपए का लौस कैसे हुआ?

रात्रि 9.00 बजे

यह लौस होने की वजह क्या है। मेरे को बताया गया है कि एयर इंडिया के जहाजों की पहले बुकिंग कर ली जाती है और बाद में बुकिंग कैंसिल करके उन जहाजों को डाइवर्ट करने की जो नीतियां हैं, उनसे नुकसान हुआ है।

मेरा एक सवाल नर्मदा के इरीगेशन का है। 15 साल से नर्मदा का प्रोजैक्ट ऐसे ही बन रहा है। नर्मदा सिंचाई व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है। नेशनल स्टेट्स बनता तो नर्मदा के कारण गुजरात और पूरे देश को अनाज प्राप्त हो सकता है। इसी तरह सिंधु नदी का भी प्रोजैक्ट है। सिंधु नदी की सन् 1960 में ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी के कारण 70 हजार क्यूसेक मीटर पानी मिल सकता है। अगर गवर्नमैंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना चाहती है तो कर सकती है। यह काम गवर्नमैंट करे, ऐसी मेरी आपके माध्यम से विनती है। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

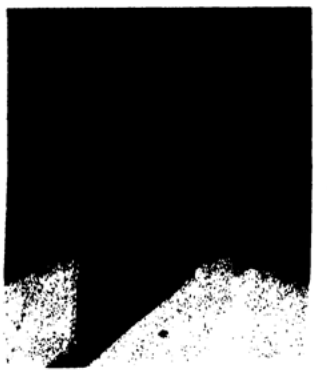

कुमारी सुशीला तिरिया

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज): मैं आपके माध्यम से स्वतंत्रता की इस 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देना चाहूंगी। काफी इंतजार करने के बाद हमको यहां बोलने का मौका दिया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी और आपका अभिवादन भी करूंगी क्योंकि इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर बुलाये गये स्पेशल सैशन में भविष्य में कुछ तर्जमा करने और हमारे देश के लिए एक प्लान बनाने के लिए सभी लोग विभिन्न जातियों व दलों से ऊपर उठकर इस संसद में भाग ले रहे हैं। इसलिए मैं स्पीकर साहब को भी बधाई देना चाहूंगी।

50 साल के बाद हम इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर पुराने शहीदों को भी याद करना चाहते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूं। आपने हम लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया है इसलिए हम इस अधिवेशन में श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं और इस सदन के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को देना चाहूंगी। जिन महिलाओं ने, जिन जवानों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आपको कुर्बान किया, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं। महात्मा गांधी जी को जिन्होंने हमारे जैसे दलितों को, आदिवासी हरिजनों को मजबूत बनाने के लिए और यहां पर खड़े होकर कुछ कहने के लिए हमें दिग्दर्शन दिया व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे स्थान को संरक्षित करके इधर लाने की जो कोशिश की, उसके लिए भी मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी।

महोदय, मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगी क्योंकि मेरे से पहले जो बोलने वाले विभिन्न दल के वक्ता थे, वे बहुत सीनियर वक्ता हैं और उन्होंने अपने भाषण में काफी कुछ कहा है। चार दिन से यह भाषण चल रहा है जिसे हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। भाषण में पार्टीसिपेट लेने के लिए मैं जरूर खड़ी हूं लेकिन मैं आपका और सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि सदन का जो समय है, वह बहुत

मूल्यवान है। अखबारों में रोज आता है कि एक मिनट में 60 हजार का खर्चा होता है इसलिए हम इधर उधर की बात न करके आपका, सदन का और इस देश की जो प्रोपर्टी है, उसको खराब नहीं करना चाहेंगे लेकिन आपके जरिये एक-दो बातें जरूर कहना चाहेंगे।

50 साल के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा झंडा फहराया और देश के कोने-कोने में, हर दफ्तर में, हर वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स में, हर संस्था में हमने इस तिरंगे झंडे को इज्जत दी। जब हम इस तिरंगे झंडे के बारे में सोचते हैं और जब से मैं इस सदन में आई हूं, उस हिसाब से तर्जमा करती हूं तो इस तीन रंग के झंडे का मतलब यह है कि हमारे गांव के जो बच्चे स्कूल में हैं उनको इन तीन रंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए।

पहले उनको तीन कलर का मतलब समझाना चाहिए। उसमें जो अहिंसा का, चक्र का चिन्ह है, उसे भी बच्चों को समझाना चाहिए। मैं समझती हूं कि जो सत्य, अहिंसा, न्याय है, जो तिरंगा झंडा है, यह हमें प्रगति का रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन आज जब हम अपने देहात की दशा देखते हैं तो हमारा मस्तक नीचे हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने निश्चित रूप से तिरंगे का महत्व समझा जिसकी वजह से स्वतंत्रता के बाद यह झंडा लहराया। उसे सम्मान देना चाहिए। देश के गांवों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस बारे में समझाने का हमारा भी कर्तव्य और धर्म है।

जब हम गांव में स्कूल में पढ़ते थे और उस समय नेताओं को, एम.एल.एज. को देखते थे तो उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते थे और यह सोचते थे कि ये महान नेता हैं, ये देश के लिए कुछ करेंगे, देश को इनसे कुछ उम्मीद है। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जो गांव से आते हैं, गांव की जो परिस्थिति है, आदिवासी क्षेत्रों की जो परिस्थिति है, वहां भी इस बात की आज चर्चा होने लगी है कि नेता की डैफीनेशन क्या है। आज के दिन नेता की डैफीनेशन भ्रष्टाचार है। गांव में जो दलित, आदिवासी पढ़ते हैं, वे एम.पी. को माल प्रैक्टिस का नाम देते हैं। हमें तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ लेनी चाहिए कि हमारा पहले जो गौरव था, देश और राजनैतिक नेता की हैसियत से जो महिमा थी, उसे दुबारा वापिस लाना चाहिए। देश की मजबूती के लिए हमें अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे देश की सेना को भी इसी लाइन में तैयार रहना चाहिए।

उड़ीया में एक कहावत है-

उठो रे, उठो रे, उठो रे संतानों
उठि को आवत केते दिनों
पूरबो गौरव पूरबो महिमा
ओड़ी नाहि किरे तौरि मनः।

यह मधु बाबू ने लिखी थी। उन्होंने यह कहा था, जागो-जागो, कब तक आप ऐसे रहोगे। जागना चाहिए। अतीत में हमारा जो गौरव था, जो महिमा थी, उसे वापिस लाना है। इसलिए हम सबको जागना है। मैं आदिवासी होकर यह कहूंगी कि 50 साल के बाद आज आदिवासी जागने की कोशिश में हैं। इसलिए मैं यह बात बता रही हूं। 50 साल के बाद हमने जो पाया, उसे दुनिया देख रही है और जो खोया, उसे भी दुनिया देख रही है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं कि दूसरी जगहों में साइंस एंड टैक्नोलोजी में प्रगति हुई है।

बहुत सारे वक्ता पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं। इसलिए मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आज भी आदिवासी, हरिजन के पास गांवों में रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं। इसलिए मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहूंगी कि उनके लिए जो भी योजना बनाएं, उसे क्रियान्वित करने का काम जरूर करें। दाल में जरूर कुछ काला है इसलिए योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है। मैं स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर यह मांग करना चाहूंगी, इंदिरा जी, राजीव गांधी के समय में एक आईडियल विलेज डिक्लेयर हुआ करता था जिसके तहत गांवों में कुछ बैनिफिट, कुछ डैवलपमेंट होने का काम होता था। इस तरह से इस समय स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हमारे देश के जो एस.सी., एस.टी. डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको आइडियल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना चाहिए। आइडियल डिस्ट्रिक्ट के तहत कुछ पैसा उनके डवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। उनके हर मामले में, वैलफेयर में, रूरल डवलपमेंट में, एम्पलायमेंट में हम उनके नाम पर काफी पैसा खर्च करते हैं और बहुत से लोगों की यह भी भावना है कि वैलफेयर में, रूरल डवलपमेंट में, एम्प्लायमेंट में जब तक ज्यादा पैसे का अलोकेशन नहीं होगा तो खाने के लिए मौका कैसे लगेगा। इसीलिए लोग यह कहते हैं कि जब इतने पैसे का एलोकेशन होता है, डवलपमेंट होना होता है तो जरूर हो सकता है।

जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसी हम लोग उम्मीद करते हैं, किसी भी सरकार में वैसा नहीं हो पाता, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको आइडियल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना चाहिए और स्पेशल तौर से एलोकेशन उनके लिए करना चाहिए।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में भी जो यूनिटी है, हमारे हाउस की बात मैं आखिर में कहना चाहूंगी। वाजपेयी जी ने उस दिन दो तीन मुद्दे जो उठाए थे, उसकी तरफ भी मैं अपनी तकलीफ की कुछ बात उठाना चाहूंगी। हमारे बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए, हमारी विभिन्न पार्टियों को सोचकर, समझकर, पार्टी से ऊपर उठकर हमारी यूनिटी की बात भी आनी चाहिए। जब एस.सी., एस.टी. की बात होती है, तो उनके लिए हाउस में भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिए, क्योंकि कई एस.सी., एस.टी. एम. पी. हैं, जिनको दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म जीतकर आते हुए हो गई हैं, लेकिन साल में एक बार भी हाउस में बोलने का उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब हम उनके लिए सीट रिजर्व करते हैं तो हाउस में उनको बोलने के लिए समय भी दिया जायेगा, उनके बोलने के लिए कोई बन्दोबस्त नहीं होता, तो उन लोगों से हम कैसे आशा करेंगे।

वहां बेचारे गांव में एस.सी., एस.टी. के लोग हैं, वे तो दूसरों से तरक्की के लिए लड़ रहे हैं और यहां एस.सी., एस.टी. एम.पीज. हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए दूसरों से फाइट कर रहे हैं कि हम भी कुछ बोलें, हम भी श्रद्धांजलि दें। हम भी कुछ दूसरे एम.पीज. के बराबर आने की कोशिश करें, ऐसा यहां संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब समाप्त कीजिए।

कुमारी सुशीला तिरिया: खत्म हो गया। मैं आपके जरिये से यह भी मांग करना चाहूंगी कि यहां भी महिलाओं के लिए, एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए कुछ पाबन्दी होनी चाहिए कि हमको भी मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। स्वतंत्र भारत में मैं आज के दिन यह भी कहना चाहूंगी कि आदिवासी, हरिजन की कल्चर निश्चित रूप से अलग है तो एस.सी., एस.टी. में मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हमारे यहां महिलाओं में दो परसेंट एजुकेशन है, ट्राइबल महिलाओं में दो परसेंट एजुकेशन है। ट्राइबल महिलाओं के लिए स्कूल बढ़ाने चाहिएं, क्योंकि महिलाओं में आदिवासियों में बैकबोन होती हैं, जिस घर में महिलाएं शिक्षित होती हैं, वह आदिवासी परिवार जरूर शिक्षित होता है, इसलिए आपको यह निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पर एस.सी., एस.टी. में जहां महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, वहां आपको एस.सी., एस.टी. की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए और दिल साफ करके उनके लिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुशीला जी, अब समाप्त कीजिए।

कुमारी सुशीला तिरिया: खत्म हो गया, एक मिनट और लगेगा। वीमेन बिल के बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी, क्योंकि वीमेन बिल 50वें वर्ष में स्वर्ण जयन्ती हम लोग मना रहे हैं तो महिलाओं के अधिकार को तो आपको छीनना नहीं चाहिए, जरूर देना चाहिए। उसमें आप जो कोई भी सुधार लाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसलिए आपको बाकी लोगों से ज्यादा महिलाओं के प्रति आदर होने की वजह से तीन मिनट ज्यादा दिये हैं।

कुमारी सुशीला तिरिया: मैं तो कह रही हूं कि आदिवासी महिलाओं में केवल दो परसेंट एजुकेशन है, उनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए, उनके लिए भी गांवों में कुछ काम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी वे लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन एक चीज मैं चाहूंगी कि जो कमिटमेंट और रैस्पोंसिबिलिटी का हम लोगों को भी ध्यान आना चाहिए, दूसरी जो भी सरकार आती है, वह रैस्पोंसिबिलिटी और कमिटमेंट निभाती है, वह सरकार लोगों के लिए या अपने देश के लिए निभाती है, इससे काफी तरक्की होती है। कोई भी सरकार आती है तो एक ही चीज है कि कमिटमेंट और रैस्पोंसिबिलिटी अपने आप समझकर और निभाकर जो प्रैक्टीकल चीज है, वह जरूर कुछ परसेण्ट होती है। हमारे क्षेत्र में कमिटमेंट यह है कि आजादी के बाद एक कमिटमेंट एग्रीमेंट के तहत मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ था कि रेलवे लाइन डालनी है, नोर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी बनानी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी है और एग्रीकल्चर कालेज बनाना है। उस समय आजादी के बाद यह एग्रीमेंट के तहत कमिटमेंट हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी ...*(व्यवधान)* मेरी बात खत्म हो गयी। जो कमिटमेंट और रैस्पोंसिबिलिटी है, सरकार को वह करना चाहिए और लास्ट सुझाव मैं यह देना चाहूंगी, हम लोग अपने आपको धन्य मानेंगे, जब हमारी यह मांग पूरी होगी। हम लोग प्रदूषण के भी बहुत शिकार हो रहे हैं इसलिए मैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर मांग करूंगी कि सभी सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को और राजनीतिज्ञों को पचास-पचास पेड़ लगाने चाहिए।

सभापति जी, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री सत्य पाल जैन

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति जी, मैं सिर्फ तीन छोटे-छोटे बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिन पर अभी तक किसी सदस्य ने प्रकाश नहीं डाला है। हम यहां चार दिन से देश के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हमें थोड़ा अपने अंदर भी झांककर देखना चाहिए। मैं सदन में पहली बार आया हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में कोरम नहीं होगा और बहस चलती रहेगी तो सदन की गरिमा कैसे कायम रह पाएगी। लोक सभा की एक परम्परा है कि हम कोरम का सवाल नहीं उठाते परन्तु अगर ऐसा हो जाए तो एक दिन भी लोक सभा की मीटिंग नहीं हो सकती। हम सारे देश के लोगों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी चिंतन करना चाहिए कि जिस काम के लिए हमें जनता ने चुनकर भेजा है, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस वर्ष, जबकि हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, इस परम्परा को तोड़ें। अगर सदन में कोरम न हो तो हाउस की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें भी एहसास हो कि जिस काम को करने के लिए हमें जनता ने यहां भेजा है, वह हम पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे पूरा करें।

हिन्दुस्तान में सात केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। यहां सब लोगों ने प्रदेशों के बारे में चर्चा की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के पचास साल भी इन क्षेत्रों के लोगों की चुनी हुई प्रतिनिधि सभा नहीं है, जैसा कल मनोरंजन भक्त जी भी कह रहे थे।

सभापति महोदय: मैं इस पर कल बोलने वाला हूं।

श्री सत्य पाल जैन: मैं आपके ही मन की बात कहने वाला हूं इसलिए आप अपने पांच मिनट भी मुझे दे दें। अंडमान निकोबार द्वीप तो यहां से बहुत दूर है, लेकिन चंडीगढ़ मात्र 250 किलोमीटर दूरी पर है, वहां जनता की कोई प्रतिनिधि सभा नहीं है। वहां की सारी ताकतें वहां के प्रशासक के हाथ में है। जबकि बाकी सभी प्रदेशों में और यहां भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। हिंदुस्तान में आज भी केन्द्र शासित प्रदेशों में आईएएस और प्रशासकों के हाथ में सत्ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आजादी के महत्व को बनाए रखने के लिए और जनता को अधिकार देने के लिए वहां भी विधान सभाओं

का गठन किया जाए। अगर यह अभी नहीं हो सकता तो होम मिनिस्टरी की एडवाइजरी कमेटी वहां बनाई जाए, जिसमें हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और उसकी मीटिंगें नियमित हों जिससे जनता की कुछ भागीदारी हम लोगों द्वारा हो सके। सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक एकक में एक समान नीति बनाई जाए।

ज्यूडिशियल एक्टीविज्म के बारे में यहां बहुत बात हो रही है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन न्यायिक प्रणाली की हालत पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज भी हिन्दुस्तान के विभिन्न हाई कोर्ट्स में जजों के लगभग 80 पद सालों से खाली पड़े हुए हैं। केसेज की हालत यह है कि:

[अनुवाद]

दुर्भाग्य से उस पद्धति को कायम नहीं रखा जा रहा है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई एक समान नीति अपनायें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रखा जाए।

अंत में, मैं सोचता हूं कि यदि हम इस वर्ष के अंत तक भारत के हर नागरिक को भोजन, बिजली, जल, सड़क, विद्यालय, औषधालय की उपलब्धि सुनिश्चित कर सकें तो यह देश के लिए एक बड़ी सेवा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैंने पांच मिनट से अधिक समय नहीं लिया है।

श्री के.एच. मुनियप्पा

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं दो मुद्दों पर सुझाव देना चाहता हूं। मैं भाषण देना नहीं चाहता।

गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, सत्ता का विकेन्द्रीकरण जिसमें आम जनता के हाथ में पंचायत स्तर पर अधिकार दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू किया था।

मैं जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहता हूं वह है कृषि। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस देश की 70 प्रतिशत आबादी कार्यरत है। यह देश की रीढ़ है। कृषि के लिए बजट का आवंटन इसी अनुपात में होना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 10 प्रतिशत है। केन्द्रीय बजट में इस विभाग के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा देश के कमजोर वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं।

अब मैं चुनाव सुधारों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान दल प्रणाली बरकरार रखी जाए। इस देश में निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय काफी अधिक होता है। संविधान में इस संबंध में यह संशोधन किया जाए कि पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10 प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य हो। यदि ऐसा होता है तो चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की संख्या घटकर चार अथवा पांच हो जाएगी। इस बात का भी प्रावधान किया जाए कि चुनाव का खर्च राज्य वहन करेगा। एक बार ऐसा हो जाने पर काम आसान हो जाएगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमें भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा। यदि चुनाव लड़ने में होने वाला संपूर्ण खर्च राज्य वहन करे तो भ्रष्टाचार आसानी से थम जाएगा।

जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का संबंध है, ये चुनाव 1952 से ही आरक्षित श्रेणी में हैं। इसके बारे में एक विधेयक लंबित है। निर्वाचन क्षेत्रों का प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् नए सिरे से परिसीमन किया जाना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों का सभी जिलों में आरक्षण होना चाहिए चाहे वे संसदीय चुनाव क्षेत्र हों अथवा विधान सभा चुनाव क्षेत्र हों।

मेरा एक और सुझाव यह है कि एक जिले को संसदीय क्षेत्र का खंड तथा तालुक को विधान सभा क्षेत्र का खंड माना जाना चाहिए। इस प्रकार से राजस्व, प्रशासनिक तथा अन्य सभी विभागों के कार्यकरण को सुचारू बनाया जा सकेगा। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ग्यारहवीं लोक सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। अत: इसे पारित किए जाने का उचित अवसर यही है। हम सभी को साथ मिल बैठना चाहिए और इसका समाधान खोजना चाहिए।

चुनाव संबंधी सुधार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक समस्या यहीं से शुरू होती है। भ्रष्टाचार भी यहीं से शुरू होता है। वास्तव में पर्याप्त धन खर्च किए बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। वे उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उन्हें या तो उसे उद्योगपतियों से

प्राप्त करना होता है अथवा चंदा मांगना पड़ता है अथवा कोई अन्य जरिया ढूंढना पड़ता है। यही वास्तविकता है। इस संबंध में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने चुनावी सुधारों पर उचित ध्यान नहीं दिया है। हमें इस मुद्दे पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसके लिए होने वाले सभी व्यय का वहन करे। उम्मीदवार द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात् ही हम महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर आधारित देश के लिए कार्य कर सकते हैं।

एक अन्य बात यह है कि देश के अनेक भागों में बाढ़ के कारण अत्यंत क्षति होती है लेकिन कुछ अन्य भागों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्रों के रूप में 120 जिलों की पहचान की गई है लेकिन इनके विकास के लिए कोई उचित कार्यक्रम नहीं है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 500 फीट गहरी खुदाई करने के बाद जल उपलब्ध होता है लेकिन यह फ्लोराइड युक्त होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। देश की यही स्थिति है। किसी क्षेत्र के लिए कोई उचित योजना नहीं है।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि कतिपय क्षेत्रों के लिए योजना बनाने तथा धन आवंटन के संबंध में नौवीं योजना में समुचित संतुलन नहीं है। अत: मैं सभी दलों के साथ मिलकर बैठने और योजना की समीक्षा करने का अनुरोध करूंगा ताकि इसमें उचित सन्तुलन लाया जा सके जिससे देश के सभी भाग लाभान्वित हो सकें। जल को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हम जल के अभाव का सामना कर रहे हैं।

मैं जल संबंधी समस्या को तीसरी बार संसद में उठा रहा हूं लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है। मेरे क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त जल को पीने के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। वे इस दूषित जल को पीने के कारण अस्थि कैंसर के शिकार हो रहे हैं इसका पता दो वर्ष पूर्व चल चुका है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस देश के लोगों का यही दुर्भाग्य है।

ऐसा कोलार तथा चित्रदुर्ग जिलों में हुआ है जहां जल उपलब्ध नहीं है तथा लोगों को इसे पाने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। इससे समस्या उत्पन्न होती है। अत: मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जल की कमी से प्रभावित सिर्फ मेरे जिले का ही नहीं बल्कि ऐसे सभी जिलों की समस्या पर ध्यान दिया जाए। वहां ऐसी कई समस्याएं हैं मैं उन सभी का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मेरा यही कहना है कि इन समस्याओं का समाधान सभी दलों की सहमति से किया जाना चाहिए ताकि कोई विवाद न हो।

माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका अपने दल के नेता तथा संसद का आभारी हूं।

सभापति महोदय: अब सभा की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 9.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।